दशम माला, खंड 10, अंक 27

गुरुवार, 2 अप्रैल, 1992
13 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 10 में अंक 21 से 30 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 63
Date 2.6.7.93

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय - सूची

दशम, माला, खंड 10, तीसरा सत्र 1992/1994 (शक)

अंक 27, गुरुवार, 2 अप्रैल, 1992/ 13 चैत्र, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 511 और 513 से 517	
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	21-182
तारांकित प्रश्न संख्या : 512 और 519 से 531	21-35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5707 से 5721, 5723 से 5744, 5746 से 5786, 5788 से 5805 और 5807 से 5860	35-153
सभा पटल पर रखे गए पत्र	183-185
वित्त विधेयक, 1992 के बारे में याचिका – प्रस्तुत	185
नियम 377 के अधीन मामले	186-190
(एक) राजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क/रेल संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुधीर सावंत	186
(दो) जिला बस्तर, मध्य प्रदेश में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंको में उस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों की भर्ती किए जाने की आवश्यकता	
श्री मानसूराम सोड़ी	187

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

अनुदानों की मांगें (सामान्य) – 1992-93 191-235

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

श्री जगत बीर सिंह द्रोण 191

श्री मणि शंकर अय्यर 198

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम 203

डा० सुधीर राय 209

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन 211

श्रीमती सुमित्रा महाजन 225

श्री असलम शेर खां 229

डा० विश्वनाथम कैनिथी 232

श्रीमती गीता मुखर्जी 232

लोक सभा

गुरुवार, 2 अप्रैल, 1992/13 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कर्नाटक को बाढ़ राहत

*511. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अगस्त और नवम्बर, 1991 में हुई भारी वर्षा और समुद्री तूफानों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सरकारी सम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण हेतु तथा बाढ़ राहत देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) : कर्नाटक सरकार ने राज्य में अगस्त, अक्तूबर तथा नवम्बर, 1991 के दौरान आई बाढ़ के राहत उपायों के लिए 144-00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी है।

2. राहत व्यय वित्तपोषण की मौजूदा स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत उपाय आपदा राहत कोष के प्रावधानों से ही करना अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार को, ऐसी आपदा के मामले में ही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता होती है जिसे राष्ट्रीय स्तर

पर निपटाना होता है। राज्य सरकार के ज्ञापन पर राहत व्यय वित्तपोषण की मौजूदा स्कीम को तथा राज्य में बाढ़ की स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखकर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान अपने समग्र शेयर के 20-25 करोड़ रुपये पहले ही राज्य के आपदा राहत कोष को निर्मुक्त कर दिये हैं।

श्री के. एच. मुनियप्पा : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1991 के अगस्त तथा नवम्बर महीनों के दौरान कोलार, बंगलौर तथा तुमकुर जिले सबसे अधिक तूफान से प्रभावित हुए। अकेले कोलार जिले में 30,000 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये। लगभग 150 करोड़ रुपये का कुल नुकसान हुआ। मैं श्री उत्तम भाई पटेल, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री का आभारी हूं जिन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की दौरा करने की अनुकम्पा की। उन्होंने घरों, सड़कों तथा तालाबों के निर्माण के लिए 1.25 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की। इसके साथ-साथ मैं माननीय कृषि मंत्री, श्री बलराम जाखड़ का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तूफान पीड़ित लोगों के लिए अब तक राज्य में 144 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। राज्य सरकार ने भी कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की है जो कि बहुत कम है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में दी गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कितने तूफान पीड़ितों को कर्नाटक राज्य में आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सम्पत्ति की हानि को बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले लोगों के नामों का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूँगा कि यह सूचना राज्य सरकार से प्राप्त करनी पड़ेगी क्योंकि वही इस काम को देख रही हैं।

केन्द्र द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत राशि अथवा राहत सहायता का प्रश्न बड़ा सरल है तथा कई बार इसका उत्तर सदन में दिया जा चुका है। महोदय, जैसा कि आंप जानते हैं कि नौवें वित्त आयोग ने राहत कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कुछ मान-दण्ड निर्धारित किए हैं। आपदा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार नुकसान का जायजा लेने के लिए एक दल भेजा करती थी जो कि दी जाने वाली वित्तीय सहायता निर्धारित करता है, नौवें वित्त आयोग ने यह निर्णय लिया है कि यह राशि लगभग दस वर्षों के अनुपात में दी जानी चाहिए। इसलिए कुल सहायता राशि का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है जो कि लगभग 601 करोड़ रुपए बनता है, तथा बाकी का हिस्सा अर्थात् 203 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा जुटाया जाता है। इस प्रकार यह कुल राशि 804 करोड़ रुपए बनती है। प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई जाने वाली सहायता का यही मूल आधार है। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते।

किसी गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जहां कि ऐसा लगे कि वस्तुतः यह आपदा असाधारण है, वहां हम सहायता बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं। इसलिए जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि जो कुछ भी हम कर सकते थे, हमने किया है।

श्री के. एच. मुनियप्पा : महोदय, प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी भाग में ऐसी दुखद् घटनाएं होती हैं। इसलिए क्या मंत्री महोदय आपदाओं के स्थायी निवारण के सम्बन्ध में कोई प्रणाली विकसित करने की दिशा में उठाये गये कदमों का ब्यौरा देंगे ? कोलार, तुमकुर तथा चित्रदुर्ग में लगभग 50 करोड़ रुपए मूल्य की खड़ी फसल को हानि पहुँची है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। जहां तक आपदा निवारण योजना का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है तथा हमने राज्यों के मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। हम ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे ऐसी घटनाओं में कमी की जा सके। यह आपदायें प्रकृति द्वारा थोपी जाती हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं किया जा सकता। अन्यथा, मेरे विचार में राज्य सरकारों को आपदा सहायता राशि को उपयुक्त समय पर प्रयोग के लिए उसका संचय करना चाहिए। यह आपदायें रोज नहीं आती हैं। वे कभी-कभी आती हैं तथा इस राशि का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उपयुक्त समय पर इनके उचित प्रयोग के लिए इसका संचय किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बाघेला, यह कर्नाटक से सम्बन्धित है। मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह बाघेला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नेचुरल कैलामिटी पर देश का दुर्भाग्य रहा जैसे अकाल, लैंड-स्केप, साइक्लोन या फ्लड हो। जिस स्टेट में आपकी पार्टी की सरकार होती है तो आप वहां ज्यादा मदद करेंगे और जो अपोजिशन पार्टी की सरकार होती है तो वहां पर गड़बड़ होती है। क्या केन्द्र सरकार की ऐसी कोई नीति होगी जिसमें अफसरों की एक टीम में राज्य सरकार का चीफ सेक्रेटरी उसमें हो और कोई राज्य आपसे मदद मांगता है तो राज्य के कोटे में से नहीं काटना है। हर साल ऐसा होता है जिसमें अफसरों की टीम हर साल जायेगी। राज्यों के लिए टीम का प्रावधान करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्टेट किसी के नीचे नहीं है। इसमें यह चीज आती नहीं है। यू० पी० में 105 करोड़ रुपया दिया गया था। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, मैं छुपाने की बात नहीं करता। जो प्रक्रिया हमने स्थापित की है, वह सबके लिए एक जैसी है। सबको कैलामिटी रिलीफ फंड के हिसाब से दिया गया है। वह हमने नहीं किया है। यह स्टेट ने स्वयं किया है और चीफ सेक्रेटरी की जो कमेटी बनी हुई है, वह निर्धारित करती है कि किस समय कहां दिया जायेगा और उसी के अन्तर्गत भारतवर्ष के लिए दिया जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है।

सेन समिति

*413. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था;

(ख) इस समिति द्वारा की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) समिति को सिफारिशों पर केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पूर्वी भारत में कृषि उत्पादकता पर डा० एस. आर. सेन की अध्यक्षता में मार्च, 1983 के दौरान एक समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन और उत्पादकता के रुखों का अध्ययन करने, उत्पादन क्षमता के स्तरों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का पता लगाने तथा अधिकतम संभव उत्पादन क्षमता प्राप्त करने हेतु ऋण एवं निवेश के विशेष संदर्भ में उपाय सुझाने के लिये इस समिति का गठन किया गया था।

(ख) उस समिति की सिफारिशों के अनुसार पूर्वी राज्यों में विकास की मुख्य बातों में, अन्य के साथ-साथ, नलकूप, पंपों को बड़े पैमाने पर व्यवस्था, सिंचाई का नियंत्रित उपयोग; उचित जल प्रबंधन तकनीकें, पर्याप्त निकासी ढांचा, सूक्ष्म पनधारा विकास, आदान सेवाओं को आवश्यकता अनुकूल बनाना, छोटे और सीमांत किसानों को विस्तार सहायता देना, भूमि सुधार, ऋण तथा सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना आदि शामिल हैं।

(ग) उस समिति की सिफारिशों पर 8 जनवरी, 1986 को तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्रियों के पटना में हुए एक सम्मेलन में विचार किया गया। उस सम्मेलन में उक्त समिति की कार्यनीतिगत सिफारिशों के बारे में व्यापक सहमति थी। चूंकि कृषि राज्यों का विषय है, इसलिये संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि वे इन सिफारिशों को अपने योजनागत कार्यक्रमों के रूप में लागू करें। राज्यों से कृषि प्रबंध की क्वालिटी में सुधार करने, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने और ऋण के मामले में अनुशासन बरतने का भी आग्रह किया गया।

कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा आरंभ की गई अनुवर्ती कार्रवाई के प्रत्युत्तर में अब तक प्राप्त सूचना से पता चलता है कि उक्त समिति की बहुत सी सिफारिशें, चल रहे तथा नये विभिन्न कार्यक्रमों में, कुल मिलाकर, सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि मार्च 1983 में सेन कमेटी बैठी थी, इसमें बिहार में जो बाढ़ से क्षति होती है और जहां सिंचाई सुविधा देनी है और नलकूपों की व्यवस्था करनी है। मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि बहुत सी जगहों पर काम हो रहा है और काम चल

रहे हैं। परन्तु समिति ने यह सिफारिश की थी कि जब तक केन्द्रीय सरकार विश्व बैंक से सहायता नहीं लेगी तब तक बिहार की जो समस्या है चाहे बाढ़ या सिंचाई की समस्या हो, की पूर्ति नहीं हो सकती है। सिंचाई के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : मेरा प्रश्न यह है कि कमेटी ने वहां पर बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सिफारिश की थी और साथ ही बिहार में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए भी सिफारिश की थी। उस तरफ मंत्री जी क्या विचार कर रहे हैं और बिहार में क्या सिंचाई सुविधा बढ़ाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका मूल प्रश्न से सम्बन्ध है।

श्री बलराम जाखड़ : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, सुसंगत पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : फिर यह पहला पूरक प्रश्न होगा।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : हमारे यहां बहुउद्देशीय स्वर्ण रेखा परियोजना बनाई जा रही है, मगर वह परियोजना विश्व बैंक की सहायता के बिना पूरी नहीं हो सकती है। 1983 से वह बन रही है, वह क्षेत्र जो सिंहभूम के नाम से कहलाता है आदिवासी बाहुल्य एरिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका मूल प्रश्न सेन समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में है। पूरत प्रश्न इसी सम्बन्ध में होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : उसी सम्बन्ध में है। काफी दिनों से वह बन रही है मैं चाहूंगा भारत सरकार उसको स्वीकृति दे और विश्व बैंक से सहायता लेकर उसको पूरा कराये।

श्री बलराम जाखड़ : इस प्रश्न का मूल प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह मेरे पास आयें और हम दोनों मिलकर इस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : सेन समिति के गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देश के कुछ भागों में तो हरित क्रान्ति आई थी तथा ये क्षेत्र अभी भी वर्षा पर निर्भर थे। यह काफी हद तक ठीक है कि कृषि का विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है फिर भी दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें केन्द्र सरकार से कुछ करने की अपेक्षा है। एक है बैंकिंग सुविधायें तथा दूसरी छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए ऋण-जमा

अनुपात। जहां तक वरीयता क्षेत्र का प्रश्न है, नरसिम्हन समिति रिपोर्ट से यह खतरा उत्पन्न हो गया है कि वरीयता क्षेत्र को उपलब्ध करवाये जानी वाली मूल राशि में कटौती कर दी जायेगी ? क्या माननीय मंत्री जी इस मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठायेंगे ताकि छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए ऋण-जमा का वर्तमान अनुपात बना ही न रहे बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी भी की जा सके ?

दूसरा क्षेत्र जहां पर कि केन्द्र सरकार राशि के प्रावधानों को इन क्षेत्रों में बृहत् सिंचाई हेतु स्थानान्तरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हो उदाहरणार्थ, अभी तक तीस्ता परियोजना के लिए केन्द्र से कोई विशेष सहायता नहीं मिल रही है। मैं बिहार उड़ीसा तथा इन क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। इन दो क्षेत्रों में धन के प्रावधान तथा दृष्टिकोण में इतना परिवर्तन होना चाहिए कि सेन समिति की सिफारिशों को लागू किया जा सके।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सदस्य ने सिंचाई योजना के बारे में पूछा है। इस सम्बन्ध में सिंचाई मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करनी होगी कि वे इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं। परन्तु मैं यह चाहूँगा कि ऐसा महसूस किया जाये क्योंकि इसी से ही उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।

आपका दूसरा प्रश्न ऋण के बारे में है। हम छोटे तथा सीमांत किसानों के हितों को ध्यान में रखेंगे तथा उनकी रक्षा करेंगे। मेरी समस्या यह है कि एक ही समय में बिना सोचे समझे कई ऐसी योजनाएं क्रियान्वित कर दी जाती हैं जहां पर कि हमको उनके क्रियान्वयन से उत्पन्न परिणामों पर भी गौर करने की आवश्यकता होती है। ऋण माफी योजना से मेरे विचार में सारी ऋण प्रणाली की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। तथा मुझे इस प्रणाली का पुनर्गठन करना पड़ेगा इस प्रणाली को सक्षम बनाना पड़ेगा ताकि कृषि के लिए आवश्यक राहत तथा ऋण उपलब्ध करवाया जा सके, क्योंकि आज कृषि में काफी निवेश की आवश्यकता हे तथा पूंजी निवेश के बगैर कृषि संभव नहीं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : यह जो सेन कमेटी बनी थी इसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश का अध्ययन करने का भी काम था। गोरखपुर और बनारस, डिवीजन में आजमगढ़ और बलिया आते हैं जो कि सबसे गरीब जिले हैं। भारत की औसत आबादी से ज्यादा आबादी यहां पर है और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ये जिले आज भी सिंचाई, उद्योग और कृषि में पिछड़े हुए हैं। भारत सरकार ने केवल इतना किया कि मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर 1986 में राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें। इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस पिछड़े हुए इलाके में जहां कृषि की सुविधायें बहुत कम हैं, गरीबी है उनका उत्थान और विकास के लिए क्या वे कोई कमेटी बनायेंगे या 1986 के बाद जो कमेटी बनी थी उसमें क्या प्रगति हुई, कितना विकास का काम हुआ ? इसके साथ ही क्या आप फिर मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर कोई विचार विमर्श करेंगे ? अध्यक्षजी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केन्द्र ने एक पटेल कमेटी बनाई थी इन पूर्वी जिलों के विकास के लिए। पं० जवाहर लाल नेहरू की विशेष पहल पर। तो क्या इन क्षेत्रों का विकास हुआ है जो पिछड़े हुए हैं। अब कृषि मंत्री इसके लिए कोई विशेष योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, यादव जी बिल्कुल सही फरमाते हैं कि 1986 में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी और यह फैसला हुआ था कि अगले साल यू० पी० में इसकी बैठक होगी लेकिन न तो वह साल आया और न वह बैठक ही आयी....मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्होंने किसी तरह से इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मीटिंग करें।

सेन कमेटी ने ढेर सारी सिफारिशें की थीं जिसमें से 147 सिफारिशें मंजूर की गयी थीं और उसके मुताबिक यह नहीं था कि हम काम नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में कृषि विभाग की गति को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं, तथा अनेक कार्यक्रम बनाये हैं, विशेषकर विस्तार, प्रशिक्षण, अनुसंधान, आपूर्ति तथा आगत, ऋण तथा सुविधाओं, सिंचाई, जल निकासी, भूमि संरक्षण के क्षेत्र में/नाबार्ड द्वारा उठाये गए कदम भी काफी उत्साहजनक है। योजना आयोग भी इस क्षेत्र के लिए अधिक धन का प्रावधान कर रहा है। फिर भी इस सम्बन्ध में आशानुकूल प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इस सरकार की प्रतिक्रिया इस सम्बन्ध में बड़ी उदासीन रही है।

[हिन्दी]

तो मुझे खेद होता है और मैं यादव जी से अर्ज़ करना चाहता हूं कि ड्राईवर पर बहुत कुछ आधारित है, गाड़ी धीरे या तेज़ ले जाता है, इस विषय में ईस्टर्न उ० प्र० में भी हुआ है। मैं कल वैस्ट बंगाल जाकर आया हूं। वहां इस वक्त खेती में काम ठीक हुआ है, यू० पी० में थोड़ा ठीक हुआ है लेकिन बिहार और उड़ीसा दो ऐसे प्रान्त हैं जहां अधिक काम करना बाकी है और हम सब मिलकर वहां काम करें लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यह कृषि का काम आधारित है। हम जो सहायता दे सकते हैं, मैं देना चाहूंगा क्योंकि अगर देश में अन्न चाहिये तो लाज़मी तौर पर उत्पादन कृषि से हो सकता है। जहां अब तक नहीं हुआ है, वहां ज्यादा हो सकता है।

[व्यवधान]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, इस प्रकार व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : आप मेरी बात सुनिये, बहुत काम की बात है। काम करने की नीयत होती है। पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरों हुए थे। उनमें डायनामिज़्म था। उनके अन्दर प्रगति करने की इच्छा थी, भावना थी और उसने जगा दिया। उसके पश्चात् लोग अपना काम कर लेते हैं। हमने काम करना है, यह आप देख लीजिये और जब तक वह देखता नहीं, उसको विश्वास नहीं होता है। बिहार, उड़ीसा में और ईस्टर्न यू० पी० में ऐसा काम किया जाये तो थोड़ा फर्क पड़ता है। अभी ईस्टर्न यू० पी० में बहुत कुछ काम करना है, वहां काम करने की क्षमता होनी चाहिये। भगवान् ने सारे साधन दिये हैं, हमारी निधि है। हम सिर्फ उसे संचित नहीं कर पाये हैं, वह मैं करूंगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जैना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपने अधिकार की सुरक्षा की मांग करता हूँ क्योंकि माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में तथा पूरक प्रश्नों के उत्तर में केवल आप-टिप्पणियाँ ही कर रहे हैं। सेन समिति के आँकड़े और सिफारिशें बिल्कुल स्पष्ट हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 1983 में सेन समिति गठित की थी। 1986 में मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और उसके बाद भारत सरकार ने बैठक कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। इस संबंध में सिफारिशें क्या हैं और उनमें कितनी प्रगति की गई है ? माननीय मंत्री जी ने अभी भी यही कहा है कि यह राज्य का विषय है और राज्य सरकारें ही इस पर विचार करेंगी। यह ज्ञातव्य है कि उड़ीसा में केन्द्र सरकार देश में सबसे कम निवेश करती हैं और उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को छोड़िए।

श्री श्रीकांत जैना : जब तक भारत सरकार प्रयास नहीं करती और इस क्षेत्र को वरीयता नहीं देती तब तक उड़ीसा और बिहार में स्थिति नहीं बदलेगी।

क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि सेन समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, यद्यपि अब तो काफी देर हो चुकी है ? क्या आप इस बारे में कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : मेरे विचार से मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। मैं भी उत्पादकता बढ़ाना चाहता हूं। मैं इस बारे में भूला नहीं हूं। 361 सिफारिशों में से 147 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। परन्तु यह काम करने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करता है। मेरी अनुसंधान संबंधी व्यवस्था, विभाग, साख प्रणाली जो भी उपलब्ध है सब आपके सुपुर्द है। मैं बैठक बुलाने जा रहा हूं। मैंने पहले भी यही कहा था। 1986 के बाद कोई बैठक नहीं हुई। संबंधित व्यक्तियों को बैठक करवानी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वह बैठक आयोजित करने के लिए निमंत्रण दिया था। उन्होंने क्या क़िया ? मैं उन्हें अब बैठक बुलाने के लिए कहूंगा। मैं उन्हें एकत्र कर रहा हूं। मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया? इस सम्बन्ध में उड़ीसा को पीछे नहीं रहना चाहिए।

मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। विभाजन के समय पंजाब, हरियाणा, कांगड़ा जिला, ऊना और चंडीगढ़ एक थे। उनके पास 33 हज़ार टन अनाज की कमी थी और अब वे लगभग 70% राजकोष में दे रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता ? अतः हमें ऐसा करना है।

रसोई गैस के भरे सिलेंडरों का वितरण

[हिन्दी]

*514. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और देश के अन्य भागों में प्रत्येक रसोई गैस वितरक एजेंसी के लिए अधिकतम कितने गैस कनेक्शन निर्धारित किए गये हैं;

(ख) एक एजेंसी के पास अधिकतम कितने उपभोक्ता पंजीकृत हो सकते हैं;

(ग) क्या बहुत सी एजेंसियाँ उपभोक्ताओं को रसोई गैस के भरे सिलेंडर समय पर नहीं दे पाती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं की रसोई गैस के भरे सिलेंडरों की सप्लाई करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सहकारी समितियों को छोड़कर किसी एल.पी.जी. एजेंसी के लिए निर्धारित गैस कनैक्शनों की अधिकतम संख्या का निर्धारण देश के विभिन्न भागों में रिफिल की बिक्री के आधार पर किया जाता है जिसमें दिल्ली शामिल है। विभिन्न शहरों में रिफिल की बिक्री की अधिकतम सीमा निम्नलिखित है:-

1. बम्बई में	8,000
2. दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में	6,500
3. 20-40 लाख की आबादी वाले शहरों में	6,000
4. 10-20 लाख की आबादी वाले शहरों में	5,000
5. 10 लाख की आबादी वाले सभी शहरों में	4,000

(ख) कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) जहां तक संभव होता है, उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. की रिफिलें समय से उपलब्ध कराई जा रही हैं। तथापि, जब भी कोई व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। यह सुनिश्चित किए जाने के लगातार प्रयास किए जाते हैं कि रिफिलों की आपूर्ति में कोई विलम्ब न हो।

[हिन्दी]

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष जी, मेरा पहला सवाल पार्ट ए से ताल्लुक रखता है। मेरे इस प्रश्न के दो हिस्सं हैं। पहला हिस्सा यह कि आपका क्या बेसिस है जो आपने सीलिंग ऑफ कनेक्शन रखे हैं और दूसरा भाग है कि आपके पास क्या मशीनरी है इसको इनश्योर करने की क्योंकि दिल्ली में ऐसी एजेन्सी हैं जिनके पास 7000 से 10,000 तक कनेक्शन दिल्ली में हैं। तो आप के पास क्या मशीनरी है यह एनश्योर करने के लिए कि आप इस सीलिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि दिल्ली में ऐसे अनेक विक्रेता हैं जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक उपभोक्ता हैं। ऐसी विसंगतियां होने के अनेक कारण हैं; सबसे पहले एक क्षेत्र विशेष में एजेंसी का होना, दूसरे, एक एजेंसी विशेष में लोगों की क्रय शक्ति और तीसरे जनसंख्या में वृद्धि जो कि कस्बा और शहर योजनाकर्त्ताओं के लिए कठिनाई पैदा कर रही है।

जहां तक गैर-अर्थक्षम एजेंसियों का संबंध है हम उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम इन एजेंसियों का पुनः वितरण करेंगे और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए आबंटन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : आप के पास 1990 और 1991 में कितनी शिकायतें आई हैं मालप्रैक्टिसेज़ के बारे में, और आपने कितनी ऐजेन्सीज़ के खिलाफ ऐक्शन लिया है और क्या किसी का लाइसेन्स आपने कैन्सेल किया है ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : यद्यपि यह बात सही है कि हमें अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन इस वक्त मैं आपको यह नहीं बता सकता कि कितनी एजेंसियाँ समाप्त की गईं अथवा कितनी निलंबित की गईं। मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

श्री तारा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उत्तर में दिए गए मानकों के अनुसार जिन कस्बों और शहरों में एल०पी०जी० एजेंसियाँ नहीं हैं वहाँ महीनों तक उपभोक्ताओं को पुनः भरे हुए सिलेन्डर प्राप्त नहीं होते हैं और वे गलत तरीके अपनाकर, अधिक पैसा देकर सिलेंडर प्राप्त करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन शहरों में और एजेंसियाँ दी जाएंगी। व्यक्तिगत तौर पर मैं महसूस करता हूं कि उपभोक्ताओं द्वारा जो शिकायतें की जाती हैं वह कोई भी सरकार दूर नहीं कर सकती। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के 10-15 शहरों में गया था और मैं जहां भी गया, यही शिकायत मिली कि एल०पी०जी० गैस की कालाबाज़ारी होती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पूरे देश में यही शिकायत की जाती है।

श्री बी० शंकरानंद : महोदय, हमारा यह प्रयास है कि इस शताब्दी के समाप्त होने तक हम संपूर्ण माँग को पूरा कर दें। वास्तव में हम आठवीं योजना के दौरान वितरण के लिए उत्पादों को उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं। यह भी वास्तविकता है कि हम इस देश में सभी शहरों और कस्बों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। ऐसी शिकायतों को कम करने के प्रयास किए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रोहतास की आबादी लगभग तीस लाख है और यह जिला बिहार में आता है। कुछ समय पहले तक वहां एल.पी.जी. गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एजेंसी थी परन्तु कदाचार के मामले में, वहां के प्राधिकारियों ने उस एजेंसी को कैंसिल कर दिया है, जिसके कारण उस जिले के उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहाँ कोई नई गैस एजेंसी खोलकर उपभोक्ताओं को रिलीफ देने का विचार रखती हैं।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, यह ऐसा सुझाव है जिस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, यह कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। वास्तव में प्रत्येक नए गैस कनेक्शन के लिए 1000 रु. का प्रीमियम है तथा नई एजेंसी के लिए भी प्रीमियम है। मैंने माननीय मंत्री जी को पहले ही लिखा है कि चूंकि सरकार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है इसलिए उसे एजेंसियाँ देने के लिए निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकर्त्ता

कम से कम पांच लाख रुपये से दस लाख रुपये की निविदा भरेगा जिससे नई गैस एजेंसियाँ देने में देश को 300 करोड़ रुपये से 400 करोड़ रुपये तक प्राप्त होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पहलू पर विचार कर रही है अथवा वह पूरे देश में कालाबाज़ारी को बढ़ावा देना चाहती है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस गैस की खोज की है फिर भी देश के गरीब लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं...

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : इस पर प्रश्न पूछें न कि इस पर भाषण दें।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गैस एजेंसी आवंटित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतु मेरे सुझाव पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए। आपने प्रश्न पूछ लिया है। मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, प्रारंभ में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव सरकार को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एजेंसियों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का अर्थ कमज़ोर वर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों और विकलांगों के साथ अन्याय करना होगा जो इन एजेंसियों के लिए हकदार हैं। हमने इन व्यक्तियों के लिए आरक्षण किया हुआ है अतः माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव सरकार को स्वीकार्य नहीं है।

आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा बल

[हिन्दी]

*515. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों से निपटने के लिए किसी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जा रहा है, ताकि आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सेना की तैनाती को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में सेना की तैनाती को कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे है ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सेना की तैनाती को सीमित करने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलो में समय-समय पर वृद्धि की जा रही है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि सेना की सहायता तभी ली जाय, जब अपरिहार्य हो।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था कि हमारे देश में आतंकवाद कैंसर की तरह से बढ़ रहा है और जैसा ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए वैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यह समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, तो क्या माननीय मंत्री महोदय प्रजेंट पोजीशन में यह अहसास करते हैं कि इस पैरा मिलिट्री फोर्स की आवश्यकता है जिससे जो आतंकवाद बढ़ रहा है, उससे निपटने के लिए अलग से आर्मी हो जो इसका मुकाबला कर सके। आज स्थिति यह है कि यह बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब में तो एस. पी. भी मारा गया है। ऐसी स्थिति में क्या पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जरूरत है ? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मैं यही मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : बल का वर्तमान गठन स्थिति से निपटने के लिए उचित तथा सक्षम प्रतीत होता है। लेकिन जब भी देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद उत्पन्न होता है तब उसका मुकाबला करने के लिए केवल यह बल ही काफी नहीं है। जहां भी आवश्यकता समझी गई अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। जब भी आवश्यकता होती है, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है और आगे भी देने की योजना है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि हम सेना का उपयोग नहीं करना चाहते हैं और पैरा मिलिट्री फोर्सेस का उपयोग करना चाहते हैं। बहुत से राज्य सरकारों के अर्द्धसैनिक बल इधर से उधर जाते रहते हैं जिसके कारण कहीं भाषा की प्राब्लम आती है और कहीं वहां के कल्चर और सिस्टम्स की प्रॉब्लम आती है जिसके कारण वहां अलग-अलग किस्म के दंगे खड़े हो जाते हैं, तो जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि हम सक्षम हैं, उसको करना चाहते हैं, इसलिए जो राज्य सरकारें इस पैर मिलिट्री फोर्स का गठन करना चाहती हैं ताकि इस तरह की शक्तियों को दबाया जा सके, क्या इस बारे में राज्य सरकारों को कोई निर्देश देंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : किसी भी राज्य में आतंकवाद की समस्या सहित कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का है। जब भी राज्य सरकारें पर्याप्त अतिरिक्त बल मांगती है तब हम केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल भेजते हैं। यदि राज्य अपने बल गठित करने के लिए तैयार होते हैं तब हम ऐसे अनुरोधों पर विचार करते हैं जहां आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक होता है। इस संबंध में पहले ही एक योजना है जिसके अंतर्गत हम उनसे प्रस्ताव मंगाते हैं जिनमें 50% अंशदान राज्य सरकारों का होता है और 50% केन्द्र का होता है। राज्य की दिन-प्रतिदिन

की आवश्यकताओं के लिए सेवा तैनात करना सरकार की नीति नहीं है। सेना उन विशेष परिस्थितियों में तैनान की जाती है जब राज्य सरकारें यह महसूस करती हैं कि अर्द्धसैनिक बल अपर्याप्त है। जब वास्तव में सेना तैनात करने की आवश्यकता होती है तभी इसे तैनात किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार ऐसे कौन से उपाय कर रही है जिससे आतंकवाद रुके और इस आतंकवाद को रोकने के लिए पिछली सरकार ने बार्डर सील करने की एक विशेष योजना बनाई थी, जो आतंकवादियों को बाहर से जाने से रोक सके क्या वह योजना पूर्णरूप से प्रभावी हुई है और उस पर भारत सरकार ने कितना खर्च किया है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : सीमा पार से आतंकवादियों और प्रशिक्षित उग्रवादियों की घुसपैठ की रोकथाम के लिये सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल को तथा अन्य बलों को तैनात किया गया है। गृहमंत्रालय में एक निगरानी कक्ष भी है जो सर्वाधिक निगरानी करते हैं और वे स्थिति पर पैनी नजर रखे रहते हैं,। एक दल इस स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तौर तरीकों का पता लगा है।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : आपकी अनुमति से मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगा ? जहां तक सीमा क्षेत्रों और एक देश से दूसरे देश में आतंकवादियों के प्रवेश का संबंध है इसके लिये हमने कंटीले तारों की बाड़ लगाई है। हमारे पास इसके लिये सीमा सड़क संगठन है और सीमा निगरानी चौकियां बनाई गई हैं। यह सारा कार्य प्रगति पर है लेकिन कुछ क्षेत्रों में प्रगति का क्रम धीमा है, इससे मैं इंकार नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : विचाराधीन प्रश्न विशेष सुरक्षा बल गठित करने के संबंध में है। आपके पूरक प्रश्न इस मुख्य प्रश्न के अनुकूल होने चाहिये। अब श्री पीयूष तीरकी।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह के टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी : अध्यक्ष महोदय, सिक्युरिटी फोर्स बॉर्डर के इलाके में भी है फिर भी टैरोरिज़्म बढ़ता जा रहा है। जहां टैरोरिज़्म को पुलिस शक्ति नहीं दबा सक रही है वहां के जनसाधारण को उसी तरह से ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वे टैरोरिस्टस को पहचान सकें और खुद सरकार की सहायता करके टैरोरिज़्म का दमन करने में सहायता करें, क्या सरकार की ऐसी कोई परियोजना है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : सरकार यह चाहती है कि सीमा पार से आनेवाले आतंकवादियों और प्रशिक्षित उग्रवादियों की घुसपैठ से निपटने में स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाए। लेकिन, महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों पर पूरा गौर किया गया हैं और मैं नहीं समझता कि इस वक्त कुछ और कहने की आवश्यकता है।

राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि इजराईल ने आतंकवादियों से निपटने के मामले में जबर्दस्त महारथ हासिल कर ली है। क्या भारत सरकार का इजराईल सरकार से आतंकवादियों से निपटने की जो महारथ उनके देश ने हासिल की है उसे देखते हुए किसी विशेष कमांडो बल को गठित करने और प्रशिक्षित करने के मुद्दे पर बातचीत करने का इरादा है ?

श्री एम० एम० जैकब : इस मामले में इजराईल सरकार से कोई समझौता करने का विचार नहीं है।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : महोदय, भूतपूर्व सैनिकों में बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या है। क्या सरकार आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा बल में उन्हें फिर से नियुक्त करने का विचार रखती है, क्योंकि उनके पास आवश्यक प्रशिक्षण है और उनमें अनुशासन का गुण विद्यमान है।

[हिन्दी]

बहादुरी भी है, सब कुछ है। क्या आप उनको स्पेशल फोर्स में लेना चाहेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, यह सच है कि भूतपूर्व सैनिक बहादूर और निर्भीक है लेकिन साथ ही...

अध्यक्ष महोदय : वह खिलाड़ियों के बारे में पूछ रहे हैं।

[व्यवधान]

श्री एम० एम० जैकब : मेरे विचार से भूतपूर्व सैनिक।

[व्यवधान]

श्री चेतन पी० एस० चौहान : उनके पास आवश्यक प्रशिक्षण है, वे जानते हैं कि हथियारों का उपयोग कैसे किया जाता है।

श्री एम० एम० जैकब : निःसंदेह भूतपूर्व सैनिक वास्तव में समर्पित हैं और स्थिति से निपटने में सक्षम हैं, लेकिन साथ ही देश के विभिन्न भागों में भूतपूर्व सैनिकों की आवश्यकता अन्य सुरक्षा सेवाओं के लिये है। वह भी वे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में कुछ प्रयास किये गए हैं।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, तमिलनाडु में आतंकवाद की जड़ें गहरी हो गई हैं, विशेषकर लिट्टे के कारण। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और वायरलेस आदि आधुनिक सामग्री हैं। वे आसानी से तमिलनाडु के समुद्री सीमा को पार कर लेते हैं, क्योंकि यह समुद्री क्षेत्र लम्बा और संकरा है। लिट्टे की गतिविधियों से खतरा बढ़ रहा है। हाल ही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता ने विधान सभा में कहा कि लिट्टे उग्रवादियों के कारण उनका जीवन खतरे में है। केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु को कितना अस्त्र संबंधी तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है, ताकि लिट्टे के आतंकवाद को दबाया जा सके और उससे मुक्त हुआ जा सके ? केन्द्र सरकार लिट्टे के आतंक को कुचलने और तमिलनाडु को आतंकवाद से बचाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, मुख्यमंत्री पर इस खतरे से केन्द्रीय सरकार अवगत है और हमने एक रिपोर्ट में इसका पहले ही उल्लेख किया है। समुद्रतटीय क्षेत्रों में तटरक्षक बल हैं और इसके अतिरिक्त तमिलनाडु पुलिस है। लेकिन हाल ही में, मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता द्वारा भारत सरकार को दिए गए सुझावों के अनुसार हमने इस चुनौती का सामना करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता के तौर पर दस करोड़ रुपया उपलब्ध कराए हैं, यह राशि उस राशि के अतिरिक्त है जो पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये दी जाती है। उन्होंने कुछ और सहायता की मांग की है। और हम उस पर गौर कर रहे हैं।

भारतीय बच्चों को गोद लेना

[हिन्दी]

*516. **श्री मृत्युन्जय नायक** :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशियों द्वारा प्रत्येक वर्ष कितने भारतीय बच्चे गोद लिए गए;

(ख) क्या इस प्रकार गोद लिए गए बच्चों का उचित पालन पोषण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार कोई कानूनी उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : (क) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान दत्तक ग्रहण के लिए विदेश ले जाए गए भारतीय बच्चों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों की संख्या
1989	1213
1990	1272
1991	1190

(ख) और (ग) लक्ष्मी कांत पाण्डे बनाम भारत संघ में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आदेश में बच्चों के अभिभावक के रूप में नियुक्त विदेशी द्वारा न्यायालय तथा भारत स्थित उस सामाजिक/बाल कल्याण एजेन्सी को भी जिसने अभिभावकत्व के लिए विदेशी राष्ट्रियों के आवेदन पत्र पर कार्रवाई की थी। प्रथम दो वर्षों के लिए तिमाही तथा अगले तीन वर्षों के लिए अर्ध वार्षिक रूप से बच्चे के हाल ही के फोटो के साथ-साथ बच्चे की प्रगति रिपोर्ट भेजे जाने की शर्त, शामिल करनी होती है।

श्री मृत्युन्जय नायक : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को गोद लिये गए उन बच्चों के संबंध में पूरी जानकारी है, जिनकी ठीक तरह देखभाल नहीं की जा रही है और यदि उस संबंध में जानकारी है तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं। और साथ ही, उन बच्चों को किस तरह की कानूनी सहायता प्रदान की गई है ?

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : मान्यवर, जो विदेशी अभिभावकों के द्वारा यहां से बच्चे जाते हैं, उन पर कई कंडिशन लगाये जाते हैं- एक तो क्वाटरली उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, हमारे दूतावास को और तीन साल तक वह रहता है, इसके बाद हाफयिअरली उनको रिपोर्ट करना पड़ता है बच्चे के फोटो के साथ कि वह बच्चा प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है या नहीं।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक : महोदय, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं विशेषकर उन बच्चों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, जिनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं की गई है, और फिर उन्हें किस तरह की कानूनी सहायता प्रदान की गई है।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, उन बच्चों के दुखद स्थिति को देखते हुए जिन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है तथा जिनके प्रति हिंसात्मक व्यवहार होता है, उस संबंध में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार बच्चों के गोद लेने पर अंकुश रखने अथवा समाप्त करने के विचार से कोई सामान्य कानून बनाने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी : मान्यवर, इन्होंने कहा है कि मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। अगर कोई स्पैसिफिक केस हो तो वह हमें बतायें, हम उसका इनवैस्टिगेशन निश्चित रूप से करेंगे और जो उचित कार्रवाई कानून के अन्तर्गत होगी, वह करेंगे। जहां तक एडॉपशन दत्तक पुत्रों का रोकने का प्रश्न है, इसमें कानूनी या धार्मिक व्यवधान है--(व्यवधान)--आप मेरी बात सुन लीजिये। जहां तक कानून बनाने की बात है, यह रचनात्मक सुझाव है। क्यों लड़के एडॉप्ट होते हैं, किस परिस्थिति में डैस्टिच्यूट होते हैं, किस परिस्थिति में विदेश भेजे जाते हैं, इनके बारे में मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि यह एक विचारणीय रचनात्मक सुझाव है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या यह सच नहीं है कि देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी की जो दयनीय स्थिति है, उससे लाखों की तादाद में लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में पलायन करते हैं और जब वे शहरों में आते हैं तो शहरों में विषम परिस्थिति का सामना उनको करना पड़ता है और उनका अनियंत्रित परिवार बढ़ना शुरू हो जाता है, यह एक; और अभी द्रुत गति से बढ़ता जो हमारा परिवर्तित परिवेश है, इसमें मानवीय और सामाजिक मूल्यों का परिवर्तन एक कारण है। दूसरा कारण है कि आज देश में लाखों की तादाद में अनाथ तथा लावारिश बच्चे हैं, मैं मानती हूं कि वैसे लावारिश तथा अनाथ बच्चों को वैसा छोड़ने के बजाय यदि कोई गोद ले तो यह सबसे अच्छा होता है, उनके पुनर्वास के लिए, लेकिन इसमें मैं यह भी मानता हूं कि

इन बच्चों को विदेशी मां-बाप की जगह स्वदेशी मां-बाप मिलें तो यह बहुत अच्छा होगा, पर यह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, यह मंत्री महोदय बताऐंगे ?

आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रही थी तो मुझे एक छोटे बाक्स में एक समाचार पढ़ने को मिला, इसमें लिखा है "भूख से पीड़ित आदिवासी जनजाति ने अपने बच्चे को 20 रुपये में बेचा।" और 20 रुपये में उसने बेच दिया, जिसने 8 महीने का बच्चा खरीद लिया उसने फिर 50 रुपये में दूसरे को दे दिया तो गरीबी की हालत में लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं और अनियंत्रित रूप में परिवार बढ़ाकर बदलती हुई परिस्थितियों में अनवाण्टेड बच्चों का पैदा होना भी एक कारण है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि उचित अथवा रैगुलर एडॉप्शन लॉ देश में न होने के कारण जो चाइल्डलैस कपल्स इस देश में है, वह एडॉप्शन करने में हिचक रहे हैं। यदि ऐसा है तो मंत्री जी क्या ऐसा कानून बनाने वाले हैं ?

मैं दूसरा प्रश्न भी पूछना चाहूंगी। क्या आप दूसरा प्रश्न पूछने देंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा प्रश्न है।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न न पूछें अन्यथा इस प्रश्न का महत्व कम हो जाएगा।

उनका प्रश्न यह है कि कानून दोषपूर्ण है। इसी कारण ऐसा हो रहा है। क्या आप कानून में परिवर्तन लाने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, यों तो जहां तक यह प्रश्न है, यह स्टेट्स से सम्बन्धित है, मगर मैं इसका उत्तर दूंगा।

मान्यवर, यह राष्ट्रीय प्रश्न है। आपने जो कहा है, यह सत्य है कि गांवों से शहरों की ओर बेचारे अनाथ बच्चे आते हैं इसलिए इनका प्रोटेक्शन अनिवार्य है। मैं आपके द्वारा अपनी माननीय सदस्या से निवेदन करूंगा कि स्टेट के लेविल पर अनाथ बच्चों के लिए प्रावधान की व्यवस्था चल रही है। हमने अभी आने के पूर्व अपने विभाग को निर्देशित किया है कि रामकृष्ण मिशन और जितने नॉन गवर्नमैण्ट आर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी एक राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग बुलाइये। इस पर हम राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना चाहते हैं, यह हमने फैसला किया है, यह मैं आपके सामने बता रहा हूं।

श्रीमति दिल कुमारी भण्डारी : अध्यक्ष जी, येंह कानून बनाने जा रहे हैं, इसका जवाब नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : कानून बनाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या ?

श्री सीताराम केसरी : इनके पहले ही पूर्व प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, कानून बनाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया था तो मैंने कहा था कि यह रचनात्मक सुझाव है, कानून बनाने का, इसलिए इस पर मैं सोचूंगा।

श्री राम नाईक : इसमें यह कहा गया है कि विदेशी नागरिक जो बच्चे ले जाते हैं, उन्हें हर तीन महीने में रिपोर्ट भेजनी चाहिए। मेरी जानकारी यह है कि इस प्रकार की रिपोर्ट न तो देश में आती है और रिपोर्ट आने के बाद भी ऑल इण्डिया लेविल पर, अखिल भारतीय स्तर पर, उसका संकलन करके मॉनीटर करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कितनी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट नहीं आई तो उस बच्चे का क्या हुआ, इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं रहती है। मेरा प्रश्न है, इस प्रकार की जानकारीं प्राप्त होने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर मोनिटरिंग की जानकारी संकलित करने की व्यवस्था क्या सरकार करेगी ?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, माननीय सदस्य से एक निवेदन है, जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि उनके पास जानकारी है, तो कृपा कर वह पत्र मुझे दें, मैं उस की छानबीन कराऊंगा। ...(व्यवधान)...

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, सवाल था, मोनिटरिंग की व्यवस्था है या नहीं ? उसका उत्तर नहीं दिया गया है। मोनिटरिंग की व्यवस्था क्या करेंगे ? मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। जानकारी का सवाल नहीं है। अध्यक्ष जी, सवाल का उत्तर तो आना चाहिए। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : वे उठे थे, आपके सवाल का उत्तर देने के लिए। आपको थोड़ा उनकी तरफ भी देखना चाहिए।

...[व्यवधान]...

अध्यक्ष महोदय : वे आपका सवाल का उत्तर देने के लिए उठ रहे थे। इसलिए आप बैठ जाइए।

...[व्यवधान]...

श्री सीताराम केसरी :. मान्यवर, क्या आदेश है ?

अध्यक्ष महोदय : सुपरविजन की कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि अगर आपको जानकारी है, तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सुपरविज़न की बात है।

श्री सीताराम केसरी : वही मैं कहने जा रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा है, उन्होंने दावा किया है, उनके पास जानकारी है। जानकारी के लिए मैंने उनसे कहा कि आप हमको पत्र दें। इसका मतलब है कि मोनिटरिंग करूंगा और इसमें मोनिटरिंग होती है।

...[व्यवधान]...

श्री सुनील दत्त : अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय श्री नाईक और श्रीमती भण्डारी ने बच्चों के बारे में सवाल पूछा है। अक्सर हमारे देश के बच्चे नैगलैक्ट रहते हैं, होते हैं। अगर यहां बोफोर्स का सवाल होता तो मेरा ख्याल है कि सारी बैंचेज़ भरी हुई होतीं, लेकिन बच्चों के बारे में चीज़ें हो रही है, उनमें बहुत कमी है। ...(व्यवधान)... हमें बड़ी खुशी है कि केसरी जी जैसे आनरेबिल मिनिस्टर हमारे वैलफेयर के हैं। वे बड़े अच्छे दिल के हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे। मैं आपके जरिए मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 1989-91 तक 3,675 बच्चे एडॉप्ट किए गए फॉरन कन्ट्रीज़

में। जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्या लक्ष्मीकांत पांडे फॉरनर हैं या फॉरनर कन्ट्री में रहते हैं या वे इंडियन हैं ? उनका यहां का डिसीजन जो है, वह वहां की कोर्ट में लागू होता है या नहीं होता है ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं, जो फीड-बैक मिल रहा है, वह कैसे मिल रहा है, कौन सी आर्गेनाइजेशन को मिल रहा है और वे उन बच्चों के बारे में आपको इन्फार्मेशन क्यों देंगे ? अगर फॉरन कन्ट्री में बच्चा एडॉप्ट किया जाता है, वह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे जाएगी और उसका क्या-क्या तरीका इस्तेमाल किया है ? वे सभी जानकारियों को देने के लिये बाध्य नहीं हैं।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, माननीय सदस्य ने ठीक ही प्रश्न किया है। जहां तक विदेशी अभिभावकों का प्रश्न है, हमारे जो दूतावास है, हम अपने दूतावास के द्वारा ही और जो विदेशी एजेंसी होती हैं, जिनकी रिकमैंडेशन पर उन अभिभावकों को यहां के बच्चों को एडॉप्ट करने के लिए अनुमति दी जाती है। उनकी छान-बीन के लिए, उनकी जानकारी के लिए हमारे दूतावास का प्रबन्ध है। इस प्रश्न को मद्दे नज़र रखते हुए, मैं इस बिल में सुधार करने की सोच रहा हूं और इसको सशक्त बनाऊंगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों का विदेशी एडॉप्शन पसन्द नहीं करता हूं। चूंकि यह पहले से चला आ रहा है और इसकी मोनिटरिंग और इसका कानून जो बन सकते हैं, वह विचार करूंगा और इस को सशक्त बनाऊंगा कि इसकी प्रापर मोनिटरिंग हो और प्रॉपर होती रही है।

[अनुवाद]

यूरोपीय समुदाय के मंत्री स्तर के तीन-सदस्यीय शिष्टमंडल से वार्ता

*517. **श्री शरद दिघे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय समुदाय (ई० सी०) के मंत्री स्तर के तीन-सदस्यीय शिष्टमण्डल ने हाल ही में उनके नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमण्डल से वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा की गयी; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ.....। भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व भूतपूर्व विदेश मंत्री ने किया था।

(ख) और (ग) बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग संबंधित करने तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की ताकि भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जा सके। उन्होंने हो चुके और हो रहे सार्वभौम परिवर्तनों पर भी विचारों का व्यापक रूप से आदान-प्रदान किया।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का उत्तर बहुत अस्पष्ट है। वास्तव में इसमें स्पष्टीकरण देने के स्थान पर इसमें तथ्यों को छुपाया अधिक गया है। जिन विषयों पर

चर्चा की गई थी मैंने उनके बारे में पूछा था और मुझे यह उत्तर दिया गया ..."दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग का विस्तार करने और कई दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की थी।'....कुछ भी नहीं बताया गया है। अतः मैं यह स्पष्टतः जानना चाहूंगा कि क्या पुर्तगाल, ब्रिटेन और नीदरलैंड के मंत्रियों सहित इस यूरोपीय आर्थिक समुदाय ट्रोइका द्वारा विशेष रूप से भारत के निर्यात को अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की मांग को नामंजूर कर दिया गया था और क्या उन्होंने भारत में किसी भी प्रकार का निवेश करने के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई है ? क्या यह सत्य है कि उन्होंने भारत के उपभोक्ता क्षेत्र को वरीयता क्षेत्र बताया था तथा यह भी कि क्या उन्होंने आटोमोबाइल पुर्जों में निवेश करने के प्रति अपनी रुचि दिखाई है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ट्रोइका मंत्रिपरिषद नहीं है। वार्ता आगे बढ़ाने के लिए यह तो केवल एक प्रतिनिधि निकाय है। इस समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो यह कि यह मंत्रिपरिषद नहीं है बल्कि यह एक कार्यकारी निकाय है जिसे हमारे साथ वार्ता करनी है। दूसरे यह कि यह एक वार्ता है जिसका अभिप्राय यह है कि इस बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। बल्कि इसमें विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है। अत- विचारों के आदान-प्रदान के सन्दर्भ में ही यह विशेष बैठक बुलाई गई है। इसमें विश्व की स्थिति, द्विपक्षीय संबंध जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया। यद्यपि उन्होंने भारत में बढ़ी हुई निवेश दर के प्रति अपनी रुचि अवश्य दिखाई। उन्होंने इस बात की भी प्रशंसा की कि नयी आर्थिक नीतियों में यूरोपीय समुदाय के साथ व्यापार और ऐसे निवेश के लिए और व्यापक स्थान दिया गया है। संयोग से, विश्व में यूरोप हमारा प्रमुख व्यापार भागीदार है।

श्री शरद दिघे : मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या अप्रसार संधि पर भारत के दृष्टिकोण के बारे में भी और कश्मीर और पंजाब में भारत द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन करने सम्बन्धी भारत के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में और जहां तक संयुक्त राष्ट्र का सम्बन्ध है, कश्मीर मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण के बारे में भी ट्रोइका के साथ राजनैतिक बार्तायें की गई थीं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, जी हाँ, मैंने जिन कई मुद्दों का जिक्र किया है उसमें मैंने सार्वभौम मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान का जिक्र किया था जिसका तात्पर्य यह था कि उससे जो सार्वभौम वातावरण पैदा हुआ है, उस पर चर्चा की गई थी। उस बारे में बातचीत की गई थी। इस क्षेत्र में इस स्थिति के बारे में भी हमने उन्हें संक्षेप में बताया था। इस सन्दर्भ में, माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित सभी मुद्दों को बातचीत के दौरान उठाया गया था।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो यह डायलाग हुआ, इसमें जो डंकल ड्राफ्ट है, क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई ? यूरोपियन इकनोमिक कम्युनिटी ने भी डंकल ड्राफ्ट के सर्टन प्रपोज़ल्स का कड़ा विरोध किया है और उन लोगों ने कहा है कि जो एग्रीकल्चर के मामले में सब्सिडी को घटाने की बात है, उसको हम नहीं मान सकते, यह हिन्दुस्तान के भी इंटरस्ट का सवाल है। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय पर भी बातचीत हुई ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ट्रोइका और वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मध्य इस विषय पर भी चर्चा हुई थी।

श्री इन्द्रजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं यूरोपीय समुदाय के ट्रोइका के साथ विदेश मंत्रालय द्वारा वार्ता करने की पहल का स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उत्तर-दक्षिण वार्ता के प्रश्न, जिसे मैं अप्रसार संधि के समान ही गरीबी का अप्रसार नामक संधि कहता हूं, पर भी कोई चर्चा की गई थी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ट्रोइका के साथ जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उन में एक मुद्दा यह भी था हम विकासशील देशों के समक्ष यह मुद्दा रखते रहे हैं कि इस वार्ता को और सबल बनाया जाना चाहिए। सार्वभौम समुदाय के लिए विकास का मुद्दा मुख्य विषय होना चाहिए और इसे नवीन अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य के सन्दर्भ में भुलाया नहीं जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि यह त्रिस्तरीय वार्ता हुई, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस तरह से समय और धन दोनों जाया हुए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस तरह की फिजूल चर्चाओं से क्या मतलब निकलता है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

शुष्क भूमि में खेती

*512. **श्री सी० श्री निवास** :

श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, कुल कितनी शुष्क भूमि है;

(ख) क्या सरकार के पास इस शुष्क भूमि का रबी की फसलों, विशेषतः दालों और तिलहनों के उत्पादन हेतु कृषि योग्य बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1988-98 के लिए (नवीनतम उपलब्ध) असिंचित क्षेत्र (बारानी भूमि का क्षेत्र) की राज्यवार स्थिति दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) इस समय असिंचित क्षेत्र (बारानी क्षेत्र) के अधिकांश भाग में खरीफ मौसम में फसलें उगाई जाती हैं। समुचित बारानी खेती प्रौद्योगिकी विकसित करने तथा रबी मौसम में कम पानी की खपत से कम समय में पकने वाले उपयुक्त फसलों के विकास हेतु अनुसंधान कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि बारानी क्षेत्रों में फसल-संघनता बढ़ाई जा सके। साथ ही, वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1990-97 के दौरान 35 लाख हैक्टेयर के लक्षित क्षेत्र को विभिन्न संरक्षण उपायों तथा उत्पादन प्रणालियों के साथ उपचारित करने का प्रस्ताव है जिनमें वार्षिक फसलें, बारानी बागवानी, कृषि वानिकी आदि शामिल हैं। जहां कहीं संभव हो नमी के बेहतर संरक्षण के साथ रबी फसलों, खासकर दालों और तिलहनों, को बढ़ावा दिया जायेगा।

विवरण

(लाख हैक्टेयर में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	
1	2
आंध्र प्रदेश	67.5
अरुणाचल प्रदेश	1.4
असम	21.3
बिहार	40.8
गोवा	1.3
गुजरात	73.6
हरियाणा	10.3
हिमाचल प्रदेश	4.9
जम्मू और कश्मीर	3.9
कर्नाटक	84.1
केरल	19.0
मध्य प्रदेश	156.4
महाराष्ट्र	161.4
उड़ीसा	44.5
पंजाब	4.4
राजस्थान	126.4

1	2
तमिलनाडु	31.7
त्रिपुरा	2.3
उत्तर प्रदेश	70.4
पश्चिम बंगाल	34.2
अन्य	5.7
अखिल भारत	965.5

[हिन्दी]

हरित क्रान्ति

*519. मोहम्मद अली अशीरफ फातमो :

श्री नितीश कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित क्रान्ति पिछले दशक में देश के केवल कुछ ही राज्यों यथा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश तक ही सीमित रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन राज्यों में गेहूं और चावल की उत्पादकता का स्तर क्या है;

(घ) किन-किन राज्यों में गेहूं और चावल की उत्पादकता का स्तर न्यूनतम है;

(ङ.) इसके क्या कारण है; और

(च) इन राज्यों में उत्पादकता का स्तर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं। देश में हरित क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा है क्योंकि हरित क्रांति के बाद ही अवधि अर्थात् 1967-68 से 1990-91 के दौरान अधिकतर राज्यों में गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की उत्पादकता की वृद्धि दर काफी अधिक रही है।

(ख) आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने की दर कई कारकों से प्रभावित होती है जिनमें मृदा तथा कृषि जलवायु स्थितियां, अवसंरचनात्मक विकास तथा अन्य आर्थिक और सामाजिक पहलू शामिल हैं। जो राज्य आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने में पीछे रह गये हैं वे इस दिशा में धीरे-धीरे प्रगति कर रहे हैं।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के राज्यों में गेहूं और चावल की उतपादकता (पैदावार प्रति हैक्टेयर) इस प्रकार थी:-

हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में गेहूं और चावल की उत्पादकता का स्तर।

(पैदावार किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में)

1990-91		
राज्य	गेहूं	चावल
हरियाणा	3479	2778
पंजाब	3715	3229
उत्तर प्रदेश	2162	1826
आंध्र प्रदेश	*	2448

* यह फसल महत्वेपूर्ण न होने के कारण पैदावार का हिसाब नहीं लगाया गया है।

(घ) मुख्य उत्पादक राज्यों में से 1990-91 के दौरान गेहूं और चावल की न्यूनतम उत्पादकता क्रमशः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में थी।

(ङ) कम उत्पादकता संबंधित राजय में इस फसल के लिये अनुकूल कृषि जलवायु की स्थितियों, फसल के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता में कमी, प्रति हैक्टेयर उर्वरक खपत के न्यून स्तर के अलावा अन्य सामाजि-आर्थिक पहलुओं के कारण रही।

(च) कम पैदावार वाले राज्यों में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये, छोटे और सीमांत किसानों के संसाधनों में सुधार लाने, स्थान विषिष्ट अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज मिनिकिटों के वितरण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से चावल और गेहूं की प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इसके अलावा, सिंचाई, आदान मुहैया करने की प्रणाली, विपणन सुविधाओं के विस्तार के लिये भी प्रयास किए जाने हैं।

[अनुवाद]

आदिवासियों का उत्थान

*520. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या कल्याण मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि का नियतन किया; और

(ख) आदिवासियों के विकास में तेज़ी लाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) राज्यों के माध्यम से योजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाएगा तथा प्रभावी मानीटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

(क) कल्याण मंत्रालय द्वारा, आदिवासियों के उत्थान के लिए वर्ष 1992-93 हेतु निधियों को योजनावार आबंटन

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	योजना का नाम	1992-93 के लिए आवंटन
1	2	3
*1.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	46.00
2.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2 25
*3.	अस्वच्छ कार्यों में लगे कर्मचारियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां	11.00
*4.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक	5.00
5.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	2.50
6.	अनुसूचति जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	2.67
*7.	अनुसूचति जातियों और अनुसूत्रति जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना	1.75
*8.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	5.50
9.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	1.20
10.	आदिवासी क्षेत्रों में तेल बीजों और वृक्ष मूल के तेल का विकास	1.50
*11.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	10.00
12.	ट्राइफेड को सहायता अनुदान	1.00
13.	ट्राइफेड को मूल्य संवर्धन	0.50
14.	आश्रम स्कूल	2.00
15.	ट्राइफेड में निवेश	7.00

1	2	3
16.	आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के साक्षरता विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	1.00
17.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	1.00
18.	लघु वन उत्पादन के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम को शेयर पूंजी	2.00
	कुल	103.87
19.	आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	250.00

* टिप्पणी : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए योजनाएं हैं।

बाढ़ तथा चक्रवात राहत

*521. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने पुनरोक्षित-सूची के अनुसार बच रहे मामलों में बाढ़ चक्रवात से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) अण्डमान व निकोबार प्रशासन से एक प्रस्ताव मिला है कि भारत सरकार 1988-89 में बाढ़/समुद्री तूफान के लिये अनुमोदित अधिकतम खर्च में अन्तर-सेकटर परिवर्तनों तथा शेष रह गये 3058 मामलों में राहत के लिए भुगतान के प्रावधान के बारे में अपने पहले वाले निर्णय पर फिर से विचार करे।

(ख) इस मामले पर भारत सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

भारत में मुसलमानों के संबंध में पाकिस्तान का दुष्प्रचार

*522. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत में मुसलमानों के संबंध में झूठा प्रचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस प्रचार का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत के मुस्लिम समुदाय के हालात के बारे में पाकिस्तान के बयान हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप हैं और अवांछित तथा अस्वीकार्य। इन बयानों पर सरकार की ओर से खेद और चिन्ता से पाकिस्तान सरकार को अनेक अवसरों पर अवगत कराया गया है।

भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राजनीतिक तंत्र में सभी समुदायों तथा उनके हित कल्याण की बराबर गारन्टी है और संसार भर इसे स्वीकार करता है। इस संबंध में दूसरे देशों में सूचना और जानकारी सूचना तंत्र तथा राजनयिक सूत्रों के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित की जाती है।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

*523. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपास का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या नीति अपनाने का विचार है;

(ग) कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं भेजी गई हैं;

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ड.) इस प्रयोजन हेतु मध्य प्रदेश को वर्ष 1992-93 के लिए कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) इसके लिए नीति यह है कि उन्नत किस्मों तथा संकर बीजों की उपलब्धता बढ़ाई जाए, वनस्पति रक्षण उपायों को तीव्र किया जाए तथा उन्नत खेती की रीतियों के लिए प्रौद्योगिकी अन्तरण को सुदृढ़ किया जाए।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार से कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ड.) भारत सरकार का गहन कपास विकास कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के अंश सहित बढ़े हुए परिव्यय के साथ, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन

*524. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के कुछ मामले अभी तक विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन लोगों के मामलों को अस्वीकृत किया गया है उनको व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) निर्धारित तिथि, अर्थात् 31.3.1982, तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर विचार किया गया और उनको निपटा दिया गया। तथापि, इस तिथि के बाद भी आवेदन पत्र प्राप्त होते रहे। इन आवेदन-पत्रों को विलम्ब से प्राप्त आवदेन-पत्र माना जाता है तथा इन पर तभी विचार किया जाता है, जब विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उचित कारण दिए गए हैं। तथा आवेदनों के साथ संबंधित व्यक्ति द्वारा योजना के मुताबिक कम से कम यातना भोगे जाने के बारे में सरकारी रिकार्ड से दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए गए हों।

(ग) जा हां, श्रीमान। यदि कोई व्यक्ति इसके लिए आवदेन करता है, तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (एन०ए०आर०पी०) कार्यक्रम

*525. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** :
डा० आर० मल्लू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ऋण की सहायता से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (एन०ए०आर०पी०) कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना का अब तक स्वतंत्र रूप से कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ड.) विश्व बैंक को उपरोक्त ऋण पर कितना ब्याज दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना का उद्देश्य देश के 120 कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थान विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन-परक अनुसंधान के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की क्षमताओं को स्थायी रूप में. सुदृढ़ करना है।

(ग) जैसा कि विश्व बैंक के साथ हुए समझौते में प्रावधान है, एक संयुक्त समीक्षा-दल द्वारा मध्यावधि समीक्षा की गयी है। इस दल में भारत सरकार, विश्व बैंक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि शामिल थे।

(घ) मध्यावधि समीक्षा दल ने अप्रैल, 1989 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में ऋण की राशि के पूरे उपयोग के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने के सुझाव दिये।

(ङ.) यह एक सरल ऋण है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता।

[हिन्दी]

गुजरात में कृषि परियोजनाओं के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता

*526. **श्री काशीराम राणा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को किन-किन कृषि परियोजनाओं के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने धन दिया है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये जाने थे तथा उनके संबंध में क्या-क्या उपलब्धियां हुई; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) कृषि क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा गुजरात को एकीकृत जलागम प्रबंध पिरयोजना को सहायता दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान इस परियोजना के तहत विभिन्न संरक्षण कार्यकलापों के जरिए 30,872 हैक्टेयर भूमि के लक्ष्य की तुलना में 18,039 हैक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना को 302.65 लाख रुपये यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सहायता के रुप में दिये गये हैं।

[अनुवाद]

दूध का उत्पादन

*527. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान दूध का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान दूध के उत्पादन में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान दूध उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण :

राज्य/ संघ शासित प्रदेश		दुग्ध उत्पादन (हजार मीटरीटन में)	
		1990-91	1991-92
		(अनन्तिम)	(प्रत्याशित उपलब्धि)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3010	3650
2.	अरुणाचल प्रदेश	41	41
3.	असम	653	704
4.	बिहार	3125	3240
5.	गोवा	25	25
6.	गुजरात	3225	3386
7.	हरियाणा	3200	3350
8.	हिमाचल प्रदेश	573	580
9.	जम्मू व कश्मीर	557	581
10.	कर्नाटक	2389	2856
11.	केरल	1690	1880
12.	मध्य प्रदेश	4700	4870
13.	महाराष्ट्र	3735	3790
14.	मणिपुर	82	95
15.	मेघालय	48	51
16.	मिजोरम	8	10
17.	नागालैंड	43	34

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	470	505
19.	पंजाब	5142	5395
20.	राजस्थान	4339	4400
21.	सिक्किम	28	29
22.	तमिलनाडु	3375	3511
23.	त्रिपुरा	9692	10000
24.	उत्तर प्रदेश	2912	3025
25.	पश्चिम बंगाल	327	346
26.	संघ राज्य प्रदेश	53716	56386
	अखिल भारत	(53.71 मिलियन मी० टन)	(56.38 मिलियन मी० टन)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये उठाये गये कदम।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित मुख्य कार्यनीतियां अपनाई जा रही हैं :

(1) चयनात्मक प्रजनन द्वारा राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण गौपशु नस्लों का उनके मूल क्षेत्रों में आनुवंशिक सुधार तथा अन्य चयनित क्षेत्रों में उनका नस्ल सुधार।

(2) अज्ञात नस्ल में गौपशुओं का विदेशी डेयरी नस्लों के साथ संकर प्रजनन।

(3) चयनात्मक प्रजनन द्वारा महत्वपूर्ण भैंस नस्लों का आनुवांशिक सुधार तथा अज्ञात नस्ल की भैंसों का नस्ल सुधार।

(4) आहार तथा चारा संसाधनों का विकास।

(5) उत्पादन कार्यक्रम की सहायतार्थ, प्रभावी पशु स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन।

(6) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

भारत-पाक सीमा पर फ्लड लाइट रोशनी की व्यवस्था

*528. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक सीमा की सेक्टर-वार लम्बाई कितनी है;

(ख) सेक्टर-वार कितने क्षेत्र पर फ्लड लाइट की व्यवस्था है;

(ग) क्या उक्त सीमा-क्षेत्र पर पहले से ही लगाई गई कंटीले तारों की बाढ़ को कोई क्षति पहुंची है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस तोड़ फोड़ की मरम्मत करने पर कितना खर्च आने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) भारत-पाकिस्तान-सीमा की क्षेत्र-वार लम्बाई निम्न प्रकार है :-

(I)	गुजरात	: 512 कि०मी० (104 कि०मी० तटवर्ती सीमा सहित)
(II)	राजस्थान	: 1035 कि०मी०
(III)	पंजाब	: 524 कि०मी०
(IV)	जम्मू व कश्मीर	: 210 कि०मी० (अन्तर्राष्ट्रीय सीमा)
		. 790 कि०मी० (नियंत्रण रेखा)

(ख) पंजाब में 302 कि०मी० तथा राजस्थान में 237 कि०मी० क्षेत्र में फ्लड लाइट लगाने का कार्य पूरा किया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) और (ङ) पंजाब क्षेत्र में अगस्त, 1988 में तथा पुनः सितम्बर/अक्तूबर, 1988 में भारी बाढ़ आने के कारण 30.335 कि०मी० बाड़ को क्षति पहुंची। इस क्षति की लागत लगभग 1.51 करोड़ रुपए आंकी गयी। इसके अलावा प्रथमचरण का कार्य पूरा होने के बाद कुछ स्थानों पर कुछ कार्यों में छोटी-छोटी खामियां पाई गई। इसके लिए ठेकेदार के बिलों से उचित कटौती कर दी गई हैं। मामले की केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से, जांच की जा रही है।

तिलहनों की सप्लाई

*529. **श्री चेतन पी०एस० चौहान** :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में तिलहन दिया गया;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने तिलहनों की सप्लाई में वृद्धि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) सप्लाई किए गये तिलहनों की मात्रा (क्विंटलों में)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	127	111	35
बिहार	2219	1348	1586
दिल्ली	356	485	538
गुजरात	711	277	676
हरियाणा	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	390	534	15
जम्मू व कश्मीर	412	15	70
कर्नाटक	349	799	861
केरल	571	622	152
मध्य प्रदेश	34	2557	1447
महाराष्ट्र	711	464	743
उड़ीसा	—	—	19
पंजाब	328	148	563
राजस्थान	917	1745	9782
तमिलनाडु	274	369	525
उत्तर प्रदेश	1143	213	4158
पश्चिम बंगाल	869	3262	448
उत्तर-पूर्वी राज्य	4419	3807	2236
	13830	16756	23854

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

तेल शोधक कारखानों का विस्तार

*530. †श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री श्रीकान्त जेना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलशोधक कारखानों की वर्तमान क्षमता का तेल शोधक कारखाना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ तेलशोधक कारखानों का विस्तार करने के लिए कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्तावित विस्तार-कार्यक्रम के पूरा होने पर तेलशोधक कारखाना-वार कितनी अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) :

(क) **देश में शोधन क्षमता :**

रिफाइनरी का स्थान	क्षमता (मि०ट०प्र०वर्ष)
गुवाहटी	0.85
बरौनी	3.30
कोयाली	9.50
हल्दिया	2.75
मथुरा	7.50
दिग्बोई	0.50
बम्बई	
(1) एच०पी०सी०एल०	5.50
(2) बी०पी०सी०एल०	6.00
विशाख	4.50
मद्रास	5.60
कोचीन	4.50
बोगाईगांव	1.35
योग :	51.85

(ख) से (घ) उपर्युक्त रिफाइनरियों में सृजित किए जाने वाली अतिरिक्त शोधन क्षमता निम्नलिखित है :

	परियोजना/स्थान का नाम	सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता (मि०ट०प्र०वर्ष)
1	2	3
1.	कोयाली रिफाइनरी	3.0
2.	बरौनी रिफाइनरी	0.50

1	2	3
3.	मद्रास रिफाइनरी	0.90
4.	गुवाहटी रिफाइनरी	0.15
5.	कोचीन. रिफाइनरी	3.0
6.	दिग्बोई रिफाइनरी	0.15
7.	बोंगाईगांव रिफाइनरी	1.00
	योग :	8.70

कृष्णा-गोदावरी बेसिन से विशाखापत्तनम तक गैस की पाइप लाइन

*531. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन को आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समान आपराधिक कानून

5707. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में समान आपराधिक कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) आपराधिक कानून और दंड प्रक्रिया से संबंधित मामले संविधान की सांतवी अनुसूची की समवर्ती प्राप्त (सूची-111) के अन्तर्गत आते है, जिनके संबंध में संसद तथा राज्य विधान मंडल, दोनों को कानून बनाने शक्तियां प्राप्त है। पूरे देश में आपराधिक कानून के क्षेत्र में अनेक संविधियां लागू हैं।

[अनुवाद]

बी०बी०सी० द्वारा जम्मू कश्मीर का कटा हुआ नक्शा दिखाना

5708. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री राम नाईक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8- जनवरी, 1992 के "दि हिन्दु" में बी०बी०सी० द्वारा विश्व टेलीविज़न नेटवर्क पर 6 जनवरी, 1992 को "जम्मू कश्मीर" के कटे हुए नक्शे को दिखाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जम्मू कश्मीर के नक्शे में इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस मामले को बी०बी०सी० वर्ल्ड टेलीविजन के लन्दन स्थित मुख्यालय के साथ उठाया था और उन्होंने लन्दन में हमारे हाई कमीशन को सूचित किया है कि उन्होंने उस नक्शें में परिवर्तन कर दिया है जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति की थी। बी०बी०सी० के अनुसार नए नक्शे में भारत की राजनैतिक सीमाओं का सही चित्रण दिया गया है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान

5709. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 और 1992 के दौरान अब तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के परिवारों को दी गई अनुग्रह राशि का मास-वार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है आतंकवादी कार्रवाई में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान करने के लिए नीचे दिए अनुसार, 850 मामलों में अनुदेश जारी किए जा चुके है:-

माह	मामलों की संख्या
1	2
1991	
जनवरी से मार्च	शून्य
अप्रैल	15
मई	100
जून	50
जुलाई	78
अगस्त	80
सितम्बर	60
अक्टूबर	39
नवम्बर	49
दिसम्बर	60
1992	
जनवरी	50
फरवरी	100
मार्च	169
जोड़ :	850

[अनुवाद]

सार्वजनिक परिसरों में अग्नि बचाव दरवाजों और खिड़कियों का उपयोग

5710. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या गृह मंत्री 1 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1212 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान उन भवनों और परिसरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें, दिल्ली फायर सर्विस ने अनापत्ति प्रमाण पत्र तक ही जारी किया है जबकि वे भवनों में अग्नि बचाव दरवाजे और खिड़कियों को लगाये जाने के संबंध में आश्वस्त हो गए हैं;

(ख) क्या दिल्ली फायर सर्विस ने इस प्रकार के अग्नि बचाव दरवाजों और खिड़कियों को सार्वजनिक भवनों में उपयोग करने हेतु आपूर्ति करने वाले स्त्रोतों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने सूचित किया है कि उन्होंने अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से वर्ष 1991-92 के दौरान 42 गगन चुम्बी भवनों में अग्नि बचाव उपायों के लागू किए जाने के संबंध में आश्वस्त होने के बाद अनापति प्रमाण पत्र जारी किए। इन उपायों में मकानों में अग्नि बचाव दरवाजे तथा खिड़कियां उपलब्ध कराने के लिए वर्टिकल तथा हॉरीजान्टल कंमार्टमेंटेशन बनाना शामिल है। ऐसे 42 गगन चुम्बी भवनों की एक सूची विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने सार्वननिक परिसरों में प्रयोग के लिए बचाव दरवाजों और खिड़कियों की आपूर्ति करने वाले किसी स्त्रोत का पता नहीं लगाया है। तथापि, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी०बी०आर०आई) रुड़की द्वारा अनुमोदित दरवाजों/खिड़कियों को दिल्ली अग्नि शमन सेवा द्वारा स्वीकार किया जाता है।

विवरण

1. कैलाश अपार्टमैन्ट, लाला लाजपतराय, रोड, नई दिल्ली।
2. राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।
3. मेसर्स ब्लाक्स इन एफ०/ओ दि डाक्टर्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन आफ ए०आई०आई०, एम०एस०, सी०जी०एच०, एस० लिमिटेड, ऐट बोडेला, (विकासपुरी, नई दिल्ली।)
4. वरुन बिहार, सी०जी०एव०एस० लिमिटेड, रोहिणी, दिल्ली।
5. स्टेट बैंक आफ इंडिया, 11 संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. नेशनल इस्टीट्यूट एजूकेशन एसोसियेशन, 17-बी, श्रीअरविन्डो मार्ग, नई दिल्ली।
7. लिंक हाउस, सी०जी०एच०एस० लिमिटेड, प्लाट नं० 18, पटपड़गंज।
8. रोज उड सी०जी०एच०एस० लिमिटेड, प्लाट नं० 4, मयूर विहार फेज-1, दिल्ली।
9. अमृत सी०जी०एच०एस० लिमिटेड, एट पीतमपुरा, नई दिल्ली।
10. ग्लेक्सों इम्प्लोइज सी०जी०एच०एस० मयूर विहार, फेज-1 नौएडा रोड, नई दिल्ली।
11. इलेक्ट्रनिक विभाग, 6 लोदी रोड़, नई दिल्ली।
12. सांइटिफिक अपार्टमैन्ट, आश्रम चौक, महारानी बाग, नई दिल्ली।
13. सूचना भवन, लोदी रोड़, नई दिल्ली।
14. हिन्दुस्तान टाइम्स, के०जी० मार्ग, नई दिल्ली।
15. शाहपुरी, टावर, सी-58, कम्यूनिटी सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली।
16. दिल्ली चार्टड एकाउंटेन्ट सी०जी०एच०एस० बलबीर सिंह, मार्ग, पश्चिम पुरी।

17. आत्माराम, हाऊस। टालस्टाय मार्ग नई दिल्ली।
18. कीर्ति शिखर, 11 डिस्ट्रिक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली।
19. एच-2 कम्युनिटी सेन्टर, नरैना, मैसर्स वेलटेक इन्टरप्राइजेज।
20. अशोक होटल, चाणक्यपूरी, नई दिल्ली।
21. आफिस और वाणिज्यिक परिसर एट-21-22, नरेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।
22. दिल्ली सी०जी०एच०एस० लिमिटेड प्लाट नं० 74, पटपड़गंज, नई दिल्ली।
23. लक्ष्मी टावर, सी-1/3, नाइवाला बाग, आजादपुर दिल्ली।
24. विराट सी०जी०एच०एस० 11 रोहतक रोड़, नई दिल्ली।
25. मस्जिद मोड़ में ए०आई०एम०एस० में डाक्टर होस्टल, नई दिल्ली।
26. आई०आई०टी० हौज खास, नई दिल्ली।
27. एम०ए०एम० कालिज बी-एस० जाफर मार्ग, नई दिल्ली।
28. सुनहरी बाग, सी०जी०एच०एस०एस०एट प्लाट नं० 15, सेक्टर 111, रोहिणी, दिल्ली।
29. वेलकम सी०जी०एच०एस० प्लाट नं० 32, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली।
30. नेशनल सांइस सेन्टर प्रगति मैदान, नई दिल्ली।
31. साउथ दिल्ली यूनीवर्सिटी टीचर्स सी०जी०एच०एस० लिमिटेड प्लाट नं० 13, मयूर विहार फेज-1
32. वेलटेक इन्टरप्राईजेज, एच-2 कम्यूनिटी सेन्टर, नरैना, नई दिल्ली।
33. एम०एस० 21 नं०, टाइप-5 फ्लैट एट सरदार पटेल मार्ग।
34. नव शक्ति सी०जी०एच०एस० प्लाट नं० 5, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली।
35. रिट्रिएट सी०जी०एच०एस० लिमिटेड प्लाट नं० 20, पटपड़गंज, दिल्ली।
36. इलैक्ट्रानिक विभाग, 6 लोदी रोड़, नई दिल्ली (केवल पश्चिमी विंग)।
37. पी०एच०डी० हाउस, फेज-II एशियाई खेल गांव परिसर के सामने, नई दिल्ली।
38. फार्मस्यूटिकल इमप्लीइज सी०जी०एच०एस० लिमिटेड पटपड़गंज, नई दिल्ली।
39. डी०डी०यू० अस्पताल केवल वार्ड ब्लाक।
40. इंडियन एअरलाइंस भवन, गुरुद्वारा रकाव गंज, नई दिल्ली।
41. वाई०एम०सी०ए० टूरिस्ट होटल और प्रोग्राम सेन्टर, नई दिल्ली।
42. वाटर पोल्यूशन बिल्डिंग, परिवेश भवन, शाहदरा।

कसावा की खेती

5711. **श्री पी०सी०थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में कसावा की खेती होती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कसावा का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या कसावा के उत्पादन में गिरावट आयी है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) क्या कसावा का उपयोग वाहनों को चलाने के लिये ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है; और

(च) इस संबंध में अनुसंधान कार्य किस स्तर पर है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) कसावा उत्पादक राज्य और पिछले तीन वर्षों में उनके द्वारा किया गया उत्पादन संलग्न विवरण में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ.) और (च) कसावा का उपयोग वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल में 75 से 80 भाग तक के अनुपात में और कसावा अल्कोहन के 20 से 25 भाग तक उपयोग किया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय कन्द फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम ने कसावा से अल्कोहल के उत्पादन से संबद्ध प्रौद्योगिकी का मानकीकरण कर दिया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में कसावा का उत्पादन

	राज्यों के नाम	उत्पादन (हजार मीटरी टन में। वर्ष		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3.	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	122.7	102.9	146.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.0		
3.	असम	8.4	8.4	9.8
4.	कर्नाटक	10.6	10.0	8.3

1	2	3	4	5
5.	केरल	3165.3	3054.0	2799.0
6.	मेघालय	23.7	23.8	23.1
7.	मिजोरम	0.6	1.2	1.2
8.	नागालैण्ड	0.9	0.9	0.9
9.	राजस्थान	0.6	0.4	0.6
10.	तमिलनाडु	1477.8	1747.0	2107.9
11.	त्रिपुरा	2.2	2.2	2.2
12.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.9	1.9	1.9
13.	पाण्डिचेरी	12.9	9.3	10.2
	अखिल भारत :	4832.5	4962.0	5111.2

केरल में कृषि परियोजना को यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहायता

5712. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने केरल में पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन कृषि परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है; और

(ख) उपयुक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल की नारियल विकास परियोजना को यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता दी गई है।

(ख) 900 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। तीन कोपरा प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य के मुकाबले एक संयंत्र चालू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की तेल योजनायें और परियोजनायें

5713. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की विभिन्न तेल योजनाएं और परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कब से लंबित हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं और योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) औरैया गैस क्रैकर परियोजना विचार विमर्श की अग्रिम अवस्था में है।

[अनुवाद]

कुल्लू में वाणिज्यक आधार पर ट्राउट मछली पालन परियोजना

5714. श्री एस०बी० सिबनाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे सरकार ने कटराइन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में वाणिज्यक आधार पर रेनबी ट्राउट मछली पालन परियोजना का वितपोषण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का कार्यकरण कब तक आरंभ किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) नार्वे सरकार और भारत सरकार के बीच हुये समझौते की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार है :-

नार्वे पांच वर्ष की अवधि के लिये कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में वाणिज्यिक आधार पर ट्राउट मछली पालन के लिये प्रौद्योगिकी के अंतरण और उपस्करों की व्यवस्था के लिये 8,000,000 नार्वेजियन क्रोनर तक का वित्तीय अनुदान प्रदान करेगा।

इस परियोजना में इन बातों की व्यवस्था की गई है—ट्राउट फिंगरलिंग्स पैदा करने की क्षमता के साथ एक समुद्री ट्राउट मछली हैचरी की स्थापना करना, जो सालाना 10 टन भोजन प्रयोज्य (टेबल साइज) मछली का उत्पादन कर सके; और पांच "रैसवे" में वाणिज्यिक आधार पर ट्राउट मछली का प्रदर्शन करना; महिलाओं सहित परियोजना स्टाफ और स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण देना; कम खर्चीला ट्राउट मछली आहार का विकास करना; इस प्रकार के अध्ययन करना जो किसानों के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं से संबंधित हों; ट्राउट मछली पालन के लिये उचित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना; ट्राउट मछली का विपणन और बिक्री कार्य करना; ऋण सुविधायें, आदि मुहैया करना। परियोजना में नई प्रौद्योगिकी विकास चरण के कार्यान्वयन के लिये विस्तृत योजना और पर्यवेक्षण हेतु शुरू में $2\frac{1}{2}$ वर्षों के लिये और मछली उत्पादन चरण के दौरान अगले और $2\frac{1}{2}$ वर्षों के लिये कन्सलअेन्सी सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है। नार्वे, आहार उत्पादन हैचरी और ट्राउट फार्मिंग आदि के लिये भी आवश्यक उपस्कर भी प्रदान करेगा और चुनिन्दा स्टाफ को सेवाकालीन प्रशिक्षण देगा और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें विदेशों में प्रशिक्षित किया जायेगा।

इस परियोजना का गठन, इसका प्रबंध और प्रबोधन केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सदस्यों, नार्वे सरकार आदि के प्रतिनिधियों से युक्त एक संचालन समिति और आमंत्रित सदस्यों के रूप में राज्य सरकारों के संबद्ध विभागों के सदस्यों और नार्वे सरकार के प्रतिनिधि से युक्त एक परियोजना प्रबंध और प्रबोधन समिति द्वारा किया जायेगा।

(ग) इस परियोजना को मार्च, 1988 से शुरु किया जा चुका है और इसके 1993 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

केरल में कमजोर वर्गों के लोगों के लिए "इन्फोर्मेशन एण्ड मास एजूकेशन सेल

5715. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में लोगों को शिक्षित करने और कमजोर वर्गों के लोगों को जागरूक करने के लिए कोई "इन्फोर्मेशन एण्ड मास एजूकेशन सेल" कार्यरत है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान केरल में इसके क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

केन्द्र द्वारा प्रायोज़ित शोध और प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत गोवा को वित्तीय सहायता

5716. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित शोध और प्रशिक्षण योजना के बारे में यह देखने के लिए कि वह कितनी प्रभावी रही है, कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत गोवा सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की गई और 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गोवा को कोई निधियां प्रदान नहीं की गई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्वीकृत परियोजनायें

5717. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** :

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य में अलग-अलग कितनी परियोजनायें स्वीकृत की गई है;

(ख) उपर्युक्त दो वर्षों के दौरान राज्य-वार स्वीकृत धनराशि की तुलना में वितरित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है, कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम क्या हैं और 1991-92 के अन्त तक कार्यान्वयन में कितनी प्रगति की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य	1990-91	1991-92	एजेन्सियों के नाम	योजनाओं की लागत	एन०एस० एफ०डी०सी का हिस्सा	संवितरण	कार्यान्वयन का स्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	2	1	आं०प्र० अनुसूचित जाति वित्त निगम लिमिटेड	6729.02	3649.17	625.21	2-कार्यान्वयनाधीन 1- अभी आरंभ होना है।
असम	2	9	असम अनुसूचित जाति राज्य विकास निगम, ट्राइफेड	308.04	227.91	56.00	2- कार्यान्वयनाधीन 9- अभी आरंभ होना है।
बिहार	7	5	बिहार राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम I बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम	1664.14	980.00	314.34	1-अभी आरंभ होना है। 3-लगभग आरंभ होने वाला है। 8-कार्यान्वयनाधीन
दिल्ली	12	1	दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, एन०एस०आई०सी०	339.83	217.55	104.60	12-कार्यान्वयनाधीन 1-अभी आरंभ होना है।
गोवा	—	3	गोवा राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम	7.90	3.35	—	3-अभी आरंभ होना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	3	1	हरियाणा हरिजन कल्याण निगम लिमिटेड	862.10	523.26	66.00	2-कार्यान्वनाधीन 2-अभी आरम्भ होना है।
हिमाचल प्रदेश	2	12	हि०प्र०अ०जा०/अ०ज०जा० विकास निगम	362.70	233.84	24.75	14-कार्यान्वियनाधीन
जम्मू और कश्मीर	1	—	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम	149.50	104.65	50.00	1-कार्यान्वयनाधीन
कर्नाटक	4	7	कर्नाटक अ०जा०/अ०ज०जा० विकास निगम लिमिटेड	2708.72	1241.73	266.52	3-वापस ले लिया गया 3-कार्यान्यनाधीन 5-अभी आरंभ होना है।
केरल	—	2	केरल राज्य अ०जा० और अ०ज०जा० विकास निगम	51.06	33.61	18.25	2- अभी आरंभ होना है।
महाराष्ट्र	5	2	महाराष्ट्र फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	576.36	101.22	59.33	2-अभी आरंभ होना है। 1-कार्यान्वयनाधीन 4-वापस ले लिया गया।
मध्य प्रदेश	7 (अनुदान सहित)	3	अन्तयावासायी सहकारी विकास निगम	1340.80	716.15	552.85	2-वापस ले लिया गया 5-कार्यान्वयनाधीन -लगभग पूरा हो चुका है।
मणिपुर	—	13	मणिपुर आदिवासी विकास निगम	60.44	31.04	—	3-अभी आरंभ होना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
मिजोरम	3	12	मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लि०, मिजोरम, खादी और ग्रामीण उद्योग मण्डल, लिवस्टॉक कोआपप्रेटिव सोसायटी	263.66	174.92	95.79	5-कार्यान्वयनाधीन 10-अभी आरंभ होना है।
नागालैंड	—	10	नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लि०, नागालैंड उद्योग विकास निगम	38.39	24.16	—	10-अभी आरंभ होना है।
उड़ीसा	3	10	उड़ीसा अ०जा०/अ०ज०जा० विकास एवं वित्त निगम लि०	512.76	255.49	116.03	6-कार्यान्वयनाधीन 7-अभी आरंभ होना है 1-अभी आरंभ होना है।
पांडिचेरी	—	1	पांडिचेरी अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड	19.80	14.85	—	1-अभी आरंभ होना है।
पंजाब	3	1	पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास निगम लिमिटेड	1597.60	1027.76	191.52	2-कार्यान्वयनाधीन 2-अभी आरंभ होना है
राजस्थान	—	7	राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम लि०, आदिवासी क्षेत्र विकास निगम	33.54	16.69	—	7-अभी आरंभ होना है
तमिलनाडु	3	3	तमिलनाडु राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड तमिलनाडु आदी द्रविड आवास एवं विकास निगम लिमिटेड	577.877	301.77	104.96	1-कार्यान्वयनाधीन 5-अभी आरंभ होना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
त्रिपुरा	4	2	त्रिपुरा अ०जा० सहकारी विकास निगम, त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम	157.14	98.53	83.33	4-कार्यान्वयनाधीन 2-अभी आरंभ होना है
उत्तर प्रदेश	1	3	उत्तर प्रदेश अनुसूचति जाति वित्त एवं विकास निगम	2622.46	1722.38	336.00	2-कार्यान्वयनाधीन 2-अभी आरंभ होना है
पश्चिम बंगाल	2	6	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	529.62	320.34	1.82	2-कार्यान्वयनाधीन 3-लगभग शुरू है 3-अभी आरंभ होना है।
कुल	64 (1 अनुदान सहित)	104		21505.52	12013.47	3067.30	

आन्ध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक निगम को वित्तीय सहायता

5718. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से आन्ध प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक निगम को वित्तीय सहायता उलब्ध कराने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सहायता के रूप में निगम के लिए बरावर का अनुदान मांगा गया था।

(ख) ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत ऐसी सहायता, आन्ध्र प्रदेश अल्पसख्ंयक वित्त निगम को दी जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लुब्रिकैंटस का उत्पादन

5719. **श्री जार्ज फर्नांडिज** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या घटिया किस्म के लुब्रिकेंटस के स्थान पर बढ़िया किस्म के लुब्रिकेंटस का उत्पादन करने की सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) चरणबद्ध तरीके से कम कुशलता वाले स्नेहकों के स्थान पर उच्च श्रेणी के स्नेहकों के उत्पादन और उनकी बिक्री के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। तेल कम्पनियों ने इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

कृषि विकास

5720. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनाई गई नीतियों को यथा अपेक्षित संशोधन के साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन नीतियों में किये जाने वाले ऐसे संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाये जाने के लिये सिफारिश की गइ नई नीतियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फसल उत्पादन को अधिकतम बनाने की कार्यनीतियों में संशोधनों के बारे में प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

ग्रामीण औद्योगिकीकरण सोसायटी

5721. **श्री ललित उरांव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची में ग्रामीण औद्योगिकीकरण सोसायटी द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(ग) बिहार में वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन को कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद् को निम्नलिखित अनुदान राशियां प्रदान की गई।

1988-89	1989-90	1990-91
5,06,707/- रु.	15,63,870/- रु.	11,63,827/- रु.

(ग) प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन के कार्यकरण के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, अनुदानों के लिए गुणा व गुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना	निर्मुक्त राशि		आयोग की गई राशि		लाभार्थियों की सं०	
		1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	स्व रोजगार के लिए आदिवासी युवकों का प्रशिक्षण	3,84,750/-	3,84,750/-	3,84,750/-	*	477	489

* आंकड़े अप्रैल, 1992 के बाद उपलब्ध होंगे।

[अनुवाद]

चेम्बूर-पातालगंगा पाइप लाइन

5723. श्री मोहन रावले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेम्बूर-पातालगंगा पाइप लाइन के निर्धारित समय से शुरू हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पाइप लाइन के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अनुसार मैसर्स चेम्बूर-पातालगंगा पाइपलाइन परियोजना दिनांक 28.3.1992 को आरम्भ हो गयी है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन

5724. श्री सत्यदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर पद्रदेश में खाद्यान्नों का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : उत्तर प्रदेश में सातवीं योजनावधि के दौरान उत्पादित खाद्यान्नों की मात्रा इस प्रकार है:-

(लाख मीटरी टन में)

1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
3.14	302.5	286.8	353.8	339.7

दिल्ली में गैस सिलेंडर का फटना

5725. **श्री बृजभूषण राखा सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान दिल्ली में गैस सिलेंडर फटने की कितनी घटनाओं का पता चला है;

(ख) इन घटनाओं में घायल होने वाले तथा मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल कम्पनियों ने दिल्ली में वर्ष 1991 के दौरान गैस सिलिंडर के विस्फोट की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता।

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा जनता की सुरक्षा उपाय नियमित और लगातार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

फल और सब्जी अनुसंधान केन्द्र

5726. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फल और सब्जी अनुसंधान केन्द्रों को सीपित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) केले के लिए त्रिचि, तमिलनाडु में और प्याज और लहसुन के लिए नासिक, महाराष्ट्र में स्थान की पहचान की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष सुरक्षा बल

5727. **प्रो० सी० सिलवेरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष सुरक्षा बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसका गठन कब तक हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

कृषि संबंधी मामलों के लिए पृथक न्यायालय

5728. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि संबंधी मामले को शीघ्र निपटाने के लिए पृथक न्यायालयों की संस्थापना का है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का प्रभाव

5729. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1989, 1990 और 1991 के दौरान गैर रक्षा उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कितनी मात्रा बेची गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनके मूल्यों में वृद्धि होने से कितनी विदेशी मुद्रा का निर्गमन हुआ और उसका अर्थ-व्यवस्था पर क्यों प्रभाव पड़ा; और

(ग) उनके मूल्य में वृद्धि से देश में मुद्रा स्फीति की दर में कितनी वृद्धि हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क)

	(टी०एम०टी० में)	
	एम०एस० (पेट्रोल)	एच०एस०डी० (डीजल)
1989	2345.25	16349.25
1990	2491.50	16877.61
1991	2520.43	17570.85

(ख) कोई एम०एस० (पेट्रोल) आयात नहीं किया गया था। गत तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए पेट्रोल की मात्रा और मूल्य नीचे दी गई हैं:-

	टी०एम०टी० में मात्रा	करोड़ रुपयों में मूल्य
1989-90	3048	964.42
1990-91x	4680	2282.25
1991-92x (अप्रैल-फरवरी)	4770	2398.26

*अनन्तिम

(ग) 1990-91 (1990 मार्च अन्त से फरवरी, 1991 के तीसरे सप्ताह तक) के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 20.6% और 1991-92 (1991 मार्च अन्त से 1992 के फरवरी के तीसरे सप्ताह तक के दौरान 9.3% की वृद्धि हुई। 22 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 9.3% थी। मुद्रा-स्फीति पर पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि 1990-91 में 2.4% और 1991-92 में 2.0% थी।

पोर्ट ब्लेयर के नाम में परिवर्तन

5730. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर का नाम महान स्वतन्त्रता सेनानी "सावरकर" के नाम पर रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू-कश्मीर में अपहरण की घटनायें

5731. श्री गुरुदास कामत :
श्री मोहन रावले :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री रामचन्द्र घंघारे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में हाल ही में अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य में वर्ष 1992 के पहले तीन महीनों के दौरान, महीने-वार कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया;

(घ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में कुछ अपहरित व्यक्तियों के बदले में कुछ आतंकवादियों को रिहा किया गया है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी रिंवाहई की शर्तें क्या थी;

(च) आज की तारीख तक कितने व्यक्ति अभी तक आतंकवादियों के कब्जे में हैं; और

(छ) उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आतंकवादी गुटों ने हाल ही में अपहरण, विशेष रूप से जिनका आसानी से अपहरण किया जा सकता है, का सहारा लेना तेज कर दिया है। उनके द्वारा आमतौर पर यह अपहरण, विनिर्दिष्ट ग्रुपों, जेसे आसूचना कार्मिकों, पुलिस बल के कार्मिकों सहित अर्धसैनिक बलों, राजनीतिक कार्यकर्ता और नेताओं, संदिग्ध मुखबिरों, समाज के वे लोग जो आतंकवादियों का कहना मानने से मना करते हैं। तथा धन/फिरौती एठने के लिए, लोगों को डराने-धमकाने के लिए किए जाते हैं। ऐसा आम जनता को भयभीत करने अथवा सीमा पार से उनके परामर्शदाताओं के कहने पर किया जाता है।

एक जनवरी, 1992 तक आतंकवादी गुटों के 64 व्यक्ति, 17 जनवरी में, 16 फरवरी में, और 31 मार्च (28.3.92 तक) में, गिरफ्तार किए गए। बंधक बनाए गए व्यक्तियों के बदले में एक जनवरी, 1992 से 7 संदिग्ध आतंकवादियों को जमानत/पैरोल पर रिहा किया गया। 30 मार्च, 1992 तक की स्थिति अनुसार, आतंकवादी गुटों की गिरफ्त में अभी भी 11 व्यक्ति हैं। उनको रिहा कराने के प्रयास जारी हैं।

दिल्ली में श्मशान भूमि के लिए ईंधन लकड़ी की आपूर्ति

5732. **श्री रामविलास पासवान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन को श्मशान भूमियों के लिए ईंधन लकड़ी की आपूर्ति निजी ठेकेदारों द्वारा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी ईंधन लकड़ी की खरीद की गई और इसके लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) दिल्ली नगर निगम को श्मशान भूमियों पर इस ईंधन लकड़ी की बिक्री से उपरोक्त अवधि में वर्ष-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा इस ईंधन लकड़ी के लिए निजी ठेकेदारों को किये गये भुगतान की अपेक्षा वास्तव में कम राशि प्रापत हुई है; और

(ङ.) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी हानि हुई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदी गई और बेची गई ईंधन लकड़ी के बारे में सूचना निम्न प्रकार है:-

खरीदी गई ईंधन	लकड़ी की मात्रा	भुगतान की गई राशि	बिक्री से प्राप्त धनराशि
वर्ष	मात्रा (क्विंटल)	(लाखों में)	(लाखों में)
1988-89	1,08,435.03	72.43	55.68
1989-90	1,04,461.30	66.39	50.62
1990-91	80,312.45	71.14	57.40

(घ) और (ङ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि लकड़ी की बिक्री करने से उसको कोई हानि नहीं हुई है। उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में दी गई सूचना, रूप से बेची गई लकड़ी के संबंध में है।

कम्पोस्ट की उपलब्धता

5733. : **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्बनिक खाद से मिट्टी की जलधारण और पोषण क्षमता में वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में उपलब्ध ग्रामीण और शहरी कम्पोस्ट तथा उसके समतुल्य पौध पोषक की अनुमानित मात्रा क्या है;

(ग) इस समय इस ग्रामीण और शहरी कम्पोस्ट की कितनी मात्रा को उपयोग में लाया जा रहा है; और

(घ) कार्बनिक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश में ग्रामीण तथा शहरी कम्पोस्ट को अनुमानित उपलब्धता तथा प्रयोग क्रमशः लगभग 270 मिलियन मीटरी टन तथा 6.5 मिलियन मीटरी टन है। कृषि में प्रयोग किए जा रहे पौध पोषण तत्वों का लगभग 4.2 मिलियन मीटरी टन ग्रामीण तथा शहरी कम्पोस्ट से प्राप्त होता है। किसानों को कम्पोस्ट/कार्बनिक खादों के लाभों की जानकारी है। राज्यों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे कचरों का खाद के रूप में उपयोग करें।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश का डीज़ल का कोटा

5734. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के डीजल के कोटे में अक्तूबर 1990 से कटौती की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की गयी है; और उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) डीजल की आपूर्ति के लिए कोई राज्यवार कोटा नहीं है और इसलिए किसी राज्य के कोटे में कटौती का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/जनजाति हेतु योजनायें

5735. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के ऐसे कितने परिवार हैं जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये गये; और

(ख) 1992-93 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा विशेष कार्यक्रम में, यदि कोई सरकार ने शुरू किया है, कितने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के परिवारों को सम्मिलित किए जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

आदिवासी सहकारी विपणन परिसंघ (ट्राइफेड) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग

5736. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान आदिवासी सहकारी विपणन परिसंघ लि० (ट्राइफेड) में कुल कितनी नियुक्तियां और पदोन्नतियां की गई;

(ख) इन में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं;

(ग) क्या इस परिसंघ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का आवश्यक प्रतिशत है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) इस परिसंघ में होने वाली नियुक्तियों और पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आवश्यक प्रतिशत पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) ट्राइफेड में नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों की कुल संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	नियुक्तियां	पदोन्नतियां
1989-90	105	7
1990-91	78	41

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	नियुक्तियां		पदोन्नतियां	
	अनु० जाति	अनुसूचित जनजाति	अनु० जाति	अनुसूचित जनजाति
1989-90	19	15	2	शून्य
1990-91	17	14	2	7

(ग) जी, हां।

(घ) और (ड.) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कथित अनियमितताएं

5737. **श्री नरेश कुमार बालियान :**
श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पशुधन अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर के उन अधिकारियों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1991 में दौरान मामले दर्ज किये थे;

(ख) क्या इनमें कुछ अधिकारियों की जांच के दौरान स्थानांतरण/निलंबन किया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन मामलों की जांच पूरी कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लैंका) : (क) एक, महोदय।

(ख) अधिकारी को शुरू-शुरू में निलंबित कर दिया गया था परन्तु बाद में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में उन्हें बहाल कर दिया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ.) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई निश्चित तिथि नहीं बतायी है।

इंजीनियर्स इंडिया लि० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

5738. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण संबंधी सरकार की नीति इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर भी लागू है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों की प्रोन्नति की गयीं तथा उनमें, प्रत्येक ग्रुप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ग्रुप "ए" "बी" "सी" तथा "डी" में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारियों का अधिक्रमण किया गया और उसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भाग (ख) पद श्रेणी	1989		1990		1991	
	कुल पदोन्नतियां	पदोन्नत अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	कुल पदोन्नतियां	पदोन्नत अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	कुल पदोन्नतियां	पदोन्नत अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
ग्रुप "ए" के निम्नतम स्तर का	23	2	24	1	29	3
ग्रुप "बी"	116	18	120	32	125	20
ग्रुप "सी"	52	6	38	11	36	12
ग्रुप "डी" (क्लीनरों को छोड़कर)	2	1	10	4	—	—
क्लीनर	1	1	—	—	2	2

भाग (ग) तीन वर्षों के दौरान अधिक्रमण किए गए अनुसूचित जाति के अधिकारियों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

वर्ष	अधिक्रमण किए गए अनु. जाति के अधिकारी	कारण
1989	तीन	दो अधिकारियों को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया गया और एक अयोग्य था क्योंकि वह लम्बे समये से बिना वेतन के असाधारण छुट्टी पर था।
1990	वर्ष 1989 के एक सहित तीन	दो अधिकारियों को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया गया और एक अयोग्य था क्योंकि वह लम्बे समय से बिना वेतन के असाधारण छुट्टी पर था।
1991	वर्ष 1990 के दो सहित तीन	दो अधिकारियों को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया गया और एक अयोग्य था क्योंकि वह लम्बे समय से बिना वेतन के असाधारण छुट्टी पर था।

नोट : अधिक्रमण किए गए सभी अधिकारी केवल ग्रुप "बी" में आते हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान अनु० जनजाति के किसी अधिकारी का अधिक्रमण नहीं किया गया।

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण

5739. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री बलराज पासी :
प्रो. (श्रीमती) रीता वर्मा :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा 1991 के दौरान प्रशिक्षितकी गयी महिलाओं की राज्य-वार संख्या क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : महोदय, कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3160
2.	असम	790
3.	बिहार	3180
4.	गुजरात	1975
5.	हरियाणा	1580
6.	कर्नाटक	1975
7.	केरल	1536
8.	मध्य प्रदेश	1975
9.	महाराष्ट्र	2370
10.	उड़ीसा	1975
11.	पांडिचेरी	395
12.	तमिनाडु	2414
13.	उत्तर प्रदेश	5925
14.	राजस्थान	4345
15.	पंजाब	1870
16.	हिमाचल प्रदेश	1185
17.	जम्मू और कश्मीर	—
18.	पश्चिम बंगाल	2475
19.	अरुणाचल प्रदेश	405

1	2	3
20.	गोवा	395
21.	मणिपुर	515
22.	नागालैंड	389
23.	सिक्किम	409
24.	मेघालय	532
25.	त्रिपुरा	790
26.	मिजोरम	510
	कुल	43,070

[हिन्दी]

चीकू की खेती को बढ़ावा

5740. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में चीकू की भारी मांग है

(ख) यदि हां, तो सरकार ने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में चीकू के पौधों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई की है :

(ग) क्या सरकार का विचार चीकू के लिए ठाणे जिले में फल प्रसंस्करण केन्द्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) इस समय चीकू का निर्यात अधिक नहीं है क्योंकि यह बहुत जल्द खराब होता है तथा खाड़ी के बाजार में केवल जातीय आबादी के लोग ही इसकी जानकारी रखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1990-91 से रोजगार गारण्टी योजना के तहत बागवानी विकास कार्यक्रम आरम्भ किया है और चीकू को महाराष्ट्र के कोंकण तथा अन्य क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) ठाणे जिला में खाद्य परिसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ.) सरकार सीधे कोई परिसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करती है, लेकिन परिसंस्करण यूनिट खोलने के लिये सरकारी उपक्रमों, सहकारिताओं, गैर-सरकारी संगठनों आदि को वित्तीय सहायता देकर खाद्य परिसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देती है।

पशुधन विकास कार्यक्रम

5741. **कुमारी उमा भारती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पर्वतीय क्षेत्रों में पशुधन विकास कार्यक्रम आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) विभिन्न प्रजातियों के पशुओं (पक्षियों सहित) के प्रजनन, पोषण तथा स्वास्थ्य कवर को सुधारने के लिए राज्य, केन्द्र तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से देश में विभिन्न पशुधन विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम देश के पर्वतीय क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-प्रचालन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े इलाकों में एकीकृत डेरी विकास परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है जो दुधारू गो-पशु/भैंसों तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के विकास को कवर करेगा।

[अनुवाद]

सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस का स्वचालित वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग

5742. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल चलित वाहनों को सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस पर चलाने के लिए परिवर्तन कार्य आरंभ करने की निजी पार्टियों को अनुमति प्रदान करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और आई० बी० पी० कम्पनी लि० द्वारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए एक पायलट परियोजना का प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन किया जा रहा है। वाणिज्यिक आधार पर पैट्रोल चालित वाहनों के परिवर्तन संबंधी कार्य-प्रणाली परीक्षण परिणामों पर आधारित होगी।

पहचानपत्र जारी करना

5743. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों में पहचान पत्र जारी करने की योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पहचान पत्र जारी किए जाने के लिये कितने व्यक्ति योग्य हैं और अब तक राज्य-वार कितने पहचान पत्र जारी किए गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को सांविधिक समर्थन प्रदान करने का है ताकि घुसपैठियों को निकाला जाना सुनिश्चित किया जा सके; और

(ङ.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग)	राज्य	योग्य व्यक्तियों की संख्या	अभी तक जारी किए गए पहचान पत्रों की संख्या
	राजस्थान	5,98,525	3,00,000
	गुजरात	68,023	67,000
	पंजाब	1,45,000	—
	जम्मू व कश्मीर	1,80,000	1,60,000

(घ) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नकदी फसल उत्पादन को प्रोत्साहन

5744. **श्री बलराज पासी :**
श्री रामकृष्ण कुसमरिया :
श्रीमती भावना चिखलिया :
डा० रमेश चन्द तोमर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में नकदी फसल को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अधीन वर्ष 1992-93 के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता उपलब्ध कराने का विचार है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1992-93 वर्ष की योजनाओं का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है। अतः विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली सहायता के लिए प्रस्ताव की जानकारी तभी प्राप्त होगी जब योजनाओं का ब्यौरा तैयार कर लिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित गांव

5746. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित गांवों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मध्य प्रदेश में 49 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत चयनित 26031 ग्रामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है तथा सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	जिला	स.आ.वि.प.	शामिल किए गए प्रखंडों की संख्या पूर्ण रूप से	शामिल किए गए प्रखंडों की संख्या आंशिक रूप से	शामिल किए गए प्रखंडों की संख्या पूर्ण रूप से	शामिल किए गए प्रखंडों की संख्या आंशिक रूप से	ग्रामों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	बस्तर	1. जगदलपुर	7	—	1. जगदलपुर	—	124
					2. लोहांडीगुडा		84
					3. दरभा		69
					4. तोकापाल		70
					5. बस्तरनार		42
					6. बकाबन्द		112
					7. बस्तर		112
		2. भानोपरातापूर	5	—	1. भानोपरातापूर	—	111
					2. दुर्गकोन्डल		141
					3. चारमा		98
					4. कनकोर		105
					5. सरोना		115
		3. नारायणपुर	4	—	1. नारायणपुर	—	240
					2. अन्तागढ़		166
					3. किल्लीबाढ़ा		150
					4. अबुझमारह		148

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4. कोन्डागोन	5	—	1. कोन्डागोन	—	172
					2. माकदी		101
					3. फरासगांव		103
					4. बाड़ोरजपुर		57
					5. केशकल		104
		5. दातेबाड़ा	4	—	1. दान्तेबाड़ा	—	64
					2. गीदाम		75
					3. कोकन्दा		55
					4. कटेकालायन		43
		6. कोन्या	3	—	1. कोन्या	—	203
					2. सिकमा		54
					3. छिन्दगढ़		76
		7. बिजापुर	4	—	1. बिजापुर	—	97
					2. बिरानगढ़		318
					3. भोपालपट्टनम		185
					4. यूसूर		137
2.	झाबूआ	1. झाबुआ	—	—	1. झाबुआ		124
					2. राभा		132
					3. राणापुर		93
					4. मेघनगर		111
					5. थानेडला		112
					6. पटलाबाड़		240

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	अलीराजपुर	6	—	—	1. अलीराजपुर		36
					2. सन्दवाड़ी		129
					3. कट्ठीवाड़ा		130
					4. जोबत		63
					5. भावरा		54
					6. उदयपुर		86
3.	मांडला	1. मांडला	6	—	1. मांडला		175
					2. मोहगांव		86
					3. मावाई		144
					4. गगराई		96
					5. नैनपुर		169
					6. बिछिया		200
		2. दिंडोरी	5	—	1. दिंडोरी		189
					2. अमरपुर		106
					3. सामूआपर		118
					4. करजिरीया		105
					5. बाहम		93
		3. निवास	5	—	1. निवास		106
					2. नारायणगंज		130
					3. बिजादान्दी		145
					4. मेहादबनी		99
					5. शाहपुर		219

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	सरगुंजा	1. अबीकापुर	8	—	1. अकीकापुर		127
					2. बटोली		59
					3. सीतापुर		51
					4. राजपुर		88
					5. लखनपुर		106
					6. लन्दरा		112
					7. मेनपत		41
					8. उदयपुर		83
		2. पाल (रामनुंजगंज)	5	—	1. रामाचन्द्रपुर		107
					2. बलरामपुर		131
					3. बडराफनगर		122
					4. तुनमी		106
					5. शंकरगढ़		89
		3. सुराजपुर	6	—	1. सुराजपुर		123
					2. प्रतापपुर		114
					3. प्रेमनगर		47
					4. रामानुज नगर		76
					5. उदगी		106
					6. भायाधन		87

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4. बैकुंठपुर	5	—	1. बैकुंठपुर		151
					2. सोनहत		104
					3. मनेन्द्रगढ़		139
					4. खालदगावान		89
					5. भरतपुर		183
5.	धार	1. धार	4	—	1. धार		111
					2. नपलच्छ		215
					3. त्रिला		151
					4. तरदारपुर		198
		कुकशी	8	—	1. कुकशी		48
					2. बाग		90
					3. दाही		61
					4. निसारपुर		64
					5. मनावर		100
					6. धर्मपुर		100
					7. गन्धवानी		150
					8. बकानेर(उभारवन)		111
6.	खरजोन	1. बरवानी	4	—	1. बरवानी		104
					2. पाती		89
					3. राजपुर		85
					4. खिकरी		116

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2. खरगांवा	6	—	1. खरगांव		120
					2. गोगांव		107
					3. भगवानपुरा		116
					4. सेगाव		50
					5. भिकनगांव		145
					6. झिरानियां		131
		3. सन्धवा	3	—	1. सन्धवा		136
					2. पनसेमल		81
					3. निवाली		71
		4. महेश्वर			1. महेश्वर		
7.	खण्डवा	1. खण्डवा	2	2	1. खण्डवा		157
					2. खेकनर		139
						1. बुरहानपुर	26
						2. पन्धानी	34
8.	रायपुर	1. गरियावन्द	4	—	1. गरियावंद		164
					2. छुरिया		170
					3. मनपुर		171
					4. सहवा		238
9.	दुर्ग	1. डोंडी	1	3	1. डोंडी		122
						1. डांडीलोहरा	192
						2. गुरूर	29
						3. बालोद	40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.	राजनन्दगांव	1. चौकी (राजनन्दगांवा)	3	3	1. चौकी		157
					2. मेनपुर		169
					3. मोहला		171
						1. छुरिया	122
						2. डोंगरगांव	2
						3. डोंगरगढ़	47
11.	बिलासपुर	1. कटघोरा	5	.1	1. कटघोरा		158
					2. पोदी		219
					3. कोरवा		153
					4. पाली		142
					5. करताला		122
						1. तखतपुर	26
		2. गोरेला	7	—	1. मरवाही		100
					2. गुरेला		52
					3. गुरेला -II		71
					4. तखतपुर		42
					5. पडारिया		81
					6. लोरमी		47
					7. कोटा		114

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.	रायगढ़	1. जशपुरनगर	7	—	1. जशपुरनगर		98
					2. बागीचा		142
					3. कुनकुरी		93
					4. दुलदुला		68
					5. तपकरा		97
					6. मनोरा		97
					7. कसाबल		62
		2. धर्मजयगढ़	6	—	1. पादलगांव		105
					2. धर्मजयगढ़		191
					3. घरगोदा		67
					4. घरगोदा		140
					5. लायलुगां		117
					6. तामनर		137
					7. खारसिया		137
13.	बालाघाट	1. बायहार	3	—	1. बायहार		148
					2. बिरसा		182
					3. परासवाड़ा		166
14	सोनी	2. लखन्नादोन	4	—	1. लखन्नादोन		311
					2. शानसोर		242
					3. चापरा		172
					4. धनोरा		121

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
15.	दिन्दवाड़ा	1. तामिया	3	5	1. तामिया		191
					2. जामाई		265
					3. हरिया	1. परासिया	224
						2. मश्नक्किड	141
						3. छिनछवाड़ा	172
						4. अमरवाड़ा	11
						5. सौसर	68
							11
		2. सोसर(बिछुआ)	1	3	1. बिच्छुआ	1. पन्धरना	148
						2. सोसर	146
						3. चौराई	34
							33
16.	जबलपुर	1. कुन्डाम	1	4	1. कुन्डाम	1. धीमरखेड़ा	197
						2. वादबाड़ा	107
						3. माड़बाड़ा	44
						4. रिथी	66
							37

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17.	सिधी	1. कसमी	1	5	1. कुसमी		140
						1. सिहावल	23
						2. रामपुर	12
						3. मजोहोली	45
						4. सिधी	85
						5. बैधान	59
		2. दोसर	2	—	1. दोसर		221
					2. चितरानगी		311
18.	शाहदोल	1. शहदोल	7	—	1. सोहगपुर		165
					2. अनुप्पुर		99
					3. कोटमा		72
					4. पाली-II		130
					5. जैठरी		134
					6. गाहपारू		106
					7. बुरहार		191
		2. पुष्पराजगढ़	1	—	1. पुष्पराजगढ़		273
		3. जयसिंहनगर	1	—	1. जयसिंहनगर		205
		4. बन्धोगढ़	—	2	1. उमाराय		
					2. मैनपुर		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19.	बेतुल	1. बेतुल	4	1	1. बेतुल		162
					2. चिचोली		86
					3. शाहपुर		133
					4. चोरादोगरी		182
						1. अमला	60
		2. भैंसदेही	3	—	1. भैंसदेही		148
					2. भीमपुर		155
					3. आथनर		97
20.	रतलाम	1. सैलाना	2	1	1. कुराई		240
					2. भजना		229
						2. रतलाम	252
21.	सोनी	1. कुराई	1	—	1. कुराई		192
22.	दोवास	1. दोवास	3		1. बागली		160
					2. खतेगांव		20
					3. कन्नोड		71
23.	मोरेना	1. कराहल	1	1	1. कराहल	1. विजयपुर	126
							98

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
24.	होशंगाबाद	1. क्रोसला	3	—	1. सोहंगपुर		58
					2. बखेरी		25
					3. पिपारिया		55
		2. हरदा	4	—	1. सोनीमालवा		60
					2. मिमारनी		65
					3. हारदा		7
					4. खिरकिन		90
						कुल	26031

विदेशों से गायों की खरीद

[अनुवाद]

5747. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशों से गायें खरीदी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश के विकलांग बालिका विकास गृहों को सहायता

5748. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय चलाए जा रहे विकलांग बालिका विकास गृहों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने गृहों को वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में कोई ऐसे विकलांग बालिका विकास गृह नहीं हैं जिन्हें विकलांगों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता और विकलांगों हेतु सहायक तंत्र/उपस्कर खरीदने/लगवाने की योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त होती हों।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में तेल कम्पनियों के अधीन पैट्रोल पम्प

5749. **श्री राम बदन :** क्या पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश में तेल कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे पैट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों द्वारा पेट्रोल पम्पों के संचालन द्वारा कमाए गए लाभ तथा उठाए गए घाटे का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु इन कम्पनियों द्वारा क्या प्रयास किए गएं हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) (एक), दिनांक 8 नवम्बर, 1989 को आरंभ।

(ख) 1989-90 (–) 47,872 रुपये

1990-91 : (–) 1,15,424 रुपये

(ग) सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में भुखमरी

5750. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "इटिंग केट्स एण्ड मंकीज टू स्टे एलाइव" समाचार शीर्षक की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकर की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मध्य प्रदेश में भूखों मर रहे जनजातीय लोगों की सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सूखे की स्थितियों में भुखमरी से हुई मौतों से संबंधित रिपोर्टों की जांच-पड़ताल करवाई है तथा यह पाया कि रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं थी।

(ग) सूखे की स्थितियों में, विशेषकर आदिवासी इलाकों में, राज्य सरकार द्वारा किए गए राहत कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) सूरगुजा जिले के आदिवासी इलाकों में, विशेषकर वाद्राफनगर तहसील में, 403 खाद्य वितरण केन्द्रों तथा 8 चल गाड़ियों के नेटवर्क के माध्यम से, उचित मूल्य की दुकानों में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था।

(2) जिले में 1670 राहत कार्य चल रहे हैं जिसमें प्रतिदिन औसतन 48,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। केवल वाद्राफनगर तहसील में 94 कार्य चल रहे हैं जिसमें दैनिक आधार पर 10,000 से अधिक मजदूरों को रोजगार मिला है।

(3) वाड्राफनगर तहसील के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सहायता देने के लिए डॉक्टरों का एक दल नियमित रूप से दौरा कर रहा है।

तिलहन की खेती का भू-क्षेत्र

5751. प्रो० राम कापसे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने हेक्टेयर भू-क्षेत्र में मूंगफली और अन्य तिलहनों की खेती की गई ;

(ख) क्या खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए मूंगफली और अन्य तिलहनों की खेती का भू-क्षेत्र बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापली रामाचन्द्रन) : (क) 1988-89 से 1990-91 के दौरान भारत में 9 तिलहनों के तहत क्षेत्र प्रदर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। तिलहन उत्पादक राज्यों में से चयन किये गये 282 जिलों में एक योजना, अर्थात तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत अपनाई गई कार्यनीति का अभिप्राय बीज के उत्पादन व उपलब्धता, बीज के मिनीकिटों का वितरण, पौध रक्षण उपायों, परिमार्जित फार्म प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा मुख्य प्रर्दशन और राइजोबियम कल्चर के वितरण आदि में वृद्धि करके उत्पादकता व क्षेत्र विस्तार में वृद्धि के माध्यम से अपेक्षाकृत आर्थिक उत्पादन प्राप्त करना है।

विवरण

1988-89 से 1990-91 के दौरान भारत में 9 तिलहनों के तहत क्षेत्र

क्षेत्र ("000 हैक्टेयर)

फसल		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
मूंगफली	खरीफ	7023.8	7402.4	6756.4
	रबी	1504.8	1307.8	1540.8
	कुल	8528.6	8710.2	8297.2

1	2	3	4	5
एरण्ड		631.3	702.2	807.4
तिल		2447.9	2386.5	2594.6
रामतिल		604.3	621.6	615.6
तोरिया व सरसों		4832.2	4967.0	5722.4
असली		1198.9	1124.4	1148.3
कुसुम		815.5	842.3	821.2
सूरजमुखी	खरीफ	644.9	548.1	710.1
	रबी	458.9	644.2	931.6
	कुल	1103.8	1192.3	1641.7
सोयाबीन		1734.1	2253.0	2365.3
कुल नव तिलहनें	खरीफ	13086.3	13913.8	13849.4
	रबी	8810.3	8885.7	10164.3
	कुल	21896.6	22799.5	24013.7

आधुनिक हथियारों के आयात के लिए राज्यों को अनुमति

5752. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने आतंकवादियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने पुलिस बलों के लिए आधुनिक हथियारों का सीधे आयात करने की अनुमति केन्द्रीय सरकार से मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह अनुमति दे दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (घ) राज्य सरकारों की आधुनिक हथियारों की आवश्यकता गृहमंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय और/या आर्डिनैंस फैक्ट्री बोर्ड के जरिए पूरी की जाती है। जहां तक उपकरणों के आयात का संबंध है, राज्य सरकारों से "सीमा शुल्क में छूट देने के लिए प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। इन पर गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाता है।

जैव प्रोद्योगिकी

5753. **श्री अमल दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्री, मत्स्य पालन और पशु पालन के संबंध में अब तक जैव प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में जैव प्रोद्योगिकी के उपयोग के लिए तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फसलों जैसे चावल, चना, सरसों और गेहूं में पादप आणविक जैविकी के लिए 18 अनुसंधान और विकास प्रायोजनाओं और छः केन्द्रों की स्थापना की गयी।

सरसों, चावल और गन्ना में आनुवंशिक विविधता पैदा करने के लिए दहिक क्लोन विभिन्नता तकनीकों का उपयोग किया गया। बागवानी फसलों में ऊतक संवर्धन (टिशूकल्चर) पर काम शुरू किया गया है।

फसल सुधार, पशु स्वास्थ्य देख-रेख, खाद्य उत्पादन और मत्स्य जर्मप्लाज्मों की क्वालिटी सुधारने के लिए जैव-प्राद्योगिकी कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया गया। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन-वृक्षों के बड़े पैमाने पर संवर्धन के लिए नये अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू किये जा सकते हैं।

"गैस फलेरिंग रिडेक्शन प्रोजैक्ट" के लिए विश्व बैंक से ऋण

5754. **श्री अन्ना जोशी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) "गैस फलेरिंग रिडेक्शन प्रोजेक्ट" के लिये विश्व बैंक से मांगे जा रहे ऋण से संबंधित शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या कुछ प्राइवेट कंपनियों ने इस गेस का दोहन करने और उसका मुंबई में घरेलू उपभोग हेतु वितरण करने के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत की थीं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा लगाई गई शर्तों में गैस का मूल्य निर्धारण, तेल एवं गैस क्षेत्र के विकास परियोजनाओं की निगरानी, बोली का चौथा दौर और परियोजना की पर्यावरणीय स्वतीकृति शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार

5755. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित बेरोजगारों की संख्या का अनुमान लगाने हेतु कोई समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में ऐसे बेरोजगारों की संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार ने इन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1.6.91 की स्थिति के अनुसार हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालयों के रजिस्टर में नौकरी के इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार थी :-

राज्य		30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार चालु रजिस्टर में संख्या	
		अनुसूचित जातियां	अनुसुचित जनजातियां
1.	हरियाणा	108732	26
2.	हिमाचल प्रदेश	80559	13978

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/बैंकों में भर्ती करने हेतु विशेष अभियान चलाए गए हैं। कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीद्वारों को विभिन्न एजेंयियों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

कम लागत की परियोजनाएं

5756. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान तेल कम्पनियों ने अपने तेल शोधक कारखानों में कम्पनीवार कम लागत की कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की हैं और उन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ख) 1990-91 के दौरान कम्पनी-वार विभिन्न तेल शोधक कारखानों में पूरी हुई कम लागत की परियोजनाओं के नाम क्या हैं, प्रत्येक परियोजना की लागत और क्षमता कितनी है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान का अभियान

5757. क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को सरकार कश्मीर के संबंध में भारत के अनेक मानव अधिकार संगठनों और अन्य संगठनों की रिपोर्टों का अपने दुष्प्रचार अभियान में प्रयोग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान ने कई अवसरों पर पी.यू.सी.एल., कश्मीर पर पहल से संबद्ध समिति, सिटीजन्स फोर डेमोक्रेसी आदि जैसे संगठनों की रिपोर्टों और भारतीय मानवधिकारों से संबद्ध कुछ सुविख्यात लोगों की टिप्पणियों को देखा है। ऐसी रिपोर्टों और टिप्पणियों में मनगढंत और असंगत जानकारी भरी रहती है ताकि तथ्यों की एकदम विकृत तस्वीर पेश हो।

समेकित पुष्प विकास योजना

5758. **श्री देवी बक्स सिंह :**
डा० रमेश चन्द तोमर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित पुष्प विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत पुष्प उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) चुनिन्दा शहरों के आस-पास समन्वित पुष्पकृषि विकास की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्रीय शेयर के रूप में 75 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस योजना में उत्पादकों को प्रोत्साहन के रूप में गुणवत्ता वाली पौद रोपण सामग्री, तकनीकी मार्गनिर्देशन और प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में तेल के भंडार

5759. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक-गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में तेल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पैट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री/उत्पादों की उपलब्धता का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऐसोसिऐटेड गैस का उत्पादन

5760. **श्री हरिन पाठक** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गान्धार तथा केम्बे बेसिन, मुंबई हाई का मुम्बई अपतट, दक्षिण बेसिन गैस क्षेत्र तथा अन्य संबद्ध अपतटीय क्षेत्रों से पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसोसिऐटेड गैस और फ्री गैस की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंतरिक उपयोग के लिए कितना प्रतिशत एसोसिऐटेड गैस का उपयोग किया गया और उद्योगों के लिए फीड स्टाक के रूप में तथा ईंधन देने के लिए कितने प्रतिशत गैस सप्लाई की गयी; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी गैस जलाकर नष्ट की गयी ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) इन क्षेत्रों में वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (फरवरी, 1992 तक) में क्रमशः 14701, 15778 और 14886 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन हुआ।

(ख) औसतन, लगभग 10% गैस आंतरिक खपत के लिए प्रयोग की गई है और लगभग 61% पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को बेची गई है। पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में, तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 15% और 65% हैं।

(ग) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में पश्चिमी अपतटीय और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में क्रमशः 4994, 4450 और 3117 मिलियन घन मीटर गैस जलाई गई थी।

[हिन्दी]

पैट्रोल/डीजल के खुदरा विक्रय केन्द्रों पर एवं एल.पी.जी. अभिकरणों में कदाचार

5761. डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्रीमती भावना चिखलिया : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान देश के विभिन्न भागों में कदाचार करते पाए गए खुदरा पैट्रोल/डीजल विक्रय केन्द्रों और एल.पी.जी. गैस अभिकरणों का राज्य-वार संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन खुदरा पैट्रोल/डीजल विक्रय केन्द्रों और एल.पी.जी. गैस अभिकरणों का ब्यौरा क्या है जिनके लाइसेंस उक्त अवधि के दौरान रद्द किए गए और जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कदाचार में लिप्त डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों की कुल संख्या		रद्द/समाप्त लाइसेंस		लाइसेंस निलम्बित लाइसेंस	
	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल.पी.जी. एजेंसी	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल.पी.जी. एजेंसी	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल.पी.जी. एजेंसी
1	2	3	4	5	6	7
1 आन्ध्र प्रदेश	23	27	-	1	12	2
2. बिहार	35	11	-	1	12	2
3. गुजरात	142	12	-	1	48	2
4. हरियाणा	34	13	-	-	26	-
5. कर्नाटक	12	15	-	-	5	3
6. केरल	11	19	-	1	8	-
7. मध्य प्रदेश	59	13	-	-	12	3
8. महाराष्ट्र	53	177	1	-	17	-
9. उड़ीसा	2	42	2	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7
10. राजस्थान	134	91	1	-	28	1
11. तमिलनाडु	22	15	-	-	8	1
12. उत्तर प्रदेश	111	23	-	1	69	3
13. पश्चिम बंगाल	30	12	-	-	8	-
14. दिल्ली	16	30	-	1	6	-
15. हिमाचल प्रदेश	2	-	-	-	-	-
16. पंजाब	57	12	-	1	50	-
17.चण्डीगढ़	1	1	-	-	-	1
18. गोवा	1	-	-	-	-	-
कुल	745	513	4	7	309	19

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में तेल और गैस की खोज

*5762. **श्री विलास राव नागनाथराव गूंडवार** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल व प्राकृतिक गैस की खोज करने के दृष्टिगत कौन-कौन से जिलों में भौगोलिक सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) खोज का काम कितने स्थानों पर आरंभ किया गया था और तेल व प्राकृतिक गैस के कितने कुंए पाए गए;

(ग) क्या महाराष्ट्र में कई स्थानों पर तेल व प्राकृतिक गैस की खोज की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे स्थानों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ड.) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर (चंदा) और यावतमल जिलों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं और अभी तक तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए कोई भी कुआं नहीं खोदा गया है।

चौथे दौर की बोली में महाराष्ट्र में अंशतः पड़ने वाले दो ब्लाकों को अन्वेषण के लिए प्रस्ताव किया गया है।

राज्यों में अर्द्धसैनिक बलों के लिए भर्ती शिविर

5763. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा और गुजरात में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर गत तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों के लिये भर्ती शिविरों का आयोजन किया गया था; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों से, बल-वार, कितने जवानों की भर्ती की गयी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम राइफल्स द्वारा हरियाणा और गुजरात में कोई भर्ती नहीं की गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इसी अवधि के दौरान गुजरात में कोई भर्ती नहीं की। सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा हरियाण और गुजरात के जिन स्थानों, तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा हरियाणा के जिन स्थानों से भर्तियां की गई, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सूचना निम्न प्रकार है:

बल का नाम	भर्ती किए गए जवानों की संख्या	
	हरियाणा	गुजरात
सीमा सुरक्षा बल	2205	1796
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	446	969
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	352	724
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	81	कोई भर्ती नहीं की गई।

विवरण

हरियाण और गुजरात के उन स्थानों के नाम, जहां वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों द्वारा भर्ती शिविर लगाए गए।

बल का नाम	राज्य	भर्ती स्थान
1	2	3
सीमा सुरक्षा बल	हरियाणा	हिसार, नारनौल, कुरूक्षेत्र, जींद, फिरोजपुर, झिड़खा।
	गुजरात	पालनपुर, दहोद, मेहसाना, जूनागढ़, पोरबंदर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद, भुज, दांतीवाड़ा, इद्दर, विरामगांव, वेलका, उनां, मोरवी, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, राजकोट, भड़ौच, राजपीप्ला, बालसाद, गोधरा, सिद्धपुर, एस/रामपुर, नाडियाड, सूरत, आनंद, शामलाजी, बदोदरा, कोदीनार, साबरकुण्डला, पाटन, भावनगर, कच्छ।

1	2	3
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	हरियाणा	कुरूक्षेत्र, पंचकुला, पिंजौर, अम्बाला, मधुबन, सिरसा, हिसार, पानीपत।
	गुजरात	कापड़वांग, पतलेद, खम्बात, वागागादिया, अंकलेश्वर, पलसाना, गांधीनगर, राजकोट, जामनगर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद, जूनागढ़, छोटा उदयपुर, अहा, गोधरा, सूरत, भुज, पालनपुर, मेहसाना, अमरेली।
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	हरियाणा	पानीपत, गुडगांव, अम्बाला।
	गुजरात	हाजिरा, वदोदरा, भटनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, रुद्रपुर, अहमदाबाद, राजकोट, मेहसाना, सूरत, खेड़ा, भड़ौच, जुमामाघाट, अंकलेश्वर, भावनगर, जामनगर, हिम्मतनगर, उकाई क्षेत्र।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	हरियाणा	बल्लभगढ़, मधुबन, भानु।

[अनुवाद]

केन्द्रीय संगठित बल का गठन

5764. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व बल/भारत तिब्बत सीमा बल/ असम राईफल्स/तट रक्षक जैसे अर्द्ध-सैनिक बल एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इन विभिन्न अर्द्ध-सैनिक बलों के बेहतर समन्वय प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिए एक ही केन्द्रीय संगठित बल के गठन का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

किसानों को लाभकारी मूल्य

5765. **श्री उत्तमराव देवराव पाटील** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को उनके कृषि उत्पादन का पर्याप्त लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति किन कारणों से है ; और

(ग) देश में किसानों की दशा सुधाने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) (ख) कृषि जिंसों के लिये सरकार की मुल्य नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिये लाभकारी मुल्य सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में केवल उत्पादन लागत ही निहित नहीं है। बल्कि उत्पादकों को युक्तिसंगत लाभ का भी प्रावधान है। सरकार सार्वजनिक व सहकारी एजेंसियों के माध्यम से प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए खरीद का काम भी करती है।

(ग) फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने के दृकिष्अकोण से देश के चयन किये गये विभिन्न राज्यों में बहुत सी केन्द्रीय क्षेत्रक/केन्द्र/ प्रवर्तित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। ये योजनायें निम्नलिखित हैं। समन्वित चावल विकास कार्यक्रम, गेहूं का विशेष खाद्याान्न उत्पादन कार्यक्रम मक्का व कदन्न का विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, गहन कपास विकास कार्यक्रम, विशेष जूट विकास कार्यक्रम और उथले नलकूपों / खुदे कुओं के निर्माण के लिये छोटे व सीमान्त कृष्कों को सहायता। छोटे व सीमान्त कृषकों सहित ग्रामीण निर्धनों की स्थिति में सुधार लाने के लिये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

कावेरी बेसिन में तेल कुओं की खुदाई

5766. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने भूतपूर्व सोवियत संघ की सहायता से कावेरी बेसिन में अब तक कितने तेल के कुएं खोदे हैं ;

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 15 कुएं।

(ख) दिनांक 31 जनवरी, 1992 तक 167.19 करोड़ रुपए खर्च किए गये हैं।

(ग) हाइड्रोकार्बनों की कोई वाणिज्यिक खोज नहीं हुई है।

[हिन्दी]

किसानों को रियायती दरों पर कृषि उपकरण

5767. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे और सीमान्त किसानों को रियायती दरों पर कृषि उपकरण देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कब तक और इस योजना से कितने किसानों को लाभ मिलने की सम्भवना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) तक जी, हां। इस विभाग की योजनाओं के तहत छोटे तथा सीमांत कृषकों को वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान राजसहायता प्राप्त दरों पर कृषि उपस्कर प्रदान करने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत कृषकों को कवर करने के लिए प्रयास किए जाएंगें।

दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में आग की घटनायें

5768. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के दौरान दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में हुई आग की घटनाओं का घटनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त आग दुर्घटनाओं में कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) उपायुक्त (दिल्ली) के कार्यालय ने सूचित किया है कि 1991 के दौरान दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी कालोनियों में आग लगने की 33 घटनाएं हुई। घटनाओं के ब्यौरे तथा प्रभावित झुग्गियों की संख्या संलग्न विवरण (अनुलग्नक "क") में दी गई है। आग के शिकार हुए व्यक्तियों को राहत के रूप में 37.67 लाख रुपए की राशि दी गई। इन घटनाओं में सम्पत्ति को हुए नुकसान का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जब कभी भी सम्पत्ति को कोई नुकसान होता है। तो स्थानीय पुलिस मामले को दर्ज करती है। जांच से पता चला है कि अन्य बातों के साथ-साथ आग लगने के कारण, इलैक्ट्रिक शार्टसर्किट, गैस का रिसना, ड्रोप लाइट, लापरवाही तथा खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाना आदि है।

विवरण

क्र. संख्या	आग लगने की तारीख	झुग्गियों का नाम	प्रभावित झुग्गियों की संख्या
1	2	3	4
1.	6.1.1991	जहांगीरपुरी	33
2.	20.1.1991	यमुना पुस्ता	20

1	2	3	4
3.	27.1.1991	जहांगीरपुरी	28
4.	28.1.1991	त्रिलोकपुरी	413
5.	21.3.1991	नेहरू संजय केम्प हैदरपुर	226
6.	22.3.1991	शालीमार बाग	22
7.	22.3.1991	सी.8 इंडस्ट्रियल एरिया नरायणा	310
8.	31.3.1991	आई टी० ओ० पुल	216
9.	17.4.1991	यमुना पुस्ता	
10.	19.4.1991	- वही -	1719
11.	21.4.1991	- वही -	
12.	20.4.1991	वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया	422
13.	26.4.1991	माया पुरी, नई दिल्ली	6
14.	27.4.1991	नई सीमापुरी	363
15.	28.4.1991	रामदास कैंप चिल्लागांव	23
16.	29.4.1991	जहांगीरपुरी	89
17.	6.5.1991	गीता कालोनी	93
18.	8.5.1991	जे०जे० कालोनी, रघुबीर नगर	124
19.	8.5.1991	लक्ष्मीनगर	12
20.	12.5.1991	झिलमिल कालोनी, शाहदरा	15
21.	13.5.1991	नई सीमापुरी	1133
22.	13.5.1991	सराय पीपलथाला आदर्शनगर	512
23.	24.5.1991	यमुना पुस्ता	57
24.	24.5.1991	जहांगीरपुरी	6
25.	23.6.1991	नेल्सन मंडेला मार्ग, नई दिल्ली	53
26.	26.6.1991	साधनगर, पालम	23
27.	26.6.1991	इंदिरा कल्याण विहार	904
28.	2.7.1991	रेलवे कालोनी, तुगलकाबाद	16
29.	29.9.1991	भूमिहान कैंप गोबिन्दपुरी, कालकाजी	1256
30.	12.11.1991	यमुना पुस्ता	30
31.	17.11.1991	जहांगीरपुरी	1
32.	19.11.1991	गीता कालोनी	44
33.	7.12.1991	यमुना पुस्ता	189

[अनुवाद]

जूट और मेस्ता की खेती के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र

5769. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान जूट और मेस्ता की खेती के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र में क्रमिक ह्रास हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जूट और मेस्ता की खेती के भूमि क्षेत्र में इस प्रकार के अवनयन को रोकने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान, अर्थात 1982-83 से 1991-92 तक, जूट ओर मेस्ता के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र वर्षा और मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुये वर्ष प्रति वर्ष मामूली उतार-चढ़ाव के साथ लगभग 10.5 लाख हैक्टेयर पर स्थिर रहा। दीर्घकालीन समय रुख के आधार पर अर्थात् 1967-68 से 1990-91 तक जूट ओर मेस्ता के तहत क्षेत्र की वृद्धि दर प्रति वर्ष (–) 0.01 प्रतिशत थी जो क्षेत्र में मात्र मामूली कमी प्रदर्शित करता है।

(ग) 1987-88 में आरंभ की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना, अर्थात विशेष जूट विकास कार्यक्रम 8 प्रमुख जूट/मेस्ता उत्पादक राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश, के 50 चयनित जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम वित्तीय सहायता

5770. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के उद्यमियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का क्या मापदण्ड है ;

(ख) आठवीं योजना के दौरान लघु/मझौले वृहत परियोजनाओं के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा अपलब्ध कराये जाने वाले आबंटन का परियोजना वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को सहायता करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संस्थाओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित मापदंड नीचे दिए गए हैं:

(i) लाभग्राही की वार्षिक आय गरीबी की रेखा के दुगने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) योजना तकनीकी रूप से साध्य तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य अवश्य हो और सतत् आधार पर पर्याप्त आय पैदा करने की क्षमता रखती हो।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु आवंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा को विश्व बैंक से सहायता

5771. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में व्यापक कृषि विकास हेतु विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता दिये जाने का विचार है ;

(ख) इस सहायता से कितना क्षेत्र लाभान्वित होगा ;

(ग) क्या इस बारे में विश्व बैंक द्वारा कोई पूर्व शर्त रखी गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड़) इस समझोते को अन्तिम रूप देने हेतु अन्तिम पूर्व-मूल्यांकन बैठकों का आयोजन कब तक किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि राज्य मंत्री (श्री मुल्लापलली रामचन्द्रन) : (क) इस समय हरियाणा में विश्व बैंक से वित्त-पोषित कोई व्यापक कृषि विकास परियोजना नहीं है।

(ख) से (ङ) तक प्रश्न नही उठता।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठन

5772. **श्री सुरेशनन्द स्वामी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत उन गैर-मान्यता प्राप्त स्वंयसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है जो मानव कल्याण में लगी हैं ;

(ख) इस प्रकार के संगठनों से मान्यता प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को अब तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन्हें कब तक मान्यता प्रदान करने की सम्भावना है ; और

(घ) 1992-92 के दौरान कितने नये स्वयंसेवी संगठनों को आरम्भ करने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कलयाण मंत्रालय, भारत सरकार देश में कार्यरत गैर मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों के ब्यौरे नहीं रखता है।

(ख) कल्याण मंत्रालय किसी भी स्वैच्छिक संगठन को मान्यता प्रदान नहीं करता है।

यह ऐसे स्वेच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो कानून के अन्तर्गत पंजी . । है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लद्दाख का विकास

5773. **श्री सुधीर सावंत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख की विकास समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देने हेतु की गई मांग्र की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) लद्दाख क्षेत्र के लिए स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राजय मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) गत समय में, जातीय संस्कृतिक, भाषा के संरक्षण के लिए और लद्दाख क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए अधिक राशि आवंटित करने के लिए और राजनैतिक प्रशासकीय तंत्र में अधिक स्थानीय प्रतिनिधित्व की मांगें उठायी गयी। 20 अक्तूबर, 1989 को लद्दाख में हुए एक समझोते के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (एल० बी० ए०) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन, में, जिसमें स्वायत्त जिला हिल परिषद बनाने की मांग सम्मिलित है, के संदर्भ में लद्दाख क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए आगे बैठक की जायेगी।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि 1991-92 के लिए लद्दाख के लिए निर्धारित वार्षिक योजना परिव्यय, जम्मू और कश्मीर डिवीजजन के लिए इसी अवधि के लिए निर्धारित आबंटन यथानुपात के आधार से अधिक है।

19 नवम्बर, 1991 को लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में जम्मू और कश्मीर के राज्य पाल ने क्षेत्र के लोगों की कठिनाईयों और आकांक्षाओं को महसूस करते हुए, मामले पर इसकी समग्रता के रूप में विचार करने और मामले का विकल्प ढूंढने के लिए विचार-विमर्श जारी रखने का प्रस्ताव किया। यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार इस संबंध में अप्रैल, 1992 में विचार विमर्श करेगी।

सोयाबीन की खेती

5774. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती बढ़ाये जाने की काफी गुंजाइश है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के कितने अतिरिक्त क्षेत्र में सोयाबीन की खेती करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अन्य तिलहन फसलों के अलावा सोयाबीन की खेती/उत्पादन में वृद्धि केरने के लिए क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मध्य प्रदेश में 6-7 लाख हेक्टेयर अनुमानित अतिरिक्त क्षेत्र सोयात्रीन के तहत लाए जाने की आशा है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्कूलों में प्रवेश

5775. **श्री अनन्त राव देशमुख** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा कितने स्कूल चलाए जा रहे हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक सकूल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों के बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन स्कूलों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों के कितने बच्चों और कितने नये विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया ;

(घ) क्या इन स्कूलों में विद्यमान प्रवेश प्रक्रिया के बारे में कोई शिकायत प्राप्त की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल दिल्ली में केवल एक पब्लिक स्कूल चला रहा है।

(ख) सीटों के आरक्षण के लिए कोई निश्चित प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। परन्तु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के बच्चों को दाखिला देने से इंकार नहीं किया जाता।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के 225 बच्चे और 92 अन्य नये छात्रों को स्कूल में दाखिल किया गया।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विज्ञान मेले

5776. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में किसी कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश के अन्य भागों में ऐसे मेलों का आयोजन करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लैंका) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में आधुनिकतम तकनीकों को दर्शाने के लिए 5 से 7 मार्च 1992 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया। नई कृषि टैक्नालोजी को अपनाने में किसानों के सामने आई व्यावहारिक समस्याओं का पता लगाने के लिए एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सभी कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और कृषि विज्ञान केन्द्रों को ऐसे मेले और किसान दिवस आयोजित करने का परामर्श दिया है।

कृषि उद्योग क्षेत्र की समीक्षा

5777. **श्री आॅर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने विकास क्षमताओं और रुकावटों का पता लगाने हेतु कृषि औद्योगिकी क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में खाद्य और कृषि संगठन के साथ कोई समझौता किया गया है ; और

(क) यदि हां, तो इस समझौते की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होते।

राजस्थान में गैस की खोज

5778. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान राजस्थान के कुछ नये क्षेत्रों में गैस की खोज शुरू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1992-93 के दौरान राजस्थान में कुल 2550 एस एल के भू-कम्पीय सर्वेक्षण और 21,650 मीटर का अन्वेषी बेधन करने की योजना बनाई है।

अन्वेषण के लिए निजी कंपनियों को बोली के चौथे दौर के लिए पश्चिमी राजस्थान में पांच ब्लाक ओर पूर्वी राजस्थान के दो ब्लाकों के भागों का प्रस्ताव किया गया है।

कृषि भूमि तथा कृषि योग्य भूमि

5779. **श्री डी० पंडियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि भूमि तथा कृषि योग्य भूमि क्षेत्र तथा इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन करने हेतु हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की भूमि का राज्यवार क्षेत्रफल क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) ऐसे राज्य जहां भूमि अभिलेख रखे जाते हैं, वहां के क्षेत्र की पूर्ण संगणना करके (जो रिपोर्टिगं क्षेत्र का 86 प्रतिशत है) और केरल, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल जैसे स्थायी तौर पर स्थापित राज्यों में नमूना सर्वेक्षण करके (जो रिपोर्टिंग क्षेत्र का 9% भाग गठित करता है) और उत्तर-पूर्वी राज्यों व असम के दो जिलों में तदर्थ आंकलन करके (जो रिपोर्टिगं क्षेत्र का 5% भाग है) भूमि उपयोग के नव प्रकार के वर्गीकरण के अन्तर्गत क्षेत्र का आंकलन करना एक नियमित कार्य है।

(ग) 1988-89 के दौरान कृषिगत व कृषि योग्य क्षेत्र (अधतन उपलब्ध) को, प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत में कृषिगत व कृषि योग्य क्षेत्र 1988-89 (अनन्तिम)

(हजार हेक्टेयर)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल बुवाई का क्षेत्र	वर्तमान में परती भूमि	कुल कृषिगत क्षेत्र	अन्य परती भूमि	विविध वृक्षों व कुजों आदि के तहत भूमि	कृषि योग्य बंजर भूमि	कुल कृषि योग्य भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	11012	2630	13642	1427	270	847	16186
अरुणाचल प्रदेश	172	25	197	49	44	—	290
असम *	2706	88	2794	84	247	104	3229
बिहार	7604	4827	9431	1089	264	397	11181
गोवा	141	—	141	—	1	80	222
गुजरात *	9402	937	10339	43	4	1950	12336
हरियाणा	3564	209	3773	—	3	26	3802
हिमाचल प्रदेश	584	39	623	17	43	126	809
जम्मू व कश्मीर	703	119	822	7	73	144	1046
कर्नाटक	10501	1221	11722	405	319	448	12894
केरल	2213	47	2260	28	42	116	2446
मध्य प्रदेश	19311	861	20172	884	130	1644	22830
महाराष्ट्र	18019	566	18585	1346	204	1034	21169
मणिपुर *	140	—	140	—	24	—	164
मेघालय *	196	60	256	176	133	499	1064
मिजोरम *	65	183	248	259	3	74	584
नागालैंड	180	124	304	129	124	96	653

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	6280	262	6542	356	716	444	8058
पंजाब	4215	42	4257	12	5	20	4294
राजस्थान	16123	1527	17650	2288	26	5718	25682
सिक्किम *	95	4	99	9	5	1	114
तमिलनाडु	5547	1546	7093	895	119	289	8396
त्रिपुरा	270	1	271	1	39	1	312
उत्तर प्रदेश	17209	1120	18329	888	535	1045	20797
पश्चिम बंगाल	5334	395	5729	51	46	106	5932
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	36	1	37	3	30	4	74
चंडीगढ़ *	3	—	3	—	—	—	3
दादर व नगर हवेली	24	—	24	—	—	—	24
दमन व दीव *	3	—	3	—	—	4	7
दिल्ली	50	5	55	10	1	9	75
लक्षद्वीप	3	—	3	—	—	—	3
पांडिचेरी	26	3	29	2	2	2	35
अखिल भारत	141731	13842	155573	10458	3452	15228	184711

* वर्ष 1988-89 के लिये आंकड़ों के अभाव में अद्यतन उपलब्ध सूचना का प्रयोग किया गया है।

पाकिस्तान का रक्षा बजट

5780. प्रो० अशोकराव आनन्दराव देशमुख : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अरब देशों की सहायता से पाकिस्तान का रक्षा बजट सुदृढ किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका ने पाकिस्तान को मिलिटरी हार्डवेयर और कलपुर्जे भेजना बन्द कर दिया है;

(घ) क्या अमरीका से महत्वपूर्ण उपकरणों की कम सप्लाई को देखते हुए पाकिस्तान ने अन्य साधनों से उसका विकल्प प्राप्त कर लिया है; और

(ङ.) भारतीय वायु सेना की तुलना में पाकिस्तान द्वारा मिराज 2000 प्राप्त करने का क्या तात्पर्य है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार के पास इस आशय की कोई खबर नहीं है।

(ग) अतिरिक्त पुर्जों और इसी प्रकार की सैन्य मदों की वाणिज्यिक बिक्री के लिए अमरीकी सरकार ने अनुमति दे दी है। तथापि, पाकिस्तान को अमरीका सरकार की सैन्य सहायता अभी भी स्थगित है।

(घ) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं। पाकिस्तान सैन्य सामान प्राप्त करने के लिए यूरोप और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के अनेक देशों से सम्पर्क बनाए हुए है।

(ङ.) इस संबंध में पाकिसतान और फ्रांस के बीच अभी कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ है। फिर भी, मीराज 2000 प्राप्त कर लेने से पाकिस्तानी वायुसेना की क्षमता का बहुमुखी सामर्थ्य और बढ़ जाएगी।

सरकार ऐसी सभी गतिविधियों पर निरन्तर निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो और उसके बचाव के लिए समुचित उपाय करती है जिनमें भारतीय वायुसेना की सक्रिय क्षमता शामिल है।

केरल में सहकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन

5781. **श्री थाइल जान अंजलोंज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य सहकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्वीकृति पाने के लिए कोई परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा०स०वि०नि०) को केरल सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों का ब्यौरा, रोजगार की अनुमानित सम्भावना और उनकी मौजूदा स्थिति को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्ताव में निहित रोजगार की अनुमानित सम्भावना	परियोजना का ब्यौरा	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का निर्णय
1	2	3	4
समेकित ग्रामीण विकास परियोजना	89	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण उपभोक्ता योजना के अधीन राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कांसफेड), केरल द्वारा क्रियान्वित की जानी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 28.62 करोड़ रुपए है, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 23.97 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है।	यह प्रस्ताव 20.3.92 को प्राप्त हुआ था, जो अपूर्ण था। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 27.3.92 को केरल सरकार से कहा है कि वह परियोजना का पूर्ण ब्यौरा भेजें।
(2) समेकित नारियल घटा विकास परियोजना	28000	इस परियोजना में रेशे अलग-अलग करने वाली 100 मिलें तथा 200 कताई ईकाइयां स्थापित करने तथा 25,000 परम्परागत कताई करने वालों को प्रशिक्षण देने, राज्य नारियल विकास निदेशालय को सुदृढ़ करने तथा करेल राज्य सहकारी नारियल विपणन संघ लिमिटेड (कॉयरफेड) में एक परियोजना क्रियान्वयन कक्ष का सृजन करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना की लागत 50 करोड़ रुपए है, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 22.3900 करोड़ रुपये की सहायता देगा। यह परियोजना 5 वर्षों से अधिक अवधि तक क्रियान्वित की जानी है।	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने परियोजना के प्रसंस्करण घटक को समर्थन देना सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के विचारार्थ और स्वीकृति हेतु परियोजना की विस्तृत रिपोर्टों आदि सहित समिति-वार प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

विकलांग के लिए सुविधाएं

5782. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विकलांगों को वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में विकलांगों के लिए आरक्षण के क्या प्रावधान हैं;

(ड.) क्या उन प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा विकलांगों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना, विकलांग व्यक्तियों को सहायता यंत्रों/उपकरणों को खरीदने के लिए सहायता की योजना, विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों की योजना, पैट्रोल/डीजल आदि के लिए आर्थिक सहायता जैसी विभिन्न योजनाओं के अनतर्गत विकलागों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ), (ड.) तथा (च) केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह "ग" और "घ" सिविल पदों में तीन प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलागों के लिए आरक्षित की गई हैं—दृष्टि, श्रवण तथा अस्थित विकलांग में से प्रत्येक के लिए एक-एक प्रतिशत। मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों आदि में समूह 'ग' तथा 'घ' पदों में दृष्टि विकलांगों तथा श्रवण विकलांगों के लिए नीछे से चली आ रही आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए 1987, 1988 तथा 1990 के दौरान विशेष भर्ती अभियान चलाए गये थे। इन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

आतंकवादियों द्वारा हत्या

5783. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :**

श्री भगवान शंकर रावत : क्या गृह मंत्री आतंकवादियों द्वारा हत्या के बारे मे 16 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3992 के उत्तर के समबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम. जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान 512 उग्रवादी रिहा किए गए और जम्मू और कश्मीर में 169 आर०पी०सी० के अन्तर्गत 324 व्यक्ति रिहा किए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

ग्लेशियर में फंसे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कार्मिक

5784. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फरवरी, 1992 में उत्तरकाशी के निकट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस कार्मिक उस समय ग्लेशियर में फंस गये थे जबकि वे अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे ;

(ख) यदि हां, उनकी संख्या कितनी है;

(ग) बचाये गये और गुमशुदा कार्मिकों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(घ) गुमशुदा कार्मिकों का पता लगाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) फरवरी, 1992 में उत्तरकाशी के नजदीक ग्लेशियर में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का कोई कार्मिक नहीं फंसा था। तथापित जिला चमोली (उत्तर प्रदेश) में तपोवन से लगभग 36 किलोमीटर दूर भापकुण्ड के नजदीक 6.2.1992 को, ग्लेशियर में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के 3 कार्मिक फंसे थे।

(ख) ग्लेशियर में निम्नलिखित तीन कार्मिक फंसे थे :

1. कम्पनी कमान्डर वी०पी०एस०त्यागी।
2. कान्स्टेबल सुखदेव डोभाल।
3. कान्स्टेबल सतीश कुमार।

(ग) कान्स्टेबल सुखदेव डोभाल का शव बरामद कर लिया गया था और 4.3.1992 को पूरे सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार कर दिया गया था।

(घ) लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं, इस कार्य में विशेषज्ञ दलों को, दुर्घटना की तारीख से ही पूरे क्षेत्र की छानबीन और खुदाई के काम में लगाया गया है और बचाव और खोज अभियान अभी भी प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वह संबंधित विभागों से नदियों में शवों के बहने पर निगरानी रखने के लिए कहें।

जैव नियंत्रण संयंत्र

5785. डा०सी० सिल्वेरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का पहला जैव नियंत्रण संयन्त्र तमिलनाडु में चालू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सयंन्त्र की स्थापना व्यापक अनुसंधान के पश्चात् की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या सरकार का विचार मिजोरम में ऐसा ही एक संयन्त्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) तथा (ख) जी, हां। जैव नियंत्रक कारकों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तमिलनाडु में दो पायलट संयंत्रों की स्थापना की गई है - तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर तथा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मदुरै। ये संयंत्र छः बिभिन्न प्रकार के जैव नियंत्रक कारकों के उत्पादन की क्षमता रखते हैं जो प्रतिवर्ष 20000 हैक्टेयर फसल क्षेत्र कवर करेंगे।

(ग) और (घ) जी, हां। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उन्हीं जैव नियंत्रक कारकों को अभिज्ञत किया गया है। जिन्होंने पहले से भारतीय कृषि अनुंसधान परिषद् की अखिल भारतीय समन्वित फसल कृमि, खर पतवार सर्वेक्षण जैव नियंत्रण अनुसंधान परियोजना द्वारा किए गए क्षेत्रीय परीक्षणों के दौरान नियंत्रण क्षमता का सफल प्रदर्शन किया है।

(ङ.) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में आदिवासियों के लिये कल्याण योजनायें

5786. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का त्रिपुरा के आदिवासी अल्पसंख्यकों के लोकतांत्रिक तथा आर्थिक हितों की सुरक्षा हेतु तथा उनके प्रति सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपाय करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) आदिवासी उपयोजना कार्यनीति आठवीं योजना में जारी रखी जाएगी। इस कार्यनीति के उद्देश्य द्विकोणीय है (1) अनुसूचित जनजातियों का सामाजार्थिक विकास, और (2) आदिवासियों की शोषण से सुरक्षा आदिवासी उप योजना के लिए निधियों का प्रवाह मुख्यतः चार स्रोतों से आता है अर्थात् (1) राज्य योजना (2) विशेष केंद्रीय सहायता (3) केन्द्रीय योजना और केन्द्र प्रायोजित योजनाएं तथा (4) संस्थागत वित्त। आदिवासी उप योजना के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाएं मुख्यतः परिवारोन्मुख आय पैरा करने वाली कृषि, बागवानी लघु सिंचाई, पशु-पालन, सहकारिता आदिवासी शिल्पों और कौशलों के क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण और लघु उद्योगों का विकास तथा सड़क निर्माण के कार्यक्रम भी आरम्भ किए जा रहे हैं। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत अन्य कार्यक्रम भी आरम्भ किए जा रहे हैं। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत अन्य कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, खेदकूद और युवा सेवाएं तथा आवास आदि समाज सेवा क्षेत्रों को शामिल करते है। विशेष केन्द्रीय सहायता का कुछ भागों का उपयोग अवसंरचना विकास पर भी किया जाता है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय, मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, लड़कियों के होस्टलों लड़कों के होस्टलों, आश्रम स्कूलों,

पुस्तक बैंकों, कोचिंग और सम्बद्ध योजनाओं आदि जैसी विभिन्न योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। कल्याण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत सातवीं योजना, 1990-91 और 1991-92 के दौरान त्रिपुरा को निर्मुक्त की गई धनराशियों के ब्यौरे देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कल्याण मंत्रालय द्वारा कैंन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सांतवी योजना, 1990-91 और 1991-92 के दौरान त्रिपुरा को निर्मुक्त की गई धनराशियों का विवरण इस प्रकार है:-

(रु० लाखों में)

		सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्मुक्त धन	1990-91 के दौरान निर्मुक्त धन	1991-92 के दौरान निर्मुक्त धन
1.	**केन्द्रीय क्षेत्र**			
	1. विशेष केन्द्रीय सहायता	1429.52	341.37	371.94
	2. अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायतानुदान	11.05	21.77	7.23
2.	**केन्द्र प्रायोजित योजनाएं**			
*	1. आश्रम स्कूल	शून्य	7.00	8.00
*	2. लड़कों के होस्टल	6.00	6.00	15.00
	3. लड़कियों के होस्टल	9.47	3.127	4.96
**	4. कोचिंग और सम्बद्ध	247.00 (अनु०जा०/अनु०ज० जा०)	74.00 (अनु०जा०/अनु०ज० जा०)	137.00 (अनु०जा०/अनु०ज० जा०)
	5. पुस्तक बैंक	285.00	0.41	56.23
	6. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	14.185	0.82	4.475
**	7. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	0.8266	शून्य	9.416

* नई योजना 1990-91 से आरम्भ की गई।

* नई योजना 1989-90 से आरम्भ की गई।

** यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों की एक संयुक्त योजना है।

** यह योजना उनके बच्चों के लिए है जो अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां

5788. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राजनयिक मिशनों को इस आशय के अनुदेश दिये गये हैं कि वे पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों के संबंध में विश्व समुदायों को वस्तुस्थिति से अवगत करायें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी सफलता मिली है;

(ग) क्या इस मामले पर विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय मिशनों ने भारत की घटनाओं के बारे में सही तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद तथा पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में भारत के खिलाफ निर्देशित विध्वंसकारी गतिविधियों, को दिए गए समर्थन भारत के आन्तरिक मामलों में अवांछनीय हस्तक्षेप तथा शिमला समझौते का उल्लंघन करके भारत-विरोधी प्रचार किए जाने की जानकारी अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों को दी गई है।

(ख) भारत की स्थिति और उसकी चिंताओं को वास्तविक तौर पर समझा गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सही तथ्यों से अवगत कराती रहेगी।

रसोई गैस कनेक्शन

5789. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान नये रसोई गैस कनेक्शन के आबंटन के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य प्रापत किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यद्यपि वर्ष 1988-89, 1989-90 के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए गए थे तथापि वर्ष 1990 के मध्य में विद्यमान विभिन्न कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण तथा खाड़ी संकट के फलस्वरूप एल०पी०जी० की उपलब्धता में अनिश्चितता के कारण वर्ष 1990-91 के लिए लक्ष्य पूरा नहीं हुआ।

खाद्यान्नों का उत्पादन

5790. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

श्री नीतीश कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोटे अनाजों और दालों के औसत उतपादन की दर गेहूं और चावल के उत्पादन की दर से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो देश में इन फसलों की औसत उत्पादन दर क्या है;

(ग) क्या दालों, तिलहनों और अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इन कार्यक्रमों में अब तक क्या उल्लेखनीय प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) 1990-91 के दौरान छोटे कदन्न, दलहन, गेहूं और चावल की प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन दर (पैदावार) निम्न प्रकार है :

फसल	किलोग्राम (प्रति हैक्टेयर)
छोटे कदन्न	491
दलहन	576
गेहूं	2274
चावल	1751

(ग) जी, हां।

(घ) देश में दलहनों और तिलहनों सहित खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं :-

1. विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम -- गेहूं, मक्का व कदन्न तथा दलहन।
2. समन्वित चावल विकास कार्यक्रम।
3. राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम।
4. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।
5. उथले नलकूपों/खुदे कुओं का निर्माण करने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता।

(ङ.) इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप, अनाजों, दलहनों और तिलहनों का उत्पादन क्रमशः 162.2 मिलियन मीटरी टन, 14.1 मिलियन मीटरी टन और 18.5 मिलियन मीटरी टन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया। 1980-81 से 1990-91 के दौरान, अनाजों, दलहनों और तिलहनों की प्रति हैक्टेयर पैदावार ने क्रमशः 3.49, 1.68 और 3.93 प्रतिशत प्रतिवर्ष की मिश्रित वृद्धि दर दर्शायी।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित चावल विकास कार्यक्रम

5791. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्रीमती रीता वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित चावल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि का नियतन किया गया;

(ख) क्या अनेक राज्य, सरकारों ने कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक धनराशि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) केवल तमिलनाडु सरकार ने अधिक निधि की मांग की थी।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92 के लिए मूल आवंटन में केन्द्रीय शेयर 400 लाख रुपये तथा राज्य का शेयर 133.33 लाख रुपये था। तमिलनाडु सरकार ने 400 लाख रुपये के अतिरिक्त केन्द्रीय शेयर के आवंटन की मांग की थी। तमिलनाडु में चावल के उत्पादन की क्षमता को देखते हुए केन्द्रीय शेयर के रूप में 200 लाख रुपये अतिरिक्त आवंटन को निर्मुक्त करने का निर्णय लिया गया था। तदनुरूपी राज्य का शेयर 67.00 लाख रुपये था। इस प्रकार 1991-92 के लिए तमिलनाडु हेतु कुल आवंटन केन्द्रीय शेयर के रूप में 600 लाख रुपये तथा राज्य शेयर के रूप में 200 लाख रुपये होगा।

विवरण

एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम --1991-92 - निधि का आवंटन

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटन केन्द्रीय शेयर	आवंटन राज्य का शेयर	आबंटन कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	840.00	280.00	1120.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.00	10.00	40.00

1	2	3	4	5
3.	असम	565.00	188.33	753.33
4.	बिहार	1200.00	400.00	1600.00
5.	गोवा	20.00	6.67	26.67
6.	गुजरात	150.00	50.00	200.00
7.	हरियाणा	150.00	50.00	200.00
8.	हिमाचल प्रदेश	40.00	13.33	53.33
9.	जम्मू और कश्मीर	20.00	6.67	26.67
10.	कर्नाक	300.00	100.00	400.00
11.	केरल	115.00	38.33	353.33
12.	मध्य प्रदेश	1000.00	333.33	1333.33
13.	महाराष्ट्र	300.00	100.00	400.00
14.	मणिपुर	40.00	13.33	53.33
15.	मेघालय	35.00	11.67	46.67
16.	मिजोरम	20.00	6.67	26.67
17.	नागालैंड	35.00	11.67	46.67
18.	उड़ीसा	719.00	239.67	958.67
19.	पंजाब	400.00	133.33	533.33
20.	तमिलनाडु	600.00	200.00	800.00
21.	त्रिपुरा	70.00	23.33	93.33
22.	उत्तर प्रदेश	1280.00	426.67	1706.67
23.	पश्चिम बंगाल	1000.00	333.33	1333.33
24.	पांडिचेरी	20.00	6.67	26.67
	कुल	8949.00	2983.00	11932.00

एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम प्रायोजित योजना है जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 आधार पर व्यय शेयर किया जाता है।

खतरनाक मशीन अधिनियम, 1983

5792. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने खतरनाक मशीन अधिनियम, 1983 को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी राज्य सरकारों द्वारा इसकी अधिसूचना जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की राज्य सरकारों तथा दिल्ली संघ क्षेत्र ने अधिनियम के अंतर्गत नियम अधिसूचित किए हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार दूसरे राज्यों में अधिनियम की स्थिति निम्नानुसार है :

(1) बिहार, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

(2) उड़ीसा, असम, नागालैण्ड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकारों ने नोडल एजेंसी की शिनाख्त कर ली है परन्तु नियमों को अधिसूचति किया जाना है।

(3) त्रिपुरा, सिक्कम, मणिपुर की राज्य सरकारों तथा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र ने सूचित किया है कि उक्त अधिनियम संगत नहीं हैं क्योंकि वहां खतरनाक मशीनों का प्रयोग नहीं होता है।

(4) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, गोवा की राज्य सरकारों तथा दादर एवं नागर हवेली और दमण व दीव, चण्डीगढ़ तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह तथा पाण्डिचेरी संघ क्षेत्रों ने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए शीर्षस्थ विभाग की शिनाख्त करनी है।

(घ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ बैठकों के माध्यम से तथा खरीफ व रबी पर राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा आंचलिक आदान सम्मेलनों जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से राज्य सरकारों पर अधिनियम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए जोर देती रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के डीजल-कोटे में वृद्धि

5793. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश से डीजल-कोटे की पूर्ति में वृद्धि किये जाने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्रों को डीजल की आपूर्ति में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, और बाजार की मांग पूरी करने के लिए मुक्त रूप से उत्पाद दिया जा रहा है।

केले की खेती

5794. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केले की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार केले की खेती के तरह क्षेत्र वृद्धि करने हेतु वित्तीय सहायता देने की कोई विशिष्ट योजना क्रियान्वित नहीं कर रही है। वहरहाल, भारतीय राज्य फार्म निगम के माध्यम से क्रियान्वित की गई सर्वोत्कृष्ट संतति उद्यान योजना के तहत उत्पादकों को केले को अंतः भूस्तरो (संकर) की आपूर्ति की जाती है। इस योजना में केला, नारियल, काजू तथा सब्जियों के बीजों सहित विभिन्न फलों को पौधरोपण सामग्रियों के बहुलोकरण तथा उनकी आपूर्ति शामिल है। 1991-92 के दौरान 60 लाख रुपये की धनराशि मुहैया कराई गई है।

समेकित उद्यान कृषि विकास कार्यक्रम

5795. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश में समेकित उद्यान कृषि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया है;

(ख) यह कार्यक्रम कब से शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के कार्यन्वयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश में समन्वित बागवानी विकास हेतु क्रियान्वयनाधीन कोई परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

केले संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

5796. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में केले संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) मध्य प्रदेश में केले के उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के लए क्या अनुसंधान कार्य किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के तहत मध्य प्रदेश में केले पर अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जबलपुर को वित्तीय सहायता दी गई है। केले में और आगे अनुसंधान कार्य के लिए खण्डवा की निमाड़ घाटी क्षेत्र का पता लगाया गया है।

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

5797. **श्री काशी राम राणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किन-किन स्थानों पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थित हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितने मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विश्लेषण नमूनों की अनुमानित संख्या निम्नवत् है :-

(1)	1988-89	(—) 2.27 लाख
(2)	1989-90	(—) 2.11 लाख
(3)	1990-91	(—) 2.08 लाख

विवरण

गुजरात के उन स्थानों के नाम, जहां मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थित हैं।

क्रमांक	स्थान
1.	बारदोली
2.	थसरा
3.*	गांधीनगर
4.	पिलवाई
5.	डेसा
6.	भुज

7. जूनागढ़
8. राजकोट
9. वांसदा
10. तालाजा
11. दाहोद
12. खोदभुमा
13. छोटा उदयपुर
14. सुरेन्द नगर
15. छोटा उदयपुर
16. जामनगर
17. अमरेली
18. पर्दी
19. व्यारा
20. राजपीपला
21. भिलोदा
22. वदोदरा
23. भारूच
24. कालोल

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा मूंगफली की खरीद

5798. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मूंगफली और कितना मूंगफली का तेल खरीदा गया और प्रत्येक का मूल्य कितना था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : 1989-90 तथा 1990-91 के दो वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा लगभग 2.61 लाख मीटरी टन खाद्य तेल प्राप्त किया गया था। चूंकि खाद्य तेल एक अनुमानात्मक जिंस है और चूंकि तिलहनों/खाद्य तेल में मण्डी हस्तक्षेप प्रचालनों के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड जिम्मेवार है, इसलिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खरीदे गए विभिन्न तिलहनों और तेलों की मात्रा तथा उसका मूल्य बताना जनहित में उचित नहीं समझा जाता है।

बागवानी का विकास

5799. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को बागवानी को रोजगार गारन्टी योजनाओं से जोड़ने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों ने उस पर क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को, महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई योजना की पद्धति पर, बागवानी विकास को रोजगार गारंटी योजना के साथ जोड़ने की सलाह दी गई है।

(ख) भारत सरकार के इस सुझाव के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य- क्षेत्रों के प्रशासन से कोई विशेष, सकारात्मक अथवा नकारात्मक जवाब नहीं मिला है।

भारतीय कारागारों में विदेशी नागरिक

5800. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारतीय कारागारों में विदेशी कैदियों की देश-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे कैदियों का मामला संबंधित देशों की सरकारों के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1682 विदेशी नागरिक भारतीय जेलों में है। संलग्न विवरण में राष्ट्रीयतावार विवरण दिया गया है।

(ख) और (ग) कैदियों/दोषसिद्ध अपराधियों के खिलाफ देश के कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के पकड़े जाने पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय को सूचित किया जाता है, जो फिर भारत में स्थित विदेशी दूतावास को सूचित करता है। न्यायालयों द्वारा विदेशी नागरिकों पर मुकदमा चलाने की कार्रवाई को तेज करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

विवरण

भारतीय जेलों में विदेशी नागरिकों का राष्ट्रीयतावार ब्यौरा

अफगानिस्तान	30
आस्ट्रेलिया	

आस्ट्रिया	3
बहरीन	6
बंगलादेश	608
ब्रिटिश	39
बर्मा	258
चीन	1
कनाडा	1
डेनमार्क	1
इथोपिया	1
फ्रांस	6
घाना	23
जर्मनी	7
इण्डोनेशिया	1
आइवरीकोस्ट	1
ईराक	1
ईरान	26
जमैका	1
जापान	1
जार्डन	8
केन्या	32
लीबिया	2
माली	1
मालदीव	3
मारीशस	1
माल्टा	1
मलेशिया	12
नेपाल	7
नीदरलैण्ड	3
नाइजीरिया	105
ओमान	2

फिलस्तीन	1
पाकिस्तान	213
फिलीपीन्स	7
पौलेण्ड	3
पुर्तगाल	6
रोमानियां	1
सऊदी अरबिया	1
स्वीडन	2
दक्षिणी अफ्रीका	2
सिंगापुर	2
श्रीलंका	122
सूडान	2
सोमालिया	6
स्पैन	3
सेनेगल	1
सीरिया	3
टोबो	1
थाईलैण्ड	58
तंजानिया	37
टर्की	3
यू०एस०ए०	5
यू०एस०एस०आर०	1
यू०ए०ई०	1
यूगोस्लाविया	1
यमन	2
ज़ाम्बिया	5

मुम्बई तट-दूर पर विस्तार कार्यक्रम

5801. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने और अधिक तेल की खोज के लिए मुम्बई तट-दूर पर कोई वृहत विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का 210 अन्वेषी कुओं का सेवन करने और 2-डी एवं 3-डी के 73,000 एल के एम भू-कंपीय सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के कार्यालय में आग लगना

5802. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के कार्यालय में हाल ही में आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो इससे हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस आग लगने की घटना के लिए उत्तरदायी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 31,65,000/- रुपए।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अनुसार, इस घटना की जांच के लिए तीन अलग अलग जांच किए गए। आग के कारण का निर्धारण नहीं हो पाया है और इस आग के लिए कोई व्यक्ति विशेष/अन्य व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस के उपयोग की योजना

5803. **श्री भगवान शंकर रावत** :

श्री जगमीत सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने गैस के आबंटन के लिए कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए गैसे के आबंटन के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उपलब्धता तथा क्षेत्र में की गई बचनबद्धताओं को ध्यान में रखकर उन पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) इन आवेदन-पत्रों के लिए गैसे के आरोपित मूल्य के आधार पर, सामान्यतया विद्युत, उर्वरक, इस्पात और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

[अनुवाद]

कम रोजगार क्षमता

5804. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार देने की क्षमता बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को किस प्रकार हल करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) 1983 से 1987 - 88, नवीनतम अन्तराल के दौरान जिसके लिए अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं, कृषि क्षेत्र में रोजगार देने की क्षमता 0.36 आंकलित की गई है। ऐसे कोई मानदण्ड नहीं हैं जिनके आधार पर क्षमता को अधिक या कम कहा जा सके। हालांकि बागवानी, पुष्प उत्पादन, मछली पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन तथा डेरी, कुक्कुट पालन, सूअर पालन, कृषि परिसंस्करण तथा अन्य सम्बद्ध व्यवसायों जैसे श्रम सघन कृषि कार्यकलापों को प्रचुर मात्रा में शुरू करके रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेशो में स्थित मिशनों में हिन्दी

5805. **श्री मोहन रावले** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित हमारे कौन-कौन से मिशनों में हिन्दी का प्रयोग किया जाता है;'

(ख) विदेशों में स्थित हमारे प्रत्येक मिशन द्वारा कितने प्रकाशन प्रकाशित किये जाते हैं;

(ग) विदेशों के प्रत्येक देश में ऐसे कितने प्रकाशन हिन्दी में प्रकाशित किये जाते है;

(घ) क्या हिन्दी के प्रयोग के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को कोई मार्ग निर्देश दिये गये है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क), (घ) और (ङ.) विदेशों स्थित सभी भारतीय मिशनों से यह प्रत्याशा की जाती हे कि वे अपने काम में राजभाषा संबंधी आदेशों का पालन करेंगे और इस संबंध में उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे राजभाषा अधिनियम का और उसके अर्न्तगत बनाए गए नियमों का भी कार्यात्मक दृष्टि से जहां तक संभव होगा अमल करेंगे।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

करीम नगर, आन्ध्र प्रदेश में अपरिष्कृत तेल के भंडार

5807. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैसे के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो गैस का और अधिक उत्पादन करने हेतु वहां पर खोज कार्य तेज करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में वेडापल्ली-एंथर ग्राम में भी अपरिष्कृत तेल के भंडार हैं; और

(घ) यदि हां, तो खोज कार्य शुरू करने के लिए कया कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिनांक 1.1.1991 की स्थिति के अनुसार कृष्णा-गोदावरी बेसिन (अपतटीय और तटवर्ती दोनों) में गैस के लगभग 32.62 बिलियन घन मीटर वसूली योंग्य भंडार स्थापित हुए हैं। इस समय, इस बेसिन में अन्वेषी कार्य करने के लिए तटवर्ती क्षेत्र में 11 रिग और अपतटीय क्षेत्र में 2 रिग लगाए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बहरूल इस्माल समिति का प्रतिवेदन

5808. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण समबन्धी बहरूल इस्लाम समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्यों के साथ शामिल हैं:-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) और (4), 16(4) और 46 में संशोधन।

(2) विकलांग और रोजगार के अयोग्य व्यक्तियों को राहत सातवीं अनुसूची की सूची -2 से समवर्ती सूची के सूची-3 में अंतरित करना।

(3) व्यावसायिक प्रशिक्षण को शैक्षिक योग्यता के समतुल्य मानना।

(4) व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।

(5) शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, स्व.रोजगार सुरक्षित और छतदार रोजगार के सभी साधन उपलब्ध कराना।

(6) सार्वजनिक भवनों में निर्बाध पहुंच की सुविधाएं प्रदान करना।

(7) विकलांगों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ.) (1) भारतीय पुनर्वास परिषद् विधेयक 1992 राज्य सभा में 6.3.1992 को पेश किया गया था। जिसका उद्देश्य भारतीय पुनर्वास परिषद् को सांविधिक दर्जा प्रदान करना है।

(2) "मानसिक मंदता तथा मस्तिष्का घात वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय न्यास" का विधेयक जांचाधीन है।

(3) विकलांगों की सार्वजनिक भवनों ओर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में पहुंच से संबंधित कार्यकारी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(4) 17 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(5) छात्रवृत्तियों, पैट्रोल इमदाद तथा भारत सरकार के अंतर्गत समूह "ग" तथा "घ" के सिविल पदों में 3% आरक्षण जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

पुलिस अधिनियम 1861 में संशोधन

5809. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री राम नारायण बैरवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पुलिस अधिनियम, 1861 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संशोधन कब तक किये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जिला पुनर्वास केन्द्र

5810. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** :
श्री खोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला पुनर्वास केन्द्रों का दर्जा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जिला पुनर्वास केन्द्रों को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो जिला पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1992-93 से जिला पुनर्वास केन्द्रों का स्थान "राष्ट्रीय विकलांग पुनर्वास कार्यक्रम" केन्दों द्वारा ले लिया जायेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रति नियुक्ति वाले कर्मचारी अपने-अपने मूल विभागों में प्रत्यावर्तित हो जायेंगे। सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों को उपयुक्तता की शर्त पर नई योजना के अंतर्गत नियुक्ति किए जाने के लिए विचार किया जायेगा।

खेती के अन्तर्गत भू-क्षेत्र

5811. **प्रो० राम कापसे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त भूमि पर खेती करने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार अद्यतन कितने भू-क्षेत्र में खेती की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) इस समय केवल अतिरिक्त भूमि को खेती के अंतर्गत लाने के लिए कोई स्कीम नहीं है; तथापि, प्रतिवर्ष, राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र भूदा

संरक्षण तथा पनधारा प्रबंध स्कीमों के अंतर्गत समस्या ग्रस्त भूमि का सुधार और विकास करके कुछ क्षेत्रों को उत्पादक उपयोग के अंतर्गत लाया जाता है।

(ग) 1988-89 की स्थिति के अनुसार कृष्ट क्षेत्र तथा कृष्य क्षेत्र के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न में दी गई है।

विवरण

भारत में कृष्ट तथा कृषि योग्य क्षेत्र-1988-89 (अनंतिम)

(हजार हेक्टेयर)

राज्य/संघ क्षेत्र	निवल बुआई क्षेत्र	मौजूदा परती भूमि	कुल कृष्ट क्षेत्र	अन्य परती भूमि	विविध वृक्ष फसल तथा बागान आदि के अंतर्गत भूमि	संवर्धन योग्य परती भूमि	कुल कृषि योग्य क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	11012	2630	13462	1427	270	847	16186
अरुणाचल प्रदेश	172	25	197	49	44	—	290
असम *	2706	88	2794	84	247	104	3229
बिहार	7606	1827	9431	1089	264	397	11181
गोवा	141	—	141	—	1	80	222
गुजरात	9402	937	10339	43	4	1950	12336
हरियाणा	3564	209	3773	—	3	26	3802
हिमाचल प्रदेश	584	39	623	17	43	126	809
जम्मू और कश्मीर	703	119	822	7	73	144	1046
कर्नाटक	10501	1221	11722	405	319	448	12894
केरल	2213	47	2260	28	42	116	2446
मध्य प्रदेश	19311	861	20172	884	130	1644	22830
महाराष्ट्र	18019	566	18585	1346	204	1034	21169
मणिपुर*	140	—	140	—	24	—	164
मेघालय *	196	60	256	176	133	499	1064

1	2	3	4	5	6	7	8
मिजोरम *	65	183	248	259	3	74	584
नागालैंड	180	124	304	129	124	96	653
उड़ीसा	6280	262	6542	356	716	444	8058
पंजाब	4215	42	4257	12	5	20	4294
राजस्थान	16123	1527	17650	2288	26	5718	25682
सिक्किम *	95	4	99	9	5	1	114
तमिलनाडु	5547	1546	7093	895	119	289	8396
त्रिपुरा	270	1	271	1	39	1	312
उत्तर प्रदेश	17209	1120	18329	888	535	1045	20797
पश्चिम बंगाल	5334	395	5729	51	46	106	5932
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	36	1	37	3	30	4	74
चंडीगढ़	3	—	3	—	—	—	3
दादर और नगर हवेली	24	—	24	—	—	—	24
दमन और दीव	3	—	3	—	—	4	7
दिल्ली	50	5	55	10	1	9	75
लक्षद्वीप	3	—	3	—	—	—	3
पांडिचेरी	26	3	29	2	2	2	35
अखिल भारत	141731	13842	155573	10458	3452	15228	184711

* वर्ष 1988-89 के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण अद्यतन उपलब्ध सूचना का उपयोग किया गया है।

विकलांगों के पुनर्वास हेतु विधान

5812. श्री अन्ना जोशी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के पुनर्वास हेतु कोई विधान बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में संसद के समक्ष कब तक विधेयक लाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुनर्वास परिषद, विकलांग पुनर्वास क्षेत्र के व्यावसायिकों के प्रशिक्षण में एक रूप मानक लागू करेगी।

(ग) भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक, 1992, 6.3.1992 को राज्य सभा में पेश किया जा चुका है।

तेल शोधक कारखाना परियोजनाए

5813. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान अनुमोदित तेल-शोधक कारखाना परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत तथा क्षमता क्या है; और

(ख) उनमें से वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी परियोजनाएं पूरी की गयीं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिनांक 25.1.1991 को सरकार ने 114.30 करोड़ रुपए की लागत पर नारीमनम, तमिलनाडु में 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली क्रूड एक आसवन इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना का 1993-94 के दौरान पूरा होने का कार्यक्रम है।

कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार

5814. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन तेल शोधक कारखाने की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इस तेल शोधक कारखाने की पूर्ण क्षमता का उपयोग पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने का है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड की स्थापित क्षमता 4.5 एम०एम०टी०पी०ए० है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ.) सरकार ने कोचीन रिफाइनरीज की क्षमता में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष की वृद्धि करने के लिए 481.24 करोड़ रुपए (जुलाई, 1991 की कीमतों पर) की अनुमानित लागत पर एक परियोजना दिनांक 17.3.1992 को स्वीकृत की है।

नारियल के पेड़ों में लगी बीमारी दूर करना

5815. **श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल के पेड़ों की "कट्टुवीस्वा" बीमारी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बीमारी को दूर करने के तरीकों का पता लगाने में कौन-कौन सी एजेंसियां/शोध संस्थान कार्यरत हैं; और

(घ) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने 147.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली तथा 10 वर्ष की अवधि तक के लिए केरल में नारियल पुनरुत्थान संबंधी एक परियोजना केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है। इस परियोजना का उद्देश्य केरल में नारियल पाम के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना तथा इस राज्य में जड़-मुरझान रोगों के अन्मूलन पर विशेष ध्यान देना है। इस परियोजना के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता पर विचार किया गया। तथापि, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे नारियल उत्पादक मुख्य राज्यों में नारियल-विकास के लिए एक बहु राज्यीय परियोजना का सुझाव दिया है। ऐसी परियोजना को तैयार करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का एक मिशन इन राज्यों से प्राथमिक स्तर पर विचार-विमर्श कर रहा है।

(ग) केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयांगुलम, केरल और करेल कृषि विश्वविद्यालय में जड़-मुरझान रोगों पर शोध कार्य चल रहा है।

(घ) इस रोग का कारण माइको प्लाज्म जैसी संरचना (माइको प्लाज्म लाइक आर्गेनिज्म) पाया गया है। माइको प्लाज्म जैसी संरचना (माइको प्लाज्म लाइक आर्गेनिज्म) को इस रोग का अभिकारक सिद्ध हो जाने से भीषण तौर से रोगग्रस्त क्षेत्रों का स्थानीय सर्वेक्षण करके उच्च उत्पादकता वाले रोगमुक्त पामों का पता लगाया गया है। इन पामों का उपयोग करके चलाया जाने वाला प्रजनन कार्यक्रम प्रगति पर है। इसके अलावा 22 प्रशांत महासागरीय द्वीपों से लाये गये तथा अण्डमान स्थित विश्व नारियल जर्मप्लाज्म केन्द्र में रोपित नारियल पौंदों का प्रयोग विभिन्न समुच्चयों को तैयार करने तथा रोगग्रस्त क्षेत्रों में आगे परीक्षण किये जाने में किया जा रहा है।

केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान में विकसित प्रबंध परक पद्धतियों से आठ दक्षिणी जिलों, जहां पर कि रोग का प्रभाव व्यापक स्तर पर है पामों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिली है।

उत्तरी केरल के कम प्रभावी क्षेत्रों में रोग्रस्त पामों का उन्मूलन किये जाने और रोगों का प्रबोधन किये जाने से उक्त क्षेत्रों में रोग को फैलने से रोकने में मदद मिली है।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पास मामले

5816. श्री मदन लाल खुराना :
श्री पी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मामले सौंपे गये हैं :

(ख) इनमें से कितने मामले सुलझाए गये; और

(ग) शेष मामलों के सुलझाए न जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 के दौरान दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को भेजे गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	मामलों की संख्या
1989	454
1990	573
1991	701

(ख) वर्षवार सुलझाए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

1989	409
1990	524
1991	655

(ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि कुछ मामलों में अपराधियों का पता नहीं लगा है। जिन मामलों को सुलझाया नहीं जा सका वे अधिकांशतः जटिल प्रकार के हैं और उन्हें कुछ समय बीतने के बाद अपराधशाखा को भेजा गया है।

प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के संबंध में केलकर समिति की रिपोर्ट

5817. **श्री एस०बी० सिदनाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केलकर समिति रिपोर्ट की प्राकृतिक गैस मूलय निर्धारण संबंधी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी हैं;

(ग) क्या रिपोर्ट को स्वीकृति दिये जाने से गैस पर आधारित सभी परियोजनाएं प्रभावित होंगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किये हैं/ करने का विचार किया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) (1) उतराई स्थल पर कीमत : 1600 रुपए/1000 घन एम^3+ तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 200/1000 एम^3 की वृद्धि।

(2) एच०बी०जे० पाइपलाइन पर अतिरिक्त कीमतः 850 रुपए/1000 एम^3।

(3) पूर्वोत्तर राज्यों में कीमतः मामला दर मामला आधार पर 400/1000 एम^3 की छूट सहित 1000 रुपए/1000 एम^3।

(ख) दिनांक 1.1.1992 से प्रभावी प्राकृतिक गैस की संशोधित कीमतें उपयुक्त संशोधनों के साथ केलकर समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

(ग) से (ङ.) चूंकि वर्ष 1987 के बाद से पहली बार गैस की कीमतों में संशोधन किया गया है, इसलिए गैस पर आधारित उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

भूमि की ऊपरी सतह की उर्वरता में गिरावट

5818. **श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भूमि की ऊपरी सतह की उर्वरता में गिरावट का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूमि की ऊपरी सतह की उर्वरता में गिरावट को रोकने के लिए क्या योजनायें लागू करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि अनुसंधान केन्द्र आदि देश में ऊपरी मृदा क्षरण और भूमि अवक्रमण पर अध्ययन कर रहे हैं।

(ग) राज्य क्षेत्र के मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत मृदा क्षरण और भूमि अवक्रमण द्वारा प्रभावित वास्तविक समस्याग्रस्त क्षेत्र का सामना किया जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय योजनाओं द्वारा और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार है:-

(क) राज्य क्षेत्रक

(1) मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम।

(2) अवक्रमित वन भूमि में वनरोपण।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्रक

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में समग्र पनधारा प्रबंध।

(3) वर्षापोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

(4) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के डकैती प्रवण जिलों के उबड़-खाबड़ क्षेत्रों का सुधार।

(5) झूम खेती पर नियंत्रण।

(6) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम।

(7) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम।

(8) राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम।

(9) सामाजिक वानिकी।

भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी

5819. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु आनुवंशिकी सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत भ्रूण-अंतरण प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गरीब किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु इस तकनीक को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लैंका) : (क) जी हां।

(ख) भ्रूण स्थानान्तरण प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के तहत गोपशु, भैंस और बकरियां शामिल हैं। अनुसंधान के परिणामस्वरूप प्रथम 'इनविट्रो फर्टीलाइज्ड एम्ब्रे ट्रांसफर' विधि से पैदा बछिया जिसका नाम "प्रथम" है उसका जन्म नवम्बर, 1990 में हुआ था।

(ग) इस प्रौद्योगिकी को मानकीकृत किया गया है और पुनर्जनन के क्षेत्र में पर्याप्त जानकारी रखने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग

5820. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किन-किन कीटनाशकों का उत्पादन अथवा आयात किया गया है; और

(ख) इन कीटनाशकों के निरन्तर प्रयोग करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित रजिस्ट्रेशन समिति देश में उत्पादन एवं आयात के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित कीटनाशियों को पंजीकृत करती है। अब तक उन अठारह कीटनाशियों का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया गया है, जो अधिक विषैली/हानिकारक मानी गई थीं। इनके अतिरिक्त, नो कीटनाशी,, जो पहले देश में इस्तेमाल हो रही थीं, प्रतिबंधित कर दी गई हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार योजनायें

5821. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई स्व-रोजगार योजनायें शुरू की है/करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अग्नि शमन केन्द्रों का निर्माण

5822. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अग्नि शमन सेवा को कम्प्यूटरीकरण करने की योजना रद्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान दिल्ली में कितने नये अग्नि शमन केन्द्रों का निर्माण का विचार है; और

(घ) इस कार्य के लिए कितनी धन राशि आबंटित की गयी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने बताया है कि भीकाजीकामा प्लेस, नेहरू प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर लक्ष्मी नगर और वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में चार दमकल केन्द्रों का निमार्ण कार्य पूरा होने वाला है। अग्नि शमन सेवा द्वारा इनका अधिग्रहण करने के तुरंत बाद ही ये केन्द्र कार्य करना आरम्भ कर देंगे।

ज्वालापुरी, नजफगढ़, जनकपुरी, मण्डावली, रोहिणी, नरेला (डी०एस०आई०डी०सी० काम्प्लैक्स) और जहांगीरपुरी के दमकल केन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है।

(घ) दमकल केन्द्रों के निर्माण के लिए वर्ष 1992-93 में 4 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है तथा 1992-97 की आठवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1992-93 के लिए 3 करोड रुपया इसके संगणकीकरण योजना के लिए रखा गया है जिसमें से 50 लाख रुपया वर्ष 1992-93 के लिए आवंटित किया गया है।

जम्मू-कश्मीर में अस्पतालों में आतंकवादियों को पनाह

5823. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला आया है जिसमें जम्मू-कश्मीर के कुछ प्रमुख अस्पतालों में आतंकवादियों को पनाह दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) राज्य में ऐसे कितने अस्पताल हैं जिनमें आतंकवादियों को पनाह दिये जाने का विश्वास किया जा रहा है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (च) जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि सुरक्षा बलों द्वारा दबाव डालने के कारण आतंकवादियों द्वारा अस्पतालों में आश्रय लेने के समाचार प्राप्त हुए हैं। विनिर्दिष्ट सूचना और कुछ सुरागों के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में एस०एम०एच०एस० अस्पताल, श्रीनगर में 7 मार्च, 1992 को और लालडेड अस्पताल, श्रीनगर में 23 मार्च, 1992 को तलाशी ली गई। एस०एम०एच०एस० अस्पताल में ली गयी तलाशी के दौरान 17 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और 10 ए०के० राईफलों और दो हथगोलों के अलावा शस्त्र और गोला बारूद बरामद किया गया। लालडेड अस्पताल में दो संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए तथा तीन ए०के० राईफलें तथा अन्य शस्त्र गोला बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा अस्पतालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

तेल और गैस भंडार

5824. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अवसादी बेसिनों में तेल और प्राकृतिक गैस के भारी भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो अवसादी बेसिनों में पाये गए तेल और गैस के भंडारों की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) इन बेसिनों में खुदाई का कार्य शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिनांक 1.1.1991 तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने देश के विभिन्न परतदार बेसिनों में 3767.33 मि०मी० टन तेल, 82.81 मि०मी० टन कंडेन्सेट और 1347.33 बी०सी०एम० गैस के स्थल भंडारों और आयल इंडिया लिमिटेड ने 507.58 मि०मी० टन तेल और 180.45 बी०सी० एम० गैस के स्थल भंडारों को स्थापित किया है।

(ग) इन परतदार बेसिनों में सक्रिय अन्वेषक वेधन जारी रहेगा।

एल०पी०जी० का आयात

[हिन्दी]

5825. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी एल०पी०जी० का आयात किया गया; और

(ख) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात की गई एल०पी०जी० की मात्रा और उसका मूल्य नीचे दिया गया है :-

वर्ष/अवधि	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1989-90	302	98.07
1990-91	329	160.26
1991-92* (अप्रैल-फरवरी)	193	134.67

* अस्थायी

वाणिज्यिक फसलों का विकास

[अनुवाद]

5826. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन, कपास, दालें जैसी वाणिज्यिक फसलों के लिए निर्धारित योजना परिव्यय का कम उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान वाणिज्यिक फसलों के विकास के लिए योजना में क्या प्रावधान किया गया है और वास्तव में अनुमानतः कितनी राशि उपयोग में लाई गई; और

(घ) देश में इन वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि राज्य सरकारें क्रियान्वियन करने वाली एजेंसियां हैं, अतः निधि का उपयोग इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति पर निर्भर करता है।

(ग) 1990-91 के दौरान, तिलहन, दलहन तथा कपास के संबंध में योजना प्रावधान तथा निधियों का उपयोग निम्नरूप से है :-

	परिव्यय	उपयोग
		(लाख रुपयों में)
1. तिलहन	6,000	5219.14
2. दलहन	2,405	1670.80
3. कपास	390	174.66

(घ) भारत सरकार के तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहन) और गहन कपास विकास कार्यक्रम देश में इन वाणिज्यिक फसलों में वृद्धि करने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन कार्यक्रमों को और भी अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उपयुक्त संशोधन करने के लिए अपने सुझाव दें।

केन्द्रीय स्टेट फार्म

5827. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय स्टेट फार्मों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या ये फार्म लाभ अर्जित कर रहे हैं;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इन फार्मों में विभिन्न खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(घ) क्या सरकार के पास इन फार्मों के कार्यकरण में सुधार करने की कोई योजना है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) देश में 13 केन्द्रीय राज्य फार्म हैं। इसका राज्यवार विवरण निम्नवत् है :–

असम	2
हरियाणा	1
कर्नाटक	1
केरल	1
मिजोरम	1
पंजाब	1
राजस्थान	3
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	2

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान राजस्थान में जेनसर, उत्तर प्रदेश में रायबरेली, असम में बारपेटा और मिजोरम स्थित फार्म को छोड़कर शेष सभी फार्मों को लाभ हुआ था। 1991-92 में मिजोरम वाले फार्म को छोड़कर शेष सभी फार्मों को लाभ होने की आशा है।

(ग) 1990-91 में इन फार्मों पर विभिनन खाद्यान्नों के कुल उत्पादन की जानकारी रबी, 1992 की फसलों की कटाई के पश्चात् ही होगी। 1990-91 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2.56 लाख क्विंटल हुआ था।

(घ) भारतीय राज्य फार्म निगम की क्षमता व निष्पादन में सुधार लाने के लिये राष्ट्रीय बीज परियोजना 3 के तहत नियुक्त परामर्शदाता के माध्यम से नैदानिक अध्ययन किया गया है।

(ड.) निगम का नैदानिक अध्ययन शुरू करने के लिये नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं ने निम्नलिखित उन मुख्य मुद्दों को अभिज्ञात किया है जिसमें सुधार की आवश्यकता है–

(1) निगम को औसत सकल आय प्रति हैक्टेयर कम है।

(2) अपर्याप्त सिंचाई, अव्यवस्थित फसल प्रबन्ध आदि के कारण प्रति हैक्टेयर औसत सकल पैदावार भी कम है।

(3) सस्य सघनता भी कम है।

(4) प्रचालन की अत्यधिक लागत।

(5) बीज की अपक्षयण दर अत्यधिक है।

(6) उचित विपणन पद्धति का अभाव और पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण की कमी।

उपर्युक्त नैदानिक विलेषणों के आधार पर निम्नलिखित उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है--

(1) फसल-मिश्र में परिवर्तन और प्रचालन व प्रबन्ध क्षमता में वृद्धि करके फसलों की वर्तमान उत्पादकता में सुधार लाना।

(2) सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार/सुधार करके फसलगत क्षेत्र में वृद्धि करना और इस तरह से कुल उत्पादन में वृद्धि करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की उपलब्धि के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से निगम को उचित रूप में मजबूत बनाया जा रहा है।

अडंमान और निकोबार द्वीपसमूह में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देना.

5828. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में मान्यता प्राप्त अनुसूचति जातियों और अनुसूचित जनजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त संघ राज्य क्षेत्र में इनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को सभी प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों के बराबर माना जाता है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) निम्नलिखित समुदायों को, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है :-

1. अंडमानी, चेरियार, चारी, कोरा, टाबो, बो, येरे, केडे, बीयां, बालवा, बोज़ीगियाब, जुबाई, कोल
2. जारावास
3. निकोबारी
4. औंगस
5. सैटानिलीस
6. शोम पैन

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ख) अनुसूचित जन जातियों के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में भारत सरकार के अन्तर्गत स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर भरे जाने वाले श्रेणी (ग) और (घ) पदों के लिए 12% आरक्षण है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए समूह क और ख पदों हेतु आरक्षण की कोई अलग प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों अर्थात एफ०आर०एस०आर० से अभिशासित होते हैं। वे प्रोत्साहन आदि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित कठिन क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, देय हैं। संशोधित वेतन नियम जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू हैं, उन पर भी लागू होते हैं।

व्यापार विकास हेतु यूरोपीय समुदाय का सहयोग

5829. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय समुदाय ने वरिष्ठ भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों के बीच व्यावहारिक अवरोध हेतु एक मंच स्थापित करने के उद्देश्य से एक कारोबार-फर्म स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरोपीय समुदाय ने भारत को व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु सहयोग एवं सहायता प्रदान करने पर सहमति प्रदान कर दी है;

(ग) क्या भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों ने कई उपाय किए हैं और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यूरोपीय समुदाय के किस सीमा तक व्यापार विकास में सहायता देने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलीरो) : (क), (ख) तथा (ग) जी, हां। सरकार तथा यूरोपीय समुदाय आयोग ने भारत-यूरोपीय समुदाय व्यापार मंच चलाने के लिए पहलकदमी की है जिसका उद्घाटन 4 मार्च, 1992 को किया गया था। इस मंच से दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक तथा वाणिज्यिक सम्बंधों में सुधार होने की आशा है और इस मंच के संविधान को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) भारत-यूरोप समुदाय व्यापार मंच, भारत तथा यूरोपीयन समुदाय के प्रमुख व्यापारियों को मिलाने का आधार प्रदान करेगा ताकि भारत-यूरोपीय समुदाय आर्थिक तथा वाणिज्यिक सम्बंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी सहयोग नीतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

(ड.) भारत-यूरोपीय समुदाय व्यापारी मंच को यूरोपीय समुदाय के व्यापारी समुदाय की ओर से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है तथा इससे दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार को बढ़ाने में पर्याप्त सहायता मिलने की आशा है।

(दिनांक 2.4.1992 को उत्तर के लिए)

[हिन्दी]

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

5830. **श्री ललित उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के कार्यालय और इसके सीधे नियंत्रण वाले मंत्रालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यालय-वार/मंत्रालय-वार/विभाग-वार उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो इन समितियों से संबद्ध हैं और 1990-91 और 1991-92 के दौरान किन-किन तारीखों को इनकी बैठकें हुई;

(ग) क्या राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सम्बद्ध अधिकारी अपने सरकारी कार्य हिन्दी में करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसका प्रतिशत क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) प्रधानमंत्री के कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन नहीं किया गया है और इसके सीधे नियंत्रण में कोई मंत्रालय नहीं है। यह एक छोटा कार्यालय है जिसमें राजभाषा संबंधी कार्य की निगरानी एक संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में नई डेयरी

5831. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड की सहायता से केरल में कोई नई डेयरी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लैंका) : (क) जी, हां।

(ख) कोजीकोडे में 60,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का एक नया डेरी प्लांट निर्माणाधीन है तथा मार्च, 1994 तक इसके तैयार हो जाने की आशा है।

धान का उत्पादन

5832. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करेल में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र चावल मिनिकिट कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धान की खेती के सम्बर्द्धन हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) चावल को स्थान विशिष्ट पर अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती को बढ़ावा देने के लिये किसानों को नव निर्मुक्त/पूर्व निर्मुक्त किस्मों के बीजों के मिनोकिट वितरित किये जाते हैं और विस्तार कर्मियों के लिये चावल की उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी में राज्य स्तरीय प्रतिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

(ग) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा चावल के मिनीकिट कार्यक्रम के कार्य निष्पादन का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कूपनों पर एल०पी०जी० गैस सिलिन्डरों की डिलिवरी

5833. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में उपभोक्ताओं द्वारा एल०पी०जी० सिलिन्डरों की डिलिवरी लेने के लिए कूपन प्रणाली की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई अन्य प्रणाली शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उक्त दोनों प्रणालियों के संबंध में एल०पी०जी० एजेंसियों को जारी किए गए मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, केवल इंडियन आयल कारपोरेशन ने ही दिल्ली में कूपन प्रणाली लागू की है ताकि

प्राधिकृत ग्राहकों को रिफिल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और एल०पी०जी० रिफिलों का अप्राधिकृत प्रयोग रोका जा सके।

(ख) से (ड.) इंडियन आयल कारपोरेशन ने रिपोर्ट दी है कि दिल्ली में प्रचलित कूपन प्रणाली को अब ग्राहम-कार्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिसकी अनुशंसा "सुधा जोशी समिति" ने की थी।

अल्पसंख्यकों की जनसंख्या

5834. **श्री जी०एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में मुसलमानों, ईसाईयों और सिखों की जनसंख्या क्रमशः कितनी-कितनी है; और

(ख) इनकी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की अलग-अलग जनसंख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों, ईसाइयों और सिक्खों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी आंकड़ों का सारणीकरण किया जा रहा है। तथापि, 1981 की जनगणना के अनुसार देश में इन तीनों धर्मों के पुरुषों और स्त्रियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सिक्खों की संख्या

धर्म का नाम	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियां
मुसलमान	75,571,514	39,019,643	36,551,871
ईसाई	16,174,498	8,118,081	8,056,417
सिक्ख	13,078,146	6,957,891	6,120,255

टिप्पणी :- 1. उक्त आंकड़ों में असम के आंकड़े सम्मिलित नहीं है क्योंकि उस समय राज्य में अशांत वातावरण होने के कारण 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी थी।

2. उक्त आंकड़े परिवार के मुखिया के धर्म पर आधारित हैं।

दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध

5835. **कुमारी उमा भारती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण अफ्रीका के साथ पूर्ण राजनयिक और व्यापारिक संबंध पुनः स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और उसकी शर्तें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारत दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं पर नजदीकी से निगाह रख रहा है। दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का निर्णय तभी लिया जाएगा जब हम इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि जातीय पृथग्वासन को समाप्त करने की प्रक्रिया ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है कि अब वह वापिस नहीं मुड़ेगी।

जहां तक व्यापारिक संबंधों का सवाल है, अक्तूबर, 1991 में हरारे में आयोजित राष्ट्रमण्डल शिखर बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि "आर्थिक प्रतिबंध जिनमें व्यापार और पूंजी निवेश के उपाय भी शामिल हैं, तभी उठाए जाने चाहिएं जबकि समुचित संक्रमणकालीन व्यवस्था पर सहमति हो जाए जिससे कि सभी पक्ष पूरी तरह और कारगर तरीके से बातचीत में हिस्सा ले सकें।" भारत इस निर्णय का एक पक्षकार है।

चावल का उत्पादन

5836. **श्री भाग्ये गोबर्धन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित चावल विकास कार्यक्रम (आई०पी०आर०डी०) पूर्वी राज्यों विशेषकर उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने में किस सीमा तक सफल रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में चावल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) क्या यह कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) पूर्वी राज्यों में समन्वित चावल विकास कार्यक्रम (आई०पी०आर०डी०) के कार्यान्वयन से 1984-85 को समाप्त त्रिवर्षावधि से 1990-91 को समाप्त त्रिवर्षावधि तक के दौरान चावल के उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिली है। चावल का उत्पादन उड़ीसा में 40.95 लाख मीटरी टन से बढ़कर 56.18 लाख मीटरी टन, बिहार में 44.49 लाख मीटरी टन से बढ़कर 64.18 लाख मीटरी टन और पश्चिम बंगाल में 69.14 लाख मीटरी टन से बढ़कर 106.40 लाख मीटरी टन हो गया है। 1987-88 की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में हुई वृद्धि इस प्रकार थी :-

उड़ीसा	17.94 से 28.03 लाख मीटरी टन
बिहार	17.38 से 19.42 लाख मीटरी टन
पश्चिम बंगाल	11.64 से 16.52 लाख मीटरी टन।

(ग) कार्यक्रम को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास

5877. **श्री मोहनलाल झिकराम** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ख) इनका पुनर्वास कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) विस्थापितों द्वारा कश्मीर में छोड़ी गई सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) कश्मीरी प्रवासियों को घाटी के बाहर स्थाई रूप से बसाने का कोई विचार नहीं है तथा आशा की जाती है कि स्थिति में सुधार होने पर वे घाटी को लौट जायेंगे। फिर भी, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें राहत उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रवासियों द्वारा घाटी में पीछे छोड़ी हुई सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करना, राज्य प्रशासन द्वारा घाटी में आतंकवाद को रोकने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किए जा रहे कुल प्रयासों के अनतर्गत आ जाता है, जिसके लिए सरकार ने आतंकवादियों पर दबाव तथा सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। आसूचना अभियानों को और तेज कर दिया गया है।

[अनुवाद]

नामीबिया के राष्ट्रपति की यात्रा

5838. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामीबिया के राष्ट्रपति फरवरी, 1992 में भारत की यात्रा पर आए थे; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम निकलें?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) हमारे नेताओं के साथ उनकी बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार विमर्श हुआ। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच के निकट सम्बन्धों की पुनः पुष्टि हुई तथा ये सम्बन्ध और अधिक मजबूत हुए।

इस यात्रा के दौरान उन्हें 1990 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण तथा विकास के लिए पुरस्कार दिया गया।

बाढ़ प्रभावित भूमि

5839. **श्री सुधीर गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991 में बाढ़ से कुल कितना भूमि क्षेत्र प्रभावित हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : अनन्तिम मूल्यांकन के आधार पर 1991 के दौरान 5.286 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है।

अहमदाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

5840. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट पुस्तिकाओं की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक समझौता

5841. **श्री राजवीर सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 के दौरान भारत और जर्मनी के बीच किसी आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में पासपोर्ट कार्यालय

5842. **श्री अन्ना जोशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी और दक्षिणी महाराष्ट्र तथा मराठवाडा क्षेत्रों के लिए पुणे में डिवीजनल पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) संसद सदस्यों और जनता से पुणे में एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इन कार्यालयों की संख्या, स्थान और समय उपलब्ध अतिरिक्त वित्तीय और जनशक्ति के संसाधनों पर निर्भर करेगा।

इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स

5843. **श्री अन्ना जोशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनवरी, 1992 में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के कर्मचारी ट्रेड यूनियन से परिषद के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए नया कानून पुनः लागू करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) इन लोगों ने कहा था कि उन्हें कई वर्षों से भत्ते तथा वेतन बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है तथा उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में प्रबंध और स्तर की गिरती हुई दशा को सुधारने के लिए इसे अपने हाथ में लेने के लिए सरकार संसद में एक बिल पेश करे।

(ग) सरकार इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की कार्यप्रणाली को पुनः सक्रिय करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है।

पंजीकृत सामाजिक समितियाँ

5844. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज और दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा अब तक अखिल भारतीय आधार पर कितनी सामाजिक समितियों का पंजीकरण किया गया है;

(ख) क्या वे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसी समितियों द्वारा किसी अनियमितता किये जाने अथवा नियमों का उल्लधंन किए जाने के बारे में पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उन समितियों के पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शुष्क भूमि में कृषि

5845. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शुष्क भूमि तकनीक अपनाकर राज्य-वार कितनी भूमि पर कृषि प्रारंभ की गई; और

(ख) 1992-93 के दौरान शुष्क भूमि कृषि के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए रष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत, क्षेत्र लक्ष्य का निर्धारण पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए किया जाता है, चूंकि बहुत से कार्यकलाप अभिज्ञात पनधाराओं में एक वर्ष से अधिक अवधि तक जारी रहते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल क्षेत्र तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित अस्थायी क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल क्षेत्र	आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अस्थायी प्रस्तावित क्षेत्र (वार्षिक योजना 1990-91, 1991-92 सहित)
1	2	3	4
1.	आन्ध प्रदेश	171734	197150
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	2800
3.	असम	3982	60200
4.	बिहार	—	137200
5.	गोवा	—	3075
6.	गुजरात	93272	208025
7.	हरियाणा	15161	40600
8.	हिमाचल प्रदेश	1268	14600
9.	जम्मू और कश्मीर	—	12050
10.	कर्नाटक	106958	250600
11.	केरल	6938	54025
12.	मध्य प्रदेश	14282	458375

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	94312	455000
14	मणिपुर	—	1975
15.	मेघालय	—	3925
16.	मिजोरम	—	1675
17.	नागालैंड	—	3625
18.	उड़ीसा	5369	136350
19.	पंजाब	2488	15950
20.	राजस्थान	34203	339950
21.	सिक्किम	—	1675
22.	तमिलनाडु	3478	89025
23.	त्रिपुरा	—	6175
24.	उत्तर प्रदेश	50272	208600
25.	पश्चिम बंगाल	275	95250
26.	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	—	825
27.	चंडीगढ़	—	75
28.	दादर नगर हवेली	—	575
29.	दिल्ली	—	250
30.	दमन और दीव	—	825
31	लक्षद्वीप	—	75
32.	पांडिचेरी	—	100
	कुल	603992	2800000

दोष सिद्धि के मामले

5846. श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से लोग जिन पर पुलिस द्वारा आपराधिक मामलों के आरोप लगाए जाते हैं, न्यायालय में लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद अन्त में बच निकलते है;

(ख) यदि हां, तो विगत 12 मासों के दौरान दिल्ली के न्यायालयों द्वारा निपटाये गए दोष सिद्धि के कुल मामले की प्रतिशतता क्या है और विगत तीन वर्षों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(ग) न्यायालयों में दोषमुक्त मामलों में वृद्धि होने के लिए क्या कारण हैं;

(घ) बम विस्फोटों के मामलों में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है यद्यपि 1991 में दिल्ली में कई बम विस्फोट हुए है; और

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिन्हें न्यायालयों द्वारा बरी कर दिया गया है।

(ख) दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित सूचित किया है:-

वर्ष	न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले	दोष सिद्ध	दोष मुक्त	दोष सिद्ध की दर
1988	14106	6808	7298	48.26%
1989	15303	7726	7577	50.49%
1990	18448	9442	9006	51.18%
1991	10086	4847	5239	118.05%

(ग) छोड़े जाने के मुख्य कारण, गवाह द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने से बचना; दुश्मनी हो जाना; अथवा विरोधात्मक वक्तव्य देना और मुकद्में की कार्रवाई में देर करना है।

(घ) और (ड़) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 1991 में हुए बम विस्फोटों की घटनाओं से संबंधित किसी भी मामले का न्यायालय द्वारा फैसला नहीं सुनाया गया है।

पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारी

5847. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारी विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों के लिए दो प्रकार के नियम बनाए गए हैं;

(ग) क्या विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को "ख" और "ग" श्रेणियों में नियमित रूप से पदोन्नति दी जाती है जबकि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में यह पदोन्नति नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। दोनों श्रेणियों में ग्रुप "ख" और "ग" के कर्मचारियों को उन पर लागू नियमों के अनुसार नियमित रूप से पदोन्नति दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दालों का उत्पादन

5848 **श्री के०वी० तंग्का बालू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दालों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना बढ़ा/कम हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दोरान दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कितने प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है;

(ग) 1991 के अंत में दोलों की मांग और आपूर्ति में कितना अन्तर था;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दालों की खेती की जाने वाली भूमि में तुलनात्मक रूप से कितनी कमी आई है; और

(ङ.) सरकार द्वारा दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या नीति बनाई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान दालों के प्रति हैक्टेयर उत्पादन (पैदावार) में उतार-चढ़ाव को निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

वर्ष	कि०ग्रा०/है० में पैदावार	पिछले वर्ष की समाप्ति पर वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1987-88	515	—
1988-89	598	(+) 16.1
1989-90	549	(-) 8.2
1990-91	576	(+) 4.9

(ख) पिछले 3 वर्षों में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में उतार-चढ़ाव की प्रतिशतता निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

(कि०ग्रा०)

वर्ष	प्रति व्यक्ति उपलब्धता	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1988	13.4	—
1989	15.3	14.2
1990	15.1	(-)1.3
1991	14.5	(-) 4.0

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए मांग तथा आपूर्ति का अनुमान लगाने संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार, 1990-91 के लिए दालों की मांग के अनुमान 16.4 मिलियन टन के थे, जबकि वास्तविक उत्पादन स्तर 14.06 मिलियन टन के थे।

(घ) 1987-88 से 1990-91 में दालों के अंतर्गत क्षेत्र नीचे दिया गया है:-

वर्ष	जोता गया क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1987-88	222.72	—
1988-89	231.46	(+) 8.8
1989-90	234.15	(+) 1.2
1990-91	243.97	(+) 4.2

(ङ.) सरकार स्थान विशिष्ट किस्मों तथा उन्नत तकनोलोजी को अपना कर दालों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। इसमें (1) बहुल तथा मिश्रित फसल प्रणाली (2) प्रति इकाई क्षेत्र की पैदावार को बढ़ाने पर बल दिया गया है।

इसके साथ-साथ, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-दालें, के अंतर्गत बीज, प्रदर्शन आयोजित करने, पौध संरक्षण उपायों, उन्नत फार्म उपकरणों, विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता दी जाती है।

विदेशों में नये आर्थिक सुधारों को दर्शाना

5849. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में भारत की नई आर्थिक नीति को दर्शाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या विदेश स्थित भारतीय दूतावास विदेशी निवेशकों को ऐसे सुधारों की जानकारी दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में इस उद्देश्य हेतु नए कक्षों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) विदेश मंत्रालय ने दूसरे देशों में भारत के आर्थिक सुधारों को प्रचारित करने में तत्पर व प्रभावी कार्रवाई की है। विदेश स्थित मिशनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए किए गए उपायों का अधिक से अधिक सम्भव प्रचार करने के लिए व्यापक और समन्वित प्रयास करें। मिशन इस कार्य को प्रभावशाली ढंग से कर सकें इस वास्ते मंत्रालय उन्हें नई नीतियों व प्रक्रियाओं में किए गए परिवर्तनों से पूरी तरह अवगत रखता है। एक संयुक्त मीडिया पैकेज पहले ही तैयार किया गया है और इस कार्य में उनकी सहायता के लिए मिशनों में वितरित किया गया है। पैकेज में ब्रोशरों का सैट, "डूइंग बिजिनस विद इंडिया" विषय पर फ्लोपी डिस्केट्टी और "इंडिया : लैंड आफ न्यू अपारचूनिटीज" शीर्षक का वीडियो कैसेट शामिल है। एक पारस्परिक प्रक्रिया की स्थापना की गई है जिसके द्वारा मिशनों को नियमित आधार पर आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बारे में अद्यतन सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा कुछ चुनिन्दा लक्षित देशों में मिशन प्रमुखों के लिए 30 मार्च, 1992 से विशेष प्रबोधन कार्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम को आर्थिक सुधार कार्यक्रम को लक्ष्य बनाकर तैयार किया गया है और इस का ध्येय अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्यक्रम को प्रचारित करने में मिशनों की प्रभावशीलता को बढाना है।

(ख) जी हां। हमारे कई मिशन सम्भावित विदेशी निवेशकों को सुधार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के कार्य में सक्रियता से जुटे हैं। वे इस कार्य को सेमिनारों व संगोष्ठियों का आयोजन करके तथा उन्हें सम्बोधित करके और संबद्ध वाणिज्यिक संगठनों से सीधे सम्पर्क मजबूत करने के माध्यम से कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

दंगा पीड़ित व्यक्तियों की कर्नाटक और तमिलनाडु को वापसी

5850. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों से उन व्यक्तियों की वापसी के लिए प्रबंध करने का आग्रह किया है जो कावेरी जल विवाद के कारण हुए दंगों की वजह से उन राज्यों को छोड़ गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री ने 17 फरवरी, 1992 को कावेरी जल विवाद से संबंधित मामलों के बारे में कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी तथा तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री, अन्य बातों के साथ-साथ कावेरी घाटी में हुए हाल की गड़बड़ियों से प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास उपायों को उपलब्ध कराने के कार्य को शीघ्रता के साथ पूरा कराने पर भी सहमत हुए।

पर्यावरण "92"

5851. **डा० आर०मल्लू** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यावरण और विकास लोक-आयोग ने अब तक कितनी सार्वजनिक सुनवाइयां आयोजित कीं और अब तक किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और पर्यावरण "92" के समक्ष चर्चा हेतु कितने विषय प्रस्तुत किये गये;

(ख) क्या सरकार ने पर्यावरण "92" के लिए अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसे सार्वजनिक किया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) पर्यावरण और विकास संबंधी जन आयोग एक गैर-सरकारी संगठन है।

(ख) और (ग) सरकार यू०एन०सी०ई०डी० में विचारार्थ रखे जाने वाले मुद्दों पर अन्तर्राष्ट्रीय मतैक्य तैयार करने के लिए बातचीत में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। बातचीत के दौरान उठे विभिन्न मुद्दों पर भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने अपनी स्थिति व्यक्त की है। पर्यावरण और विकास से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (ईसीओ "92") में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य को जून के मध्य में बैठक की तारीख नजदीक आने पर अन्तिम रूप दिया जाएगा और उसे समय पर सार्वजनिक बनाया जाएगा।

भारत-बांग्ला देश तस्करी नेटवर्क

5852. **श्री राम प्रसाद सिंह** :

श्री हरि किशोर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 1992 के "टेलीग्राफ" में प्रकाशित समाचार के अनुसार तस्करों ने बड़े पैमाने पर भारत-बंगला देश तस्करी नेटवर्क स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) सरकार ने तारीख 20 फरवरी, 1992 के टेलीग्राफ में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक अच्छा व्यवहार करें, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

उत्तर भारत के शहरों से अल्फा को हथियारों की सप्लाई

5853. **श्री केशरी लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की जानकारी में उत्तर भारत के बड़े शहरों से अल्फा उग्रवादियों को हथियारों की सप्लाई किये जाने के मामले उनमें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है/उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने उत्तर भारत में कुछ शहरों से शस्त्र प्राप्त करने की कोशिश की थी।

(ख) उल्फा को शस्त्रों की आपूर्ति/या प्राप्ति के बारे में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहरों में गिरफ्तारियां की और छापे मारे।

(ग) उल्फा द्वारा गैर-कानूनी शस्त्र प्राप्त करने को रोकने के लिए असम सरकार ने सतर्कता बढ़ायी है।

बिना स्वीकृति के मच्छर निवारकों का विपणन

5854. **डा० आर० मल्लू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बिना किसी पंजीकरण अथवा लाइसेंस के विभिन्न प्रकार के मच्छर निवारकों का विपणन किया जा रहा है, हालांकि इनमें जहरीली कीटनाशक होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968, के अधीन गठित पंजीकरण समिति ने कीटनाशी दवाओं पर आधारित मच्छर भगाने वाली अनेक दवाओं (रिपैलेन्ट्स) के निर्माण व बिक्री के लिये, जातिगत संरचना के आधार पर पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान की है, क्योंकि इस अधिनियम के अधीन ब्रांड नामों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। यह समिति

पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान करने से पहले मच्छर भगाने की दवाओं (रिपैलेन्ट्स) के निर्माण में इस्तेमाल करने के लिये प्रस्तावित कीटनाशी दवाओं की प्रभाविकता और सुरक्षा के बारे में अपनी तसल्ली कर लेती है। अलग से कोई सुधारक कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

राज्यों में गैस पर आधारित उद्योग

5855. **श्री परसराम भारद्वाज :**

श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में कोई गैस पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन प्रस्तावों को निपटाने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में स्थापित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार गैस की वचनबद्धता की गई है:-

राज्य	मात्रा (एम०एम०एस०सी०एम०डी०)
गुजरात	19.4
महाराष्ट्र	18.45
असम	11.06
त्रिपुरा	4.85
आन्ध्र प्रदेश	5.91
तमिलनाडु	1.53
मध्य प्रदेश	4.6
राजस्थान	3.8
उत्तर प्रदेश	17.05
दिल्ली	2.60
हरियाणा	2.50

(ग) और (घ) समय-समय पर राज्य सरकारों से गैस के आबंटन के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और गैस की उपलब्धता तथा पहले की गई वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए इन पर विचार किया जाता है।

तेल खपत में बचत

5856. प्रो० राम कापसे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को आई०आई०टी० कानपुर से तेल खपत में बचत करने हेतु वैकल्पिक क्षेत्र के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में सुगंधी (एरोमेटिक) परियोजना को मंजूरी

5857. श्री डी० पंडीयन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु में स्थापित की जाने वाली किसी प्रसतावित सुगंधी (एरोमेटिक) परियोजना को मंजूरी दी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मामला पुनरीक्षाधीन है।

[हिन्दी]

साक्ष्य भत्ता

5858. श्री सूरज मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अपराधिक मामलों में जो साक्ष्य भत्ता दिया जाता है उसे बहुत पहले निर्धारित किया गया था और यह बहुत कम है;

(ख) क्या राशि के आबंटन की कमी के कारण साक्ष्यों को तत्काल भुगतान नहीं किया जाता है इसलिए आदिवासी हरिजन गवाह न्यायालयों में नहीं आ पाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी अपराधिक मामलों में दिए जाने वाले साक्ष्य भत्ते में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (घ) राज्य सरकारों द्वारा न्यायालय की कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए गवाहों को आपराधिक न्यायालयों के आदेशों पर भुगतान दिया जाता है। मामला, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 312 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में मत्स्य पालन

†5859. **श्री सुधीर सावंत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त क्षेत्र की अनुमानित लम्बाई क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राज्य में मत्स्य पालन के विकास के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान कितना क्षेत्र मत्स्य पालन के दायरे में लाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) महाराष्ट्र में मछली पालन के लिये उपयुक्त जल संसाधन इस प्रकार है:-

(1) तालाब और पोखर	98,000 हैक्टेयर
(2) खारे पानी का क्षेत्र	80,000 हैक्टेयर

(ख) भारत सरकार द्वारा उठाये गये कुछेक महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:-

(1) "मछली पालन विकास" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत-इस राज्य में 30 जिलों में से 29 में मछली पालक विकास एजेन्सियां स्वीकृत की जा चुकी हैं ताकि ताजे पानी में मछली पालन विकास हो सके।

(2) झींगा पालन विकास के लिये इस राज्य में चार खारा जल मछली पालक विकास एजेन्सियां स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(3) झींगा बीज उत्पादन तथा किसानों को झींगा फार्मिंग प्रदर्शन के लिये इस राज्य में क्रमशः 20 मिलियन क्षमता वाली झींगा सीड हैचरी और एक झींगा पालन प्रदर्शन फार्म भी स्वीकृत किए गये हैं।

(4) इनके अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अलीबाग में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किया है ताकि राज्य में झींगा पालन के लिये तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा सके।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कितने क्षेत्रों में मछली पालन आरम्भ किया गया इसकी सूचना इस प्रकार है:-

(1) मछली पालक विकास एजेन्सियों के माध्यम से 1934 हैक्टेयर

(2) एम०पी०ई०डी०ए० के माध्यम से 127.35 हैक्टेयर

विदेशियों के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाने की अनुमति देने संबंधी निर्णय

5860. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कई दूरस्थ स्थानों पर विदेशियों को जाने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की पुनर्जांच की है;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1956 में संशोधन करने का है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ङ.) विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अंतर्गत किसी क्षेत्र में विदेशियों के जाने और ठहरने पर प्रतिबंध लगाने के विभिन्न कारण हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीकी, कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति, क्षेत्र की संवेदनशीलता और विघटनकारी तत्वों की उपस्थिति इत्यादि। स्थिति के आवश्यकता और अति-आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आवश्यक सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए "इनरलाइन परमिट" प्रणाली से संबंधित आदेशों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। हाल में किये गये पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों को विदेशी पर्यटकों के लिये खोल दिया गया है। जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

हाल ही में विदेशी पर्यटकों के लिये खोले गए स्थान

हिमाचल प्रदेश :

(1) **काजा-किब्बार-परागंला दर्रा-बारालाचा-कीलांग-मनाली**

विदेशी ट्रेकिंग ग्रुपों को बिना परमिट के इन क्षेत्रों में ट्रेकिंग करने की अनुमति है क्योंकि ये क्षेत्र नई आन्तरिक रेखा की परिधि से बाहर हैं।

(II) पो-खब-सुमदो-चनकार-चातों-गोमणा-कोजा तथा मोरागं-डबलिंग

चार या इससे अधिक विदेशी पर्यटकों के ग्रुपों को सक्षम अधिकारी से, सुरक्षित क्षेत्र परिमिट प्राप्त करने के बाद इन क्षेत्रों की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।

उत्तर प्रदेश :

(I) धर्मघाटी, जोलिंग कांग एरिया, सोब्ला धारचुला और चौदस :

विदेशी पर्यटक ग्रुप संरक्षित क्षेत्र परिमिट प्राप्त किये बिना ही इन क्षेत्रों का दौरा कर सकते है।

(II) सीपू और मारछा के दक्षिण के गांवों अर्थात ग्राम तिदांग, डाकर, गो, दांतू आदि और व्यास घाटी में, ग्राम छियालेख के दक्षिण में सभी क्षेत्रों अर्थात बूदी, मालिपा आदि को नई आन्तरिक रेखा (इनर लाइन्) से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। विदेशी पर्यटक ग्रुप संरक्षित क्षेत्र परमिट प्राप्त किए बिना ही इन क्षेत्रों में जा सकते हैं।

(III) मिलाम ग्लेशियर

विदेशी पर्यटक संरक्षित क्षेत्र परमिट प्राप्त किये बगैर ही इन क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं तथापि मिलांम ग्लेशियर के समीपवर्ती क्षेत्रों को देखते के लिए जो संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते है, केवल विदेशी पर्यटकों के ग्रुप ही संरक्षित क्षेत्र परमिट प्राप्त करने के पश्चात इन क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं।

(IV) चमोली और उत्तरकाशी जिलों में नन्दा देवी, अरण्य, निती घाटी और कालिंदी खाल

विदेशी पर्यटकों के ग्रुपों को संरक्षित क्षेत्र परमिट प्राप्त करने के पश्चात ही इन क्षेत्रों का दौरा करने दिया जाता है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

[व्यवधान]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : यह टिप्पणी जारी हो गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलिए।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि एक-एक करके बोलिए। क्या आप सभी एक ही समय पर बोलेंगे ?

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें इसके बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

[व्यवधान]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कोयम्बटूर और विशेषकर तिरूप्पुर में पेयजल की समस्या के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। विश्व बैंक की सहायता अथवा केन्द्र सरकार की सहायता के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए।

इसके कारण प्रभावित गावों के नाम निम्नलिखित हैं :

तिरूपुर से आवानशी रोड़ा; अन्नूपर पलायम पुडुर; तिरूपुर से कोयम्बटूर रोड़ (वाया अन्नूपर पलायम); अम्मापलायम कार्नर; 15 वेलमपलायम; पल्लाडम रोड से कोयम्बटूर (वाया सुलूर); सिंगानल्लूर (कोयम्बटूर रोड़ के निकट); सुलूर हवाईअड्डा (सड़क के दूसरी तरफ); और सुलूर (हवाई अड्डे के निकट)।

यह बहुत महत्वपूर्ण है। पानी की समस्या है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को यथाशीघ्र पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके ले रहा हूं।

[व्यवधान]

श्री गुमान मल लोढा : मैंने सभा के स्थगन के लिए नोटिस दिया है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, मैं एक-एक करके ले सकता हूं। लोढा जी, यह क्या है ? क्या आप एक साथ बोले बगैर संतुष्ट नहीं होते ? क्या मेरे द्वारा तेज आवाज में बोले बगैर आप संतुष्ट नहीं होते? मैंने कहा है कि मैं एक-एक करके आपको अनुमति दूंगा।

[व्यवधान]'

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

[व्यवधान]*

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दि टाईम्स आफ इंडिया समाचारपत्र में यह रिपोर्ट है कि बोलंगीर जिले में खापराखोल गांव में एक आदिवासी महिला ने लाठोर के एक दुकानदार को अपना आठ महीने का पुत्र 20 रुपये में बेच दिया। बच्चे को रविवार को बेचा गया। इसके बाद दुकानदार ने बच्चे को एक अन्य महिला को 50 रुपये में बेच दिया। कृषि प्रणाली के विफल होने से इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति है। बोलंगीर जिले के लोग पर्याप्त सरकारी सहायता न मिलने के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। और लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप अमानवीकरण हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट थी कि उड़ीसा में बोलंगीर जिले के खापराखोल गांव की एक आदिवासी महिला ने भुखमरी के कारण अपने आठ महीने के पुत्र को बेच दिया। यद्यपि राज्य सरकार भुखमरी के कारण के प्रति सजग है और यह पहले भी कहा गया है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार का तन्त्र लोगों के जीवन स्तर में गिरावट को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय करने में विफल रहा है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि गरीबी विरोधी कार्यक्रम को और

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अधिक तीव्रता से लागू किया जाए और गरीब लोगों को तत्काल खाद्य सामग्री देना सुनिशिचत किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए कि मैं यथा संभव अधिक से अधिक सदस्यों को मौका दूंगा। मैं उन सदस्यों को बोलने के लिए कहूंगा जो इस मुद्दे से संबंधित विषय पर बोलेंगे। अब श्री सुनील दत्त बोलें।

[व्यवधान]

महोदय : इसके बाद मैं श्री नायक को अनुमति दूंगा।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ जी, मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

श्री सुनिल दत्त (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा हमारे देश के बच्चों के भविष्य से संबधित है। यह मामला सिर्फ बेचे गए एक बच्चे का ही नहीं बल्कि कुपोषण के कारण मरने वाले बच्चों का मामला भी है। फैक्ट्रियों में बच्चों का अपयोग किया जा रहा है; बच्चों का दुरूपयोग किया जा रहा है।

अब समय आ गया है जब भारत सरकार को सक्रिय होना चाहिए और हमारे देश की इस मुख्य समस्या पर कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। यहां पर बैठे सभी लोगों का यह कर्त्तव्य है इस बोफोर्स मुद्दे पर कितने लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश के बच्चों के भविष्य पर किसी ने भी चर्चा नहीं की है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बोफोर्स के मुद्दे पर किसी परिणाम को प्राप्त किए बगैर ही लाखों रुपये खर्च किए गए। हर नेता बोफोर्स का उल्लेख कर रहा है। लेकिन कोई भी बच्चों के बारे में बात नहीं करता और न ही सभा में बच्चों और हमारे बच्चों के भविष्य पर चर्चा करता है।

यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हमारे देश का विकास हमारे बच्चों के विकास पर निर्भर है क्योंकि नेता बच्चों में से ही उत्पन्न होते हैं।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सभा हमारे बच्चों के विकास पर चर्चा के लिए भी बोफोर्स जितना ही समय दे और हम अपने बच्चों के भविष्य पर चर्चा करेंगे।

मैं भारत सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह सक्रिय हो और इस समस्या को समझे।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी।

[व्यवधान]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय यह मामला उड़ीसा से संबन्धित है। **(व्यवधान)***

---

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कांग्रेस पार्टी से दो सदस्यों को अनुमति दी है। मैं समझता हूं कि वह उड़ीसा से हैं। जो कुछ भी डा० कार्तिकेश्वर कहते हैं वह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : अध्यक्ष महोदय, बोलंगीर, कालाहांडी, कोरापुट और फूलबनी इन चार जिलों में सारे देश की तुलना में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। इसमें हर रोज वृद्धि हो रही है। और लोग पलायन कर रहे हैं। यह एक विशिष्ट समस्या बन गई है। इस मुद्दे को इस सभा में अनेक बार उठाया गया है। उड़ीसा सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना भेजी है, जिसमें विशेष प्राधिकरण का प्रावधान है। और इसके लिए केन्द्र सरकार कुछ धनराशि दे। यह मामला पिछले कई वर्षों से चल रहा है। जैसा कि श्री सुनील दत्त ने कहा, यह एक विशेष क्षेत्र है जहां पर बच्चे पुरुष और महिलाएं केवल 40 रुपये में बेचे जा रहे हैं। उस क्षेत्र में यह सब हो रहा है। इस सभा में अनेक मुद्दे उठाए जाते हैं। यह एक अत्यधिक मानवीय विषय है। जिससे अनेक लोगों का जीवन प्रभावित होता है। **(व्यवधान)**

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : महोदय, राज्य सरकार जानबूझ कर प्रसताव को केन्द्र सरकार के पास नहीं भेज रही। केन्द्र सरकार क्या करेगी ?

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, राज्य सरकार के संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। यह एक आदिवासी क्षेत्र है। जिसे पिछड़ा रखा गया है। इसलिए केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह एक विशेष तरीके से उस क्षेत्र की सहायता करे। इस मामले को इस सभा में अनेक बार उठाया गया है। और इस मुद्दे को गत दशक में श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में भी उठाया गया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया पूरा भाषण मत दीजिए। आप देख सकते हैं कि कितने सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूं। हम इस प्रश्न को उठा रहे हैं। ताकि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप संक्षेप में नही बोलते हैं। तो अनेक सदस्य खड़े हो जाएंगे और इस बीच आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, कम से कम सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया तो व्यक्त करे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैने इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप देख रहे हैं श्री आचार्य भी अब खड़े हो गए हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं आपसे सहमत हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाऊंगा। अगर सरकार इतनी अमानवीय बन गई तो फिर क्या विकल्प है ? हम इस मुद्दे को अनेक बार उठा चुके हैं लेकिन केन्द्र सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : कालाहांडी जिले में एक उपयोजनशील कार्यक्रम चल रहा था तब श्री राजीव गांधी बोलंगीर जिले में गए हुए थे। उन्होंने तितिलागढ़ में एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि यह उपयोजनशील कार्यक्रम बोलंगीर में भी चलाया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना जो कुछ बोलते हैं केवल वही कार्यवाही वृतान्त में शामिल होगा, बाकी कुछ और नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, मैं उड़ीसा सरकार या भारत सरकार पर दोष नहीं लगाऊंगा। यह प्रश्न वहां के लोगों के कष्ट से संबंधित है। यह पूर्णतया एक मानवीय मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बारी-बारी से बोलने का अनुरोध करने के लिए मुझे सभा में रोज उपदेश देने के लिए मजबूर नहीं कीजिए। कृपया इस बात को समझिए कि यह आपके हित में है। अन्य लोग भी अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथजी आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप स्वयं अपनी मदद नहीं कर रहे हैं। आप पीठासीन अधिकारी से अनावश्यक पुछ रहे हैं। यह ठीक नहीं है, यह आपके हित में नहीं है। मैंने आपको अवसर दिया है। आपको बहुत संक्षेप में और विषय-संगत ही बात करनी चाहिए थी। अब श्री जेना।

श्री कान्त जैना : प्रश्न यह है कि जो मुद्दा बोलनगीर चुनाव क्षेत्र से आये माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया था वह अखबारों में छपा है कि एक छः महीने के बच्चे को उसकी मां द्वारा 20 रुपये में बेचा गया है। पिछले दस वर्षों से उड़ीसा में यह रोजमर्रा की घटनाएं हो गई हैं। जब मैं उड़ीसा विधान सभा में था तब हम वहां भी इसी तरह के मुद्दे को उठाते रहे थे। कालाहान्डी, बोलनगीर, फुलबनी तथा कोरापुट जैसे आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की बातें रोज सुनने में आती हैं। कोई भी इस सिथति पर ध्यान नहीं देता है। पिछले वर्ष बस्तर तथा कोरापुट जिलों में भुखमरी के कारण लगभग पाँच हजार आदिवासी लोग मर गए। हमने संसद में भी यह मामला उठाया था, लेकिन किसी ने भी इस बात की चिन्ता नहीं की। हांलाकि, मंत्री महोदय ने सभा को आश्वासित किया था कि एक दल वहां आएगा तथा संसद को रिपोर्ट देगा, जिस पर सरकार उपयुक्त कार्यवाही कर सके। लेकिन उसके बाद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

अब मैं आपसे तथा इस माननीय सभा से अपील करूंगा कि एक संसदीय समिति को वहां भेजें तथा यह पता लगाने दें कि बोलनगीर, कालाहांडी, फुलबनी, कोरापुट तथा यहां तक कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में भी क्या हो रहा है। यह एक आदिवासी-बहुल क्षेत्र है जहां कुपोषण तथा भुखमरी के कारण बच्चों की मृत्यु हो रही है। इसलिए भारत सरकार की ओर से एक विशेष पेकेज इन्तजाम होना चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, हम तो केवल अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे

अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर शून्य काल में नहीं बल्कि अलग से एक विशेष चर्चा की जानी चाहिए। कृपया इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, आपको इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि आज भी हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने महिला तथा बाल कल्याण विषय पर इस मामले में जोर देकर यही बात कही है। आपको इसकी जानकारी नहीं है आप इस विषय पर केवल आधे घंटे के लिए बहस नहीं करेंगे बल्कि छः घंटे के लिए बहस करेंगे। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिएं

श्री श्रीकान्त जेना : इस विष्य पर एक विशेष चर्चा होनी चाहिए। उड़ीसा सरकार द्वारा भारत सरकार को एक समुच्य योजना (पैकेज) प्रस्तुत की गई थी। मुझे उम्मीद है कि श्री अर्जुन सिंह जो यहां उपस्थित हैं, उस पूरे पैकेज पर विचार करेंगे और इन क्षेत्रों को विशेष सहायता दी जाएगी, ताकि कुछ राहत कार्य किए जा सकें।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रधानमंत्री तथा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।...

[व्यवधान]*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री नाईक कह रहे हैं केवल वही कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जा रहा है।

श्री राम नाईक : मैं सरकार का ध्यान एक भयानक तथा बहुत ही गंभीर और बर्बर घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। सभा के सदस्य तथा आप स्वयं ... (व्यवधान)'

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृतान्त में नहीं जा रहा है।

[व्यवधान]

श्री राम नाईक : मैं सरकार का ध्यान एक भयानक तथा बहुत गंभीर और बर्बर घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। यह अमीना के मामले से भी अधिक गंभीर है। जिसमें सात-आठ. महीने पहले वह अवयस्क बालिका एक अरब व्यक्ति को बेची गई थी। आपने कल के दूरदर्शन समाचार में देखा होगा कि मुम्बई पुलिस ने 25 बंगलादेशी बच्चों का पता लगाया है। बंगलादेश के ये बच्चे मुम्बई लाए गए थे और वहां से अरब देशों को ले जाए जाने थे। वे खरीदे गए थे। मैं शनिवार शाम को मुम्बई गया था और मैंने उन बच्चों को देखा था। उनमें से अधिकतर दो वर्ष तथा चार वर्ष की आयु के मध्य थे। वे नहीं जानते कि उनके माता-पिता कहां हैं। यह आरोप है कि उन्हें ऊँटो की दौड़ के लिए अरब देशों में ले जाया जाना था। मैं अरब देशों में तो नहीं गया हूं लेकिन मैं समझता हूं कि ऊँटों की दौड़ क्या है। ये दो या तीन वर्ष के बच्चे ऊँटों की पीठ पर रस्सी से बांध दिये जाते हैं और जब ऊँट दौड़ते हैं तो ऊँट आपस में

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लड़ते हैं और बच्चे रोते हैं। लोग यह दृश्य देखते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। यही ऊटों की दौड़ के बारे में कहा जाता है।

सरकार से कहने का मेरा अभिप्राय तथा अनुरोध यही है। कि यहां आप्रवास संबंधी कानून हैं। चूंकि अब बच्चे बाल-गृह में ले जाए गए हैं। अतः सरकार को अनकी सुरक्षा सुनिशिचत करनी चाहिए। पहली बात तो यही है।

वे बच्चे बेचे गए हैं। इसलिए ग्यारह व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनके विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। इन बच्चों के पास उनके माता-पिता नहीं होंगे क्योंकि इन्हें बेच दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत अब इनका क्या होगा ? इसे सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि हमें अरब देशों से तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ से यह अपील करनी चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे अमानवीय खेल न खेलें जायें। यह तो मानव अधिकरों का भी एक प्रश्न बन जायेगा जिसे सरकार को उपयुक्त तरीके से निपटाना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस स्थिति पर अपने विचार रखेगी कि सरकार किस तरह से इस स्थिति से निपटने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बच्चों के बारे में चर्चा हुई। इस सदन में और भी प्रमुख विषयों के बारे में चर्चा होती है। कई बार अनुसूचित जातियों के बारे में भी चर्चा हुई। लेकिन आज मैं आपका ध्यान अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की जो चरम सीमा है उस पर ले जाना चाहता हूं। मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं आपके सामने वस्तुतः वह चित्र रखना चाहता हूं। श्रीमन्, 17 तारीख को एक लड़के को 200 आदमियों के बीच से वाराणसी से अपहृत किया गया ले जाकर उसके ऊपर आजमगढ़ में पैट्रोल छिड़ककर उसको जिन्दा जला दिया गया। वह दौड़ता रहा और जलता रहा। उसके ऊपर तब तक पैट्रोल छिड़का जाता रहा जब तक उसके शरीर की एक भी हड्डी मांस शेष नहीं रही। उस लड़के का नाम अब्बू था। उसको बनारस के छितुपुर चन्दुआ से गायब कर दिया गया था। मैंने वहां के एस.पी. और डी.आई.जी. को कहा, अपहरण करने वाले हत्यारों के नाम भी बताये, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दूसरी घटना है, कल यहां दिल्ली में सूचना मिली कि एक लड़के को जिसका नाम दर्शन् सिंह था, जो सीलमपुर का रहने वाला था उसकी 21 साल की उम्र थी, विशेष चैकिंग वाहन दस्ते के लोग उसको उठाकर ले गये और बुरे तरीके से उसको पीट पीटकर मार डाला गया। दो सप्ताह पहले ही उसकी शादी हुई थी।

ऐसे ही 6 मार्च को रायबरेली में कुछ लोगों ने 24-25 अनुसूचित जाति की औरतों और बच्चों को पीटा। पहले भी इस सवाल को उठाया था तब आपने भी सरकार को निर्देश दिया था कि इस पर कार्रवाई करे। ऐसे ही एक और मामला है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 90 हजार रुपए एक अध्यापिका को स्कूल बनाने के लिए झांसी में दिये गये, उसका नाम शांति देवी भतकारियाँ है। बमरौली स्कूल का यह किस्सा है। वहां के प्रधान ने उससे 86 हजार रुपये ले लिये और उसके बाद चार हजार

और मांगे, जब उस महिला प्रधानाध्यापक ने देने से इन्कार किया तो उसको प्रधान ने स्कूल में ही पीटा। अनुसूचित जाति अत्याचार निरोधक एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस महिला को जान से मारने के लिए उसका स्थानान्तरण जंगल में करा दिया।

यह तो छोटे लोगों का मामला था। अब मैं बड़े लोगों का मामला आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली के अन्दर हुकुम चन्द जाटव जो आई.पी.एस. अधिकारी था, 1984 के दंगों में 80 लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। और इन 80 लोगों में से कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के हैं लेकिन 31 मार्च को जब श्री हुक्मचन्द जाटव, आई.पी.एस. रिटायर हो जाते हैं तब इनको बताया जाता है कि आप 1984 के दंगों में मुजरिम थे। यदि इनको पहले बता दिया जाता तो सम्भवतः अपना जवाब देते। यदि 30-40 साल की सेवा करने के बाद इनको कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है तो अब यह पुरस्कार दिया जा रहा है....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बस कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन्, इस प्रकार की तमाम घटनायें हो रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी व्यवस्था दें और इस व्यवस्था के पहले गृह मंत्री को अनुमति दें कि इसमें वे कुछ कहें, करें।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था देने का कोई सवाल नहीं है...श्री भोगेन्द्र झा....

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो श्रीमन्, इसके मायने यह कि अनुसूचित जाति के लोगों की सुनवाई यहां भी नहीं है....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था हम नहीं देते हैं....

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह तो हम समझ रहे हैं लेकिन आप भी हमारी भावना....

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं एक राष्ट्रीय समस्या....

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन्, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि गृह मंत्री को आप आदेश दें या आप अपनी कोई व्यवस्था करें.....

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़, आज बैठ जाईये....

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं बैठ कैसे जाऊँ ? मैं बैठने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, एक राष्ट्रीय समस्या की ओर आपके ज़रिये सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, अभी हमारा देश विस्थापितों, शरणार्थियों और घुसपैठियों के चलते पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण से घिर गया है। कश्मीर से लाखों लोग अपनी मातृभूमि से विस्थापित होकर जम्मू, दिल्ली में पड़े हुए हैं। सरकार नहीं कह रही है कि वे अपने घर कब जायेंगे और उनके पुनर्स्थापना के लिए सरकार ने क्या योजना बनायी है, ताकि वे अपने जीवन के बारे में कोई अगली योजना बना सकें।

पूर्व से मयांमार, पुराने बर्मा से, शरणार्थी लोग भगाये जा रहे हैं वहां की जनतंत्र विरोधी सरकार के ज़रिये। कुछ तो बंगला देश गये हैं और कुछ हमारे यहां आये हैं। हमारे पूर्वी राज्यों की जो आज हालत है, यदि वहां ये आ जायेंगे तो वहां आबादी और बढ़ जायेगी तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी प्रकार का संकट पैदा हो जायेगा। दक्षिण में, श्रीलंका से शरणार्थी आ रहे हैं और लिट्टे के रूप में घुसपैठिए भी आ रहे हैं। यह सिर्फ तमिलनाडु की समस्या नहीं है, यह भी एक राष्ट्रीय समस्या है। बंगलादेश से निकलकर घुसपैठियों की बहुत बड़ी संख्या बिहार, बंगाल में आयी है। इस समस्या को तथ्य रहते हम शान्तिपूर्ण तरीके से भी दबायें लेकिन कल विस्फोट हो सकता है। इसलिए यह बिहार या बंगाल की समस्या नहीं रहेगी, यह राष्ट्रीय हो जाएगी। चकमा लोग भाग कर त्रिपुरा और छोटे छोटे राज्यों में आ गये हैं। मैं आपके ज़रिये आग्रह करता हूं कि हमारा देश विशाल है, यहां बाढ़ जैसी समस्यायें हैं, इसलिए इन समस्याओं को अलग अलग न देखें वरना बड़ा संकट पैदा हो जायेगा। इसलिए आग्रह करता हूं कि कोई समग्र नीति लेकर सरकार आये और देश को बताये कि क्या करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय, चार दिन पहले कुछ पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की सीमा से भारत में घुए आए। जांच से पता चला है कि वे पाकिस्तानी सेना-आसूचना के सदस्य थे।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो जांच हमने की है, क्या वह इस तथ्य की पुष्टि करती है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के महानिदेशक भारतीय सेना के महानिदेशक से उन लोगों को रिहा करने के लिए जोर-शोर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अति गंभीर मामला है। हम जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में लोगों को सहायता दे रहा है और उन्हें भड़का रहा है।

अतः मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी को उन चार लोगों के बारे में वक्तव्य देना चाहिए, जिन्हें अमृतसर सीमा पर गिरफ़्तार किया गया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुज़्फ़्फ़रपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको नोटिस दिया था कल की बहस के संदर्भ में। आपने भी देखा होगा कि आज के "इंडियन एक्सप्रेस" ने और "जनसत्ता" ने उस दस्तावेज़ को, या कहिए उस कागज़ को छापा है जिसको लेकर विदेश मंत्री का इस्तीफ़ा यहां पर हो गया। अध्यक्ष जी, मैं अभी किसी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन कल हम लोगों ने 6 घंटे की इस सदन में बहस की। प्रधान मंत्री स्वयं उस बहस में उपस्थित रहे और उनके वक्तव्य के बाद हमने बड़ा आग्रह करके उनसे कहा कि इस दस्तावेज़ को या इस कागज़ को आप सदन में रखने का कष्ट करें। तो उन्होंने इस पर कोई भी बात नहीं बताई। वह एक ही वाक्य बोले कि सी.बी.आई. वह जांच करेगी। मुझे नहीं मालूम कि सरकार

इस बात को समझ पा रही है या नहीं कि इनकी सी.बी.आई., इन की सारी सरकारी व्यवस्था और इतनी बड़ी सरकार की इज्ज़त और आबरू का सवाल होता है जब यहां पर बहस होती है और लोग कुछ कहते हैं। वे एक इस्तावेज़ या कागज़ को सदन में रखने के लिए असमर्थ हो जाते हैं और फिर अखबारों में वह दस्तावेज़ या कागज़ आ जाता है और फिर सरकार को अपना सिर एक बार फिर झुकाने की जरूरत होती है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार के पास यह दस्तावेज़ था, चूंकि मुझे यह जानकारी मिली है कल रात को, कि सरकार के पास यह दस्तावेज़ था, तो इसे यहां पर रखने का काम क्योंकि नहीं किया गया और आज जब "इंडियन एक्सप्रेस" में छपकर आया है तो क्या इसको ऑर्थन्टिकेट करके भारत सरकार का कोई मंत्री इसे इस सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे ? क्योंकि अध्यक्ष जी, इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस दस्तावेज़ में लिखे हैं और कल की बहस के बाद हो सकता है कि उनका महत्व न रहता हो चूंकि प्रधान मंत्री ने कल ही शाम को बहस समाप्त होते ही स्विट्ज़रलैण्ड को सूचना भेजी है, जहां तक मेरी जानकारी है कि इस कागज़ का कोई अर्थ नहीं है, इसका महत्व नहीं है, लेकिन इस कागज़ के बारे में जो जानकारी मिली है वह आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे यह बताया गया कि यह दस्तावेज़ स्विट्ज़रलैंण्ड मैं तैयार हुआ। यह तब तैयार हुआ जब मंत्री ने पहले स्विट्ज़रलैण्ड के विदेश मंत्री से बात की, स्विट्ज़रलैंड के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से कहा कि जबानी से काम नहीं चलेगा, कुछ लिखकर दीजिए। उस पर जल्दबाज़ी में एक दस्तावेज़ तैयार किया गया, उसको वहां पर दे दिया गया।

दूसरी बात जो मुझे आपके सामने रखनी है और जो बहुत ज़रूरी है, वह यह है जो मैं अपनी जिम्मेदारी और अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं ....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस बात को भली-भाँति स्पष्ट किए जाने पर, कि हमारी सरकार इस दस्तावेज के बारे में उस सरकार को लिखने वाली है और इस मामले को ज़ोरदार तरीके से उठाने जा रही है, क्या इस बात को दुबारा उठाना आवश्यक है ? महोदय ये क्या हो रहा है ? वे सभा का समय बरबाद क्यों कर रहे हैं ? ...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : आप क्यों चिल्ला रहे हैं ? ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष जी, मैं केवल दो बातें और जानकारी के तौर पर सदन के सामने रखना चाहता हूं। चूंकि इस पर अभी कुछ नयी घटनाएं घटनी हैं, इसलिए सचेत करना मेरी ज़िम्मेदारी है जब मेरे पास जानकारी है। वह जानकारी यह है कि यह नोट जल्दबाज़ी में बनाकर दिया गया था लेकिन इसके अलावा एक और नोट है जो आपने स्विट्ज़रलैण्ड के अधिकारियों को देने का काम किया हैं और उस नोट को, अगले चार-पांच दिनों में उस नोट के प्रकाशित होने से पहले हम सरकार के वक्तव्य चाहेंगे कि इस कागज़ के अलावा आपके विदेश मंत्री के द्वारा या आपके दूतावास द्वारा या अन्य किसी भी सरकारी स्तर पर आपने वह कौन सा नोट दिया है जिस नोट को लेकर आज स्विट्ज़रलैण्ड में चर्चा है ? अध्यक्ष जी, मैं

यह भी बताना चाहूंगा कि कल मैंने यह मांग की थी कि हिन्दूजा पर आप सख्त कार्रवाई करें। यह सारा जो सिलसिला चल रहा है इसके पीछे एक ही जमात है जिसका नाम है हिन्दूजा। इन लोगों ने हिन्दुस्तान के भीतर और बाहर इस देश के खिलाफ, इस देश के हितों के खिलाफ जितना काम किया है, उसकी अभी चर्चा करने का वक्त नहीं है, लेकिन जो यह सारी घटनाएं आज घट रही हैं, इस पूरे घटनाक्रम में हिन्दूजा का हाथ है और हमने कल मांग की थी कि उनके हिन्दुस्तान के भीतर जितने धंधे हैं उन पर रोक लगाने का काम सरकार तत्काल शुरू करे। ....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० भोई। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : केवल वही रिकार्ड में जाएगा जो श्री भोई कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज़ादी मिलने के समय से ही उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा पश्चिम उड़ीसा और उड़ीसा के घारजार क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियों, रोजगार, सिंचाई सुविधाओं, उद्योग, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में उपेक्षा की जा रही है। पश्चिमी उड़ीसा में सम्बलपुर, बोलंगीर, कालाहांडी, फूलबनी, सुन्दरगढ़, क्योंझर जिले और अन्य घारजार क्षेत्र आते हैं। विधायकों और सांसदों तथा अन्य प्रतिनिधियों सहित पश्चिमी उड़ीसा के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि वहां के लिए पश्चिम उड़ीसा में लोगों की समस्याओं को निपटाने तथा क्षेत्र के चहुंमुखी विकास कार्यों के लिए स्वायतशासी दर्जे की विकास परिषद् होनी चाहिए।

महोदय, उड़ीसा राज्य अपने राजस्व का दो तिहाई भाग इस क्षेत्र से प्राप्त कर रहा है; जो कि खनन गतिविधियों, तेंदू पत्तों, अन्य वन्य उत्पादों और भूराजस्व आदि के रूप में प्राप्त होता है। यह क्षेत्र उड़ीसा का सबसे अधिक राजस्व वसूली का क्षेत्र है। अभी भी यह ठीक से विकसित नहीं है। इसलिए, पश्चिमी उड़ीसा के लोगों की मांग को एक पृथक विकास परिषद् से कम पर सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता है और उक्त परिषद् का मुख्यालय सम्बलपुर में होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, सदन को गुमराह किया गया है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जो कुछ भी कह रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं जाएगा। मैंने केवल डा० कृपासिन्धु भोई को अनुमति दी है। ...(व्यवधान)...'

*12.31 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

श्री कृपासिन्धु भोई : यदि पश्चिम उड़ीसा विकास परिषद गठित होती है तो सभी विकासात्मक गतिविधियों को विकेंद्रित किया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय सरकार इस मामले में सहानुभूति रखती है,

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

फिर भी राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को नहीं दे रही है। यह क्षेत्र एक सूखा प्रवण क्षेत्र है और कालाहांडी, बोलंगीर और सम्बलपुर के कुछ हिस्सों में लोग भूख से मर रहे हैं और अति दयनीय हालत में रह रहे हैं। बोलंगीर जिले में केवल बीस रुपए में एक बच्चे को बेच दिया गया। अतः आप उन लोगों की दशा की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन राज्य का तंत्र उनके दुखों को बिल्कुल अनदेखा कर रहा है। 1988 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने घोषणा की थी कि कालाहांडी जिले को एडीएपीटी योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार को बोलंगीर जिले को भी इसमें शामिल करने के लिए कहा था। लेकिन जब श्री वी०पी० सिंह की सरकार बनी तो इन सब बातों को समाप्त कर दिया गया। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य सरकार को तत्काल पश्चिम उड़ीसा विकास परिषद् गठित करने का निर्देश दे।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : सर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानवता के सवाल को सदन में उठाना चाहता हूं। आये दिन देश में आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनकी हत्या हो रही हैं। हमारे देश में काफी बड़ा इलाका आदिवासी क्षेत्र है और उन्हें मानवता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जहां तक मुझे मालूम है ट्राइबल डेवलपमैंट की जिम्मेदारी राष्ट्रपति महोदय की होती है परन्तु उसके लिये पैसा, लेखा-जोखा गवर्नर, सम्बन्धित राज्य के, देते हैं और वह पैसा यहां सैन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से जाता है। अर्जुन सिंह जी, इस समय सदन में मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि आज झाड़खण्ड की डिमाण्ड इसीलिये हो रही है क्योंकि ट्राइबल को इंसान नहीं माना जा रहा है। जगह जगह झाड़खण्ड जैसे सवाल उठ रहे हैं। इस सब के पीछे कारण एक ही है कि आदिवासियों की आवाज को दबाया जाता है। उन्हें उचित हक नहीं दिया जाता है। उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में रोजाना यही हो रहा है और सारा ट्राइबल एरिया हिन्दुस्तान का डिस्टर्बड है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सदन में उठकर आश्वासन दें कि उनके विकास के लिये उचित धन का आवंटन किया जायेगा। उनके विकास के लिये उचित कार्यवाही की जायेगी। आखिर आप आदिवासियों को हिन्दुस्तान में रहने देंगे या नहीं, स्पष्ट जवाब दें। ...(व्यवधान)...

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम नवमी की छुट्टी कर दी गयी है। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालयोगी।

[व्यवधान]

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सरकार के पास इससे अधिक और कुछ भी सूचना उपलब्ध नहीं थी। ऐसा प्रधानमंत्री सहित तीन भिन्न-भिन्न मंत्रियों द्वारा दोहराया गया था। इस समय ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के पास जेनेवा, जूरिच और लंदन से तीन भिन्न-भिन्न रिपोर्टें पहले ही पहुंच चुकी थी। ये रिपोर्टें 'रॉ' और भारत सरकार की दूसरी एजेंसियों द्वारा उनके पास भेजी गई थीं। रिपोर्ट में बताया

गया है कि जब भी श्री सोलंकी विदेश जाते थे वह मिलते थे और अन्तिम बार जब वह विदेश गये वह** से मिले। तभी यह निर्णय लिया गया था कि इस नोट को .... सुपुर्द कर दिया जायेगा। ...(व्यवधान)...**

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, उन्होंने कुछ व्यक्तियों के नाम लिये हैं। उन नामों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि नामों को हटा दिया जाये। ....(व्यवधान)....

श्री अमल दत्त : या तो वह इस बात से इंकार कर दें अन्यथा उन्हें इसे मान लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वे इनमें से एक काम करें। 'आब्ज़र्वर' के प्रथम पृष्ठ पर इस बारे में दिया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री को यह सारी सूचना प्राप्त हो चुकी थी। इसमें इन फाइलों को देखने वाले अधिकारी का नाम भी बताया गया है परन्तु मैं उनका नाम नहीं लूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, वास्तव में यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। कल प्रधानमंत्री जी के भाषण के पश्चात् ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सब एक साथ बोलेंगे तब रिपोर्टर आपकी बात नहीं सुन पायेंगे और इस प्रकार सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। अतः सभा में इस मामले को उठाने का आपका उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालयोगी जी।

श्री जी. एम. सी. बालयोगी (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। ....(व्यवधान)....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बालयोगी का नाम पुकारा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं आपको स्मरण करा दूं कि कल, प्रधानमंत्री जी के बोलने के पश्चात् सभा का वातावरण ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालयोगी बोल रहे हैं। इस बीच में तीन सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। श्री बालयोगी अन्तिम पंक्ति में बैठे हुए हैं। प्रत्येक सदस्य की जिम्मेवारी है कि वह उन्हें बोलने का अवसर प्रदान करे अन्यथा वह आपके बारे में क्या सोचेंगे।

श्री अमल दत्त : महोदय, सर्वप्रथम आप इस विषय को निपटाईये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप समझते हैं कि सारे विश्व में आपका विषय ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहां पर और भी दूसरे सदस्य हैं जिनके लिए उनके विषय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही - वृतान्त से निकाल दिया गया।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोल रहे हैं। उनकी आवाज सुनी नहीं जा सकी। वह ऐसा महसूस न करें कि उनके प्रति अन्याय किया गया है। बालयोगी जी, आप बोलिए।

श्री जी.एम.सी. बालयोगी : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सभा में एक महत्वपूर्ण मामला उठाने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया है।

महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर के शताब्दी वर्ष के प्रति सम्मान प्रकट करने और इस वर्ष को सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाने के फलस्वरूप आन्ध्रप्रदेश की सरकार राज्य में व्यावसायिक और सरकारी दोनों कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध आरक्षण विरोधी नीतियां अपना रही है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधिवक्ताओं के लिए विधि अधिकारी के पदों के मामले मे आरक्षण के नियम को लागू नहीं कर रही है जो कि राज्य में पहले लागू किया जाता था।

आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उन कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वज़ीफ़ा देना भी बन्द कर दिया है जो कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अदालतों में वकालत कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में विभिन्न व्यावसायिक कालेज़ों के प्रबंधकों को पचास प्रतिशत स्थान देकर प्रावेशिक शुल्क प्रणाली भी समाप्त कर दी थी। इसके कारण इंजीनियरी और मेडिकल शिक्षा के प्राईवेट व्यावसायिक कालेज़ अनुसूचित जाति/ अनुसूंचित जनजाति के छात्रों को इन कालेज़ों में प्रवेश के लिए आरक्षण नियम का लाभ नहीं देंगे। इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बीस प्रतिशत स्थानों का नुकसान होगा।

महोदय, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार से कहें कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और अनु. जाति तथा अनु. ज. जातियों के विधि अधिकारियों तथा व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के और छात्रों के साथ न्याय करे। ...(व्यवधान)...

श्री अमल दत्त : मुझे अपनी बात कहने दें। मैंने जो कुछ कहा है, उसे आंशिक रूप से कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : यूनियन टैरीटरी आफ दिल्ली के लिए इस वर्ष की जो छुट्टियाँ घोषित हुई हैं उसमें इस बार राम नवमी की छुट्टी काट दी गई है जबकि पिछले वर्ष तक दिल्ली में छुट्टी हुआ करती थी। पिछले वर्ष २४ मार्च को हालांकि सन्डे था परन्तु उस दिन राम नवमी की छुट्टी हुई थी। भगवान राम इस देश के करोड़ों लोगों के अवतार अर्थात् पैगम्बर हैं। सभी धर्मों के पैगम्बरों के जन्म दिवस की छुट्टी होती है। अनेक धर्मों के पैगम्बरों के जन्म दिवस को ऑल इंडिया के स्तर पर पब्लिक हॉलीडे घोषित किया हुआ है। मैं इसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं परन्तु राम नवमी की छुट्टी ऑल इंडिया के आधार पर रैसट्रिक्टिड होते हुए भी दिल्ली में हमेशा छुट्टी रहती थी। इस बार दिल्ली के लिए 19 छुट्टियों की जो सूची घोषित हुई है उसमें राम नवमी शामिल नहीं है। दिल्ली यूनियन

टैरीटरी होने के नाते सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो सूची दिल्ली प्रशासन को भेजी उसने उसको स्वीकार कर लिया। मैं स्पष्ट कर दूं कि छुट्टियों की सूची में मैं राम नवमी को नई छुट्टी के रूप में शामिल नहीं करवाना चाहता बल्कि जो छुट्टी पिछले साल तक होती थी उसे इस साल काट दिया गया है, यह जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ मैं अपनी आवाज उठाना चाहता हूं।

भगवान राम के जन्म दिवस के उपलक्ष की छुट्टी काटकर केन्द्र सरकार ने देश के करोड़ों लोगों की भावना को चोट पहुंचाई है। अतः राम नवमी की छुट्टी घोषित कर सरकार अपनी गलती का सुधार करे। ...(व्यवधान)...

श्री ताराचंद खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : राम नवमी की छुट्टी काटना अत्याचार है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर राम नवमी की छुट्टी नहीं की गई तो जो धार्मिक प्रक्रिया को निभाने के लिए वंचित किया जाएगा उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। राम नवमी के दिन दिल्ली में सैकड़ों शोभा यात्राएं निकलती हैं, हजारों मन्दिरों में समागम होते हैं, भजन होते हैं, पूजन होते हैं। अगर यह नहीं किया गया तो धार्मिक रिसपौंसीबिलिटी को न निभाने की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। हमारी यह मांग है कि यह छुट्टी अवश्य की जाए।

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : दिल्ली प्रदेश ने सन् 85 में दस लाख हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी को दिए। दस लाख हस्ताक्षरों का परिणाम यह निकला की ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि छुट्टी होगी। हमारा कहना है सिख मत, जैन मत, बौद्ध मत, आर्य समाजी, सनातन धर्म, सभी हिन्दू समाज के अंग हैं। इस देश में हिन्दू मैजोरिटी में हैं, छुट्टी का सारा हिसाब-किताब मैजोरिटी के आधार पर होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री कालकादास (करोलबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है। मैं इसके लिए सरकार की निन्दा करना चाहता हूं। यह धर्मनिर्पेक्षता के विपरीत भी है। सब धर्मों के अनुयायियों के जन्म दिवास पर छुट्टी है और राम नवमी की छुट्टी होते हुए भी काट दी जाए, यह बहुत ही अशोभनीय है। मेरा निवेदन है कि सरकार बुद्धि से काम ले और इस संबंध में फैसला करे कि जिस प्रकार से राम नवमी की छुट्टी होती रही है, वह दिल्ली में ही नहीं सारे देश में होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 31 मार्च को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने एक संकल्प पारित करके 15 अप्रैल, 1992 से लीबिया के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाये थे।

यह संकल्प 0 के मुकाबले 10 मतों से स्वीकृत किया गया था जबकि पांच सदस्य अनुपस्थित थे। यह संकल्प, अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह संकल्प महज एक महाशक्ति द्वारा अपना वर्चस्व कायम रखने के प्रयास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह 'पैक्स अमेरिकाना' का थोंपा जाना ही है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्व को जबर्दस्ती इसके अधीन बनाया जा रहा है।

राज्य के नाते हम अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं और हमने हमेशा-राज्य द्वारा प्रायोजित और राज्य का समर्थन प्राप्त आतंकवाद का हमेशा विरोध किया है। बहरहाल हमने यह महसूस किया और सुरक्षा परिषद की बैठक में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने यह अभिव्यक्त भी कर दिया था कि

न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने की प्रतीक्षा किये बिना, राजनायक प्रक्रिया के पूरा हुए बिना और इसमें सफल होने के लिए बहुआयामी और बहुपक्षीय प्रयास किये बिना लीबिया के विरुद्ध अकस्मात् इन प्रतिबन्धों को लागू करने का कदम उचित समय आने से पहले उठाया गया कदम है। हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने इस पर आपत्ति की थी और कहा था कि इस संकल्प के फलस्वरूप पहले ही से जटिल स्थिति को और जटिल बना दिया गया है और उन्होंने आग्रह किया था कि यह संकल्प अस्पष्ट है और इसे और स्पष्ट बनाया जाना चाहिए ताकि प्रतिबन्ध लगाने और उन्हें वापस लेने की शर्तें निर्धारित की जा सकें। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में जारी न्यायिक प्रक्रिया का भी उल्लेख किया था और वह चाहते थे कि परिषद इस मामले में अपनी कार्य गति को थोड़ी कम रखे।

इस समय भारत अमरीका में गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन का समन्वयकर्ता है और हमने गुटनिर्पेक्ष समूह की एक बैठकआयोजित की थी तथागुटनिर्पेक्ष आन्दोलन की ओर से यह तर्क दिया गया था कि इन प्रक्रियाओं और इन प्रयासों को पूरा करने के लिए केवल पन्द्रह दिन का समय दिया जाना चाहिए। परन्तु महाशक्ति द्वारा इस निवेदन को भी स्वीकार नहीं किया गया। हमें अत्यधिक आघात लगा और महाशक्ति अमरीका के इस रवैये पर हमें हैरानी हुई। खैर अन्त में भारत भी इस दबाव से प्रभावित हुआ और इसने मतदान में भाग नहीं लिया।

इस संकल्प के खिलाफ लड़ाई करने के बाद इस महाशक्ति का सामना करने का हम में साहस और नैतिक् बल नहीं है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि वेनेजुएला और ईक्वेडर नामक दो राज्य जो गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य हैं और जो भौगोलिक रूप से और संभवतः आर्थिक रूप से अमरीका के अत्यधिक नजदीक हैं और इसीलिए उन्होंने दबाब में आकर इस संकल्प का समर्थन किया था। यदि इन दोनों गुट-निर्पेक्ष देशों ने भी इस संकल्प का विरोध किया होता तब यह संकल्प पारित नहीं हो सकता था। यह एक गम्भीर स्थिति है जिसमें गुट-निर्पेक्ष आन्दोलन की प्रभावशीलता के बारे में विचार किया जाना चाहिए।

मुझे आशा और विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र में स्थित हमारे प्रतिनिधि और हमारा विदेश कार्यालय इस पर रोक लगाने, इस मामले में सावधानी बरतने के लिए प्रयास जारी रखेगा ताकि यह संकल्प अपने तर्कसंगत निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके और विश्वभर में इससे युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके।

श्री मुहम्मद युनुस सलीम (कटिहार) : श्री सैयद शाहाबुद्दीन द्वारा उठाये गये मामले का मैं समर्थन करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... आप जानते हैं कि मैं समय के लिए बहुत कम अनुरोध करता हूं। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है अतः मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन ने जो कुछ कहा है और जो महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया है, उसका सम्बन्ध हमारी विदेश नीति से है। हम गुट-निर्पेक्ष देश होने का दावा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कुछ हुआ, और जैसा कि श्री सैयद शाहाबुद्दीन द्वारा ठीक ही कहा गया है कि भारत को इस संकल्प के विरुद्ध मत देना चाहिए था जो कि महाशक्ति, पश्चिमी शक्ति की अरब और मुस्लिम देशों के खिलाफ रचा गया एक षड्यंत्र है।

इसका पहला निशाना सद्दाम हुसैन बने थे और अब दूसरी बारी लीबिया की है और मैं नहीं जानता कि तीसरा निशाना कौन बनेगा। लीबिया के ऊपर लागू किया गया प्रतिबन्ध एक अत्यन्त अमानवीय कृत्य है और महाशक्ति के इस प्रकार के मनमाने ढंग को भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत और देश के कानून के अन्तर्गत प्रत्यार्पण का प्रश्न पैदा हो तो ऐसे समय में दोषी व्यक्तियों के प्रत्यार्पण से संबंधित किसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये। यह सामान्य जानकारी की बात है कि यदि कोई देश किसी दूसरे देश के नागरिक को अपने देश से निष्कासित करना चाहता है तो उस देश को उक्त नागरिक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में सभी प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पेश करने होते हैं और जब इन साक्ष्यों को संतोषजनक पाया जाता है और दूसरा देश उसे मान लेता है तभी निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

हम जानते हैं कि श्री सलमान रश्दी बदनाम हो चुके हैं। मानलें, कि भारत उन पर, मुकदमा चलाने के लिये यह चाहता है कि ब्रिटेन उसे निष्कासित कर दे तो ब्रिटेन बिना साक्ष्य के सहमत नहीं होगा।

इसलिये, पूरे सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को अपनी नीतियों की पुनरीक्षा करनी चाहिये। मैं ध्यानपूर्वक यह देख रहा हूं कि भारत सरकार की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है और अब सरकार धीरे-धीरे पश्चिमी ताकतों के सामने घुटने टेक रही है। हम इस नीति के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते हैं और मुद्दा यहीं पर हम नहीं छोड़ेंगे। अगर यह थोपा जाएगा तो हम सभा के बाहर भी सरकार की इस ज्यादती के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। लीबिया ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा मानवीय दृष्टिकोण से पूरे विश्व का है।

इराक में क्या हो रहा है ? प्रतिबंध लगाए गए हैं। बच्चे भोजन के अभाव में मर रहे हैं। उन्हें दूध नहीं मिल रहा है। दवाईयों के अभाव में लोग मर रहे हैं। उन्हें दवाईयां नहीं मिल रही है। क्या यही तरीका है विकासशील देशों के साथ विश्व की बड़ी शक्तियों के व्यवहार करने का ?

श्री सैयद शाहाबुद्दीन ने जिस मुद्दे को उठाया है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से बड़े दुख के साथ एक महत्व के विषय की ओर आ रहा हूं। आज सदन में चर्चा की जा रही है कि पूरे देश में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है लेकिन चर्चा के बावजूद भी समय से पहले उसकी रोकथाम के कोई कदम सरकार द्वारा नहीं उठाये जा रहे हैं जिससे आतंकवाद को काबू में किया जा सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेश की सीमाऐं जहां मिलती हैं, जहां विन्ध्य और कैमूर की दुर्गम पहाड़ियां फैली हुई हैं, वह आतंकवादियों का अड्डा बनता जा रहा है। क्राइम करने के बाद उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल से आतंकवादी आकर वहां अड्डा बना लेते हैं। दिसंबर में अखबार में छपा था, जब बारा काण्ड हुआ था तो उस समय भी वहां के अपराधी आकर इन्हीं पहाड़ियों में छिप गये थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आतंकवादी इन स्थानों पर शैल्टर लेते हैं। इस तरह के आतंकवाद को रोकने के लिए मैं चाहूंगा कि उन पहाड़ियों पर भारत सरकार फौजी छावनी बनाये और उसे अच्छी सड़कों से जोड़ा जाय

ताकि बढ़ते हुए उग्रवादियों के दमन को रोका जा सके और उग्रवादियों के बनते हुए अड्डों को भी रोका जा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, लीबिया के भारत के दृष्टिकोण के मुद्दे पर जो माननीय श्री शाहाबुद्दीन ने कहा उसका समर्थन करते हुए मैं विकासशील देशों में साम्राज्यवाद के घुसपैठ का प्रयास दूसरा उदाहरण उधृत कर रही हूं। पर्यावरण और विकास पर रियो-डि-जेनिरो में एक से बारह जून के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आरम्भ हो रहा है और इसमें कई विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा होगी जो विकासशील देशों को प्रभावित करेगी। इसमें एक मुद्दा विश्व पर्यावरण सुविधा होगी जो एक कोष है जिसे विश्व बैंक और ऐसी ही संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव है।

भारत ने इस प्रस्ताव का हमेशा विरोध किया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव में धन देने वाले देशों के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और इसे स्वीकार करने का तात्पर्य विकासशील देशों के पर्यावरण की सुरक्षा और विकास को क्षति पहुंचाना होगा।

भारत ने यह भी विचार दिया है कि चूंकि विकसित देशों द्वारा विश्व पर्यावरण और ओजोन परत के नष्ट होने के मुद्दे पर अधिकतम धनराशि का सहयोग दिया गया है इसलिये इस कोष में उनका अंश अनिवार्य होगा। इसके लिये अलग कोष की स्थापना की जानी चाहिये। प्रदूषण पैदा करने वाली प्रौद्योगिकी का संचालन संबंधित देशों द्वारा किया जाना चाहिये न कि इसको देने वाले देशों द्वारा और साथ ही प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकी के परिवर्तन को लागू करते समय आवश्यक प्रौद्योगिकी विकासशील देशों को उपलब्ध कराई जानी चाहिये। भारत ने जैविक विविधता सम्मेलन का भी विरोध किया है जिससे हमारे 'जीन' संबंधी संसाधन बढ़ेंगे हमारी जीन संबंधी सम्पन्नता विकसित देशों में वाणिज्यिक हितों की रक्षा करेगी।

कुछ दिन पहले इस मुद्दे को प्रश्नकाल के दौरान उठाया गया था। चूंकि पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री उपस्थित नहीं थे और माननीय संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उत्तर दिया था-जो दुर्भाग्यवश इस विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। वह उत्तर कोई उत्तर नहीं था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अनुदानों मांगों पर बहस जारी है इसलिये पर्यावरण मंत्रालय पर चर्चा नहीं हो सकती है अतः सरकार से हम यह जानना चाहते हैं क्या वह आगामी रियो-डि-जेनिरो में होने वाली पृथ्वी सम्मेलन पर अलग से चर्चा कराएगी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : महोदय, मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य का बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन, मैं समझता हूं कि इस तरह सदस्यों पर दूरगामी प्रभाव वाले आरोप लगाना ठीक नहीं है। यदि उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान मेरी बातों को गौर से सुना होगा तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि विश्व पर्यावरण सार्वभौमिक सुविधा के संबंध में हमारे दृष्टिकोण में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है यह मैंने उस समय स्पष्ट कर दिया था। मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरी बात सुनी होगी। मैंने उन्हें यह भी बता दिया था कि उक्त सुविधा वास्तव में एक कोष की स्थापना है जो एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कोष है। उसकी स्थापना की जा रही है और उस बारे में हमारे दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है। हमने यह भी बता दिया है कि हम

गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगे और उनके विचारों को जानने के पश्चात् ही सरकार द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने की स्थिति आएगी। पृथ्वी सम्मेलन के संबंध में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, हम गैर-सरकारी संगठनों के सर्वसम्मति तथा संसद के उन सदस्यों के विचारों के अनुसार चलेंगे जिनका इसमें रुचि है। पर्यावरण एवं वन संबंधी समिति जिसका नेतृत्व माननीय श्री जसवंत सिंह कर रहे हैं वे इस पर गहन विचार विमर्श करेंगे। मैं समझता हूं कि परामर्शदात्री समिति को जानकारी होगी कि स्थिति के संबंध में तथा उस पर प्रश्न को उठाते हुए एक विस्तृत टिप्पण सदस्यों को दिया जा चुका है। इसलिए मैं उनकी भावनाओं को शांत करना चाहता हूं और उन्हें यह कह रहा हूं कि वह इस बारे में चिंतित नहीं हों। हमारा यह स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि विकासशील देशों विशेषकर भारत के हितों की रक्षा हो और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित देश किसी भी तरह इस प्रक्रिया में हमारे विकास को क्षति न पहुंचाएं या क्षति पहुंचाने का उन्हें मौका न मिले।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यदि मैंने श्री रंगराजन कुमारमंगलम को आहत हुए हैं तो मुझे खेद है। लेकिन, हम इस मुद्दे पर पर्याबरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री के विचार जानना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, मुझे खेद है। मेरा यह नहीं कहता कि मैं आहत हुआ हूं। लेकिन मुझे खेद है, कुछ शिष्टाचार होते हैं। आप बिलकुल नयी सदस्या नहीं हैं। आपको इतना तो मालूम होना ही चाहिऐ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हम यह प्रश्न उठाएंगे। यदि आप परयावरण मंत्री का उत्तर चाहती हैं। तो अपको उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। यह ठीक नहीं है।

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अच्छे और विद्वान मित्र श्री सैयद शाहाबुद्दीन द्वारा लीबिया पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में चर्चा के दौरान कही गई बातों पर छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। ऐसा करने के लिये मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री से प्रोत्साहन मिला जिन्होंने अपनी रक्षा में कायरतापूर्ण तरीके से श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य के कथन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं यह आशा कर रहा था कि सत्ता पक्ष अपने कृत्यों का समर्थन करेगी और चूंकि मैं बोलने के लिये खड़ा हूं इसलिये हम पर पुनः यह आरोप लगेगा कि हम सत्ता पक्ष के हितों का ध्यान रखते हैं। ऐसा इस कारण नहीं है। (व्यवधान)

1.00 म०प०

महोदय, जो भी हो हमें एक दूसरे के विचारों को सहन करना चाहिए। माननीय सैयद शाहाबुद्दीन के लिये हमें बहुत सम्मान हैं वह भूतपूर्व राजनयिक है। विद्वान व्यक्ति है और राजनयिकता के क्षेत्र में उन्हें कुछ अनुभव हैं लेकिन कहते हुए मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वे सभी बातें केवल कल के भाषण से ही जुड़ी नहीं हैं बल्कि परसों भी यही बातें कही गई थी। विश्व बहुत प्रगति कर चुका है। जहां तक संयुक्त राष्ट्र के लीबिया पर प्रतिबंध का संबंध है। मैं विदेश मंत्रालय के अनुदान मांगों के दौरान इस पर बहस की प्रतीक्षा में नही हूं बल्कि इसके तीन-चार अलग पक्ष भी हैं। प्रतिबंध का एक पहलू यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र एक राष्ट्र विशेष का वर्चस्व है। वह वर्चस्व कब तक जारी रहेगा और कब तक वह देश संयुक्त राष्ट्र में अपना काम उसी तरह निकालता रहेगा जिस तरह वह

अभी करने का प्रयास कर रहा है, यह हम जल्द ही जान जाएंगे। इस भाषण में यहां कहा गया है। कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार या ब्रिटेन अथवा फ्रांस की सरकार 'लॉकरबी' घटना के प्रत्युत्तर में जो कि एक दर्दनाक घटना है।, उस संबंध में उन्होंने दो लीबियाई नागरिकों के निष्कासन की मांग की है। चूंकि वास्तविक मुद्दा आतंकवाद है, अतः मैं आशा करता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य सभी देशों को इस संबंध में एक समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और संयुक्त राज्य अमरीका अथवा ब्रिटेन अथवा फ्रांस को पंजाब या जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं के संबंध में समान रूप से कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिये। ...(व्यवधान)....

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : सैयद शाहाबुद्दीन ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि किसी भी राज्य या व्यक्ति के आतंकवाद का वह कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : मौलाना साहव आप क्यों नाराज हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : मैं नाराज नहीं हो रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं तो केवल आप को याद दिला रहा हूं।

श्री जसवंत सिंह : जैसा कि मैं कह रहा हूं, हम यह आशा करते हैं संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उतनी ही कठोरता से पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए आतंकवाद का प्रतिकार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब पंजाब या जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं सामने आईं। यह एक पहलू है।

दूसरा पहलू आतंकवाद है। मैं लॉकरबी घटना के आतंकवादी पहलू या इस तथ्य में कि लीबिया ने पाकिस्तान के आणविक कार्यक्रम में साथ दिया की गहराई में नहीं जाना चाहता। मौलाना साहिब मुझे क्षमा करें परिवर्तनशील दुनिया की संपूर्णता को बीते हुए कल की दृष्टि से आप नहीं देख सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते।

मुझे याद है, बहुत पहले की बात नहीं है--मुझे खुशी है माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं--खाड़ी युद्ध के दौरान कुछ कार्य ऐसे थे जो करना अतिआवश्यक हो गये थे और हमें यह कह सकते हैं कि जो कुछ भी माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रसेखर ने उस समय किया वह भारत के हित में था।

तब आरोप लगाये गए थे। मैं आशा करता हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्य एक स्वर से अपनी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का समर्थन करेंगे। परन्तु यह काम मुझे करना पड़ रहा है। मुझे पता है कि इसका हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा। हमें यह कहा जायेगा कि अगर हम इसका समर्थन करेंगे तो हमारी कांग्रेस के साथ सांठ गांठ है।

अन्ततः, जहां तक अनुपस्थिति का सम्बन्ध है। इसका एक तीसरा पहलू है। गुटनिर्पेक्ष कैम्प में व्यवस्था के सम्बन्ध में बीती हुई बातों की कुछ चर्चा की गई। यह अव्यवस्था स.मान्य स्तर पर नहीं है

बल्कि धारणा से सम्बन्धित है जब धारणा सम्बंधी व्यवस्था होती है तो आवश्यक रूप से 'रैंकस' की पंक्ति बिगड़ जाती है तथा उन्हें सीधी पंक्ति में लाना मुश्किल हो जाता है।

अन्त में जहां तक राष्ट्रसंघ में महत्वपूर्ण मतदान से अनुपस्थित रहने की बात है, मुझे इस अनपस्थिति में कोई दोष नजर नहीं आता क्योंकि कूटनीति के क्षेत्र में अनुपस्थिति को धैर्यपूर्ण असहमति के रूप में देखा जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में किसी कार्यवाही के प्रति धैर्यपूर्ण असहमति दिखाने में क्या कठिनाई है। मेरे विचार में यह विचार व्यक्त करने की आवश्यकता थी। धन्यवाद (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही 1.00 बज चुका है।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं यह समझ रहा था कि ...(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (करवा) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं केवल एक मिन्ट का समय लूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आमतौर पर 1.00 बजते ही शून्य काल समाप्त हो जाता है।

[व्यवधान]

सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी महत्त्वपूर्ण है कि कई सदस्य अपनी शिकायतें व्यक्त करना चाहते हैं। अब प्रो० सावित्रि लक्ष्मन बोलेंगी।

[व्यवधान]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आपको कुछ सिद्धातों का अनुपालन करना चाहिए। अगर आप किसी पार्टी को एक विषय पर बोलने का अवसर देते हैं। तो आपको दूसरी पार्टियों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए।

उपध्यक्ष महोदय : परन्तु श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पहले ही बोल चुकी हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कृपया, मुझे क्षमा करें लीबिया के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उचित रूप से स्पष्ट नहीं हो पाये हैं आपको प्रत्येक सदस्य का ख्याल रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० सावित्री लक्ष्मण को बोलने की अनुमति दी है। उसके पश्चात् श्री सैफुद्दीन चौधरी बोल सकते है।

[व्यवधान]

प्रो० सावित्रि लक्ष्मण (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं इस विष्य पर नहीं बल्कि किसी अन्य विषय पर बोलना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया आप शुरू कीजिए।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : महोदय, अगर मुझे अनुमति हो तो .....(व्यवधान) कृपया एक सैकिण्ड का समय दीजिए....(व्यवधान) यह ठीक नहीं (व्यवधान) मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि स्वयं श्री सजवंत

सिंह ने इस प्रश्न का उत्तर देने का उत्तरदायित्व लिया। परन्तु मैंने यह देखा है। तथा आपने भी यह अनुभव किया होगा कि अनेक से सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : आप थोड़ी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते ?

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सभी सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त करने तक इन्तजार करे। प्रो० सावित्रि लक्ष्मन, जिन्हें आपने बोलने की अनुमति दी है, वे किसी अन्य विषय पर बोलने जा रही हैं। इसीलिए मैं एक मिन्ट के लिए कुछं कहना चाहता हूं।

मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो हम पर झुकने का आरोप लगाया गया है, वह सत्य नहीं है। हमने प्रतिबन्धों के पक्ष में कभी भी मत नहीं दिया। हम अनुपस्थित रहे। हमने निश्चित रूप से इसे निरुत्साहित किया है। इस मुद्दे पर हमने बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण अपनायाँ है जैसा कि श्री जसवंत सिंह ने कहा है कि इस मुद्दे पर हम एक धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे। विश्व में आतंकवाद का यही एक मात्र मामला नहीं है और यही एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें आतंकवादियों ने हवाईजहाजों को बारूद से उड़ा दिया है। और कई ऐसे मामले हैं। हमारा अपना देश इसका शिकार बना। उन आतंकवादियों को हासिल करने में हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो कि केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी है। हमने इस मुद्दे को उठाया है तथा इस पर चर्चा की है। अन्ततः हमने सिद्धांत रूप में मतदान से अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया ताकि हम इस भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के प्रति अपनी असहमति व्यक्त कर सकें।

इस संबन्ध में विदेश मंत्रालय से समबन्धित अनुदान सम्बन्धी मांगों पर चर्चा के समय विसतार से चर्चा की जायेगी। उस समय विदेश मंत्रालय इस सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण को विस्तार से स्पष्ट करेगा। अगर सदस्य इस समबन्ध में वक्तव्य चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से उसके लिए तैयार हैं। परन्तु मेरे विचार में यह आवश्यक नहीं क्योंकि विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान सम्बन्धी मांगों पर चर्चा होने ही वाली है। उस समय हम इस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, दिल्ली दूरदर्शन से मूक एवं बधिर लोगों के लिये सप्ताह में एक बार विशेष समाचार प्रसारित किये जाते हैं। आल केरल एसोशिएशन ऑफ द डॅफ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार दुर्भाग्य से केरल के 6 प्रतिशत व्यक्ति मूक एवं बधिर हैं। उस संस्था ने त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से भी ऐसा ही कार्यक्रम प्रसारित करवाने का आग्रह किया है। त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन ने शारीरिक रूप से विकलांग इन व्यक्तियों के लिये कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया है जबकि ये व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग नहीं हैं। मूल और बधिरों के लिये मलयालम में समाचार प्रसारित करवाने के सम्बन्ध में कोई भी कदम नहीं उठाये गये हैं। त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से विशेष समाचार प्रसारण को केन्द्रीय मन्त्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता है। अतः मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से इस समबन्ध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करती हूं ...(व्यवधान)...

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, और इस पर बहस होनी ही चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मुद्दे भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : तब आप किसी को भी न बुलायें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री ने भी जवाब दे दिया है। अब उन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सदन की परम्परा का पालन किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, प्रो० सावित्री लक्ष्मणन खड़ी हैं। (व्यवधान)

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रही हूं। मेरा कहना यही है कि त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से मूक एवं बधिर व्यक्तियों के लिये समाचार प्रसारण शीघ्र शुरू करवाने के लिये सूचना और प्रसाण मंत्रालय को आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

मैं समझती हूं कि रिपोर्टरों ने मेरी आवाज सुन ली होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक राजीनतिक दल को मौका मिलेगा। एक ही दल के चार या पांच सदस्यों को हम नहीं बुला सकते।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि एक बजे शुन्य काल भी खत्म हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : क्या आप दूसरों को भी बोलने देंगे ? (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना :.... सदन को संचालित करने के लिये यह आपके लिये भी सुविधाजनक होगा। किसी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र कोई सदस्य करता है तो उस पर सभी राजनीतिक दलों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। लिबिया के मुद्दे पर श्री शाहाबुद्दीन ने एक बार इसका उल्लेख किया और उस पर श्री जसवन्त सिंह भी बोले तो दूसरे दलों को भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद ही आप दूसरे मुद्दों को ले सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मूक एवं बधिरों के बारे में जिक्र होने के बाद मैं नहीं समझता कि इस पर बोलने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है कि सभी राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्त्व के किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं तो उसके बाद इस पर कुछ भी बोलने के पक्ष में नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं। जब उस पर कुछ लोग बोल चुके हैं, माननीय मंत्री भी...

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने उनसे इसका उत्तर नहीं देने के लिये कहा था।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने श्री कुमारमंगलम से इसका उत्तर नहीं देने का अनुरोध किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। आप लोगों की निष्ठा का पूर्वानुमान करते हुए उनहोंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया। दूसरे, आप सब भी अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। यह सही है कि आप सब लीबिया के बारे में अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, आपके पास अवसर भी है। अब प्रश्न

यह है कि हम लोग शून्यकाल के अन्तर्गत आखिरकार हम कितनी देर तब चर्चा कर सकते हैं ? क्या इस अवधि को हम बढ़ा दें ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, क्या मैं आपकी सहायता करूं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट। मैं देख रहा हूं कि अनेक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लगभग प्रत्येक सदस्य देश के हित में अपने विचारों का कुछ न कुछ योगदान देना ही चाहता है। इसलिये, बोलने वालों की संख्या बहुत जयादा है। अब एक बज चुका है और शून्यकाल का समय स्माप्त हो गया है। क्या हम इसे बढ़ा दें ?

[व्यवधान]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं लीबिया पर नहीं बोलना चाहता हूं। मुझे तो नियम के बारे में बोलना है। बात यह है कि शाहाबुद्दीन साहब के द्वारा इस मामले को उठाये जाने के तत्काल बाद अगर आपने दूसरे मामले को लिया होता तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपने उसके बाद दो अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दी। इस देश के लोग यह जानना चाहेंगे कि हमारे दल ने सदन में क्या किया। यदि अध्यक्षपीठ संवेदनशील नहीं है तो मैं इस सभा में बिल्कुल बोलना नहीं चाहूंगा, बल्कि माननीय मंत्री भी खड़े होकर उस पर कुछ बोल चुके हैं। मैं इस विषय पर क्यों बोलूं ? लीबिया के विरुद्ध मत देने में सरकार संयुक्त राज्य अमरीका का साथ न दे, यह मुद्दा मैंने इस सदन में सबसे पहले उठाया था। मुझे हर्ष है कि इस मुद्दे पर उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका का साथ नहीं दिया। (व्यवधान)।

इस सम्बन्ध में मुझे स्थिति स्पष्ट करनी है। किसी देश द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने तथा समर्थन देने के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर सावन्त, क्या आप इसी विषय पर बोलना चाहते हैं ?

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : नहीं महोदय, मैं अन्य विषय पर बोलना चाहता हूं। उनके दल की ओर से श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पहले ही बोल चुकी हैं। उन्हें पहले ही बोलने का अवसर मिल चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें। आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दा उठाना चाहता हूं। श्री सैफुद्दीन चौधरी ने जो कही है वह ठीक है कि हम एक-के बाद एक विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। क्योंकि आज आपने उन्हें बोलने का अधिकतम अवसर दिया है, इसलिए इस सत्ता पक्ष के सदस्यों को अधिक अवसर नहीं मिल सका। आज आपने जो तरीका अपनाया वह आपके अनुसार ठीक था, तथा कल से आप उनके द्वारा सुझाए गए तरीके के अनुसार कार्यवाही संचालित कर सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा सुझाव नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने भी यह सुझाव दिया है कि जो सदस्य 'शून्यकाल' में बोलना चहाते हैं, वे प्रातः 10.00 बजे से पूर्व कार्यालय में नोटिस दे सकते हैं।

श्री वी० धनञ्जय कुमार (मंगलौर) : महोदय, हमने 10.00 बजे से पहले नोटिस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। हम एक दिन में 10. विषयों पर ही चर्चा कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। परन्तु, अगर घण्टों तक कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चलती रहेगी तो इस सदन की परम्पराएँ टूटती है। अगर दस विषय ही चर्चा के लिए जाते है तथा प्रत्येक सदस्य दो या तीन मिनट बोलता है तो सारे विषयों पर चर्चा 1.00 बजे से 10 मिनट पले समाप्त हो जायेगी तथा उसके पश्चात् शेष विषयों पर चर्चा की जा सकती है। इसलिए बोर्ड प्रणाली अपनानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचारों को प्रकट करने का भरपूर प्रयास किया है तथा इस तरीके से बहुत से सदस्यों में असंतोष की भावना आती है तथा इससे कोई स्वस्थ वातावरण भी पैदा नहीं होता।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका तथा फ्रांस के हवाई जहाजों को बमों द्वारा उड़ाया जाना सबसे भयावह घटनाएँ थीं। 'कनिष्क' हवाई जहाज को बम द्वारा उड़ाया जाना, हमारे लिए भी दुखद अनुभव था। इस तरह के आतंकवाद तथा किसी राष्ट्र द्वारा ऐसे आतंकवाद के समर्थन के हम बिल्कुल विरुद्ध हैं। हमारा यही दृष्टिकोण है। परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में मतदान के सम्बन्ध में हम यह चाहते थे कि सरकार संयुक्त राज्य अमरीका का साथ न दे क्योंकि वे सुरक्षा परिषद् का उपयोग अपने हठपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना चहाते थे। हम सब यह चाहते हैं कि इन बम धमाकों के लिए दोषी लोगों को पकड़ा जाये तथा उन्हें सख्त सजा दी जाये। अगर कोई राष्ट्र आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो उस राष्ट्र के विरुद्ध अवश्य ही प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। परन्तु वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या इसके लिए कोई उचित प्रक्रिया अपनाई गई तथा इसी मुद्दे पर भारत ने आपत्ति प्रकट की, जिसकी मुझे काफी प्रसन्नता है। परन्तु नैतिक दृष्टिकोण यह है कि जब आप कुछ देशों द्वारा कुछ मामलों पर अपनायें गए रवैये का समर्थन नहीं कर सकते, तो आपको अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए था बल्कि उसका विरोध करना चाहिए था। जैसा कि श्री जसवंत सिंह ने कहा कि कुछ बातें बीते हुए कल की होकर रह गई हैं तथा कुछ लोगों के सोचने के ढंग में फर्क आ गया है, परन्तु कुछ ऐसे देश भी हैं जो बदलते हुए परिवेश से समझौता नहीं कर पाये हैं। वे विश्व पर अपना प्रभुत्त्व जमाये रखना चाहते हैं। मूल समस्या यही है। शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, परन्तु कुछ लोगों में अभी भी इसकी ज्वाला धीरे-धीरे भड़क रही है इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग, तथा दूसरी निष्पक्ष संस्थाओं की प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए हमने यह मांग की कि इस तरह की एकतरफा अपनी इच्छा को थोंपने की किसी राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के समूह की अभिलाषा को विश्व के बदलते हुए वातावरण में पूरा नहीं होने देना चाहिए। यही हमारी पार्टी का दृष्टिकोण है।

श्री भोगेन्द्र (मधुबनी) : महोदय, बहुत से मुद्दों पर जो लीबिया ने दृष्टिकोण अनाया है, हम उसका समर्थन नहीं करते तथा अभी पिछले दिनों ही इस्लामिक देशों के सम्मेलन में जो कि पाकिस्तान के कहने पर बुलाई गई थी। उसमें कश्मीर के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया गया। मेरे मित्र श्री शाहाबुद्दीन ने ठीक ही कहा है। श्री जसवंत सिंह ने भी कहा है कि भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिबन्धों के समर्थन में मत नहीं दिया, वह प्रशंसनीय है। परन्तु इस तनावपूर्ण तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में मैं चाहता हूं कि वे इससे भी एक कदम आगे जायें। वर्तमान में वे केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं हैं अपितु एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका भी उन्हें निभानी है। अगर सरकार कोई डर प्रकट करती है, अगर सरकार दवाव के आगे झुकती है तो उन्हें राष्ट्रीय विचार धारा को एक नई शक्ति प्रदान करनी चाहिए। इस्लामिक सम्मेलन में अपनाये गये अपनी दृष्टिकोण पर लीबिया ने दिल्ली में आ कर खेद प्रकट किया है। यह एक स्वागत

योग्य कदम है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि सरकार यह घोषणा करे कि वह लीबिया के विरुद्ध प्रस्तावित प्रतिबन्धों का समर्थन नहीं करेगा विशेषतया जबकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। यह मामला अनतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लम्बित है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को चाहिए कि वह यह घोषणा करे कि वह इन प्रतिबन्धों में सम्मिलित नहीं होगी। मतदान के समय गुटनिर्पेक्ष देशों के नेता के रूप में भारत का निष्पक्ष रहना एक महान गलती थी। भविष्य में कई अवसरों पर हमें व्यापक समर्थन की आवश्यकता है। जो दृष्टिकोण अपनाया गया, वह राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा न्याय के हित में गलत था। हमसे चूक हुई है। वह एक गलती थी। परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका के द्वारा प्रस्तावित प्रतिबन्धों में हमें बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए।

श्री इन्द्र जीत (दार्जीलिंग) : संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाये गये लीबिया के मुद्दे को दो पहलुओं से देखा जा सकता है। पहला पहलू, किसी राष्ट्र द्वारा समर्पित आतंकवाद का है। दूसरा पहलू प्रतिबन्धों का है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम पहले ही अन्य राष्ट्र (पाकिस्तान) द्वारा समर्पित आतंकवाद के कारण काफी कष्ट झेल रहे हैं। हमें अन्य राष्ट्रों द्वारा समर्पित आतंकवाद के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार करना चाहते हैं। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रसताव का संभवतः विरोध नहीं कर सकते थे।

जहां तक प्रतिबन्धों का संबंध है, हम प्रतिबन्धों के विरुद्ध हैं। इसलिए जो व्यावहारिक नीति हम संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना सकते थे, वह अनुपस्थित रहने की ही थी। इस विशिष्ट मुद्दे पर हमने संयुक्त राज्य अमरीका का समर्थन नहीं किया है। मेरे विचार में इस पहलू को स्पष्ट रूप में समझा जाना चाहिए। हम किसी राष्ट्र द्वारा समर्पित आतंकवाद के विरुद्ध हैं। हम इस प्रस्ताव को विरोध नहीं कर सकते थे फिर भी समर्थन मांगा गया।

इस विशेष मामले में हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे देश है जिन्होंने पाक-समर्पित आतंकवाद की आलोचाना की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार हमने संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अन्य देशों से यह अनुरोध किया है कि वे, उन आतंकवादियों के प्रत्यर्पण की हमारी मांग का समर्थन करें, जिन्हें पाकिस्तान द्वारा संरक्षण दिया गया है।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि अपने एक अच्छे तथा वरिष्ठ मित्र श्री यूनुस सलीम द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण पर मैं काफी खिन्न हूं। उन्होंने इस मुद्दे को इस प्रकार प्रस्तुत किया है जैसे कि यह मुद्दा हिन्दू-मुस्लिम मुद्दा हो। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : आप गलत कह रहे हैं। ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, अफगानिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, वे तो अरब देश नहीं हैं। अफगानिस्तान तथा ईरान के बारे में आप का क्या कहना है ?

श्री इन्द्र जीत : राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हमें मामले पर शान्ति से विचार करना चाहिए। मेरे विचारानुसार हमारा राष्ट्र-हित इस प्रस्ताव में मतदान न करने में ही था।

श्री अमल दत्त : क्या बोफार्स मुद्दे पर कुछ बोलने का मुझे अवसर मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा को सामान्य-चर्चा में नहीं बदल सकते। इसकी कोई सीमा नहीं होती है। वास्तव में सदन को गैरसूचीबद्ध कार्यवाही 1.00 बजे तक समाप्त कर लेनी चाहिए थी। हमें अन्य मुद्दों पर चर्चा आरम्भ कर देनी चाहिए थी।

क्योंकि बहुत से सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री अमल दत्त : इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें प्रत्येक पार्टी का योगदान रहा है।

श्री अमल दत्त : बिना बाधा के मैं केवल दो मिन्ट बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। अगर आप शून्यकाल को 1.00 बजे से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह कोई अच्छा उदाहरण नहीं है ? क्या यह अच्छी परम्परा है ? लीबिया के मुद्दे पर अगर प्रत्येक सदस्य बोलेगा, तो इसमें घण्टों लग जायेंगे।

श्री अमल दत्त : मैं केवल दो मिनट का समय चाहता हूं। मैं एक मिनट में भी अपनी बात समाप्त कर सकता हूं। मैं डेढ़ घण्टे से प्रतीक्षा कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या शून्यकाल की अवधि एक घण्टा और बढ़ा दी जाये ?

[व्यवधान]

श्री अमल दत्त : आपने श्री जार्ज फर्नान्डीज को बोलने की अनुमति दी। मैं केवल एक मिनट का समय चाहता हूं। मुझे एक मिनट का समय भी क्यों नहीं दिया जा रहा है ? (व्यवधान)

मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार उसे स्वीकार करे या उसका खण्डन करे। कल की चर्चा से पैदा हुआ यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : और भी बहुत से महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : दूसरे महत्त्वपूर्ण मुद्दे भी हैं।

श्री सुधीर सावंत : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री अमल दत्त : दो प्रश्न पूछे गये थे तथा हमें अनेक मन्त्रियों और प्रधानमंत्री ने यह बताया था।

श्री सुधीर सावंत : आप उन्हें अनुमति प्रदान न करें। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त: आप उन्हें अनुशासन में रहने के लिए क्यों नहीं कहते ? मैंने कहा है कि मुझे केवल एक मिनट का समय चाहिए। दो प्रश्नों के उत्तर कल नहीं दिए जा सके। उस नोट में क्या लिखा था तथा उसे किस व्यक्ति ने दिया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक मिनट ही चाहते थे।

श्री अमल दत्त : सबको कुछ न कुछ कहना है।

श्री सुधीर सावंत : आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। वह मेरे बाद में बोल सकते हैं।

श्री अमल दत्त : कृपया आप चुप हो जाइए। मुझे बोलने के लिए कहा गया है।

श्री सुधीर सावन्त : उन्हें इतनी समझ नहीं है।

श्री अमल दत्त : कल हुए वाद-विवाद में सत्ता पक्ष ने दो बातों का स्पष्टीकरण नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री सहित चार मंत्री बोले थे

एक यह था कि टिप्पणी किस विषय पर थी। और उसमें क्या लिखा गया था।

दूसरा मुद्दा यह था कि किसने टिपण्णी को दिया। आज के समाचार-पत्रों में दोनों के संबंध में जानकारी है। एक सूचना श्री जार्ज फर्नान्डीज ने पहले ही दी थी। यह इंडियन एक्सप्रेस में संपादक श्री प्रभु चावला के नाम से प्रकाशित हुई थी। अतः आपको इसे कुछ महत्व देना चाहिए।

इसी प्रकार 'बिजनेस और पॉलिटिकल ऑबजरवर' के संपादक श्री प्रीतीश नंदी, जो कि एक जाने-माने व्यक्ति हैं, के नाम से समाचार प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कहा कि वे व्यक्ति हिन्दुजा हैं और इससे संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में उपलब्ध है। ज्यूरिख और जेनेवा में स्थित है भारतीय एजेंसी 'रा' के व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करे और या तो इसका खंडन करे अथवा इसे स्वीकार करें। बस मुझे यही कहना है।

श्री सुधीर सावंत : सामाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अमरीका के साथ एक सैनिक तोप खरीदने का समझौता किया है। यह तोप 'बोफोर्स तोप' के समान ही क्षमता वाली हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तोप अच्छी है।

लेकिन इस सौदे के बारे में कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इस सौदे में लाइसेंसकृत उत्पादन के लिए समझौता हुआ है।

दूसरे, बाजार में उपलब्ध अन्य तोपों की तुलना में इस तोप की कीमत कितनी है।

तीसरे, तकनीकी अंतरण के लिए क्या समझौता किया गया है, क्या इस बारे में कोई समझौता किया गया है।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तोप बहुत अच्छी है। फ्रांस और ब्रिटेन की तोप की तुलना में अमरीकी तोप की विदेशी मुद्रा में कीमत क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच की गई है, क्या इसकी तुलना की गई है। मेरा चौथा प्रश्न गोला-बारुद के संबंध में है। गोला-बारुद के बारे में क्या समझौता किया गया है ? हम रक्षा मंत्री से जानना चाहते हैं कि वह सभी को समझौते के संबंध में विशेष रूप से इन चार मुद्दों के बारे में जानकारी दें ताकि इस सौदे के बारे में किसी के मन में कोई संदेह न रहे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम पहली बार अमरीका से हथियार खरीद रहे हैं और जब हम अमरीका से हथियार खरीद रहे हैं तब हमें सावधान रहना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला (गोधरा) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन का नोटिस देने के बाद आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इसे शून्य काल का एक डिस्कशन मैटर और पार्टी पॉलिसी मैटर न लिया जाए यह मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि वह सबकी ओर से बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैं जिस विषय के बारे में कहना चाहता हूं वह देश की सबसे बड़ी गैस और ऑयल फील्ड है गांधार गुजरात में एन०टी०पी०सी० गैस से एक बिजली का पृथक संयंत्र बनाने जा रहा है। इसके बारे में एन०टी०पी०सी० ने अपनी बोर्ड मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया, निर्णय किया जिसमें स्वीडन की कंपनी एम०एन०सी०, ए०बी०बी० को कांट्रेक्ट देने के लिए, उस प्रस्ताव के 12 घंटे बाद उन्होंने उसका लेटर ऑफ इंडेन्ट दे दिया और इसके लिए ओ०एम०जी०सी० ने गैस एलोकेशन एन०टी०पी०सी० को की है, वह अप्रैल 1993-94 में पूरी गैस मिलेगी। इस इम्पोर्ट मशीनरी से यह जो पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा वह अप्रैल 1993 में बनेगा। एक साल तक देश का 1650 करोड़ रुपए का फॉरिन एक्सचेंज ऐसे ही आइडल पड़ा रहेगा। एक में नहीं, जितने भी इंपोर्ट मामले होते हैं, सब इंपोर्ट मामलों में घपले होते हैं। 1650 करोड़ रुपए के बराबर फॉरिन एक्सचेंज एक साल तक आइडल पड़ा रहेगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हमारे यहां ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें युवरान और कापाट में 250 करोड़ से ज्यादा लागत लगी है, गैस अथॉरिटी ने गैस देने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी गैस समय पर नहीं दे रही है। यह अनुभव है और यहां गांधार में ए०बी०बी० की जो एफिशिएंसी है, इसके बारे में भी डाउट है। जो टीम नीदरलैंड गई थी, उसने कहा है कि यह मशीनों की कार्य क्षमता ठीक नहीं है और अगर टैक्नॉलॉजी इंपोर्ट करनी है तो हमारी इंडियन टैक्नोलॉजी तो है। हमारे यहां भेल और सीमेन्स ने मिलकर लोअर टेण्डर रेट में अपनी टेण्डर किए थे। अगर टैक्नोलॉजी अच्छी नहीं है उसके बारे में डाउट है, ऐसी टैक्नोलॉजी करोड़ों रुपए का फॉरिन एक्सचेंज खराब करेगी। इसके स्थान पर एफिसेन्ट और नई टैक्नोलॉजी इंपोर्ट की जाए। एडवांस पेमेंट की जो बात है, वह एडवांस पेमेंट भी न दिया जाए और पूरी इनक्वायरी इनकी हो जाए क्योंकि इसमें फॉरिन एक्सचेंज का भी बहुत बड़ा घपला है। करोड़ों रुपए का घपला है। उसकी इनक्वायरी होनी चाहिए जिसमें बड़े लोग इन्वाल्व होंगें। गैस अलोकेशन टाइम पर दिया जाए जिससे जो प्रोजेक्ट हो, वह समय पर पूरा किया जाए, यही मेरी प्रार्थना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[व्यवधान]

1.34 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1992-93 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, मैं श्री बलराम जाखड़ की ओर से वर्ष 1992-93 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० - 1724/92]

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना, और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के कार्यकरण के बारे में वर्ष 1989 तथा 1990 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन।

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : महोदय, मैं श्री सीताराम केसरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 62 की उपधारा (3) के अंतर्गत किशोर न्याय (दादरा और नागर हवेली) नियम, 1988, जो 30 नवम्बर, 1988 के दादरा और नागर हवेली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए०डी०एम०/एस०डब्ल्यू०ओ०/जे०जे०/88 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1725/92]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अंतर्गत वर्ष 1989 और 1990 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15क के उपबंधों के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1726/92]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगे :

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : महोदय, मैं वर्ष 1992-93 के लिए नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1727/92]

तंजौर में तेल शोधक कारखाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4707 के 19 दिसम्बर, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, मैं श्री एस० कृष्ण कुमार की ओर से (एक) तंजौर में तेल शोधक कारखाने के बारे में श्री के० तुलसिऐया वान्डायार द्वारा पूछे गए अतांराकित प्रश्न संख्या 4709 के 19 दिसम्बर, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1728/92]

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : महोदय, मैं भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (निरीक्षक तथा परिदर्शक) विनियम, 1991 जो 12 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 678 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक शुद्धि पत्र जो 3 फरवरी, 1992 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 75(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (सामान्य) विनियम, 1991, जो 18 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 694 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक शुद्धि पत्र जो 3 फरवरी, 1992 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 76 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी 1729/92]

बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अंतर्गत अधिसूचना और बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 109 की उपधारा (3) के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी सोसायटी (पंजीकरण, सदस्यता, निदेशन और प्रबंध, विवादों का निपटान अपील तथा पुनरीक्षिण) संशोधन नियम, 1992, जो 9 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 313(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1730/92]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रविदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1731/92]

(4) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गावं के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवदेन को तेयार करने की प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1732/92]

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1991 (1991 का संख्या 4) – संघ सरकार (वाणिज्यिक)–हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (अंतर्राष्ट्रीय) लिमिटेड का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं श्री पी०के० थुंगन की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1991 (1991 का संख्या 4)–संघ सरकार (वाणिज्यिक)–हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1733/92]

$1.34\frac{1}{2}$ म०प०

वित्त विधेयक, 1992 के बारे में याचिका

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, मैं वित्त विधेयक, 1992 के बारे में श्री सुधीर अनन्त बर्वे; ठाणे (महाराष्ट्र) तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम नियम 377 के अधीन मामलों को मध्याह्न भोजन आरम्भ करें ? ....ठीक है।

अब सभा 2.30 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.35 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.36 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.36 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगें।

377 के अधीन मामले

(एक) राजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क/रेल संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : राजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत का सबसे पिछड़ा हुआ निर्वाचन क्षेत्र है जिसका मुख्य कारण वहां सड़क तथा रेल संचार साधनों की कमी होना है। मैं केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने तथा निम्नलिखित कार्यों के लिए मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं :

प्रथम, पश्चिमी तटीय राजमार्ग (सागरी महामार्ग) को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना।

दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (मुम्बई-गोवा) को वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर का बनाने के लिए पर्याप्त धन आबंटित करना।

तीसरा, राज्य-मार्ग तथा जिला सड़कों के लिये केन्द्रीय सड़क निधि को पर्याप्त राशि आबंटित करना तथा विश्व बैंक से भी इस हेतु पर्याप्त राशि दिलाना।

चौथा, भारी वर्षा से सभी कच्ची सड़कें पानी में बह जाती हैं। सभी ग्राम्य-सड़कों को पक्का करने हेतु के कृपया विश्व बैंक या यूरोपीय आर्थिक आयोग ई०ई०सी० या एशिया विकास बैंक से धन देने को कहें। क्योंकि कच्ची सड़कों की हर वर्ष मरम्मत कराने पर काफी खर्च करना लाभकारी नहीं है। और केन्द्र सरकार पश्चिम तटीय राजमार्ग पर सभी पुलों के निर्माण के लिए वर्ष 1992-93 में राज्य सरकार को धन आबंटित करे।

(दो) जिला बस्तर मध्यप्रदेश में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों की भर्ती किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढ़ी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं:-

"बस्तर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना बहुत ही सुदूर ग्रामीण अंचलों में है। इस जिले में हर पच्चीस किलोमीटर की दूरी पर स्थानीय बोली भाषा अलग-अलग बदल जाती है। बैंक कर्मियों को स्थानीय बोली-भाषा समझ में नहीं आने से शासन की लोकप्रिय योजनाएं जो लोकहित में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, समुचितरूप से कार्यान्वित नहीं हो पातीं जिससे बहुत-सी योजनाएं मात्र कागजी कार्यक्रम ही रह जाती हैं। स्थानीय भाषा को नहीं समझने से बैंक अधिकारी, कर्मचारी आदिवासियों के विश्वास में नहीं आते। आदिवासी जब तक किसी को मन से अपना हितैषी नहीं मानता तब तक किसी से लेन-देन में हाथ नहीं बढ़ाता, चाहे वह स्कीम कितनी ही लाभदायक क्यों न हो।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि बस्तर जिले में बैंक के द्वितीय वर्ग के अधिकारी से लेकर चतुर्थ वर्ग के सभी बैंक कर्मी, बस्तर जिले के निवासियों को ही भविष्य में भर्ती किया जाए। जिससे स्थानीय बोली-भाषा समझने की जो अभी अड़चन है, इस समस्या का हल हो सके और शासन की लोकहित की सभी लाभकारी योजनायें सफल होंगी।

(तीन) केरल में राशन की दुकानों के माध्यम से दिये जाने वाले चावल और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि करने के निर्णय की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के०मुरलीधरण (कालीकट) : केरल की जनता मुख्य रूप से राशन के चावल पर निर्भर करती है जो कि उन्हें भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से वितरित किया जाता है। सरकार द्वारा राशन के चावल और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि करने के निर्णय से केरल की जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यद्यपि केरल सरकार ने मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने का और आम जनता को राशन का चावल वितरित करने का निर्णय लिया था तो भी राज्य पर 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ गया है। केन्द्र को राशन के चावल तथा गेहूं के मूल्यों की वृद्धि के इस अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। केरल पूरी तरह से राज्य के बाहर से चावल और गेहूं की पूर्ति तथा संविधिक राशनिंग पर पूरी तरह निर्भर करता है। ऐसी परिस्थितियों में इस निर्णय का हमारे राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर विचार करने और अपने निर्णय को वापिस लेने तथा राज्य सरकार को इसे अतिरिक्त भार से बचाने का अनुरोध करता हूं।

(चार) जलेसर, उत्तर प्रदेश में एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेशानन्द स्वामी (जलेसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चार जनपदों से मिलकर जलेसर संसदीय क्षेत्र में संचार व्यवस्था अत्यंत पिछड़ी हुई है। इस संसदीय क्षेत्र में विधान सभा की तीन सुरक्षित सीटें हैं

जो अत्यंत पिछड़ी हुई हैं और इन स्थानों पर कोई संचार का माध्यम नहीं है। सरकार की नीति के अनुसार ग्राम प्रधानों को दूरभाष व्यवस्था प्रदान की जा रही है। लेकिन यहां का सांसद एस०टी०डी० सुविधा से भी वंचित है। संचार व्यवस्था के न होने से इस पिछड़े हुए क्षेत्र में विकास कार्य करना और जनता से सम्पर्क कार्य रखना व उनकी कठिनाईयों और दुखों को दूर करना नितांत असंभव है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जलेसर संसदीय क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का प्रावधान किया जाए और एस०टी०डी० सुविधा अविलम्ब उपलब्ध कराकर यहां की जनता के साथ न्याय किया जाए।

(पांच) असम के करीमगंज जिले में, मागुरछेरा और शिंगलाछेरा चाय बागानों के श्रमिकों के हितों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : असम के करीमगंज जिले में मागूरछेरा और शिंगलाछेरा नामक दो चाय बागान हैं। वे काफी समृद्ध थे लेकिन स्वामित्त्व संबंधी विवादों के कारण अब वे प्रायः समाप्ति के कगार पर हैं। वहां के श्रमिक अपना राशन और दैनिक/साप्ताहिक मजदूरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इन बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ने का काम पिछले कई माह से बंद है, जिससे राष्ट्रीय हानि हो रही है। वहां के श्रमिकों में बहुत असंतोष व्याप्त है और किसी भी समय वहां शान्ति भंग हो सकती है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन चाय-बागान श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए तथा इन बागानों के रख-रखाव के लिए तत्काल इस मामले पर विचार करे।

(छः) कोडरमा, बिहार में उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : कोडरमा औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहां के अधिकांश निवासी गरीब तथा बेरोजगार हैं। अभ्रक उद्योग बन्द हो जाने के बाद लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। उनके लिए जीवनयापन का अन्य कोई साधन नहीं है। इस क्षेत्र में एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। एक बहुत बड़ा भू-भाग असिंचित पड़ा है, और बाकी क्षेत्र पर्वतों और वनों से ढका है। यहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है।

अतः मैं केंद्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वहां उद्योग स्थापित करें ताकि बेरोजगार भूमिहीन लोगों तथा पिछड़े आदिवासी तथा हरिजन लोगों को रोजगार मिल सके।

(सात) कानपुर देहात के बीहड़ क्षेत्रों में डाकू उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : कानपुर देहात तथा विशेषकर इसके आसपास का यमुना के बीहड़ का क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है तथा वहां पर आने-जाने के लिए समुचित रास्ता तक नहीं है। परिणामस्वरूप यह समस्त क्षेत्र आर्थिक रूप से तो पीछे है ही यह समाज के असामाजिक तत्वों के लिए एक आदर्श शरणस्थली का कार्य भी करता है। समाज़ विरोधी कार्य करने के पश्चात् इन तत्वों को छिपने/भागने के

लिए सुगम होता है। इसी सब को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने दस्यु उन्मूलन अभियान के अधीन क्षेत्र के विकास के लिए कुछ योजनाओं को स्वीकृत किया था उनमें से अभी तक कुछ को प्रारंभ तक नहीं किया गया है जैसे, 1. अमरीधा में कधरी, 2. सही कधरी-खटका खरतला, 3. नगीना से बम्हरौली अहरौली व देवराहट तथा, 4. कालपी रोड से दसूलपुर तक की सड़कें बनने के लिए मंजूर थीं लेकिन इनमें से किसी पर भी अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त सड़कों तथा अन्य योजनाओं को, जो कि मंजूर की जा चुकी हैं, शीघ्रताशीघ्र लागू किया जाए जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके तथा लोगों की आर्थिक प्रगति हो सके व वहां की कानून व व्यवस्था की समस्या का भी समाधान हो सके।

(आठ) सिलीगुडी, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित मामले नियम 377 के अधीन उठाना चाहता हूं।

उत्तर बंगाल जिसमें दार्जिलिंग पश्चिम दिनाजपुर, माल्दा, जलपाईगुड़ी तथा कूचबिहार जिले आते है, के लोगों को उस क्षेत्र में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच न होने के कारण निरन्तर कठिनाई हो रही है।

उस क्षेत्र के न्यायिक मामले उठाने वाले लोग तथा बार एसोसियेशन उत्तर बंगाल में किसी केन्द्रीय स्थान पर एक सर्किट बैंच की स्थापना की मांग करते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल लायर्स एसोसियेशन के 1974 के वार्षिक सम्मेलन से ही इस मांग की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है। उन्होंने उक्त सर्किट बैंच के लिये विशेष रूप से सिलिगुडी को सबसे उपयुक्त स्थान बताया है। उपयुक्तता तथा न्याय की मांग की है कि प्रस्तावित सर्किट बैंच सिलिगुड़ी में स्थापित की जाये। जहां कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरी बंगाल के कुल लम्बित मामलों के लगभग 50 प्रतिशत मामले सिलीगुड़ी से सम्बंधित हैं।

सिलीगुड़ी, जिसकी आबादी तीन लाख से अधिक है, को अब हमारे देश के उत्तर पूर्व की वित्तीय राजधानी मानी जाती है। यह देश के अन्य शहरों से सड़क, रेल तथा हवाई जहाज से समुचित रूप से जुड़ा हुआ है। यहां रहने के लिए स्थान, चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बंधी सुविधाऐं तथा अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है।

पिछले सप्ताह, सिलीगुड़ी वार एसोसिऐशन के सचिव तथा एसोसिऐशन के एक कार्यकारी सदस्य ने मिलकर केन्द्रीय न्याय तथा विधि मंत्री को सिलीगुड़ी में सर्किट बैंच स्थापित करने के अपने दावें से सम्बंधित एक ज्ञापन दिया था। इस दावे का माल्दा, राजगंज, इस्लामपुर तथा पश्चिमी दिनाजपुर की बार एसोसियेशनो पश्चिम बंगाल की फैडरेशन आफ चेम्बर्स एण्ड कॉमर्स और पश्चिम बंगाल बार काउंसिल तथा लायर्स एसोसियेशन ने समर्थन किया है।

संसद में वहां की जनता के प्रतिनिधि के रूप में, मैं केन्द सरकार से अनुरोध करता हूं कि सिलीगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट बैंच तत्काल स्थापित की जाये।

(नौ) रक्षा सेवाओं के पदों पर भर्ती करने हेतु सम्बलपुर, उड़ीसा में केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं मामला नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

शाखा भर्ती अधिकारी सम्बलपुर के अंतर्गत रक्षा सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों जैसे सिपाही (साधारण ड्यूटी), सिपाही (लिपिक), हवलदार (लिपिक), हवलदार (शिक्षा निरीक्षक) आदि पदों पर नियुक्ति के लिये अभ्यार्थयों को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिये कलकत्ता जाना पड़ता है। इससे अभ्यार्थियों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और इसके लिये उन्हें खर्च करना पड़ता है जिससे बचा जा सकता है। वर्तमान में, सम्बलपुर स्थित भर्ती कार्यालय में कर्नल रैंक का एक अधिकारी प्रमुख के तौर पर नियुक्त है जिसकी देखरेख में लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। यहां तक कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा भी सम्बलपुर में आयोजित की जाती है।

अतः मैं केन्दे सरकार से यह निवेदन करता हूं कि रक्षा सेवा की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भत्री के लिये सम्बलपुर में एक भर्ती केन्द्र की स्थापना की जाये।

2.49 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर टेलीफिल्म का निर्माण

उपाध्यक्ष महोदय : मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर टेलीफिल्म तैयार की जाएगी। टेलीफिल्म तैयार करने तथा उसे प्रसारित करने के लिए दो घंटे के कैप्सूल का प्रस्ताव है। दलों के नेताओं ने अपने सदस्यों के नाम बता दिये हैं जो चर्चा में भाग लेंगे। दलों के लिये निर्धारित समय की सूचना दे दी गई है जिनके भाषणों की टेलीफिल्म तैयार की जाएगी। उन दलों के सदस्य अपने भाषण के शुरू में ही मुख्य मुद्दों को सामने रखना चाहेंगे जिनके भाषण की टेलीफिल्म उस समय के दौरान तैयार की जाएगी। दूसरे मुद्दे जो वे प्रसतुत करना चाहेंगे वे उसके बाद वाले अंश में कर सकेंगे।

2.49$\frac{1}{2}$ म०प०

(दो) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना

उपाध्यक्ष महोदय : 31 मार्च, 1992 को सदस्यों से निवेदन करते हुए यह घोषणा की गई थी कि बैठक के अंत में वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। परिणामस्वरूप, यदि कोई सदस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय संबंधी अपने कटौती प्रस्ताव की पर्चियां समय पर नहीं दे पाए हों तो वे पंद्रह मिनट के अंदर दे दें। साथ ही वे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे।

2.50 म०प०

अनुदानों की मांगे (सामान्य) - 1992-93

मानव संसाधन विकास मंत्रालय - जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी और मतदान करेगी।

इसके लिये छः घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक राजनीतिक दल के लिये निर्धारित समय मैं बता रहा हूं : कांग्रेस (3) दो घंटे 30 मिनट, भाजपा एक घंटा 40 मिनट, जनता दल 36 मिनट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) 22 मिनट, भा० क० पा० 9 मिनट, ए० आई० ए० डी० एम० के० 7 मिनट, तेलगुदेशम 4 मिनट : तैलगु देशम (बी) 4 मिनट, जनता पार्टी 3 मिनट, झा० मु० मो० 3 मिनट, छोटे ग्रुप आर० एस० पी०, शिव सेना, ए० आई० एफ० बी० सी० मुसिलम लींग -- कुल दस मिनट। उन्हें आपस में समय का बंटवारा करना होगा।

[व्यवधान]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मुझे अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार है इसलिए मुझे कुछ समय मिलना चाहिये। नियम के तहत मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं समझता हूँ कि इससे हमें बहुत सहायता मिलती है चूंकि इससे हमें यह पता चलता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल के लिये कितना समय आवंटित किया गया है और आप कितना समय निकाल लेना चाहते हैं और कितने सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। अब श्री जगतबीर सिंह द्रोण।

[हिन्दी]

श्री जगत बीर सिंह द्रोण (कानपुर) : मान्यवर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो अनुदान की माँगे हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि जो साधन जुटाये गए हैं, उनसे हमारे सुयोग्य माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी मानव संसाधनों का विकास करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मुझे स्मरण आता है, पिछली बार जब वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण दिया था तो उसमें बड़े स्पष्ट रूप से एक बात के साथ प्रतिबद्धता प्रकट की थी और कहा था कि बेसिक शिक्षा के विकास में कोई भी कमी किसी भी कीमत पर धन के अभाव में नहीं होने दी जायेगी। लेकिन इस वर्ष में जो उनका बजट भाषण है, उसमें इस प्रतिबद्धता का अभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। हां, महामहिम राष्ट्रपति जी ने निश्चित रूप से इस बात का आश्वासन अपने अभिभाषण में दिया है कि शिक्षा के विकास के लिए समुचित प्रयास किये जायं।

शिक्षा एक प्राथमिकता का विषय है लेकिन सरकार के इस बजट आबंटन से और स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब माननीय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री हैं, उनके अपने दल में, अपनी सरकार में और उनकी योग्यता के प्रति विश्वास भी उनको इतने साधन जुटाने के लिए

सम्भव नहीं कर सका है। मुझे लगता है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव शिक्षा के विकास में निश्चित रूप से देश में पड़ेगा।

इसके बाद एक बात और भी स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि हमारी सरकार जो समय-समय पर घोषणाऐं करती रहती है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी, वर्ष 2000 ए० डी० तक हम पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर लेंगे, अपने बजट का लगभग 6 प्रतिशत हम शिक्षा के ऊपर उपयोग करेंगे। इन सब बातों को देखते हुए और बजट के प्रावधानों को देखते हुए यहां जो शंका स्पष्ट होती है कि नीतियां बनाना अच्छी बात है, अच्छी नीतियां आप बना सकते हैं लेकिन इसके साथ जो आपकी नीयत चाहिए, वह नीयत साफ नहीं है, उन नीतियों को प्राप्त करने के लिए जब आपकी नीयत साफ होगी तभी नियति बदलेगी और जैसी नीयत है उससे नियति नहीं बदलेगी। परिणाम आपके सामने हैं कि आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के 44 वर्ष बाद भी हमारे देश में 48 प्रतिशत पुरूष और 61 प्रतिशत महिलाएं अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। - - -

जरा कल्पना कीजिए, भारतवर्ष एक महान देश है, जिसकी बड़ी महिमामयी परम्परायें रही हैं, वहां पर 61 प्रतिशत मातायें यदि अशिक्षित हैं, तो वे अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे सकेंगी, कैसे उनका लालन-पालन कर सकेंगी और कैसे उनको अपने पूर्व गौरवमयी संस्कृति से परिचय करा सकेंगी। इसमें सन्देह होता है और भावी पीढ़ी के निर्माण पर एक आशंका उत्पन्न होने लगती है।

वर्ष 2000 एडी तक साक्षरता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए शिक्षा को प्राथमिकता का विषय मानना पड़ेगा। घोषणायें हुई हैं, लेकिन जो व्यवहार है, जो बजट में प्रावधान हैं, वह इस बात की ओर स्पष्ट संकेत देते हैं कि इस बजट के प्रावधानों से, वित्त मंत्री जी के भाषणों से, जो योजनायें हैं, वह प्रतिबिम्बित नहीं होती हैं। इनके मन में जो भाव है, जो वे करना चाहते हैं, वह स्पष्ट नहीं होते हैं कि किस तरह से परिवर्तन करेगें। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक आज शिक्षा के क्षेत्र में जो दुर्दशा है, हमारे देश के बच्चों को जो साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, विद्यालयों में प्रवेश मुश्किल है, आज 44 वर्षों के बाद भी हम प्रत्येक ग्राम में प्राइमरी विद्यालय भी उपलब्ध नहीं करा सके हैं, जिससे हम सब को अक्षर ज्ञान करा सकें। अक्षर ज्ञान के पश्चात् उसकी बुद्धि के विकास के लिए एवेन्युज़ खुलते हैं। वह पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद अपनी संस्कृति से परिचय करता है और देश के लिए सुयोग्य नागरिक बनता है तथा देश के निर्माण में सहायक होता है। प्राथमिक शिक्षा की जो उपेक्षा आज तक होती रही है और वर्तमान [illegible] होने जा रही है। आपके बजट एलोकेशन को देखने से ऐसा लगता है। ओवर-ऑल शिक्षा के ऊपर [illegible] करोड़ रुपये की कमी दिखायी गई है। प्राथमिक शिक्षा में बढ़ोतरी है , प्रौढ़ शिक्षा में बढ़ोतरी है, माध्य मक शिक्षा में बढ़ोतरी है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी-अभी जब पिछले जून में इस सरकार ने शपथ ग्रहण की थी, उस समय रुपये का अवमूल्यन हुआ था। मंहगाई बढ़ी है और रुपए की क्रयशक्ति कम हुई है। उसको देखते हुए नौ करोड़ की कमी और उसमें लगभग प्राथमिक शिक्षा में 16.31 करोड़ की वृद्धि, माध्यमिक शिक्षा में 19.03 करोड़ की वृद्धि और प्रौढ़ शिक्षा में 15.13 करोड़ की वृद्धि, यह कोई मायने नहीं रखती है।

मैं एक बात यहां और भी इंगित करना चाहूंगा, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसका जो महत्व है, वह प्रौढ़ से पूरा नहीं किया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में सामान्य में जो हमारी मान्यतायें हैं, जो

प्रयास होते हैं, उसमें यह देखा है कि हस्ताक्षर करने के अभियान चलते हैं। जो प्रौढ़ हैं, उनको चाहे सांयकाल, प्रातःकाल या जब भी उनको समय मिले, उनकी कक्षायें लगाकर उनको अक्षर ज्ञान कराया जाता है। उस पर इतना खर्च करना और प्राथमिक शिक्षा की ओर उतना खर्च न करना, इससे मैं समझता हूं कि जटिल समस्या उत्पन्न होने वाली है।

प्राथमिक शिक्षा की आपने उपेक्षा की, तो ऐसे अनपढ़ बच्चे बड़े होते चले जायेगें, जिनके लिए प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम आपको सदा-सर्वदा चलाते रहने पड़ेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस त्रुटि को ठीक करें। प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाने के लिए कमी आई है। उसके लिए परमावश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसका एक ऐसा तालमेल बैठाया जाए, ताकि हमें प्राथमिक शिक्षा के लिए और साधन उपलब्ध हों सकें। प्रौढ़ शिक्षा चलनी चाहिए और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सामाजिक संगठन हैं और वे अग्रणी होकर अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। सरकार उन सामाजिक संगठनों को प्रेरित कर सकती है, उसमें भी धन की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे स्मरण है, एक सामाजिक संगठन सेवा-भारती, इसके द्वारा इसमें बहुत काम चलाया जा रहा है। कानपुर, जो कि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहां पर उसके 78 केन्द्र हैं। वहां ऐसे बच्चों के लिए, जो कि निर्धन बच्चे होते हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं, उनको पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। उनको पढ़ाया जाता है और इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। ऐसी संस्थाओं को प्रेरणा देने के लिए सरकार काम कर सकती है और प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, उसमें कुछ सुधार हो सकेगा।

सामान्य रूप से देखा गया है, सरकारी विद्यालय, जो सरकार के अनुदान से चलते हैं, जो सरकारी सहायता से चलते हैं, उनको समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, जो प्राइवेट लोगों द्वारा चलाए गए विद्यालयों की है। मैं पूछना चाहता हूं--ऐसा क्यों है ?

3.00 म०प०

इस अंतर का कारण क्या हैं, जो बिना किसी सरकारी अनुदान के इतने प्रभावी ढंग से समाज में विद्या दे सकते हैं, जो समाज के लिए उपयोगी कार्य कर रहे हैं और सरकारी सहायता से जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं उनमें अध्यापक रूचि नहीं लेते हैं। यदि अध्यापक है तो अभिभावक अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते ,इस तरह की एक समस्या आपके ज्ञान में होगी, हम सब देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, एक अनुशासन की आवश्यकता है और इस प्रतिबद्धता के साथ हमारे अध्यापकगण अपने इस कार्य को लें। इसके लिए उनके लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं जो आपके ध्यान में हैं, लेकिन इनके और चलाए जाने की आरवश्कता है।

शिक्षा के लिए जो बजट का 6 प्रतिशत हमें पहुंचना है इसको केवल हम घोषणा करने तक ही रखतें हैं, साधन इसके लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जब आप उत्तर दें तो उसमें यह स्पष्ट करें कि इस लक्ष्य को प्राप्त कब तक करेंगे, क्योंकि अभी जो प्रावधान है वह इतना नहीं है ! एक और भी दुर्दशा विद्यालयों की, जो हमें सामान्य रूप से देखने में आती है वह यह है कि वर्ष भर केवल कुछ दिन के लिए वहां पर अध्यापन कार्य होता है , इसलिए

अभिभावकों का विश्वास विद्यालयों के प्रति समाप्त होता चला जा रहा है। मेरा इसमें एक सुझाव है कि जिन विद्यालयों में 180 दिन तक पढ़ाई न हो, 180 शिक्षण दिवस प्रत्येक प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य कर देने चाहिए और जो हमारी बोर्ड स्तर की परीक्षाएं होती हैं , उन परीक्षाओं के बाद 40 दिन के अन्दर उनका परिणाम घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो परिणाम के विलम्ब में आने से और सत्र के विलम्ब से समाप्त होने से उनका वह समय व्यर्थ में जाता है और इस कारण से वह इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, मेडिकल की पढ़ाई में नहीं जा सकते और अन्योन्य परीक्षाओं में नहीं बैठ पाते। इसलिए उनके लिए निश्चित रूप से एक समयबद्ध कार्यक्रम आपको बनाना होगा, 40 दिन के अन्दर।

परीक्षा परिणाम और 180 शिक्षण दिवस। इसमें मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि इसमें बिना सरकारी अनुदान के इतने प्रभावी कार्य , शिक्षा के क्षेत्र में एक संस्था "विद्या भारती" कर रही है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि लगभग चार हजार विद्यालय मणिपुर से लेकर काश्मीर तक , कन्याकुमारी से लेकर अपने उत्तर तक , इनका एक जाल बिछा हुआ है, जो सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं करते। चार हजार विद्यालय , जो प्रायमरी स्तर के और जूनियर हाई स्कूल स्तर के हैं उनमें लगभग 38,000 अध्यापक, जो वेतन हम अपने अध्यापकों को सरकारी कोष से देते हैं उससे कहीं कम वेतन पर , अधिक प्रमाणिकता के साथ, समर्पण के साथ ग्यारह लाख बच्चों को इस देश में विद्याा दान कर रहे हैं और उनके विद्यालयों को यदि आप जाकर के देखें, उनमें से ऐसे दो विद्यालयों का प्रबंधक मैं भी हूं , वहां जाकर देखें कि वहां कोई अवकाश नहीं होता , कोई हड़ताल वहां पर नहीं होती। वहां पर सब समय से आते हैं, वहां नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, सब मिलजुल कर कार्यक्रम करते हैं, योगासन करते हैं। उनके कार्यक्रम होते हैं, वार्षिकोत्सव होते हैं, उनमें उनको अपनी क्षमताओं का एक विकास करने का अवसर प्राप्त होता है और उनका पढ़ाई का, अध्ययन का जो स्तर है वह भी किसी अन्य विद्यालय से कम न हो करके कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ऐसे विद्यालयों की जो विद्या पद्धति है, मेरा सुझाव है कि उनकी उस पद्धति को लेकर, अध्ययन कर, उसमें जो ग्राह्य विषय हो उनको प्राप्त करके अपने पाठ्यक्रम, अपनी शिक्षा नीति में, शिक्षा पद्धति में उसका समावेश करें तो यह देश के लिए और राष्ट्र के लिए हितकारी होगा।

उपाध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ी समस्या हमारे प्राथमिक स्तर पर जो देखने में आती है वह है ड्राप--आउट रेट बहुत हाई है, प्रवेश तो हम बच्चों का पढ़ाई में करा देते हैं लेकिन लगभग 53 प्रतिशत बच्चे प्रायमरी स्तर की शिक्षा पूरी करने से पहले ही अपने घर वापस चले जाते हैं, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है लेकिन वह प्रयास प्रभावी नहीं है। कहीं--कहीं सुझाव आता है कि शिक्षा को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए , अनिवार्य होनी चाहिए लेकिन अनिवार्य होने से जिस उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं वह प्राप्त नहीं हम कर सकेंगे, उसके लिए एक और बात की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अभिभावकों तथा उनके बच्चों को प्रेरित करना होगा।

[हिन्दी]

एक मोटिवेशन की आवश्यकता है।

3.05 म०प०

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

उनमें एक ऐसी मानसिकता का निर्माण करना होगा, प्रोत्साहन देना होगा, विद्यालयों में एक ऐसा अच्छा वातावरण देना होगा, जिससे वे विद्यालय की ओर आने के लिए चिंतित हों, एक ललक के साथ विद्यालय में आकर वे शिक्षा ग्रहण करें। तभी इस देश का भला हो सकता है और आने वाली पीढ़ी संस्कारित होकर देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ऐसा मेरा सुझाव है।

एक और समस्या जो सबसे बड़ी आजकल हमारे सामने आ रही है और वह है लड़कियों के लिए समुचित शिक्षा व्यवस्था न होना। हमारें देश में महिलाओं के बौद्धिक विकास के लिए और अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए बड़ा आग्रह होता है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महिला कल्याण के लिए वित्त मंत्री जी ने धनराशि में वृद्धि की है, लेकिन प्राइमरी स्तर से ऊपर जाकर जूनियर हाई--स्कूल, हाई--स्कूल और इंटर मीजिएट में लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, मुझे स्मरण है कि कानपूर में पिछली बार 66 प्रतिशत जिस लड़की को हाईस्कूल में अंक प्राप्त हुए थे, उसको ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश का अवसर नहीं मिला। यह बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है। एक ओर हम महिलाओं का विकास करना चाहते हैं, उनमें शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, उनको समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हम उनको विद्यालय उपलब्ध नहीं करा पाते। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात का संकल्प लें, इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें जससे हमारी लड़कियां अपने जीवन को राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अधिक उपयोगी बना सकें। इसके लिए लड़कियों को शिक्षा का अवसर निश्चित रूप से मिलना चाहिए, उनको विद्यालयों में प्रवेश निश्चित रूप से मिल जाना चाहिए। ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था समाज में होनी चाहिए।

सभापति महोदय, बजट में जो प्रावधान किया गया है, जो साधन जुटाए गए हैं, उनमें एक बात मुझे बड़ी खटक रही है। उच्च शिक्षा के लिए लगभग 24-84 करोड़ की कमी की गई है। हमारा विकासशील देश है। इसमें भी विशेष रूप से यूजीसी का जो कोटा है, उसमें कमी की गई है। यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा और शोध कार्य के लिए जो सहायता दी जाती है, विद्यार्थियों के लिए जो साधन जुटाए जाते हैं, उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि ऐसा किया तो इससे बड़े दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे जो हमारे देश के भविष्य को प्रभावित करेंगे। मंत्री महोदय कृपया इसको देखें। हम जो ब्रेन--ड्रेन को चैक करने की बात करते हैं, मेधावी छात्रों को देश में अवसर न मिलने के कारण वे विदेश जाते हैं, इससे वे विदेश जाने के लिए प्रेरित होंगे और यह देश के लिए बड़ा घातक होगा। इस पर अंकुश लगना चाहिए और इसमें जो कटौती की गई है, मेरा आग्रह है कि इसमें कटौती न करें, बल्कि कुछ वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को शोध कार्य करने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।

जब उच्च शिक्षा की बात चल रही है तो मैं एक और बिंदु इसमें जोड़ना चाहता हूं। उच्च शिक्षा में केवल वही छात्र प्रवेश पाए जो आपने आप को इसके योग्य सिद्ध करे। प्रत्येक छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो बेरोजगारी आदि समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। मेरा सुझाव है और जैसा आप भी

कहते हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण होना चाहिए, शिक्षा व्यवसायोन्मुखी हो। टैन प्लस टू के बाद रूचि के हिसाब से, छात्र की गति को देखते हुए, क्या उसकी रूचि है, उसी तरफ उसको प्रेरित करें, ताकि वह व्यवसायोन्मुख होकर शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने आप को सुनिश्चित कर सके और घर, परिवार को चलाने के लिए आय सुनिनिश्चत कर सके और उच्च शिक्षा केवल उन्हीं छात्रों को दी जाए, जो इसके पात्र हों, इससे भीड़ भी कम होगी। इसके लिए एग्रो इंडस्ट्रियल पोलीटेक्निक जिलास्तर पर खोले जाने चाहिए। अभी भी पोलीटेक्निक हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं हैं। आज भी एमएलए, एमपीज और मिनिस्टर्स के पास जाकर लोग कहते हैं कि उनके बच्चे को आईटीआई में प्रवेश दिलवा दीजिए। हमें ऐसे और इंस्टीट्यूट्स खोलने चाहिए, इससे हमारी बेराजगारी कम होगी, हमारे यहां शिक्षित बेरोजगारी बहुत है और ऐसे लोगों को व्यवसाय की ओर प्रेरित किया जा सकता है, इसका प्रयास होना चाहिए , लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है।

ड्राप-आउट रेट कम करने के लिए सरकार ने एक आपरेशन ब्लैक-बोर्ड चलाया था, वह स्वागतयोग्य था। लेकिन वह कहां तक प्रभावी हुआ, इसका मूल्यांकन, विश्लेषण करना आवश्यक है।

जब यूनिसेफ की रिपोर्ट आयी तो 53 समथिंग ड्रापआउट रेट प्राईमारी स्तर पर था। तो चिन्ता हुई। जैसे मैंने मोटीवेशन अभी कहा था, वह देने के लिए, कुछ सुविधाएं देने के लिए, निर्धन जो हैं, साधनहीन जो बच्चे हैं, उनकी यूनीफार्म, दोपहर का भोजन, पुस्तकें एवं अन्य साधन उपलब्ध करवाएं जिससे कि वे विद्यालय आएं, उसका क्या परिणाम हुआ इसका विश्लेषण बहुत आवश्यक है। क्या ड्रापआउट रेट प्राईमरी स्तर पर जो है उसमें कुछ कमी आयी है, क्योंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आंकड़ें जो पिछले थे उसी के आधार पर अभी कुछ ही दिनों पहले इसी सत्र में एक जवाब भी आपकी तरफ से गया। उसमें भी लगभग यही बात कही गयी है। उसके बाद के जो आंकड़ें हैं उसके आधार पर मूल्यांकन कर के, विश्लेषण करके इसको आगे बढ़ाना होगा।

जैसे मैंने पहले कहा था प्राईमरी स्तर पर शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया हैं, हमें निश्चित रूप से प्रौढ़ शिक्षा पर भी बहुत जोर देना होगा। हम पूर्ण साक्षरता चाहते हैं। हमारा देश ऋषियों, मुनियों का देश है, मैत्रीई और गांधी का देश है। उस देश में अधिकतर माताएं, बहनें अशिक्षित हों, 48 प्रतिशत पुरुष अशिक्षित हों यह हमारे लिए एक कलंक है। इसे हम शीघ्रातिशीघ्र धोने का प्रयास करें। आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2000 तक आप पूर्ण साक्षरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान साधनों से आप प्राप्त कर सकेंगे इसमें मुझे सन्देह है। मुझे ज़रा भी संकोच नहीं है यह कहने में कि वर्तमान साधन के भीतर रहते हुए माननीय मंत्री जी आप इसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अपने प्रभाव का उपयोग कीजिए, साधन बढ़ाइये, तब आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तभी हम गर्व के साथ यह कह सकेंगे कि हमारे देश में कोई भी निरक्षर भट्टाचार्य नहीं है। (**व्यवधान**)

वैसे तो मेरे अन्य सहयोगी खेल कूद, स्पोर्टस एण्ड गेम्ज़ पर बोलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय मैं भी लेना चाहूंगा। क्योंकि बेसिकली मैं फिजिकल एजूकेशन से हूं, मंत्री जी के प्रदेश से, ग्वालियर से बैचलर डिग्री मैंने ली है। मैंने बजट की अनुदान मांगों में देखा, मुझे एक कष्ट हुआ कि-- -

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप बोल सकते हैं, लेकिन आगे के आपकी पार्टी के जो वक्ता हैं उनका समय कम होगा। यह ध्यान रखिए।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : सभापति जी, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। मैं केवल टचअपोन करूंगा,

[अनुवाद]

मैं यह महसूस करता हूं कि इस विषय में मेरी बात भी मानी जानी चाहिये।

[हिन्दी]

स्पोर्टस ओथोरिटी ऑफ इण्डिया का गठन हुआ जिससे कि हम खेलकूद का, प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकें, खेल कूद के स्तर को बढ़ा सकें, ऐसा प्रयास कर सकें। जो छिपे हुए टेलेंट स्थान-स्थान पर हैं उनको लोकेट करके हम देश के लिए उनका उपयोग कर सकें। यह संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही थी। अभी अनुदान मैंने देखा, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इस बार पिछली बार से लगभग 5 करोड़ रुपये की अनुदान में कमी की है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। जिस गति से हम खेलकूद में प्रगति करना चाहते हैं, खेलों का विस्तार करना चाहते हैं, उसमें यह बाधक सिद्ध होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, मेरी मांग है कि इस अवमूल्यन के साथ तो इसमें वृद्धि होनी चाहिए, 85 करोड़ की आबादी वाले देश में ओलम्पिक होते हैं या क्रिकेट की वर्ल्ड कप प्रतियोगिता होती है, हमारी आंखें टेलिविजन पर हुआ करती हैं और हम निराश हो जाते हैं जब हमारा शून्य वहां पर दिखायी देता है। जब तक हम उनकी असीमित क्षमताओं का दोहन नहीं करेंगे, स्पोर्टस ओथोरिटी ऑफ इण्डिया, मेरा अनुमान है कि वर्तमान परिस्थितियों में बड़ा उपयोगी कार्य राष्ट्र के लिए कर रही है और उस कार्य में कोई भी, किसी भी प्रकार की साधनों की कमी नहीं आने देनी चाहिए। मुझे क्षमा करें मैं इसमें करेक्शन कर रहा हूं, स्पोर्टस ओथोरिटी ऑफ इंडिया के लिए 3.37 करोड़ की कमी है, जबकि ओवरआल गेम्ज एंड स्पोर्टस के बजट में आपने 5 करोड़ की कमी की है। वहीं एक प्रसन्नता की बात है पता नहीं क्या कारण है उसके पीछे कि स्पोर्टस फैडरैशन के अनुदान में वृद्धि की है। जो संस्था राजनीति का अखाड़ा बनी है, जिनका कोई भी उपयोगी कार्य खेलकूद के क्षेत्र में नहीं है।

जहां पर किसी न किसी दल का राजनीतिज्ञ अध्यक्ष या मंत्री बनकर बैठा हुआ है। जहां टांग घसीटी जाती है, तो उनके अनुदान में 46 लाख की वृद्धि की है। मैं नहीं समझता इसके पीछें क्या कारण हैं। स्पोर्टस अथारिटी आफ इंडिया में कमी और आल ओवर गेम्स में कमी हुई है। स्पोर्टस फैडरेशन में 46 लाख की वृद्धि, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। मैं फिजिकल एजुकेशन का विधार्थी रहा हूं इसलिए इस विषय पर एक आग्रह करना चाहूंगा। खेल-कूद में प्रोत्साहन देना और खेल-कूद का स्तर बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से प्रत्येक विधालय में अनिवार्य कर देना चाहिए। इसमें एक फिजिकल टीचर की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। सामान्य अध्यापकों और फिजिकल टीचर्स के वेतनमान में अंतर बना रखा है, इसको मिटाना पड़ेगा। अगर अंतर रहेगा तो अच्छे खिलाड़ी--------------शारीरिक क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। मैं, एक गोल्डमैडल वहां से लेकर निकला हूं। उसके बाद मुझे 125 रूपए का जाब आफर किया गया। उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करने का निश्चय किया। खेल के क्षेत्र में यदि हमें प्रतिभाशाली छात्रों को उत्पन्न करना है तो उसके लिए फिजिकल टीचर्स और सामान्य टीचर्स के वेतनमान को समाप्त करना होगा। प्रत्येक विधालय के पास एक प्ले--ग्राउंड होना चाहिए। जो खेल संगठन हैं उसमें खेल विशेषज्ञ हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों का उसमें प्रवेश हो गया है जिसके कारण उसका स्तर निम्न से निम्न होता जा रहा है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। - - - -(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने आधा घंटा ले लिया है।

श्री जगत बीर सिंह द्रोण : मैं आपकी अथारिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने पोने तीन बजे शुरू नहीं किया। मैं, माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भारतीय खेलों की परंपरा है, उसमें अधिक व्यय नहीं होता है, चाहे कबड्डी, मलखम, कुश्ती, घुड़सवारी या तैराकी ले लीजिए जिसमें अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। इससे शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्र में इसके लिए असीमित क्षमता वाले लोग हैं। उनको निकालकर बाहर लाए। यहां पर ममता बैनर्जी बैठी हुई हैं। उन्होंने एक बार जवाब दिया था कि यहां पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लेकिन जैसे होने चाहिए, वैसे नहीं होते। इसको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। आज सामान्य रूप से शिक्षा का उद्देश्य यह हो गया है कि डिग्री प्राप्त करने के बाद नौकरी प्राप्त करनी है। शिक्षा का यह उद्‌देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है मानवमात्र का बौद्धिक, शारीरिक और सामाजिक विकास करके समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाना जिससे वह राष्ट्र का कर्णधार साबित हो सके। इससे हम अविकसित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्यों में कमी आई है तो उसके... पाठ्यक्रम में सुधार लाना, प्राथमिक शिक्षा को यूनिवर्सल बनाना, ऐसा महामहिम राष्ट्रपति ने अपने भाषण में आश्वासन दिया है कि हम शिक्षा को यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। प्राथमिक शिक्षा आधार है, वह रीढ़ की हड्डी है और जो शिक्षा के क्षेत्र में उपेक्षित होता रहा है, वह आगे नहीं होना चाहिए। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : सभापति महोदय, बात सितम्बर 1985 की है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में मेरे विचार से एक मात्र रचनात्मक निर्णय लिया था। यह निर्णय एक विचारधारा का परिणाम था और मेरे विचार में वह विचारधारा विवेक पर आधारित था। वह विचारधारा क्या थी ? विचार यह था कि मनुष्य की आवश्यकता भिन्न-भिन्न है और कई तरह की है, पर मनुष्य अविभाज्य है। इसलिए यदि मनुष्य के एक पहलू का विकास उसके सर्वांगीण विकास को मद्‌देनजर रखते हुए नहीं करें तो यह हमारी भारी भूल होगी। उदाहरणार्थ, केवल शिक्षा के द्वारा प्राप्त की गई स्वस्थ मानसिकता ही पर्याप्त नहीं है, इस स्वस्थ मानसिकता के लिये स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। इसीलिए शिक्षा विभाग का संबंध खेल विभाग से होना चाहिये।

उसी तरह यदि आधुनिक भारत के निर्माण के लिये मानसिकता, एक आधुनिक मानसिकता तैयार करनी है, एक तो मानसिकता का आधुनिकीकरण सभ्यता और संस्कृति विभाग का निरंतरता अथवा उसके संरक्षण से विमुख नहीं होना चाहिये इसीलिये संस्कृति विभाग का शिक्षा तथा खेल विभाग के साथ समन्वय होना चाहिये।

लेकिन, मेरे विचार से राजीव जी अपने पांच वर्ष के शासन काल के अंत में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यह महसूस करने लगे कि जहां मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उन विभिन्न तथ्यों का समावेश हो जिनका मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में योगदान है उन्होंने उस सम्बन्ध में बहुत हद तक सफलता पाई, परन्तु मानवता का आधा हिस्सा यानि भारत की नारियों के संदर्भ में यह अत्यंत अपर्याप्त है।

मात्र यह दृष्टिकोण कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से महिला और बाल विकास विभाग से जुड़ा रहना ही पर्याप्त नहीं है और इसके परिणाम भारतीय महिलाओं के संदर्भ से संतोषजनक नहीं हैं। भारतीय महिलाओं को समान अवसर, समान दर्जा और राष्ट्रीय विकास में योगदान की समान संभावनाओं, जैसा कि पुरूषों को परम्परागत तौर हमारे तथा विश्व के अन्य देशों में दी गई है, वाली इस विचारधारा के परिणामस्वरूप विभिन्न एजेन्सियों ने महिलाओं के व्यक्तित्व की अविभाज्यता पर विचार प्रकट किया है और उसी आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिन पर 19 नवम्बर 1989 में एक कार्यक्रम, इंदिरा महिला योजना के प्रारूप की घोषणा श्री राजीव गांधी ने की। कुछ ही दिनों बाद उनकी सरकार गिर गई।

1991 के चुनाव घोषणापत्र में यह कहा गया था कि इंदिरा महिला योजना, जिसका प्रारूप राष्ट्र के समक्ष रखा गया था, को विस्तार से पूरा किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा तथा उसे देश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। 1990-91 के चुनाव घोषणा पत्र की बातों के विपरीत इंदिरा महिला योजना के मूल्यांकन और उसे प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष समय सीमा तय नहीं की गई थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस योजना पर कार्य कर रही है और हम इस योजना को मौजूदा लोक सभा के कार्य से पहले संसद में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद करते हैं।

इंदिरा महिला योजना का सार इस मान्यता में निहित है कि किसी महिला के जीवन के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें उसके द्वारा राष्ट्र निर्माण में उसकी पूर्ण भूमिका निभाने के लिए उसे तैयार करने में लगाने की आवश्यकता है।

पहला तत्व है जागरूकता या इस बात को ईमानदारी से मान्यता देना कि वह भी मनुष्य के समान है और उसके समान अधिकार हैं, उसके कर्तव्य और जीवन को सुखमय बनाने के लिए हरेक चीज की प्राप्ति की चाह की आवश्यकता समान है।

दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है उसे अधिकार देना, राष्ट्रीय जीवन में उसके अस्तित्व को मानवता के आधे पुरूष वर्ग के साथ समानता की चेतना को कार्यरूप दे पाने मकी क्षमता जो समाज में पुरुषों की परंपरागत रूप से प्राप्त स्थिति से किसी भी तरह से तुच्छ नहीं है।

इस ईमानदारी और शक्ति प्रदान करने के कार्य को करने के लिए राजीव गांधी ने महसूस किया था कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महिला और वाल विकास के लिए बनाए गए सभी विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही एजेंसी के माध्यम से निचले स्तर तक पहुंचाया जाए, और दूसरी तरफ आवश्यकतानुसार महिलाओं को इस तरह से संगठित होना चाहिए कि वह वितरण एजेन्सी के साथ व्यवहार करते समय बात कर सकें। अतः इंदिरा महिला योजना की अनिवार्य बात यह है कि फिलहाल, महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के जो भी पच्चास या शायद अधिक कार्यक्रम हैं उन्हें किसी तरह से एक साथ लाया जाए, यदि किसी भी तरह से एक कार्यक्रम के रूप में नहीं तो उन्हें किसी भी कीमत पर एक ही वितरण तंत्र के अन्तर्गत लाया जाए और दूसरी तरफ, आवश्यकतानुसार महिलाओं को महिला सभाओं के रूप में संगठित होना चाहिए ताकि वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। बहुत से मामलों में नेतृत्व करने वाली महिलायें नौजवान होंगी, अपेक्षतया बेहत्तर पढ़ी-लिखी होंगी, सुस्त न होकर अधिक शक्तिशील होंगी, वे महिलाएं नहीं होंगी जिन्हें केवले अपने और अपने परिवार की ही चिन्ता होगी बल्कि वे महिलाएं होंगी जिनमें समुदायिक चेतना की भावना होगी, महिला सभाओं द्वारा ही चुनी गई इन महिलाओं

का नाम होगा "साथिन या सहचरी, इस बात पर बल दिया गया था कि महिला सभा की ओर से संभाषी के रूप में कार्य करने वाली साथिन एक ही एजेंसी जिसे हम शायद इंदिरा महिला एजेन्सी या इंदिरा महिला केन्द्र कह सकते हैं, से व्यवहार करेगी और इस प्रकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार निचले स्तर तक जो कुछ पहुंचाना चाहती है क्या वास्तव में वह निचले स्तर तक पहुंचता है और निचले स्तर तक जो कुछ पहुंचता है और निचले स्तर पर जो महिलाएं हैं क्या वे यह महसूस करती हैं कि यह उनकी आवश्यकता है।

यह सदभावनापूर्ण पैतृकवाद की सदभावनापूर्ण अधिनायकतंत्र प्रणाली को समाप्त करने का एक क्रांतिकारी प्रयास था, जिसमें कुछ लोग बाहर से चाहे वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी हो या चाहे वह राज्य की राजधानी में बैठा हुआ कोई मंत्री हो या चाहे वह केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हो, यह निर्धारित करते हैं कि किसी खाश गांव की महिलाओं और बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है। हम देखना चाहते हैं कि महिलाएं इस बात को भली भांति समझें कि वे क्या चाहती हैं और उन्हें पर्याप्त अधिकार मिले ताकि वे यह मांग कर सकें कि वे उससे अधिक प्राप्त करना चाहती हैं जो उन्हें किसी के द्वारा दिया जा रहा है।

यह अनुमान लगाया गया था कि यदि बहुत कार्यक्रमों के लिए ऐसी एक ही वितरण प्रणाली शुरू की जाए जिसकी आज करीब-करीब उतनी ही वितरण प्रणालियाँ हैं जितने कि कार्यक्रम तो इससे प्रशासनिक लागतों में पर्याप्त बचत होगी इससे आठवीं योजना के अंत तक भारत की महिलाओं और बच्चों को 50000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि वितरित की जा सकेगी और यह एक ऐसी प्रणाली है जो जनकोषित न होकर सहभागी है। जिसमें महिला सभाओं की महिलाओं को स्वयं यह तय करना होगा कि सरकार के साथ उनकी संभाषी कौन बने, जिसमें भारत की किसी भी महिला को यह भय न हो कि वह पुरूष बहुलता वाली जगह की ओर बढ़ रही है, जहां भारत की कोई महिला स्वयं को पंगु महसूस न करे क्योंकि उसके मां-बाप पुत्री की जगह पर पुत्र संतान की तरजीह देते, उसके मन में इस तरह की भावना न हो, जहां भारत की कोई महिला यह महसूस न करे कि उसका भविष्य केवल उसके पति के भविष्य पर निर्भर है, जहां भारत की महिला की अपनी पहचान हो और अपना अस्तित्व जान लेने के बाद यह महसूस करे कि उनकी संख्या भारत के लोगों के 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

और यह इस शक्ति को परिवर्तित करने के कारण संभव हुआ, भारतीय परंपरा से उत्पन्न हुआ और यह इस शक्ति को परिवर्तित करने से संभव हुआ कि हम अन्ततः पूरे राष्ट्र को बल प्रदान करने में सफल होंगे। यह योजना अत्यधिक नाटकीय ढंग से भारत के भाग्य को बदल कर रख देगी। जैसा कि हम जानते हैं कि मैं भारत को 21 वीं शताब्दी में ले जाने के लिए इंदिरा महिला योजना की रूप रेखा में निहित सपनों को साकार करने और उसमें निहित आकांक्षाओं को पूरा करने के अलावा. कोई बेहतर तरीका नहीं सोच सकता हूं।

जहां एक ओर राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे दस्तावेजों में यह टिप्पणी होने से मुझे खुशी है कि इस पर कार्य हो रहा है वहीं दूसरी ओर शास्त्री भवन से निकली कुछ अफवाहों से मैं चिंतित भी हूं। इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रहीं है कि इस समय बहुत से विभाग पृथक रूप से बहुत से कार्यक्रम चला रहे हैं। यदि इंदिरा महिला योजना को सफल बनाना है तो इन सभी कार्यमक्रमों को एक साथ लाकर

मिलाना होगा या इन्हें एक ही समन्वयकर्ता अधिकारी के अन्तर्गत लाना होगा। भूतपूर्व अफरशाह होने के नाते मैं खुद जानता हूं कि विभाग अपनी जिम्मेदारियों से कितना बचना चाहते हैं और वे इन जिम्मेंदारियों को बांटने में कितने अनइच्छुक होते हैं। अब हमें अपने आपसे प्रश्न पूछना होगा कि क्या केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभागों के निहित स्वार्थ हैं जो हावी होंगे अथवा क्या भारतीय महिलाओं के हित हावी होंगे। हमें अपने आपसे पूछना होगा कि क्या यह देश अपनी आबादी के आधे आग की शक्ति को परिवर्तित करने के लिए अस्तित्व में हैं, या क्या इसका अस्तित्व केवल भारत सरकार के कुछ विभागों में सचिवों को वह साम्राज्य देकर खुश रखने के लिए है जिसका निर्माण उन्होंने नहीं किया बल्कि विरासत में मिला है। मैं यह विश्वास नहीं करता कि कोई भी सरकारी विभाग (परिभाषानुसार इसमें सरकारी मंत्री भी शामिल हैं।) उसकी अपनी मर्जी के होंगे, जो राष्ट्रहित में अपने अधिकारों का त्याग करने को तैयार होंगे। यह निर्णय सबसे पहले करना होगा, इसीलिए श्री राजीव गांधी ने इंदिरा महिला योजना शुरू की थी जो कि प्रधानमंत्री के खुद के दिमाग की उपज थी। मुझे विश्वास है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस मामले में प्राथमिक कार्रवाई पूरी किये जाने के बाद वह इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल तक और मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री तक पहुंचाये ताकि उन विभागों और मंत्रियों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सके जो आपके साम्राज्य को छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं ताकि हमें इंदिरा महिला योजना मिल सके और वास्तव में इन 50-60 कार्यक्रमों को, जो महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए फिलहाल चलाये जा रहे हैं, इस योजना के अन्तर्गत लाया जा सके।

दूसरी ओर पूरे देश में सभी गांवो और मुहल्लों में महिला सभाओं के नेटवर्क से इसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें महिला महिला की हैसियत से बाहर से बिना किसी साधारण दखलंदाजी के एकत्रित हो। और स्वयं यह तय कर सकें कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए खुद को प्रस्तुत करने की इच्छुक हैं।

अब मैं दो अन्य विषयों के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। इनमें पहला शिक्षा का क्षेत्र है। वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से हमेशा सहमत नहीं होता लेकिन इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि उस सज्जन ने जिन्होंने बहस की शुरूआत की, यह कहकर राष्ट्र की नब्ज पर अपनी अंगुली रख दी है कि हमारा शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का बहुत ही कम अंश खर्च किया जाना बहुत ही शर्मनाम है। मैं यह शब्द बहुत सोच-समझकर प्रयोग कर रहा हूँ। 1968 ई० में भारत सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप में यह निर्णय लिया गया था कि सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जायेगा। लेकिन हम अपने लोगों का बौद्धिक विकास करने के बजाय रक्षाकार्यों भारी उद्योगों की स्थापना और यहाँ तक कि उर्वरक अनुदान जैसी चीजों पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं जो, मेरी राय में, इस राष्ट्र के विकास में हमारे लोगों के शिक्षा की अपेक्षा बहुत कम महत्व रखते हैं। आखिरकार जैसा कि पंडित जी ने कहा था, भारत क्या है ? यह देश केवल यहां की मिट्टी पेड़-पौधें पहाड़ और नदियां ही नहीं है। हमारे देश का खनिज भण्डार ही भारत नहीं है। वे मंदिर जिन्हें हमने बनाया है और वे आधुनिक मंदिर जिनका हम निर्माण कर रहे हैं वे भी भारत नहीं है। बल्कि भारत के लोग भारत हैं। और अगर भारत के इन नौ सौ मिलियन महान लोगों को अपने बूते पर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी आगे बढ़ना है तो उन्हें जिन्दगी का मुकाबला करने में सक्षम बनाना होगा और भारत को मानवीय सभ्यता की होड़ में इसके पारम्परिक स्थान पर पूनर्स्थापित करने हेतु योग्यताओं से सुसज्जित करना होगा। यह तभी संभव हो सकता

है जबकि सभी भारतीयों को शिक्षा का समुचित अवसर मिले। और ऐसा अवसर प्रदान करने के लिये, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें शिक्षा के लिये प्रर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे। मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री से जो इस चर्चा में बैठकर हमें सम्मानित कर रहे हैं, अनुरोध करना चाहूँगा कि वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री से सलाह करके अपने जबाव में यह घोषणा करें कि भारत सरकार कम से कम सिद्धान्ततः यह स्वीकार करती है कि अगले दस सालों में नौंवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा और यह कार्य क्रमिक गति से होगा। दूसरे शब्दों में, सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत का यह लक्ष्य हम सन 2000 तक नहीं टाल सकते बल्कि इस दिशा में हमें आज से ही अग्रसर होना पड़ेगा। भले ही देश के रक्षा, उद्योग और अर्थतंत्र के साथ कुछ भी हो हम प्रतिवर्ष सही मायने में निरन्तर आगे बढ़ेंगे ताकि इस शताब्दी के अन्त तक हम सकल घरेलू, उत्पाद के 6 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

ऐसा करते समय हमें वितरण-प्रणाली में दो व्यापक रचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो यह कि हमें प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंप देनी चाहिए। मुझे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का सरकारी नौकर होना और उनके एक गाँव से दूसरे गाँव में, स्थानान्तरण होते रहना तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि वे उस समुदाय के प्रति जिम्मेदार नहीं हो पाते जिसकी वे सेवा करते हैं और न ही उनकी नियुक्ति उस समुदाय के द्वारा की जाती है जो उनकी सेवा प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। मुझे इसमें भी कोई कारण नहीं दिखाई देता कि 'अ' गाँव किसी शिक्षक को 600 रुपये का भुगतान करने को तैयार है जबकि 'ब' गाँव सिर्फ 300 रुपया देना चाहेगा। मुझे इस बात में भी कोई तुक नजर नहीं आती कि 'अ' गाँव के लोग अपने ही संसाधन से उस शिक्षक की नियुक्ति करने में सक्षम नहीं हैं। फिर हमारे गाँवों के प्रतिभाशाली युवा और युवतियाँ अपने गाँवों को छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। गाँवों के तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति अवसरों की खोज में अन्यत्र पलायन करने के कारण ही हमारे गाँव आगे विकास करने के बजाय, निरंतर पिछड़ते ही जा रहे हैं। अगर हम संविधान में 72 वें और 73 वें संशोधन विधेयकों के अन्तर्गत क्रमशः पंचायती राज्य व्यवस्था और नगरपालिका व्यवस्था को लागू करने में सफल होते हैं तो निश्चय ही इस देश में लोकतंत्र में तिहरी प्रणाली का सूत्रपात होगा। उसके बाद, मेरी सिफारिश है, कि प्राथमिकी बल्कि प्रारम्भिक शिक्षा का संपूर्ण विस्तार पंचायतों और नगरपालिकाओं को सौंप दिया जाये और जड़ से जुड़ी इन संस्थाओं को प्रतिपूर्ण अधिकार दिये जाँय कि वे जितना चाहें धन दे सकें ताकि वे इस प्रणाली को ढंग से चला सकें जिससे कि हमारे सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर मिल सके।

और इस प्रक्रिया में, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा अत्यधिक मँहगा हो जाये न कि कम खर्चीली। इसको अधिक मँहगा बनाने का यह अर्थ नहीं है कि तेजस्वी युवा और युवतियों को उनके अवसरों से वंचित कर दिया जाये। उनको तो यह अवसर मिलना ही चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह महत्वपूर्ण होगा कि उन प्रतिभाओं के नियोक्ता को, चाहे वह सरकारी विभाग हो या निजी क्षेत्र के उद्योग या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, उनके शिक्षा का भार स्वयं वहन करना चाहिये क्योंकि वे ही अन्ततः उस उच्च शिक्षा से लाभान्वित होते हैं। अगर हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को उनके द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में अपना अंशदान करने पर उन्हें आयकर या निगमित करके प्रत्यक्ष भुगतान में छुट देने हेतु हमें आपके तंत्र में कोई परिवर्तन करने की जरूरन पड़ती है, तो

कदाचित हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के व्यापक विस्तार के लिये बजट संसाधन जुटा सकते हैं। उच्च शिक्षा का भार हमें सरकार पर नहीं डालना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सरकारी विभाग अपने आंतरिक बजट में से ही, उन संस्थानों को धन उपलब्ध करायेंगे जहां से प्रतिभाओं को वे अपने यहाँ लाते हैं।

अन्त में, और सिर्फ एक वाक्य में ही, मैं संस्कृति विभाग की चर्चा करूँगा क्योंकि प्रारम्भ में मैं श्री के.पी.सिंह देव के साथ जो कि उस समय संस्कृति राज्य मंत्री थे, उस विभाग से जुड़ा हुआ था जब श्री राजीव गाँधी की पहल पर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की जा रही थी। मुझे लगता है कि इस योजना के लागू होने के छः या सात वर्षों बाद इन संस्थाओं ने शिक्षण का महान कार्य किया है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमने इससे बहुत कुछ सीखा है और अभी बहुत कुछ सीखना बाँकी है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के विस्तार के साथ ही संभवतः 1986 में श्री राजीव गाँधी ने सँस्कृति विभाग के नियन्त्रणाधीन दूसरी संस्थाओं की समीक्षा करने हेतु हस्कर समिति गठित की थी। और अब शायद समय आ गया है कि इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की काम-काज की जाँच करने और यह देखने हेतु कि किस हद तक इन संस्थाओं ने उन लक्ष्यों को पूरा किया है जिनके लिये इनकी स्थापना की गई थी, तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि इनको अपने भावी कार्यों को पूरा करने हेतु किस रूप में ढाला जाय, एक संसदीय समिति गठित की जाये। ऐसी समिति की अध्यक्षता के लिये निजी तौर पर मैं कहूंगा कि श्री के.पी. सिंह देव जो कि इस योजना के प्रवर्त्तक रह चुके हैं, ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं यह पता लगा सकेंगे कि जिस रास्ते पर उन्होंने हमें लगाया था उससे हम अपने लक्ष्य पर पहुँच पाये हैं या नहीं।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था, जिसके अन्तर्गत अनेक विभाग रखे गये थे जैसे---शिक्षा, युवाकार्य, महिला और बच्चे, कला और संस्कृति, खेल-कूद आदि। महोदय, समयाभाव के कारण मेरे लिये उन सभी विषयों और विभागों पर बोलना संभव नहीं है। मैं अपने भाषण को शिक्षा--और वह भी देश के अल्पसंख्यकों के लिंये शिक्षा--जैसे विषय तक ही सीमित रखूँगा।

इस मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था, और 1986 में संसद के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनायी गई थी। इस नीति को फौरन ही लागू किया जानां था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई परियोजना के अनुरूप, नीति संबंधी समिति के रूप में एक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1986 की नई शिक्षा नीति को लागू करनें के कार्यक्रम में यह माना गया है कि मुस्लिम और नव-बौद्ध देश के सबसे पिछड़े हुए संप्रदाय हैं। जहाँ तक नव-बौद्धों का प्रश्न है, वे पूर्ववर्ती सरकार ने इनका बड़ा ख्याल रखा है, और अब वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण जैसे लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

अब प्रश्न मुसलमानों का है। मुस्लिम समुदाय 1986 के रपट के अनुसार देश का सबसे पिछड़ा हुआ संप्रदाय है। सभापति महोदय, मैं इस मुद्दे को कैसे व्यक्त करूँ ? मेरे अनुसार, मुसलमान भारत राष्ट्र श्रखंला की अति महत्वूपर्ण कड़ी है और किसी जंजीर के मजबूती की परख उसकी सबसे कमजोर कड़ी की शक्ति से होती है। अगर जंजीर की कोई भी कड़ी कमजोर या दोषपूर्ण है तो इसका मतलब है

कि सम्पूर्ण राष्ट्र ही कमजोर और दोषपूर्ण हैं। इसलिये इस पिछड़े संप्रदाय की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए थे। यह एक दुखद तथ्य है कि भारतीय मुसलमान आजादी के बाद शैक्षणिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। यद्यपि जनगणना के दौरान समुदायवार साक्षरता के आंकड़ें संग्रह किये जाते हैं लेकिन लगता है कि उसका प्रकाशन जान-बूझकर रोका गया है। महोदय, आजादी के पूर्व जनगणना रिपोर्ट के प्रकाशन में समुदाय-वार आंकड़ें दिये जाते थे लेकिन आजादी प्राप्ति के बाद से ऐसा करना रोक दिया गया है। जबकि, नई शिक्षा नीति कार्यक्रम को लागू करने से सम्बन्धित दस्तावेज में यह स्वीकार किया गया है कि मुसलमान और नव-बौद्ध शैक्षणिक रूप से इस देश के सबसे पिछड़े संप्रदाय हैं। चार दशकों से भी अधिक अवधि तक इस शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति को छिपाकर रखने पर अफसोस जाहिर करने के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगर ये आँकड़े उपलब्ध कराये गये होते तो पिछड़े समुदाय जो ऐसे आँकड़ों की अनुपस्थिति में निष्क्रिय थे, निश्चित रूप से अपने शैक्षणिक स्थिति को सुधारने हेतु चौकस हो गये होते। राष्ट्र भी उनके दुर्दशा के प्रति सजग हो गया होता और उनको इस पिछड़ेपन की दल-दल से निकालने की कोशिश की जाती।

सभापति महोदय, बहुत देर से सरकार ने यह महसूस किया कि पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग अपेक्षाकृत विकसित दूसरे समुदायों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता है। कार्य योजना में अल्पसंख्यकों के शिक्षा के लिये अलग से एक अध्याय जोड़ा गया। यह भी एक कुतूहल का विषय है कि शिक्षा का, जिसकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, 15 सूत्री कार्यक्रम में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। सभापति महोदय, यह तो सर्वविदित है कि सन् 1983 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों की प्रगति और उनके आर्थिक विकास के लिये 15 सूत्र निर्धारित किये गये हैं। मेरे पास उनके दो उप-बन्ध 11 और 12 मौजूद हैं। मैं उस 15 सूत्री कार्यक्रम से उद्धरण पढ़कर सुनाता हूँ। :–

"विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती हैं। अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षणिक प्रणाली का लाभ उठाने में हमेशा पीछे रहते हैं जिससे कि वे समान आधार पर इन परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकें। उनको इस पिछड़ेपन की स्थिति से उबारने के लिये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में कोचिंग कक्षाएं आरम्भ किये जाने की बात को प्रोत्साहन देने के लिये कदम उठाये जाने चाहिए जिससे कि उन्हें इन परीक्षाओं में सफल होने के लिये समुचित प्रशिक्षण मिल सके"।

इस पैरा में कोचिंग कक्षाओं की स्थापना की बात कही गई है न कि अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक मापदंड में सुधार की। अब मैं पैरा 12 पढ़ता हूँ :

अल्पसंख्यक, जो कि आज पिछड़े हुए हैं तकनीकी कुशलता हासिल कर लेने के बाद राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। सरकार या निजी एजेंसियों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आई.टी.आई. पोलिटेक्निक कालेजों की स्थापना की जानी चाहिये जिसमें इन संप्रदायों के लोगों के प्रवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अधिकाधिक रूप से शिक्षित हों सकें। 15 सूत्री कार्यक्रम में ये दो ही खण्ड हैं जिनमें कोचिंग कक्षाओं और तकनीकी स्कूल, आई.टी.आई. और पोलिटेक्निक संस्थओं की स्थापना की बात कही गई है। लेकिन इसमें भी समुदाय के शैक्षिक विकास की बात नहीं कही गयी है। मैं इसका कारण समझ सकता हूँ क्योंकि इस 15 सूत्री कार्यक्रम की परिकल्पना 1983 में तत्कालीन

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा की गयी थी। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया है कि 1986 में पहली बार यह पता चला था कि दो ही संप्रदाय मुसलमान और नव-बौद्ध शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़े हैं। अतः मेरे विचार में इसका कारण यह है कि 1983 में जब 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था तो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास को उसमें शामिल नहीं किया गया था।

जुलाई 1990 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित एक ग्रुप गठित किया था जिसे अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित सिफारिशों की पुनरीक्षा और केन्द्र सरकार द्वारा निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में कदम उठाने की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। उस ग्रुप ने राज्यों में अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण किया और फिर इस सम्बन्ध में किये गये कार्यों का अध्ययन करने के बाद इसने कतिपय सिफारिशें की। इस ग्रुप ने इस वास्तविकता का भी पता लगाया कि 15 सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिये गये अधिकांश निर्णय कागजों तक ही सीमित रहे, उन्हें परिणामतः लागू नहीं किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के अधिकांश अल्पसंख्यकों की स्थिति खासकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बद से बदतर होती गयी। उस ग्रुप ने अपना प्रतिवेदन जनवरी 1991 में प्रस्तुत किया था, और अब एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उस रिपोर्ट को अभी तक प्रकाशित भी नहीं किया गया है जिससे अखबारों को वह मिल सके।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिये उसी प्रकार से एक विशेष योजना तैयार की जाये जैसी सब-कम्पोनेंट प्लान या आदिवासी उप-योजना बनाई गई थी। अल्पसंख्यक - बहुल जिलों की सूची का संशोधन किया जाना जरूरी है ताकि उन जिलों खासकर पूर्व और उत्तर-पूर्व के उन जिलों, जो पहले छूट गये थे, को उसमें शामिल किया जा सके। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, उनके लिये सिर्फ स्कूल और कॉलेजों को खोलना ही पर्याप्त नहीं हैं बल्कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों पर उनके लिये विशेष छात्रावास भी बनाये जाने चाहिये।

अभी कुछ देर पहले, इस पक्ष के एक विद्वान वक्ता ने बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले मामलों का जिक्र किया। यह एक गंभीर समस्या है। आपरच्यूनिटी कार्ड के वितरण सहित विशेष उपायों के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की बढ़ती घटनाओं को रोका जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर छात्रों के लिये छठी, नौंवी, दसवी, और ग्यारहवीं कक्षाओं के विभिन्न स्तरों पर, उनकी कमजोरी दूर करने के वास्ते विशेष कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इस पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ।

सभापति महोदयः आपके दल के लिए 36 मिनट का समय निर्धारित है, जबकि उसकी ओर से बोलने वालों की संख्या सात है।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीमः प्राथमिक स्तर पर उर्दू माध्यम में शिक्षा देने की वर्तमान व्यवस्था कुल मिलाकर अपर्याप्त है। इसलिये, मेरी सिफारिश है कि उर्दू बोलने वालों बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उर्दू माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर के शिक्षण संस्थओं में उर्दू माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था संबंधी वर्तमान फार्मूला, जिसके अन्तर्गत ऐसे छात्रों की

संख्या कम से कम एक कक्षा में 10 और पूरे स्कूल में 40 होनी चाहिए, कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। इस फार्मूले के अनुसार एक कक्षा में 10 और पूरे स्कूल में 40 छात्रों की संख्या पूरी होने पर ही उर्दू माध्यम में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। लेकिन वास्तव में, इसमें मुश्किल यह है कि इनमें से एक भी छात्र के स्कूल छोड़ देने से बाकी के नौ छात्रों को भी वापिस भेज दिया जाता है बाद में अगर और छात्र आते भी हैं तो पहले वाले जा चुके होते हैं। इस तरह से 10 की संख्या पूरी नहीं हो पाती और परिणामतः उर्दू-भाषी छात्रों को उनके मातृभाषा में शिक्षा देने की योजना अधूरी ही रह जाती है।

मेरा अनुरोध है कि विशेष रूप से उन जिलों और स्थानों में, जहाँ उर्दू बोलने वालों की अच्छी-खासी जनसंख्या है, इस फार्मूले में संशोधन किये जाने चाहिए और उर्दू माध्यम में पढ़ाने वाले शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जानी चाहिए।

माध्यमिक स्तर पर दाखिले, के संबंध में अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिये उनकी संख्या एक कक्षा में कम से कम 15 और पूरे स्कूल में 60 होनी चाहिए। लेकिन यह फार्मूला सही नहीं है, क्योंकि यह मानकर चलना चाहिए कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा के बाद, दो-तिहाई छात्र ही अपने आगे की पढ़ाई जारी रख पाते हैं। इसलिये, इस सम्बन्ध में छात्रों की न्यूनतम संख्या उसी अनुपात में निर्धारित की जानी चाहिए।

अब मैं बहुचर्चित त्रि-भाषा सूत्र का उल्लेख करना चाहूँगा। एक राज्य की भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा, एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा और एक आधुनिक अथवा मातृभाषा सिखाने के दृष्टिकोण से इस त्रि-भाषा सूत्र की धारणा को लागू किया गया था। हिन्दी क्षेत्र का उदाहरण लें, एक छात्र हिन्दी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रूप में, अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में और उर्दू आधुनिक भाषा के रूप में सीख सकता है। लेकिन छात्रों को संस्कृत के लिये बाध्य किया जाता है।

4.00 म०प०

अगर वह संस्कृत न पढ़ना चाहे तो फिर उसे तमिल या तेलगू पढ़ने की छूट दी जाती है, लेकिन उर्दू की नहीं। यह बातें राष्ट्रीय एकता के भावना के विरुद्ध है।

विशेषकर हिन्दी भाषी क्षेत्र के छात्र जिसकी मातृभाषा हिन्दी है, उसके लिये हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू सीखना एक सहज प्रक्रिया है।

उसी तरह से जिस छात्र की मातृभाषा उर्दू है, उसके लिए उर्दू हिन्दी और अंग्रेजी का अध्ययन सहज है।

त्रि-भाषा सूत्र की सहज प्रक्रिया यही है। लेकिन छात्रों को संस्कृत के लिये बाध्य किया जाता है या फिर तमिल, कन्नड़ और तेलुगू के लिए।

अगर उत्तर भारत का कोई लड़का उत्तर प्रदेश, बिहार, या मध्य प्रदेश में रहकर तमिल या कन्नड़ सीखता है, तो उससे उसकी योग्यता और क्षमता में किस प्रकार की वृद्धि होगी, यह मैं नहीं समझ पाता हूँ।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : आप उर्दू में बोलिये।

श्री मुहम्मद युनूस सलीम : आप कहिए, तो उर्दू में बोलता हूं। उर्दू में बोलने में कोई नुकसान नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ...(व्यवधान)....

श्री मुहम्मद यूनूस सलीम : चेयरमैन साहब, मुझे एक बात कहनी है।

सभापति महोदय : एक बात और भी है।

श्री मुहम्मद युनूस सलीम : चेयरमैन साहब, मुझे दो-तीन बातें और कहनी हैं। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उनके बोलने में बाधा न डालें।

[व्यवधान]

सभापति महोदय : जब आप एक भाषा में शुरू कर चुके हैं तो कृपया दूसरी भाषा न बदलें।

श्री मुहम्मद युनूस सलीम : तब मैं अंग्रेजी में ही बोलना जारी रखता हूं। गुजराल समिति की एक प्रसिद्ध रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। श्रीमति इंदिरा गाँधी के शासन काल के दौरान 1973 में, राज्य और दूसरे स्तरों पर उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था और इसे लागू करने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने और इस सम्बन्ध में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देने के वास्ते गुजराल समिति गठित की गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन बहुत दिनों तक उस पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया।

4-03 म०प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं)

तत्पश्चात जाफरी समिति के नाम से एक अन्य समिति गठित हुई। प्रसिद्ध शायर सरदार जाफरी इस समिति के चेयरमैन थे। उन्हें दूसरे सदस्यों के साथ पूरे देश विशेष कर, उन क्षेत्रों का दौरा करके जहाँ उर्दू भाषा का तिरस्कार और उपेक्षा हो रही हो, एक रिपोर्ट देने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी।

उस रिपोर्ट को प्रस्तुत हुए दो वर्ष से भी ज्यादा हो गये हैं, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मंत्रालय नें उस पर ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया है, जैसा कि इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। मेरे पास उस रिपोर्ट की एक प्रति है। मैं उसे पढ़ता हूं :-

> "गुजराल समिति ने सिफारिश की थी कि केंद्रीय सरकार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विधानसभा-अध्यक्षों से विधायकों द्वारा उर्दू के प्रयोग और उर्दू में कार्यसूची तैयार करने के सम्बन्ध में चर्चा करके एक स्वीकार्य दिशा-निर्देश तैयार कराना चाहिए। केवल आंध्रप्रदेश में ही उर्दू में विधेयक पुनःस्थापित किये जाते हैं और उस भाषा में दिए गए भाषणों को भी उसी भाषा में दर्ज किया जाता है।"

तथापि, केन्द्रीय सरकार ने न तो इस तरह की कोई बातचीत की है और न ही इस सम्बन्ध में कोई एक समान दिशा-निर्देश तैयार किये हैं। जहाँ कहीं भी उर्दू-भाषियों की जनसंख्या 10 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहाँ चुनाव-सूची का मुद्रण उर्दू में भी करने की गुजराल समिति की सिफारिश (5-179) को महाराष्ट्र और दिल्ली को छोंड़कर कहीं भी लागू नहीं किया गया है। संसद के द्वारा दिसम्बर 1967 में पारित संकल्प के अनुरूप, संघ लोक सेवा आयोग ने सामान्य ज्ञान और निबन्ध प्रश्नप्रत्रों के उत्तर अंग्रेजी या आठवीं अनुसूची में शमिल किसी भी भाषा में देने की अनुमति इसके दो वर्ष बाद, ऐच्छिक विषयों के उत्तर भी इसमें शामिल 15 भाषाओं में से किसी भी भाषा में देने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इसके दो वर्ष बाद, ऐच्छिक विषयों के उत्तर भी इसमें शामिल 15 भाषाओं में से किसी भी भाषा में देने की अनुमति दे दी गई। हालांकि इस सुविधा का दायरा सम्बद्ध राज्य लोक सेवा आयोग तक बढ़ाने की गुजराल समिति की सिफारिश को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

डाक एवं तार विभाग के सम्बन्ध में, गुजराल समिति ने यह सिफारिश (5-186—5-188 की थी कि मनीआर्डर फार्म सहित दूसरे फार्मों को पर्याप्त संख्या में उर्दू में छापा जाना चाहिए ... इस समिति ने यह पाया है कि उस सिफारिश को भी लागू नहीं किया गया है।

गुजराल समिति ने यह सिफारिश की थी कि डाक एवं तार विभाग के सभी महत्वपूर्ण सूचना और परिपत्र समिति के द्वारा सुझाये गये तरीकों के अनुरूप उर्दू-भाषी बहुल क्षेत्रों में उर्दू में भी छापे जाने चाहिए। इस सिफारिश को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। डाक एवं तार विभाग के साइन-बोर्ड कहीं भी उर्दू में नहीं लगे हुए हैं।"

महोदय, मैं इस सदन का अधिक समय व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि समिति का गठन किसी उद्देश्य के लिये होना चाहिए, न कि लोगों को मूर्ख बनाने के लिये। गुजराल समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने और यह रिपोर्ट देने के लिये कि उन सिफारिशों को किस हद तक लागू किया गया है। एक दूसरी समिति का गठन कर दिया गया है। उस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजराल समिति की एक भी सिफारिश को न तो लागू किया गया है और न ही स्वीकार किया गया है। यह एक बहुत ही दुःखद बात है। जब यह कहा जाता है कि आठवीं अनुसूची में शामिल देश की सभी भाषाओं का बराबर का स्थान है, तो उन सभी भाषाओं की प्रगति के लिये समुचित कदम भी उठाये जाने चाहिए। कम से कम उर्दू को संवैधानिक दर्जा तो दिया ही जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे दोस्त श्री अर्जुन सिंह, जिनके दिल में उर्दू के लिये प्यार और आदर का भाव है, इन मामलों को देखेंगे और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि कम से कम गुजराल समिति की वे सिफारिशें, जिन्हें जाफरी समिति ने भी शामिल किया है, बिना समय वर्बाद किये जल्द ही लागू हो सकें।

अब मैं अपनी अन्तिम बात कहकर बैठ जाऊंगा। 15 सूत्री कार्यक्रम के अर्न्तगत कुछेक यु०जी०सी० कोचिंग कक्षाओं की स्थापना की गयी थी। दुर्भाग्य से, वे कक्षाएं बहुत ही उपयोगी साबित नहीं हुई, क्योंकि वे ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लगाई गई जहां पर्याप्त संख्या में छात्र उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये, इसकी पुनरीक्षा की जरूरत है। कई मामलों में तो वे कक्षाएं ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भी लगानी शुरू कर दी गई, जहां अभिष्ट संख्या में छात्र दाखिल नहीं हैं। अतः मेरा

अनुरोध है कि कोचिंग कक्षा प्रणाली को, जो कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के 15 सूत्री कार्यक्रम का भाग है पुनः चालू किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से 15 सूत्री कार्यक्रम को संशोधित करने का सादर अनुरोध करता हूं। उस कार्यक्रम में कृपया एक और खंड जोड़ दें। मैं अनुरोध करता हूं कि 15 सुत्री कार्यक्रम को नया स्वरूप दिया जाना चाहिए और इसमें निम्नलिखित तरीके से सामान्य शिक्षा को शामिल कर लिया जाए :

"पिछड़े वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल विशेष कदम उठाए जाने चाहिएं जिनकी भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्य पर्यवेक्षण और निगरानी की गई हो और जिसमें विशेषतः स्कूल और आई० टी०आई० खोलने जिनमें निश्चित रूप से प्रवेश का प्रावधान हो, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्कूल और होस्टल खोलने तथा अल्पसंख्यकों को शिक्षा देने सम्बन्धी कार्यवाहि कार्यकम 1986 के अध्याय 15 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का सख्ती से पालन करने तथा अल्पसंख्यक शिक्षा को उप-योजना निश्चित कोष के साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करना चाहिये।

इन सब बातों को शामिल किया जाना चाहिए। यदि आप 15 सूत्री कार्यक्रम में संशोधन करें और इस पैरा को शामिल करें तब अल्पसंख्यकों की शैक्षिक प्रगति और उनमें शिक्षा के प्रसार का भी ध्यान रखा जाएगा।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, मंत्रालय के बजट में की नीतियों का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है जिनमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक हमारा समाज एक प्रतियोगी समाज है और हर बात बजार-अर्थव्यवस्था के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। अतः यहां राज सहायता प्राप्त खाद्य पदार्थ, परिवहन सुविधाएं और शिक्षा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। और इस देश में अधिकतम कर देने वाले व्यक्ति को बेहतर शिक्षा दी जानी चाहिए।

हमें यह बताया गया है कि लोकतंत्र में, नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं तो अवश्य मिलनी चाहिएं जिनमें काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आवास का अधिकार आदि शामिल है। लेकिन भारत में आज क्या स्थिति है? वह देखते हैं कि समाज के 20% ऊंचे लोगों, उन आनिवार्स भारतीयों, जिन्हें अब बहुत ही देशभक्त माना जाता है के लिये काला-धन प्राप्त व्यक्तियों के लिए तो नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टल स्कूल, पब्लिक स्कूल, नवोदय विद्यालय तथा सर्वोत्कृष्ठ संस्थान जैसे आई०आई०टी० तथा आई०आई०टी० उपलब्धी लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए और अध भूखे व्यक्तियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ऐसी पाठशालाएं अथवा प्राथमिक स्कूल ही हैं जिनकी कोई छत ही नहीं है और वहां केवल क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से ही पढ़ाया जाता हे। उनके लिये निम्न स्तर के कालेज तथा विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा मंत्रालय की इस वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करना, महिलाओं को शिक्षा और उनका विकास करना, सर्केंडेरी शिक्षा को व्यवसाय-उन्मुख बनाना, तकनीकी का आधुनिकीकरण करना और उच्च शिक्षा का समेंकन होना चाहिए। इस बारे में हम सरकार का कार्य-निष्पादन देखें। मैं मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उसने लगभग 100 जिलों में पूर्ण-साक्षरता का अभियान चलाया है। यह सच है कि साक्षरता दर पहले से बढ़ गई है जोकि अब 52%से कुछ अधिक है। लेकिन पूर्ण

साक्षरता अभियान में व्यापक रूप से जनता को भी शामिल करना चाहिए। परन्तु इसमें जन जन का योगदान कहां है। इस में समुदाय, अध्यापक वर्ग, प्रतिभाशाली व्यक्ति, विद्यार्थी तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय कहां शामिल है ? जी नहीं, सार्वजनिक अभियान नहीं चलाया जा रहा है। हम जन जन का अभियान और जन आंदोलन बनाए बिना पूर्ण साक्षरता नहीं लाई जा सकती। ऐसा जन अभियान हो जैसा कि हमने केरल अथवा बर्दवान अथवा दुगली जिलों में देखा है। यह पूर्ण साक्षरता अभियान इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि बेहतर जीवन स्तर इसी पर निर्भर है।

जीवन स्तर के बारे में यूनेस्को द्वारा हाल ही में दी गई एक रिपोर्ट में पता चलता है कि 160 देशों में भारत का स्थान 123वां है हर कोई इस बात को स्वीकार करता है कि यदि पूर्ण साक्षरता होगी तब लोग पर्यावरण, स्वास्थ्य के बारे में अधिक जाग्रत होगें, वे गूंगे या बहरों की तरह चूप न रहकर अपनी बात कहेंगे। अतः सरकार को इस पूर्ण साक्षरता के लिए और धन आवंटित चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे बजट में काफी कटौतियां की गई हैं।

सेकेंडरी शिक्षा के बारे में मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह डा०कोठारी द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लें। उन्होंने यह सिफारिश की है कि कालोनियों के आस-पास स्कूल खोले जाएं ताकि अमीर और गरीब व्यक्तियों के बच्चे एक ही स्कूल में जा सकें।

इसका अर्थ है शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना भी होगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं ? हम नवोदय विद्यालयों पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं ताकि अमीर आदमियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हमें इन सेकेंडरी स्कूलों को अधिक धन देना चाहिये क्योंकि अधिकंश स्कूलों में समूचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में पूरी सुविधाएं नहीं है। अतः सेकेंडरी स्कूलों को अधिक धन दिया जाना चाहिए। शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है। अतः सेकेंडरी शिक्षा में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार को अधिक धन प्रदान करना चाहिए। सरकार को बिना किसी विलम्ब के चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशें लागू कर देनी चाहिएं। केन्द्रीय विद्यालयों में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के बारे में अनेक आरोप हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसकी जांच करेगें।

उच्च शिक्षा के बारे में हमने देखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयेग का बजट 31 करोड़ रुपये कम कर दिया गया है। और यदि हम अर्थव्यवस्था में चल रही 13% मुद्रा स्फीति दर को भी हिसाब में लें तो यह कटौती काफी अधिक है अब सरकार स्वायत्त कालेजों को बढ़ावा दे रही है सरकार ने घोषणा की है कि 1990 से पहले 500 स्वायत्त कालेज होंगे। लेकिन हमारे देश में कालेज और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने स्वायत्त कालेजों के विचार का विरोध किया है क्योंकि स्वायत्त कालेज का अर्थ है अलोकतांत्रिक प्रबंधन तथा प्राध्यापकों की नौकरी की सुरक्षा नहीं रहेगी। उन्हें कभी भी नौकरी पर लगाया या उस से निकाला जा सकेगा।

महोदया, मद्रास क्रिश्चियन कालेज, जो एक स्वायत्त कालेज है, ने तीन प्राध्यापकों को निकल दिया है। श्री सत्यनारायण इन्सटीटयूट ऑफ हाइयर लर्निंग ने 1990 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बेतनमान लागू किए और यह भी तब लागू किए जब हस्तक्षेप हुआ। तमिलनाडु के पराशक्ति कालेज ने महिला प्राध्यापकों को प्रसुती अवकाश देने से इंकार कर दिया है ये स्वायत कॉलेज जो मनमानी करने

हैं। अतः प्राध्यापकों ने स्वायत कालेजों के विचार को अस्वीकार कर दिया। अतः कृपया इन स्वायत्त कालेजों को आगे न बढ़ाएं।

सरकार ने अचानक ही आई०आई०टी० और आई०आई०एम० के प्राध्यापकों के वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमारे देश में बंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों के बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कालेज हैं आई०आई०टी० और आई०आई० एम० में नियुक्त प्राध्यापकों को प्रारम्भिक चरण से ही 2000 रु० अधिक मिलेगें। अतः इस विषमता को दूर किया जाना चाहिए।

मेरे विचार से समेकित बाल विकास योजना (आई० सी०डी०एस०) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र और शहरी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए। आई०सी०डी०एस० के कार्यकर्त्ताओं को बहुत कम वेतन मिलता है। उनके वेतन अथवा मानदेय राशी बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार को शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंध की लोकतंत्रीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसीलिए विश्व भारती मॉडल एक्ट, भावनगर विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, इन सभी विश्वविद्यालयों में पदेन और नामित सदस्य ही रह गए हैं। लेकिन यह बात सच है कि, जैसा कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि शैक्षणिक संस्थाओं में सब भयमुक्त रहते हैं तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां तक संभव हो लोकतांत्रिक प्रबंधन लागू किया जाए।

केपीटेशन शुल्क लेने वाले कालेजों की संख्या भी बढ़ रही है। मुझे याद है कि 1986 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी ने इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि कैपीटेशन शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन निजीकरण की सोध के कारण केपिटेशन सुदक के हिमायती यह कालेज केपीटेशन शुल्क बढ़ा रहे हैं। यह हमारी शिक्षा प्रणाली पर एक कलंक के समान है। वह शिक्षा का वाणिज्यिकरण कर रहे हैं। अतः आपको केपीटेशन शुल्क समाप्त करने का काई रास्ता ढूंढना होगा।

अब मैं केवल कॉलेजों में डिमोन्स्ट्रेटर्स और टयूटर्स के कैरियर के लिए भविष्य उनयन योजना के बारे में ही बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं कि डिमोन्स्ट्रेटर्स के पद समाप्त हो रहे हैं। वे 25 या 30 वर्ष तक नौकरी करते आ रहे हैं। लेकिन उनके और टयूटर्स के भविष्य के लिए कोई उनयन योजना नहीं है। हम इस बारे में आपसे पहले ही मिल चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आप उनके बारे में उचित निर्णय देगें।

मैं आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों के भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूं इसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। इन महाविद्यालयों के अध्यापकों को नियमित रूप से बेतन नहीं मिलता है। उनकी सेवा-शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं और उन्हें चार-पांच महीने बाद बेतन मिलता है। अतः कृपया इस मामले की जांच करें ताकि संस्कृत कॉलेजों के प्राध्यापकों को नियमित वेतन मिल सके।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

की अनुदानों की मांगों का पूरा समर्थन करती हूं। मुझे वित्त मंत्री जी के शब्द याद हैं जब उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने पूर्व मंत्री से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। श्री मनमोहन सिंह ने ठीक ही कहा है कि अर्थव्यवस्था नष्ट होने के कगार पर थी।

इस विशेष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से बहुत सी आवश्यकताऐं पूरी नहीं होती, फिर भी मंत्रालय जो कुछ कर रहा है उससे मैं सतुष्ट हूं क्योंकि सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धन का बहुत अभाव है। सभी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है।

अतः मैं मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अजुन सिंह जी को बधाई देती हूं और सांत्वना देती हूं कि उन्होंने चार मुख्य विभागों शिक्षा, युवा कार्य तथा खेल-कूद कला और संस्कृति तथा महिलाओं और बाल विकास में कुल 2454.19 करोड़ रुपये की अनुदानों का समुचित वितरण करने का भरसक प्रयास किया है।

मैं भली प्रकार जानती हूं कि यदि हमारी अर्थव्यवस्था जून 1991 के अन्त में खराब न होती तो और अधिक अनुदान मिलने से हमारी स्थिति और अच्छी होती। मैं जानती हूं कि हमारी आशाऐं व इच्छाऐं कभी समाप्त होने वाली नहीं हैं। हमारे एक मलयालम कवि युनध्यानन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जन्नपाना में सही कहा है कि यदि एक व्यक्ति को दस रुपये मिलते हैं तो उसकी इच्छा 100 रुपये प्राप्त करने की होती है, यदि 100 रुपये मिल जायें तो वह 1000 रुपये प्राप्त करना चाहेगा और यदि 1000 रुपये मिल जाते हैं तो उसका सपना 10,000 रुपये प्राप्त करने का होगा और फिर एक लाख रुपये और इस तरह उसकी इच्छाऐं मरते दम तक पूरी नहीं होतीं। ऐसे व्यक्ति के लिए 2454.19 करोड़ रुपये कुछ मायने नहीं रखते और विशेषकर उस स्थिति जबकि वह व्यक्ति विपक्ष का सदस्य हो। वह क्रोधित होकर बोलेंगे। वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ अवश्य कहेगें। वह कटोती प्रस्ताव रखेगा। लेकिन इन सब विपदाओं के होते हुए भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनुदानों का वितरण ईमानदारी व अच्छे ढंग से किया है। जिनकी मैं प्रशंसा करती हूं।

मांग संख्या 47 शिक्षा विभाग से संबंधित है। मैं सभी माननीय सदस्यों से सहमत हूं और उन बाहर के लोंगों से जिन्होने आलोचना की है कि बजट आबंटन पिछले वर्ष की अपेक्षा संशोधित पाकक्लन के 8.79 करोड़ रुपये कम है सबसे पहले बोलने वाले वक्ता ने भी इस बात पर बल दिया था। परन्तु मेरा अनुरोध है कि मांग संख्या 47 अध्ययन करें।

महोदया, राजस्व सेक्शन को आठ मुख्य शीर्षों में बांटा गया है। सचिवालय सामाजिक सेवाऐं, मंत्री परिषद, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेलकूद, व युवा कार्य, राज्य सरकारों को अनुदान सहायता, संघ शासित सरकारों को अनुदान सहायता तथा सहायक सामग्री और उपकरण।

महोदया, कुल 8.79 करोड़ रुपये की कमी की गई है। परन्तु मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि राज्य सामान्य शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के लिए अनुदान सहायता की राशि में वृद्धि की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बजट आबंटन में सामान्य शिक्षा के लिए 35.28 करोड़ रुपये की वृद्धि एक सराहनीय कदम है और देश में तकनीकी शिक्षा के उत्थान के लिए तकनीकी शिक्षा के आबंटन में 16.95 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। यद्यपि विभाग ने शिक्षा के आबंटन में 16.96 करोड़ रुपये

की वृद्धि की है। यद्यपि यह विभाग शिक्षा विभाग के इन दो मुख्य क्षेत्रों के लिए 52.23 करोड़ रुपये वृद्धि की मांग कर रहा है ताकि यह बहुत जल्दी प्रगति कर सके।

महोदया, यह वृद्धि जादू से नहीं की गई है। कभी मुख्यतः राज्य सरकारों को अनुदान सहायता में से की गई है। शुरू में मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि इस विशेष शीर्ष में 61.45 करोड़ रुपये की कमी की गई है। फिर मैंने स्वयं को सांत्वना देते हुए संयुक्त परिवार के बारे में सोचा जहां घर का मुखिया समूचे परिवार के फायदे के लिए एक-एक पैसे का हिसाब रखता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे खर्च पिता चलाते हैं या माता या बड़ा बेटा या छोटा पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति निःसंदेह कुछ दिक्कतें आ सकती हैं यदि पिता अचित तरीके से धन का खर्च नहीं करता है लेकिन यह भावना तभी होगी यदि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। मैं डरते हुए राज्य सरकारों की अनुदान सहायता में की गई कटौती को न्यायोचित ठहरा रहा था क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खर्च केन्द्र कर रहा है या खर्च राज्य कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर (कपडबंज) : सभापति महोदया, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। क्या हाउस के अन्दर कोई पेपर पढ़ सकता है, समाचार पत्र पढ़ सकता है ?

सभापति महोदय : आप बैठ जाईये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, अभी-अभी हमें अनुपूरक कार्यसूची मिली है, राज्य मंत्री श्री एम०एम० जैकब 4.30 बजे एक वक्तव्य देने वाले थे। 4.30 बज चुके हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : सदस्य को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : यह जनता के लिए अच्छी बात है। लेकिन मैं इस कटौती के बारे में विस्तार से जानना चाहती हूं।

महोदय, मैं शिक्षा के विषय पर क्यों नहीं बोल सकती। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मुख्य विभाग 'शिक्षा' है एक प्रोफेसर होने के नाते, मुझे शिक्षा पर बोलने का पूरा अधिकार है। मैं महिला वर्ग की प्रतिनिधि नहीं हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी पुरुषों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : और बच्चों का भी।

सभापति महोदय : जी हां, मैं आपसे सहमत हूं। अपनी बात जारी रखिये।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : जब मैंने विस्तार से देखा तो मैं विभाग द्वारा आवंटित राशि के वितरण से पूरी तरह सहमत हुई और मैं मानव संसाधन मंत्री द्वारा इस सीमित धन को तरकीब से बांटने की प्रशंसा करती हूं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता में 23.80 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। और औपचारिक शिक्षा में 28.10 करोड़ रुपये की, व्यावसायिक शिक्षा के लिए 11.40 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और कुल मिलाकर इन तीनों मदों में ही 63.30 करोड़ रुपये की वृद्धि

की गई है। कटौती कहां की गई? आपरेशन ब्लैक बोर्ड, कार्यक्रम में 70.56 करोड़ रुपये की और विशेष केन्द्रीय सहायता में 54.00 करोड़ रुपये की कटौती की गई।

'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' एक ऐसी योजना है जो देश में प्राइमरी स्कूलों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके प्राइमरी शिक्षा में सुधार करने के लिए उद्देश्य से चलाई गई थी। यह कार्यक्रम हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी ने 1987-88 में शुरू किया था दो तिहाई प्राइमरी स्कूलों में अब तक यह प्रोग्राम चलाया जा चुका है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाकी के स्कूलों में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस विशेष क्षेत्र में सुधार के लिए 1991-92 के पुनरीक्षित बजट में 170.00 करोड़ रुपये के स्थान पर 1992-93 के बजट में 99.14 करोड़ रुपये रखना कोई गलत नही है। जहां तक विशेष केन्द्रीय सहायता का संबंध है, यह सहायता आखिरकार 'विशेष' है। यदि केन्द्र सरकार स्वयं अपना गुजारा आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो राज्यों को अनुदान सहायता देने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देने का प्रावधान कहां से होगा ?

मैं सरकार की टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता में वृद्धि करने की प्रशंसा करती हूं यद्यपि मांग संख्या 47 में कुल 8.79 करोड़ रुपये की कमी की गई है।

इस मौके पर मुझे एक बात और कहनी है। राज्य सरकारों को 28.10 करोड़ रुपये की अनौपचारिक शिक्षा के लिए अनुदान सहायता में वृद्धि के लिए शैक्षिक रूप से पिछडे दस राज्य आन्ध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रश्चिम बंगाल और अरूणाचल प्रदेश पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। सबसे ज्यादा रुचिकर बात यह है कि हमारे 332 मननीय सांसद इन शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों से हैं, जम्मु और काश्मीर को छोड़कर, जहां चुनाव नहीं हुए हैं। और इस 332 में से 46 भा०क०पा० और मा० क० पा० (कुल भा०क०पा० और मा०क०पा० का करीब शत प्रतिशत), 83 भा०ज०पा० (इसके 119 सदस्यों में से) और 60 जनता दल के सभी घटकों के। इससे मेरे मन में एक उचित शंका पैदा हुई जिसका कारण केवल इतना था कि इन राज्यों के लोग क्षैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, वे कांग्रेस बिरोधी उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। और कांग्रेस सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें उचित शिक्षा देकर उनका उत्थान करे। इसलिये 28.10 करोड़ रुपया अनौपचारिक शिक्षा के लिये है विशेषकर इसका अधिकांश भाग इन दस राज्यों के लिये है ताकि माननीय नरसिंह रावजी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपनी साख स्थापित कर सके। चूंकि वर्तमान में इन राज्यों के 231 निर्वाचन क्षेत्रों का संसद में गैर कांग्रसी सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। और इस समय इन राज्यों से कांग्रेस के सांसदों की संख्या मात्र 101 है विपक्ष की यह मंशा हो सकती है कि इन गरीब लोगों के शैक्षिक स्तर में कोई सुधार नहीं हो ताकि वे वहां की पूरी जनता पर अपना वर्चस्व उसी तरह कायम रख सकें जिस तरह गृहणियां अपनी इच्छा के अनुसार तवे पर रोटी को सेंकती हैं। इसीलिये, वे मांग संख्या 47 के लिये कटौती प्रस्ताव पेश कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि सरकार स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने में असफल रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार ने शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिये 11.40 करोड़ रुपये की मांग की है जिसे राज्यों में सहायता अनुदान के तौर पर वितरित किया जाना है। निरक्षरता को दूर करने के लिये सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा हेतु 28.10 करोड़ रुपये की और मांग की है जिसे राज्यों

के बीच सहायता अनुदान के तौर पर वितरित किया जाएगा। इसलिये मेरे विचार में यदि विपक्ष मांग संख्या 47 के लिये कटौती प्रस्ताव पर जोर दे रहा है तो इसका कारण उनकी विचित्र आकांक्षा यह है कि वह लोगों को शैक्षिक तौर पर पिछड़ा हुआ रखकर ही उन पर अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दम दम) : शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए आप और राशि की मांग क्यों नहीं करते ?

प्रो० सावित्री लक्ष्मण : मैं यह जानती हूं और मैंने पहले भी यह कहा है। वित्त मंत्री पहले से ही आर्थिक बोझ से दबे हैं और थोड़े राशि में वह इसके लिये कुछ नहीं कर सकते। मांग संख्या 48, 49, और 50 के संबंध में भी सरकार ने बेहतर वितरण के उद्देश्य से 9.81 करोड़ रुपये की मांग की है जो विगत वर्ष की तुलना में युवा मामलों और खेल विभाग के लिये आवंटित राशि के पुनरीक्षित सूची से अधिक है। मात्र 0.31 करोड़ रुपया विगत वर्ष की पुनरीक्षित सूची की तुलना में राज्यों के सहायता अनुदान में कमी की गई है उसमें से भी बड़ी कटौती राज्य खेल समिति के माध्यम से विवरण संबंधी मांग में है। एन०एस०एस० और युवा कार्यों के लिए राज्य सरकारों हेतु 3.61 करोड़ रुपया अधिक सहायता अनुदान की मांग की गई है। कला और संस्कृति विभाग के लिए 9.7 करोड़ रुपये अधिक की मांग की गई है। इस विभाग में सभी महत्वपूर्ण मदों के तहत पुनरीक्षित सूची की तुलना में अधिक मांग की गई है। लेकिन मेरे मन में इस बात पर शंका हो रही है कि ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी के लिये कम मांग क्यों की गई है जबकि संगीत नाटक अकादमी की मांग सबसे अधिक है अंतर्राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के लिए मांग पुनरीक्षित बजट की तुलना 1.17 करोड़ रुपये कम है। तब कटौती प्रस्ताव भी है। मैं समझता हूं कि कटौती प्रस्ताव तो नाम मात्र के लिये ही पेश किये गये हैं। इस संदर्भ में मुझे एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार के एक पात्र वैकोम मोहम्मद बसीर की याद आ रही है जो हर बात का विरोध करता है। वह हर बात का विरोध केवल इसलिये करता है क्योंकि उसे विरोध करना है।

मैं सरकार को राज्य सरकारों को अधिक सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए अधिक मांग पेश करने, राष्ट्रीय अभिलेखाकार के लिए अधिक मांग पेश करने, जिसे पिछले वर्ष के संशोधित बजट में कुछ नहीं दिया गया, और साथ ही राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता और अन्य ग्रंथालयों के लिये अधिक अनुदान की मांग पेश करने के लिये भी बधाई देती हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के लिए आठ करोड़ राशि की अधिक मांग का मैं समर्थन करती हूं। मोती लाल नेहरू के परिवार को राष्ट्र भुला नहीं सकता है। हम भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू कभी नहीं भूल सकते। हम जब इंदिरा गांधी का नाम सुनते हैं तो श्रद्धा से हम नतमस्तक हो जाते हैं। जहां लायक मां के लायक पुत्र राजीव जी का संबंध है, वह हमारे साथ प्रथम प्रधान मंत्री के नाती, प्रधानमंत्री के पुत्र और स्वयं प्रधान मंत्री के तौर पर रहे और हमें माननीय नरसिंह राव जी के देख रेख में छोड़कर स्वयं अनंत में विलीन हो गए। हमारे प्रिय स्वर्गीय आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्र, जिसे युनेस्को ने कला और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है और जो संस्था अनेक दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कार्यक्रमों के माध्यम से साकार रूप ग्रहण कर रही है, केन्द्रीय सरकार की सहायता से उसका विकास निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए।

मांग संख्या 50 के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिये 84.98 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग से मैं संतुष्ट हूं। किशोर बालिकाओं के लिये अलग से 507 आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं के तहत किशोर बालिका योजनाओं को मंजूरी देने के लिए बधाई देती हूं।

महोदय, इस विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबध में मैं कुछ कहना चाहती हूं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन, भाग - IV से में कुछ उद्धृत कर रही हूं :

"विभाग में आरक्षित पदों की स्थिति पर विचार किया गया। ग्रुप 'ए' अधिकारी के 25 पदो में से 4 पद अनुसुचित जाति और एक पद अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों के लिए है। ग्रुप 'बी' के अधिकारियों के 66 पदों में से 9 पद अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये हैं। ग्रुप 'सी' के 101 पदों में से 19 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये हैं उसी तरह ग्रुप 'डी' के 40 पदों में से 13 अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये है। अनुसूचित जाति के लिये निर्धारित 15 प्रतिशत आरक्षण इस विभाग में पूरा किया गया है।" हमें इस उपलब्धि की यथासंभव प्रशंसा करनी चाहिए।

समाप्त करने से पहले, मुझे एक निवेदन करने का मौका दें।

महोदय, केरल में टी०सी०आर० जिला के इरिंजलाकुड़ा में एक कला विद्यालय है जिसका नाम उन्नाई वारियर समरका कलानिलयम है जहां कथकली की शिक्षा दी जाती है।

केरल की कला है। महोदय, यह संस्था उन्नाई वारियर के नाम पर है जिन्होंने सर्वप्रथम अट्टक था 'नलचरितम' की रचना की जिससे कथकली का उद्भव हुआ। कथकली के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का सम्मान करने के लिये 30 वर्ष पहले इस कथकली विद्यालय की स्थापना की गई। महोदय, इस महान कला को सीखने वाले छात्रों को जो सरकार से छात्रावृति पर निर्भर हैं, आवास के अभाव में रात्रि में कक्षा के फर्श पर सोना पड़ रहा है। इसलिये, इन गरीब छात्रों के लिये छात्रावास बनवाने हेतु दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाए। मुझे नहीं पता कि यह मामला तकनीकी रूप से युवा कार्यविभाग से जुड़ा है या संस्कृति विभाग से लेकिन मुझे यह पता है कि यह मानव संसाधन विभाग से जुड़ा है और मैं मानव संसाधन मंत्री से निवेदन करती हूं कि यह इस मामले पर ध्यान दें और आवश्यक आदेश दें। महोदय, मैं यह अच्छी तरह जानती हूं कि 2454.19 करोड़ रुपयों की तुलना में दो लाख रुपया कुछ भी नही है। इसे उस वच्चे की मांग की तरह स्वीकार करें जो अपने पिता से एक (स्लेट) तख्ती या रंगीन पेन्सिलों को मांग रहा हो। जो उसके पिता के लिये उतना अहम् नहीं होगा पर उसके लिये उनका बहुत महत्व है।

हम केरल वासी अपने राज्य में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट की स्थपापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं आशा है कि एक अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी उस राज्य में की जायेगी।

महोदय, आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं और मेरे निष्कर्ष गल्त भी हो सकते हैं। परन्तु मैंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मांग संख्या 47 से 50 तक का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हमारी सरकार द्वारा साहसिक कदम उठाए गए हैं। फिर भी माननीय प्रधान मंत्री के उक्ति को मैं दुहरा रही हूं, "मैंने कोई ऐसा विपक्ष नहीं देखा है जो सरकार की प्रशंसा करे"।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

4.46 म०प०

बिहार विधान सभा के सदस्य श्री हेमन्तशाही की मृत्यु

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०एम० जैकब) : महोदय,

आपकी अनुमति से मैं इस सम्मानीय सदन को 28 मार्च, 1992 को बिहार के जिला वैशाली के गौरोल स्थान पर हुई घटना के बारे में अवगत करना चाहता हूं, जिसमें बिहार के विधायक श्री हेमन्त शाही की मृत्यु हुई।

2. बिहार राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :

गौरौल अंचल के हाट और मेला की नीलामी 28.3.1992 को निर्धारित की गई थी। पिछले वर्ष नीलामी श्री रघुनाथ साह के पक्ष में गई थी, जो इस समय कुछ मामलों के संबंध में जेल में हैं। स्थानीय पंचायत के मुखिया रामचन्द्र साह यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न कर रहे थे कि निलामी श्री रघुनाथ साह के पुत्र श्री मुन्ना साह के पक्ष में जाए।

3. पंचायत के कागजात पंचायत सेवक के पास थे सेवक उपलब्ध नही था। श्री रामचन्द्र साह चाहते थे कि निलामी 30.3.1992 को की जाए। 28.3.1992 को श्री हेमन्तशाही, विधायक ने अंचल अधिकारी को अपने गांव बुलाया। अंचल अधिकारी उनके गांव गये और वहां लगभग 2 घंटे तक रहे। वापस लौटने के बाद अंचल अधिकारी ने 3.00 बजे अपराह्न नीलामी की कार्रवाई शुरू की।

4. 28.3.1992 को पहली दो निलामियां शांतिपूर्ण रहीं और जब तीसरी नीलामी शुरू की गई तो मुखिया रामचन्द्र साह ने अनुरोध किया कि यह नीलामी 30.3.1992 को की जाए। श्री जयमंगल राय, श्री महावीर साहनी और कुछ अन्य लोगों ने उनके इस अनुरोध पर इस आधार पर आपत्ति प्रकट की कि नीलामी की सूचना 25 को दी गई थी और ग्राम सेवक से कागजात प्राप्त करने के लिए मुखिया के पास पर्याप्त समय था। उन्होंने कहा कि यदि नीलामी की प्रक्रिया रोकी जाती है तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी, जिसके परिणामस्वरूप सारी कार्रवाई में बिलम्ब होगा। अंचल अधिकरी ने इसे स्वीकार कर लिया, उसके बाद रामचन्द्र साह और उसके समर्थक उस स्थान से चले गए।

5. उनके जाने के 10-15 मिनट बाद श्री हेमन्त शाही, विधायक अपने अंगरक्षकों और 3-4 अन्य व्यक्तियों के साथ जिप्सी में ब्लाक कार्यालय पहुंचे। श्री अरूण यादव अपनी दो नाल वाली बंदूक लेकर अंचल अधिकरी के कमरे के सामने खड़े थे। उसे वहां खड़ा देखकर श्री हेमन्त शाही के अंग रक्षक ने उसे थप्पड़ मारकर पूछा कि क्या उसके पास बंदूक का लाइसेंस है। श्री अरूण यादव ने कहा कि उसके पास लाइसेंस है। इसी बीच श्री हेमन्त शाही ने बन्दूक की नाल पकड़ ली, और कहा कि तुम लोग नीलामी में अव्यवस्था फैलाने और शरारत करने के लिए बन्दूक लेकर यहां आ रहे हो। उन दोनों के बीच हाथापाई

हुई और दो नाली बंदूक से गोली चली। गोली विधायक को लगी और वे जख्मी होकर गिर पड़े। विधायक के गिरने के बाद उनके अंगरक्षकों ने गोलियां चलाई श्री अरूण यादव भागकर सर्किल अधिकारी के कमरे में चले गए और कमरे से भी गोलियां चलाई। अन्त में विधायक के अंग रक्षक ने श्री अरूण यादव पर गोली चलाकर उन्हें मार दिया और कार्यालय के अन्दर से उसने सर्जुग साहनी पर गोली चलाई। पुलिस स्टेशन घटना स्थल से केवल 50 गज की दूरी पर है। कांस्टेबल शशि भूषण शर्मा, जो संतरी ड्यूटी पर थे, भागते हुए घटना स्थल पर आए। उन्होंने भी कमरे में आकर गोली चलाई जिसमें जयमंगल राय को गोली लगी।

6. घटना के बाद हेमन्त शाही के साथियों ने उन्हें जिप्सी में रखा और मुजफ्फरपुर की ओर चल पड़े। हेमन्तशाही, विधायक की जो 28 मार्च, 1992 को गोरौल में गोली बारी की घटना में जख्मी हो गए थे, घायल होने के कारण मृत्यु हो गई।

7. बिहार राज्य सरकार ने 31 मार्च, 1992 के अपने एक अन्य संदेश द्वारा सूचित किया है कि श्री हेमंत शाही की मृत्यु का समाचार 30/31.3.1992 को प्राप्त हुआ। तुरन्त सभी संबंधित जिलों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय करने और लोगों में शांति बनाए रखने के लिए सतर्क कर दिया गया था। 31 मार्च, 1992 को प्रातः करीब 9.30 बजे जब श्री हेमन्त शाही का शव तिलक मैदान, मुजफ्फरपुर में रखा हुआ था तो उस समय कुछ समाज-विरोधी तत्वों ने एस०डी०ओ० मुजफ्फरपुर के वाहन तथा दो अन्य वाहनों को आग लगा दी। पुलिस ने तुरन्त कार्रवाई की ओर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। श्री हेमन्त शाही के शव को लालगंज और वैशाली के रास्ते एक वाहन में मुजफ्फरपुर से पटना लाया गया। राज्य सरकार ने आगे सुचित किया है कि पटना शहर में एस० के० पुरी से भी सरकारी वाहनों को तोड़फोड़ करने की घटनाएं सूचित की गई परन्तु स्थिति पर तुरन्त काबू पा लिया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निवाराणात्मक उपाय किए गए हैं। और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गहन गश्त लगाई जा रही है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

[अनुवाद]

महोदय, इस विषय पर बिहार सरकार और वहां के मुख्य मंत्री को केंद्रीय सरकार की चिन्ता से अवगत करा दिया गया है। आज सुबह, बिहार के मुख्य-मंत्री ने केंद्रीय-सरकार को आश्वासन दिया है और उन्होंने स्वीकार, किया है कि इस घटना से संबद्ध सभी पहलुओं का पता लगाने के लिये न्यायिक -जांच करवाई जायेगी। केंद्रीय सरकार भी पूरा यह चाहती है कि इस मामले की उचित जांच-पड़ताल हो और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदया, मुझे कुछ कहना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम गृह मंत्री की एक निष्पक्ष रिपोर्ट चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुने बिना ही उठ गए।

[अनुवाद]

मुझे बोलने का पूरा अधिकार है।

सभापति महोदय : मंत्री जी के वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदया, व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री ए. चार्ल्स : यह बिहार के मुख्य-मंत्री की रिपोर्ट है, न कि गृह मंत्री की।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाईये।

[व्यवधान]

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदया, इन्होंने पोस्ट आफिस का काम किया है। बिहार सरकार ने जो प्रतिवेदन भेजा है उसे तोड़-मरोड़कर भेजा गया है। ...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : होम मिनिस्टर का स्टेटमैंट है। उसके बाद अगर कोई क्लैरीफिकेशन होगा तो यह यहां के रूल्स के मुताबिक नहीं है। लेकिन मैडम चेयरपरसन, आपका अधिकार है, आप चाहें तो इस रूल्स को रिलैक्स कर सकती हैं। उस हालत में क्लैरीफिकेशन एक तरफ से पूछने की इजाजत नहीं देनी होगी, हमें भी इजाजत देनी होगी। ...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदया, गृह राज्य मंत्री ने पोस्ट आफिस का काम किया है ...(व्यवधान)... मैं रूल्स के अनुसार ही ये सब कह रही हूँ।

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : जहाँ तक इस मामले विशेष का प्रश्न है, आमतौर, पर हमें लोकसभा में मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद, स्पष्टीकरण मांगने का अवसर नहीं मिलता, परन्तु क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, अतः मैं चाहूंगा कि आप कृपया नियम को निलंबित करके माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने का एक मौका प्रदान करें।

सभापति महोदय : श्रीमती कृष्णा साही ने कुछ कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय ने उस पर गौर किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : उन्होंने कहा कि इसकी जूडिशियल इन्क्वायरी करवायेंगे, लेकिन मेरी मांग है कि सी.बी.आई द्वारा इसकी जांच करायी जाये। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मेरा प्वाइंट ऑफआर्डर है कि मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद अगर कोई क्लैरिफिकेशन होता है तो यहां के रूल के मुताबिक वह वाजिब नहीं है, लेकिन मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद क्लेरिफिकेशन पूछने की आप इजाजत देती हैं तो यह एक नई परम्परा होगी। ऐसे में एक को नहीं, यानी कि कृष्णा साही को ही नहीं, हम सबों को पूछने का अधिकार होगा और मिनिस्टर लास्ट में रिप्लाई

करेंगे। अभी आपने रूलिंग दे दिया है कि मंत्री ने नोटिस ले लिया है, लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर उनकी बात रिकार्ड में जाती है तो हमारी भी बात रिकॉर्ड में जायेगी। इसमें हम रूलिंग की उम्मीद करते हैं। (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : जिस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिहार में है, उसको देखते हुए केन्द्र सरकार को कुछ करना चाहिये। आज वहां हर आदमी ...(व्यवधान)... इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। हमें जूडिशियल इन्क्वायरी नहीं चाहिये, सी.बी.आई. की इन्क्वायरी चाहिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये। ऐसा नहीं करते हैं।

[व्यवधान]

श्रीमति कृष्णा साही : यह स्टेटमेंट भारत सरकार का नहीं है। गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि यह बिहार सरकार का स्टेटमेंट है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा में मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दे दिये जाने के बाद स्पष्टीकरण मांगने की प्रथा नहीं है।

[व्यवधान]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : हम स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : यह बिहार सरकार की रिपोर्ट है; यह भारत सरकार की रिपोर्ट नहीं है। (व्यवधान) हम एक स्वतंत्र जांच चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अगर इनकी बात रिकार्ड में जाती है तो हमारी बात रिकार्ड में जायेगी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर आप इसके ऊपर डिसकसन चाहते हैं तो इसका दूसरा भी तरीका है।

5.00 म०प०

[व्यवधान]

श्री तेज नारायण सिंह (बस्तर) : बिहार में एक विधायक की हत्या हो जाती है तो हल्ला हो जाता है लेकिन जब गरीब मरता है तो जश्न मनाया जाता है। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाईये। मैं किसी को भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रही हूं।

[हिन्दी]

मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : 2000 लोग भागलपुर में मरे थे तब क्या हुआ था ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : मैंने इसे नोट कर लिया है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : हम बड़ी सरलता से कह रहे हैं कि

[हिन्दी]

"एक आदमी मर गया तो क्या हो गया।"

यह एक आदमी के मरने का सवाल नहीं है, यह बिहार की कानून-व्यवस्था का सवाल है। यह इतना कैजुअल डिस्कस हुआ है, जैसे कोई आम बात है। वहां लगातार रोज़ घटनाएं इस तरह से हो रही हैं ...(व्यवधान)...

मोहम्मद अली अशरफ फातमी : जब हरिजन गरीब मर जाता है तो नहीं बोलते ...(व्यवधान)...

श्री पवन कुमार बंसलः यह कह रहे हैं कि एक आदमी मर गया तो क्या हो गया। (व्यवधान)...

श्री नीतीश कुमार : मंत्री महोदय के बयान पर माननीय सदस्या ने ऑब्जर्व किया और मिनिस्टर ने उसको रैस्पोंड किया है इसलिए हमारा पाइण्ट ऑफ ऑर्डर स्टिल स्टैण्ड करता है। इस आब्जर्वेशन और क्लेरीफिकेशन को आप कार्यवाही से एक्सपंज करें। वरना हम लोग भी ओब्जर्व करना चहते हैं और उस परा मिनिस्टर रैस्पोण्ड करें (व्यवधान) विहार में सी.बी.आई. की इन्क्वायरी कब-कब हुई हैं ? बिहार में पहले भी कई बार हत्या हुई है। जब जगन्नाथ मिश्र चीफ मिनिस्टर थे तो मंजूर हसन, एम.एल.ए. की हत्या हुई थी ...(व्यवधान)।

श्री तेजनारायण सिंह : बिहार की परम्परा रही है। वहां 8 एम.एल.ए. की हत्या हुई और सभी की लोकसभा में मांग हुई लेकिन क्या कारण है कि आज ऐसा हुआ है। 1980 से लेकर 1990 तक 8 एम.एल.ए. की हत्या पर भारत सरकार का कोई बयान नहीं आया है। यह पहला मौका है कि आज यहां बयान हो रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप सभी एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा।

[हिन्दी]

मोहम्मद अली अशरफ फातमी : गरीब मरता है तो आप लोगों को फिक्र नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : हमने माननीय सदस्य के आब्जर्वेशन पर जो पाइण्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया, मिनिस्टर ने जो रैस्पोण्ड किया है उसको रिकोर्ड से एक्सपंज करने के लिए मैं आपकी व्यवस्था के बारे में जानना चाहता हूं।

जब जगन्नाथ मिश्र विहार के मुख्य मंत्री थे तो मंजूर हसन खां, हजारीबाग के एम.एल.ए. की हत्या हुई, क्या उसमें सी.बी.आई.की इन्क्वायरी हुई ? श्री राम नगीना प्रसाद, एम.एल.ए. की हत्या हुई थी तो श्री भागवत झा आजाद बिहार के मुख्य मंत्री थे, जब बीर बहादुर सिंह, एम. एल. ए. की हत्या हुई तो श्री बिन्देश्वरी दूबे बिहार के मुख्य मंत्री थे तो क्या सी.बी.आई. की इन्क्वायरी हुई ? जगदेव प्रसाद, भूतपूर्व

मंत्री की जब हत्या हुई तो श्री केदार पाण्डे बिहार के मुख्य मंत्री थे तो क्या सी.बी.आई. की इन्क्वायरी हुई थी ? श्री सूर्य नारायण सिंह, एम.एल.ए. की हत्या हुई थी तो उस समय श्री केदार पाण्डे बिहार के मुख्य मंत्री थे तो क्या सी.बी.आई. की इन्क्वायरी हुई थी ? ...(व्यवधान)

जब रामदेव सिंह, एम.एल.ए. की हत्या हुई थी तो डा. जगन्नाथ मिश्र बिहार के चीफ मिनिस्टर थे तो क्या सी.बी.आई. की इन्क्वायरी हुई थी ? ...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : शिव सेना का एम.एल.ए. बम्बई में मारा गया तो क्या सीबीआई की एन्क्वायरी हुई ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। कृपया अपने-अपने स्थान ग्रहण करें।

[व्यवधान]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : बिहार सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं हैं। वे वड़ा अनियमित रवैया अपना रहे हैं। एक विधायक को मार दिया गया है और जनता दल के सदस्य कह रहे हैं कि केवल एक व्यक्ति के मारे जाने से यह मामला गम्भीर कैसे हो गया है ? बिहार सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।

सभापति महोदय : क्या आप समूच देश में हो रहे सभी मामलों को लेना चाहते हैं। यह इसके लिए उचित अवसर नहीं हैं।

[व्यवधान]

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदया, बिहार में कानूनव्यवस्था के लिए ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[व्यवधान]

5.08 म०प०

इस समय श्रीमती कृष्णा साही सभा पटल के निकट आ कर फर्श पर खड़ी हो गई। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर वापिग जाइए।

[व्यवधान]

5.09 म०प०

इस समय श्री राम प्रसाद सिंह व कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आ कर खड़े हो गए

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाईये।

...[व्यवधान]...

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : गरीब की हत्या की किसी को चिन्ता नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : गरीबों के आप कोई ठेकेदार नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : सभापति महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : नहीं, यह अवसर नहीं है। आप इस तरह से सभा का समय नष्ट नहीं कर सकते।

[व्यवधान]

श्री श्रीकान्त जेना : आप एक क्षण के लिए सुनिये तो सही मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

महोदया, मंत्री ने वक्तव्य दिया और हमने मंत्री जी की बात को ध्यानपूर्वक सुना। इस सभा में ऐसा कोई नियम नहीं हैं कि मंत्री के वक्तव्य के बाद, हम स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : किसी भी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी गई है....

[व्यवधान]

श्री श्रीकान्त जेना : मेरे विचार से एक महिला सदस्य अपनास मुद्दा उठा रही है। परन्तु कांग्रेस-पार्टी के दो सचेतक इस प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आपको इसे बड़ी गम्भीरता से लेना है। या तो आप दोनों पक्षों को इसकी अनुमति दें अथवा यदि आप अनुमति नहीं देतीं हैं, तो फिर हम मुख्य मुद्दे पर चर्चा करें। ...(व्यवधान)...

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि सचेतक की क्या जिम्मेदारी है ...(व्यवधान)...

श्री श्रीकान्त जेना : कांग्रेस पार्टी के दोनों ही सचेतक सभा की कार्यवाही में रुकावट डालना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक सचेतक को कैसे कार्य करना चाहिये। यदि हम भी, वैसे ही बर्ताव करें, जैसा कि वे कर रहें हैं, तो फिर हम नहीं समझते कि अच्छा होगा। ...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : मेरा यह ऑब्जेक्शन है, उन्होंने कहा कि एक आदमी मर गया तो क्या हुआ, यह क्या बात है। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : उनकी बात सुनें। वह पुनः वही बात कह रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

[हिन्दी]

मैडम, ये फिर वही बात कह रहे हैं कि क्या हुआ। ...(**व्यवधान**)... इन्होंने खून किया है...।

[हिन्दी]

[व्यवधान]

[अनुवाद]

उन्होंने विधायक की हत्या की है। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : मंत्री के वक्तव्य के बाद किसी भी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है।

[व्यवधान]

श्री ए० चार्ल्स : सभापति महोदया। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : श्री चार्ल्स, मैंने आपको अनुमति प्रदान नहीं की है। कृपया बैठ जाइये। ...(व्यवधान)* ....

सभापति महोदय : मैंने किसी भी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी है। बस यही है......

[व्यवधान]

श्रीमती कृष्णा साही : मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रही हूं, मैं तो केवल सी०बी०आई जांच के लिए अनुरोध कर रही हूं। ...(व्यवधान)...

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदया। ...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राम नाईक जी, कृपया बैठ जाईये। मैंने उनमें से किसी को भी अनुमति नहीं दी है.....

[व्यवधान]*

सभापति महोदय : अब श्रीमती सुमित्रा महाजन को बुला रही हूं.....।

[व्यवधान]

5.15 म०प०

---

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुदानों की मांगे (सामान्य) - 1992-93

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा चल रही है, मानव संसाधन मंत्रालय, मतलब हम मनुष्य हैं, पहले तो हमें यह समझना जरूरी है। ...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : सभापति महोदया, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें। वह यहां बैठे ही हुए हैं। ...(**व्यवधान**)...

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : तब मिनिस्टर को हर चीज पर रेसपॉंड करना होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बिल्कुल नहीं। क्या आप महिला सदस्य को बोलने देंगे ? श्रीमती सुमित्रा महाजन, आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति महोदय, जिस मंत्रालय पर हम चर्चा कर रहें हैं, कम से कम उस मंत्रालय पर चर्चा करते समय तो हम अपने आपको मनुष्य सिद्ध करें। यह बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस मंत्रालय पर विस्तृत रूप से चर्चा हो रही है। वास्तविक रूप से यह सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जो सजीव व्यक्तियों से संबंधित मंत्रालय है, ऐसे मनुष्यों से संबंधित है, जिन्हें हम मनुष्य कहना चाहते हैं और ऐसे संस्कार दिलाना चाहते हैं, जिससे ये पंक्तियां सार्थक हो सकें–

धरती की शान तू है, मनु की संतान है,
तेरी मुट्ठी में बंद आसमान है,
मनुष्य तू बड़ा महान है।

तो यह जो महान मनुष्य है, उसे महान बनाने की उसमें जागृति लाने के लिए कि तू महान है और महान बन कर रहना है। इस दृष्टि से यह मानव संसाधन मंत्रालय के जो अलग अलग विभाग हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है संस्कार शिक्षा। इस शिक्षा पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि इसी शिक्षा के द्वारा मनुष्य मनुष्य बनता है, नहीं तो वैसे हमारे दो हाथ, दो पैर हैं, इसलिए शारीरिक रूप से तो हम मनुष्य कहला सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम मुनष्य कहलाने लायक बनें, इस दृष्टि से यह शिक्षा

एक महत्वपूर्ण अंग हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक हमारी जो कल्पना है, जो भारतीय कल्पना है, इस भारतीय कल्पना से हम बहुत दूर रह कर "मैन इज ए सोशल एनीमल" वाली विदेशी कल्पना के साथ चलते रहे हैं। हम एनीमल नहीं हैं, हमको नर से नारायण बनने की कोशिश करनी है, यह हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं और इसी दृष्टि से हमारी शिक्षा होनी चाहिए। इस दृष्टि से हमको शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए और इसी दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में मार्ग दर्शन और अनुदान देना चाहिए। इसी दृष्टि से बजट में शिक्षा विभाग के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करना ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, किताबों को ही ले लीजिए। किताबों का वजन बढ़ गया, लेकिन उन किताबों से वास्तविक संस्कार बच्चे कितना ग्रहण कर रहे हैं, यह जानने की हमने कभी कोशिश नहीं की और इसीलिए बच्चों के कंधे किताबों के भार से झुकते गए, लेकिन उनके दिल और दिमाग पर जो संस्कार होने चाहिएं, शिक्षा के द्वारा जो भारतीयता के संस्कार होने चाहिए थे, वे नहीं आ सके। हमारा इतिहास इतना महान है और इसी प्रकार से हमको बनना है, ये संस्कार बच्चों को मिलने चाहिए थे, लेकिन ये संस्कार नहीं मिल सके। इन संस्कारों को देने की कोशिश की गई और यहां पर एक बैठक हुई। उस बैठक में तय हुआ कि केन्द्र सरकार द्वारा यहां से सलेबस दिया जाता है और राज्य सरकारें किताबें तैयार करती हैं और मध्यप्रदेश में जब इन संस्कारों का महत्व जानने वाली सरकार आ गई और उन्होंने यह तय किया कि किताबों का वजन कम होना चाहिए, लेकिन संस्कार ज्यादा से ज्यादा मिलें। इसलिए जो कुछ ऐसे विषय थे, सहायक वाचन में भी वही विषय और रेगुलर किताबों में भी वहीं विषय, यह पुनरावृत्ति टालने के लिए जब प्रयास किया गया तब हमने विरोध शुरू किया कि महान व्यक्तियों को पाठकों को किताब से निकाला जा रहा है।

लेकिन हमने यह जानने की कोशिश नहीं की आज तक कि हम किस प्रकार से ये किताबें उन्हें दे रहे थे। हमारी एन.सी.ई.आर.टी. की तरफ से जो किताबें छप रहीं थीं, कभी समय पर छप कर तैयार नहीं हुई। उसके बाद फ्री किताबें हम बच्चों को देते हैं, मैंने देखा हैं दिसम्बर के पहले हम बच्चों के हाथ में आज तक कभी किताबें नहीं दे पाए। यूनीफार्म हम देते हैं, लेकिन यह सब इतनी देरी से मिलता है, आधा सत्र समाप्त होने के बाद ये किताबें हमारे बच्चों के हाथ में चली जाती हैं। उन किताबों से हमारे बच्चे कितने संस्कारिक होते हैं यह आज तक हमने नहीं देखा। क्योंकि संस्कार के लिए उनका शरीर भी मजबूत होना चाहिए, पोषण आहार केन्द्र तो जगह-जगह खुल गए हैं, लेकिन उन पोषण आहार केन्द्रों में धांधलियों चलीं। मैं यह कहती हूं कि यह विभाग इतना महत्वपूर्ण है, यह बच्चों से लेकर बूढ़ों तक शरीर और मन दोनों से जुड़ा हुआ विभाग है, लेकिन आज तक यह विभाग एक प्रकार से नेगलेक्टिड रहा। इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया गया। इसलिए ये पोषण आहार केन्द्र ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ियों का केन्द्र बने रहे और कुपोषण आहार केन्द्र बने रहे। इसलिए करोड़ों की धनराशि खर्च होती रही, लेकिन सही हाथ में, सही रूप में, न कभी सही पेट में पोषक आहार गया। इसलिए आज जब हम आंकड़े निकालना चाहते हैं तक यह देखते हैं, कि ज्यायदा से ज्यायदा पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनमें कुपोषित बच्चे हैं। मृत्यु की गोद में समाए जाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। इस प्रकार का आज हमारे भारत

का चित्र है। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को न कभी पेटभर खाना खिला सकते हैं, न अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों की बेचने के लिए भी आजादी के 40 साल बाद आज मजबूर हो गए हैं । इस प्रकार से हमारा यह विभाग चल रहा है। इस प्रकार की नेग्लीजेंस यहां हो रही है।

एक बात इसमें मैं यह कहना चाहूंगी, जब हम शिक्षा पर विचार करते हैं तो शिक्षा पर विचार करते समय हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के लिए, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि 9 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें असमानता कैसी है। बच्चों में किस प्रकार की असमानता हम रखते हैं, 9 केन्द्रीय विश्वविद्यालय केवल पूरे भारत में हैं और उनके लिए आठवें प्लान में 100 करोड़ की धनराशि हमने रखी। मेरे मध्य प्रदेश में 9 विश्वविद्यालय हैं, केवल मध्यप्रदेश की बात मैं कर रही हूं, बाकी पूरे हिन्दुस्तान की हम सोचें लेकिन अकेले मध्यप्रदेश में 9 विश्वविद्यालय हैं और उसको अनुदान कितना मिल रहा है, प्रत्येक विश्व विद्यालय को एक करोड़ यानि केवल 9 करोड़। यह असमानता आज हमें दिखाई दे रही है।

इसी के साथ-साथ शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा मनुष्य बनाने के लिए है, ऐसा हम कहते हैं। जैसा मैंने कहा संस्कार कुछ ले कर मनुष्य चलता है, लेकिन आज माफ कीजिएगा कांग्रेस के शासित जो प्रदेश हैं - महाराष्ट्र, आंन्ध्र और कर्नाटक, यहां पर जो उच्च शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर जो यहां पर बनते है, वे ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दे कर बनाए जाते हैं। फिर ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दे कर इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, बाद में किस प्रकार देश की सेवा कर पाएगा, कौन से संस्कार ले कर जाएगा ?

एक छोटी सी बात कहती हूं। हमारे हर एक के घर में इस प्रकार की चर्चा होती है, चर्चा यह होती है कि प्रत्येक मां अपने बच्चे को पूछती है, मां और बाप हमेशा यह प्रश्न पूछते हैं कि बेटा तू बड़ा हो कर क्या बनेगा ? जब बेटा उत्तर देता है, अगर मेरा बेटा आज उत्तर देता है कि मैं शिक्षक बनूंगा तो मुझे कभी वह अच्छा नहीं लगता है, रास नहीं आती है वह बात । लेकिन अगर मेरा बेटा कहेगा कि मां मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा तो अच्छा लगता है।

लेकिन उसके आगे जो बात मेरे मुंह से निकलती है, यानी मेरे मन पर जो संस्कार आ गए और मैं जो संस्कार देने जा रही हूं, वह मां यह बोलती है, अनायास बोल उठती है - हां बेटा तू इंजीनियर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, फिर मेरे बेटे का बड़ा बंगला होगा, उसके घर के आगे गाड़ी होगी, खूब पैसा कमाएगा मेरा बेटा।

मतलब कि डाक्टर इंजीनियर बनने के बाद केवल पैसा कमाना ही लक्ष्य रहेगा। उन माता-पिताओं ने वहां पर लाखों रुपया डोनेशन दिया हुआ है इसलिए वह संस्कार बच्चे में जायेंगे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनता है। जिसको वह संस्कार मिले हुए हैं। वह आगे जाकर पुलिया का निर्माण करेगा। वह केवल कागजों पर होगा। कागजों पर पुलिया का निर्माण करके वह सही नहीं हो सकता है बल्कि असल में वह अपना बंगला बनाना चाहेगा। शिक्षा का महत्व केवल नगरीय क्षेत्र में नहीं हैं। इस बजट में मैं देख रही हूं कि आदिवासी क्षेत्र में एडल्ट एजुकेशन की योजनाएं चलायी जा रही हैं तो नगरीय क्षेत्र में आपने नौ करोड़ रुपया रखा है। आदिवासी क्षेत्र में 2 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान है। एससीएसटी के लिए केवल 3 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान है। जहां वास्तविक रूप से प्रौढ़ शिक्षा की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। जिन स्वयं सेवी संस्थाओं को हम प्रौढ़ शिक्षा के लिए अनुदान देते हैं तो उनके आफिस दिल्ली में हैं।

दिल्ली में बैठकर वे सुदूर गांवों में प्रौढ़ शिक्षा चलायेंगे क्या। क्या इस पैसे का सही मायने में उपयोग होता है। करोड़ों रुपया हम रखते हैं लेकिन देखा जाए तो वह पूरा नहीं है। जितना भी रखते हैं तो उनका सही उपयोग हो रहा है क्या। बच्चे केवल शिक्षा से बड़े नहीं होते हैं। उनके लिए खेलों की जरूरत हैं। लड़के या लड़की के लिए पूरी तरह से उनके विकास के लिए खेलों का होना आवश्यक है। आज हमारे खेलों की स्थिति क्या है। मेरे हाथ में एक कागज है। माननीय मंत्री जी, ध्यान रखें। उन्होंने महिलाओं के लिए स्पोर्टस छात्रवृत्ति रखी है। उसका इतना पूअर शो है कि 2500 रुपया जिनकी सालाना आमदनी है तो उनके लिए छात्रवृत्ति 1200 या 1300 रुपए सालाना रखी है। रुपए की कीमत क्या रह गई हैं। खेलों के लिए जरूरी है कि बेसिक आहार मिले। इसके साथ-साथ खेल के मैदान कहां हैं।

5-26 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए)

कई सारी योजनाएं आपने बना दी हैं। हम ज़मीनें बांट रहे हैं। आज सुबह ही इसके बारे में प्रश्न चल रहा था। कौन सी ज़मीन बांटी जा रही है। खेल के मैदान सिकुड़ते जा रहे हैं, वहां पर सीमेंट की बिल्डिगें खड़ी हो रही हैं। खेल का मैदान बचाने के लिए हमारे पास कोई भी कानून नहीं है। खेल का मैदान बचाने की दृष्टि से जो बजट में रखा है तो उससे ज्यादा खर्चा होता है। जो डीलडॉल वाले खेल हैं जैसे क्रिकेट है तो उसकी वजह से खिलाड़ी सितारे बन जाते हैं। खो-खो और कबड्डी खेलने वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके लिए दो रूपए की छात्रवृत्ति है। इसकी तरफ सोचना जरूरी है। स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया है। भारत में से 39 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया तो क्या यह बड़े गर्व की बात है। महिलाओं के लिए हमने क्या किया। इसके लिए सोचना पड़ेगा। नेहरू युवा केन्द्र के लिए सोचना जरूरी है। करोड़ों रुपया इसके लिए रखा हुआ है। नॉन-प्लान के लिए छह करोड़ रुपया और प्लान के लिए 1.50 करोड़ रुपया है। बहुत सारी विदेशी सहायता नेहरू युवा केन्द्रों को मिलती हैं, ठीक है मिले। नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करने के बाद कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे हमारी राजनीति के चट्टे-बट्टे का अड्डा बनकर न रह जाए। इस दृष्टि से हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो नेहरू युवक केन्द्रों की स्थिति है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक सुझाव दिया था इन केन्द्रों के बारे में 1986 में कि इनका स्टेट के साथ को-आर्डिनेशन होनी जरूरी है। माननीय मंत्री महोदय उस समय तब मुख्य मंत्री थे मध्य प्रदेश के, माफ कीजिएगा उस समय आपने एक बहुत बड़ी गलती की थी। वह यह कि हमारे नेहरू युवक केन्द्रों के जो प्रमुख हैं उनको बिगाड़ने का काम आपने किया है। किस प्रकार से किया है वह ऐसे कि जब आप मुख्य मंत्री थे तब आपने एक नोटिफिकेशन---- निकाला था, आपको यदि याद हो तो याद कीजिए कि ये जो प्रमुख हैं जब जायेंगे तो जिला कलैक्टर जिला स्तर पर इनको रिसीव करेगा। मतलब यह कि ये क्लैक्टर के ऊपर हो गये और प्रमुख जिससे हमारी अपेक्षायें हैं वे गांवों में जाकर सेवा के काम करें, अगर हमने उसको कलैक्टर के ऊपर का दर्जा दे दिया, जैसे मैंने पहले कहा कि इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया हैं, तो इन नेहरू युवक केन्द्रों के प्रमुख गांवों में जाकर विकास के कार्यों को कैसे हाथ में लेंगे और गांवों की क्या सेवा करेंगे तथा गांव के युवकों को आगे लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम इस पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय– यदि आपके दल को आंबटित समय से अधिक समय लिया दिया जाता है, तो फिर आपके दल के दो या तीन सदस्यों को उनके अवसर से वंचित कर दिया जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदय, मैं केवल महिलाओं के बारे में थोड़ा सा निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगी। हमारे देश में स्त्री की स्थिति क्या है। हम जब स्त्री नाम को उच्चारित करते हैं, नारी बोलते हैं तो नारी का अर्थ है न-आरी, यानी जो किसी की शत्रु नहीं हो सकती और नहीं जिसका कोई शत्रु हो सकता है। ऐसा वह नारी जो महान है, लेकिन आज इस स्वतंत्र हिन्दुस्तान में स्त्री की स्थिति क्या है। कई सारी योजनायें हमने बना डालीं, लेकिन जब तक स्त्री सम्पूर्ण रूप में सक्षम नहीं होगी समाज का पूर्ण विकास नहीं होगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि परिवार में एक स्त्री का शिक्षित होना और समझदार होने का मतलब परिवार का समझदार होना है। अगर हम भारतीय इतिहास को उठाकर देखेंगे तो कई जगह पायेंगे कि स्त्री ने कई जगह दिशा-दर्शन दिया हे, परिवार को दिया है, समाज को दिया है। तुलसीदास ने भी रत्नावली में यही दिया। जब पूरे भोग से भरकर तुलसीदास गये थे तब रत्नावली ने एक वाक्य बोला-अस्ति चर्म मय देह ममृता में ऐसी प्रीत--ऐसे जो श्रीराम होत न तू भयभीत। इसीलिए तुलसीदास ने पूरे समाज को एक दिशा दी। लेकिन आज की स्त्री की अवस्था हमारे समाज में क्या है। योजनायें तो बहुत बनायी, होस्टल बनाये कामकाजी महिलाओं के लिए, उस दिन वित्त मंत्री ने बजट में प्रावधान रखा कि तीन हजार रुपये की छूट दे दी और उस कार्यशील महिला के लिए 12 हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया, उससे ही आज दफ्तर में उन महिलाओं को ताने सुनने पड़ते हैं। वास्तविक रूप से यह कोई छूट नहीं मिली हैं क्योंकि ऐसी महिलायें गिनती की होंगी जिनका वेतन 3600 रुपये से कम होगा। जबकि वे पुरुषों के, बराबर काम करती हैं और उनको थोड़ी सी छूट क्या मिली कि 100 फीसदी ताने सुनने पड़ते हैं। आपने जो होस्टल या महिला उद्धारगृह उनके लिए बनाये हैं आप जाकर देखें कि वहां क्या स्थिति है। इसलिए स्त्री को हमें आगे लाना पड़ेगा, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। आपने महिला पोली टेक्नीकल के लिए अपने बजट में बहुत कम धनराशि रखी है। आज पूरे हिन्दुस्तान में मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा चार-पांच पोली टेक्नीकल कालेज होंगे जिसमें महिलाओं को तकनीकी शिक्षा दी जाती है। आज इस तरह की योजनायें बनानी चाहिए कि उसक मन पर जो बात बैठी हुई कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, यह पूरी बात मिट पाये और इस पुकार का नया नारा लिखकर उसको दे सकें---

सबला बनाकर रखा है, नई कहानी मन में हो

विश्वास बनी स्वाभिमानी और राष्ट्राभिमानी हो

ऐसी स्त्री की कल्पना हमें करनी चाहिए और फिर हम इस बजट पर विचार करें, केवल छुटपट योजनायें बनाने से काम नहीं बनेगा। इतना ही मुझे कहना था।

श्री असलम शेर खाँ (बेतूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ग्रांट्स की स्पोर्ट के अन्तर्गत खड़ा हुआ हूँ।

मैं समझता हूँ कि इस मंत्रालय के अन्दर वे लोग आते हैं जो 75 फीसदी आबादी का हिस्सा है। यह मंत्रालय बना तो स्व० राजीव जी ने इसको एक बहुत ही इम्पार्टेंट महकमा मानकर कई पहलुओं

पर ज़ोर दिया। उसमें एक पहलू अभी हमारी माननीय सदस्या ने कहा--नेहरू युवा केन्द्र। मैं समझता हूं कि नेहरू युवा केन्द्र को एक ऑटोनमस दर्जा दिया गया जो एक अच्छी बात थी क्योंकि इस मिनिस्ट्री का काम यूथ वैलफेयर के अन्तर्गत एक ज्वांयट सेक्रैटरी के लेवल पर काम होता था और इसका काम सबसे ज्यादा उस इलाके के लिए था, उन लोगों के लिए था जहां करोड़ों की तादाद में अन--एजूकेटेड लोग रहते हैं क्योंकि उन लोगों की कोई एक्टिविटी नहीं थी, काम नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। इस दृष्टि से भी इस वर्ग के लोगों को मदद देने का काम हुआ।

मैं समझता हूं कि जब श्री अर्जुन सिंह जी ने इस महकमे को लिया, तो उन्होंने सबसे ज्यादा इस बात को महत्व दिया और नेहरू युवा केन्द्र को दुबारा जीवित किया क्योंकि इस बीच में दो साल--- 1990 और 1991 चले गये थे। पिछले बजट में भी नेहरू युवा केन्द्र को कुछ नहीं दिया गया। शुरू में तो इस महत्वपूर्ण विषय को बिल्कुल ठप्प कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि जो बी०जे०पी० और आर०एस०एस० की शाखा चलती है, यह ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि इसके अन्दर जो भी कार्यक्रम दिये गये, वे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए चलते हैं। सके साथ ही देश हित में और भी कई एक्टिविटीज़ चलती है। मध्यप्रदेश की सरकार ने तो एक अपनी नई संस्था चला दी है, सिर्फ इस डर से कि ये लोग आर०एस०एस० का प्रचार करके इसको काट सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि इस महकमे के अन्दर खेलों के विकास के लिए बहुत मामूली काम हुआ था। ऐसी बात नहीं थी कि देश के अन्दर टैलेंट नहीं था। जब भी खेलों की बात होती है, तो हमारे खिलाड़ियों के अन्दर उत्साह न हो, ऐसी बात नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे पहले एशियाड का आयोजन किया गया था और उस वक्त हमारे खिलाड़ियों ने कई खेलों के अन्दर मैडल लिये थे और यह सिलसिला काफी समय तक चला। जब पटियाला के अन्दर एन०आई०एस० बना तो उसके इंटेंशन गलत थे क्योंकि उस सेंटर को चलाने के लिए उस वक्त के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान किया और वह यह किया कि जो भी टीमों के कोचेज़ थे, वही होंगे जो एन०आई०एस० के होंगे। मैं यह समझता हूं कि यइ इसलिए किया गया कि जो लोग कोचिंग देना चाहते थे, खेलों में देना चाहिए, वह नहीं दे सके। उससे क्या हुआ कि हम कितने लोगों को कोचिंग दे पाए और कितने लोगों की सेवाएँ इसके माध्यम से ले पाए। लेकिन भोपाल जैसी जगह, पंजाब के छोटे से गांव संसारपुर जैसी जगह के अंदर जो उस्ताद होते थे, जो कोचिंग करते थे, जो क्लब चलाते थे, उनकी सोच में यह आया कि हमें कभी भारत की टीम को आगे कोच करने का मौका नहीं मिलेगा और उसके लिए उनको एन-आई-एस- का कोच बनना पड़ा। उसका रिज़ल्ट यह हुआ कि इस एन-आई-एस- कोचिंग के चक्कर में जो आदमी अगर स्विमिंग का कोच बनने गया तो बाद में वह क्रिकेट का कोच बनकर निकल आया क्योंकि इनकी क्लासेज़ और इनकी जगह काफी सीमित थीं। इससे जो खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए था वह एकदम ठप्प हो गया। मैं समझता हूं कि एन-आई-एस- बनने से खेलों को बढ़ावा मिलने के बजाया बहुत घाटा हुआ क्योंकि बहुत से छोटे शहरों में जो लोग कोचिंग करते थे, उन्होंने इंट्रस्ट छोड़ दिया।

दूसरा एशियाड भारत में 1982 में हुआ। उसका एक सबसे बड़ा परिणाम यह निकला कि हिन्दुस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी बनी, लेकिन फिर वही काम हुआ। सोच तो अच्छी थी, लेकिन रिज़ल्ट यह हुआ कि जो एशियाड की ऑर्गनाइज़िंग कमेटी थी, वह पूरी की पूरी कमेटी स्पोर्ट्स

अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बदल गई और जितने लोगों ने दिल्ली में रहना ठीक समझा, जो रिटायर हो रहे थे, वह सब के सब स्पोर्ट्स अथॉरिटी में आ गए। इसे डंप कर दिया, स्पोर्ट्स अॅथारिटी ऑफ इंडिया इस्टबिन की तरह बन गया। अगर आज आप बजट का हिस्सा देखें तो मैं समझता हूं कि 80 से 90 प्रतिशत बजट स्पोर्ट्स का, उनकी तनख्वाहों पर जाता है। मुश्किल से पांच-सात या दस करोड़ रुपया एक्चुअल एक्टिविटी के अंदर लगता है। क्या यह स्पोर्ट्स तनख्वाह देने की जगह है या ये स्पोर्ट्स उन अधिकारियों के लिए है जिनकी सिर्फ रीक्रिएशन की तरह स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है ? बड़े दुख की बात है कि आज हम किलर इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। जब हम नेशनल टीमें देखतें हैं, मैंने सेन्ट्रल हॉल में देखा क्रिकेट के मैच चल रहे थे तो तब पार्टी के लोग एक होकर यह देखना चाहते थें कि भारत की टीम जीते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि इसको भी एक मिशन के रूप में, एक इश्यू के रूप में सब पार्टियां लें। क्योंकि जिस वक्त भारत का झंडा दूसरे छोटे-छोटे मुल्कों के मुकाबले नीचे रह जाता है उस वक्त पूरे 85 करोड़ भारत के लोगों का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है और हमारे वह लाखों करोड़ों लोग जो भारत के बाहर के देशों में रहते हैं, उनका एक सवाल होता है कि ऐसा क्यों है कि हिन्दुस्तान से कोई खिलाड़ी नहीं निकलता? क्या कमी है? अब उनको क्या कहें कि कैसा सिस्टम चल रहा है, कैसी हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गनाइज़ेशन हैं और कैसी फैडरेशंस हैं और गवर्नमेंट उनको कितना सीरियस लेती है ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार इनकी ज़िम्मेदारी ले और अगर ले तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी ले। ये दो बाते हो रही हैं। स्पोर्ट्स के फैडरेशंस पर यह कहा जा रहा है कि वे ऑडोनामस बॉडीज़ हैं और ऑटोनॉमस बॉडी होने के नाते उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। फंड गवर्नमैंट देती है। सैलैक्शन वह करते हैं, कोचिंग कैम्प में कोचेज़ हमारे होतें हैं, तो ज़िम्मेदारी किसकी है ? सेलेक्टरों ने यह टीम बनाई या कोचेज़ ने वह टीम को कोच किया, यही ज़िम्मेदारी की बात है, लेकिन इसके अंदर कई बहस हो जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर, कई बार बड़ा हल्ला भी होता है और सबको दिखाई भी देता हे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आज तक नहीं ठहराई जा रही है। स्पोर्ट्स फैडरेशंस का यह हाल है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी बहुत ही कैपेबल हैं। यह बड़ी विल पॉवर की बात है कि पोलिटीशियंस और ब्यूरोक्रैट्स फैडरेशंस के अंदर बैठे हुए हैं। क्यों नहीं ऐसा होता कि राइट लोगों के हाथ में स्पोर्ट्स जाए? गाइडलाइन हम बनाते हैं इलेक्शन होते हैं तो हमारे आदमी इलैक्ट होकर आते हैं, इनकी बोगस फैडरेशन बना देते है। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि कई क्लब सिर्फ कागज़ों पर हैं, कई एसोसिएशन कागजों पर है और फैडरेशन भी कागजों पर है। पार्टिसिपेशन इसलिए करना चाहते हैं कि विदेशों में घूमने जाना चाहते हैं। ऐसे कई मौके हुए, कई खिलाड़ी और फैडरेशन के कोच मैदान तक नहीं पहुंचे। या उनके आफिशियल्स इसमें बिजी रहते हैं कि एक-आध इंटरनेशनल बॉडी में उनका सलैक्शन हो जाये ताकि अगली बार उनकी ट्रिप मजबूत हो। अब फिर बारसिलोना में ओलम्पिक आ रहे हैं और जब भी खेल आते हैं उस वक्त हम सब में एक तरह से जागरूकता आती है। मुझे उम्मीद है कि अगर इस बार हम खेलों में जाने से पहले पूरी तरह जागरूक होकर जायेंगे। उससे दो चीजें पैदा होंगी–एक तो नेशनल करैक्टर बनता है, बजट में हम स्पोर्ट्स के लिये जितना प्रावधान करते हैं तो आज स्पोर्ट्स में नौकरियों की कमी नहीं हैं, लेकिन खिलाड़ी नहीं मिलते। कई जगह इनकी वैकेन्सीज खाली पड़ी हुई है, इस ओर ध्यान देकर, अगर मंत्री जी एक कमेटी बनायें और नई पौलिसी स्पोर्ट्स के लिये तैयार करें, उसे सिर्फ पौलिसी ही न रखें, क्योंकि अगर हम पीछे की ओर दृष्टिपात करें तो हमारी पौलिसी सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह

जाती है, इसलिये आप-दो तीन आदमियों की एक कमेटी बनाईये। उनकी राय लीजिये क्योंकि फैडरेशनों के अंदर भी स्थिति को ठीक करने की आज जरूरत है। गवर्नमैंट की एकाउन्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स औथोरिटी हो, कोई ऐंजेसी हो या डायेरक्टली मिनिस्ट्री ही क्यों न हो, आपको कोई पौलिसी तय करनी होगी। उसके बाद, मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं कि हम पीछे रह जायें।

आज हमारे खिलाड़ियों में किलर इंसटिंक्ट नहीं है। मैं यह भी मानता हूँ कि न तो किलर इंसटिंक्ट स्पोर्ट्स औथोरिटी में हैं और न फैडरेशन में है। इस चीज़ को यदि हम एक दूसरे पर पास-ऑन करते रहेंगे, आज भी यही बात हो रही है कि क्रिकेट में हम कितनी बुरी तरह हार गये। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। पाकिस्तान हमारे बीच का एक हिस्सा है। क्यों आज पाकिस्तान क्रिकेट, हाकी और स्क्वैश में हमेशा आगे रहता है क्योंकि उनका, पूरे देश का इन्वायरनमैंट इसमें लगा हुआ है। उसे वे अपनी प्रैस्टिज मानते हैं और उस प्रैस्टिज के नाते, मर मिटने वाली पोजीशन उनकी होती है। इसलिये चाहे गवर्नमैंट हो या कोई एजेंसी हो, एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा।

चाईना ने क्या किया। जब स्पोर्टस के क्षेत्र में उनकी हालत खराब हो गयी तो उन्होंने चार साल के लिये स्पोर्ट्स पर बैन लगा दिया। जैसे सिक मिलों की बात है, हम जब किसी सिक मिल को ठीक करना चाहते हैं तो पहले उसे बंद करना पड़ता है, उसकी हर चीज़ को ठीक करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप स्पोर्ट्स को भी पूरा बैन कर दें क्योंकि जब भारत की प्रतिष्ठा गिरती है, 85 करोड़ की आबादी वाला भारत, साइड-लाइन में रह जाता है तो उससे बेहतर है कि एक बार पूरी तैयारी हम करें, राईट आदमियों का उसमें इन्वोल्वमैंट हो और फिर पूरी ताकत के साथ जब भारत खेलों में जायेगा तो ऐसी कोई कमी नहीं है कि भारत के खिलाड़ी पीछे रहें। हमेशा ऐसा होता है कि खिलाड़ियों पर ही ब्लेम दे दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे मंत्री जी ऐसा काम कर देते है तो हिन्दुस्तान दोबारा अपनी वही जगह बना सकेगा, चाहे ऐथलैटिक्स में हों, हाकी में हो, रैसलिंग में हों, कई मुकाबलों में हम लोग आ सकते हैं। इन शब्दों के साथ समय देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी जी, डा-विश्वनाथम् अपने निर्वाचन क्षेत्र में सम्पन्न होने वाले किसी आयोजन में शामिल होना चाहते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो वह पांच मिनट के लिए बोलेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : ठीक है बशर्ते आप मुँझे अपनी बात जल्दी-जल्दी और अपना भाषण जल्दी से समाप्त करने के लिए न कहें। **(व्यवधान)**

डा० विश्वानाथम कैनिथी (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। एच.आर.डी. का अभिप्राय मानव अनुसंधान और विकास होना चाहिए बजाय इसके कि इसे मानव संसाधन विकास कहा जाये क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या भी बहुत है और संसाधन भी।

पिछले 45 वर्षों से अंग्रेजों से विरासत में मिली एक ही प्रकार की शिक्षा का हम अनुसरण कर रहे हैं। यह शिक्षा केवल स्नातकों और स्नातकोत्तरों की ही वृद्धि करती है जिनकी संख्या विश्व में किसी

भी अन्य देश की तुलना में हमारे देश में अधिक है। वे केवल रोजगार चाहते हैं। उनमें से बहुत कम व्यक्ति ही जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं जो किसी भी व्यक्ति अथवा सरकारी संस्था के अधीन काम करना नहीं चाहते और वे अपने बूते पर ही कुछ करना चाहते हैं।

मानव संसाधन विकास के लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि देखने में बड़ी राशि हो सकती है परन्तु प्रतिशतवार यह बहुत कम है। परन्तु धनराशि का एक बहुत बड़ा भाग उन व्यक्तियों के ऊपर खर्च हो जाता है जिनका अपना कोई व्यवसाय अथवा नियमित आय होती है। परन्तु गांव के निर्धन किसानों और दस्तकारों को इन अनुदानों का लाभ नहीं मिलता। मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि अभी इसी समय से हमें एक नया दृष्टिकोण अपनानां चाहिए जिससे कि समाज के सभी वर्गों में से निर्धनतम व्यक्तियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाये और जिन व्यक्तियों को धनराशि का आंबटन किया जाता है। वे उसे शिक्षा पर भी उसी प्रकार से खर्च कर सकें जैसे वे अपने भोजन और कपड़ा इत्यादि पर खर्च करते हैं। यदि यह कदम उठाया जाता है तब निश्चित रूप से शिक्षा के लिए आबंटित अनुदान राशि निर्धनों और दलितों को शिक्षित बनाने में पर्याप्त होगी। हमारे संविधान में बताया गया है कि शिक्षा राज्य का विषय है। राज्य का दायित्व सभी को शिक्षा प्रदान करना है। वर्ष 1950 में यह कहा गया था कि दस वर्षों तक सरकार को प्रत्येक को शिक्षित बनाने का दायित्व अपने उपर लेना है। परन्तु सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती। अतएव मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस कदम को उठाये और एक नयी दिशा दे। इस समय हमारे यहां केवल साधारण स्कूल ही हैं जो गांवों में और गलियों में हैं और उनसे उचित शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। उन स्कूलों ने हमें क्या दिया है यह बात देश के अनेक भागों में देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वे उग्रवादी ही बन जाते हैं क्योंकि उनके करने के लिए और कुछ नहीं है।

अत : हमारी शिक्षा का उद्देश्य अच्छे और जिम्मेवार व्यक्तियों का सृजन करना है जो अपनी रूचि के क्षेत्रों में निपुण बन सकें जिससे कि वे वास्तविक जीवन में भी कुछ अच्छा कर सकें।

हमारे देश में कृषि एक सबसे बड़ा गैर सरकारी उद्यम है और अधिकांश व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात् कृषि क्षेत्र में नहीं जाते हैं।

इस समय हमारे यहां दो प्रकार के स्कूल हैं। एक तो वे हैं जिनमें आवास की सुविधा है और दूसरे वे हैं जिनमें आवास की सुविधा नहीं है। जिन स्कूलों में आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि आप उनका स्तर देखेंगे तो पायेंगे कि ये बहुत निम्नस्तरीय हैं जबकि जिन स्कूलों में आवास की सुविधा उपलब्ध है उनसे हमें काफी अच्छे व्यक्ति मिल रहे हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यही बेहतर होगा कि इन स्कूलों का स्तर अच्छा बनाया जाये और इसीलिए मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखे कि, विशेष रूप से पिछड़े, पहाड़ी और तटवर्ती क्षेत्रों में, आश्रम पाठशालाओं अथवा आवास की सुविधा वाले स्कूलों की स्थापना की जाये और इन निर्धन व्यक्तियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाये। शिक्षा को अधिक महत्व देते समय बालिकाओं की शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यदि मां शिक्षित होगी तो उसकी संतानें भी देश की अधिक जिम्मेवार और बेहतर नागरिक बन सकेंगी। विभाग के पास जितनी भी धनराशि उपलब्ध है, उसका उपयोग बालिकाओं की उचित शिक्षा पर, आवास की सुविधा वाले स्कूलों की स्थापना पर और निर्धनतम वर्गों को शिक्षित बनाने में किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है और विधालयों और महाविधालयों में उनके अध्ययन के दौरान

उन्हें कोई व्यवसाय भी दिया जाता है तो मुझे विश्वास है कि अगले बीस वर्षों में हमारे यहां एक ऐसा समाज होगा जिसमें हर व्यक्ति स्वयं भी शान्ति से रहे सकेगा और दूसरों को भी शान्ति से रहने देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. विश्वनाथम, समय का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्रीमती गीता मुखर्जी बोलेंगी--

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय इस चर्चा का समय निर्धारित किया गया था, विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया था कि इसमें महिलाओं और युवाओं के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा की जायेगी। अतः मैं मुख्य रूप से इसी सम्बन्ध में बोलूंगी। किन्तु इससे पहले कि मैं इस पर आउँ, शिक्षा के संबंध में अन्य क्षेत्रों में दो बातें और हैं। मैं मानव संसाधन मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि क्या वे इस बात को याद रखते हुए कि यह ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के जन्म शताब्दी भी हैं तथा यह याद रखते हुए कि वे महिलाओं के सबसे बड़े समर्थक थे, विद्यासागर विश्वविद्यालय का अनुदान बढ़ाए जाने के प्रश्न पर विचार करेंगे। दूसरी बात मैं यह जानना चाहूँगी कि क्या वे पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में इसे संस्थान के लिए कुछ अनुदान देंगे।

एक अन्य बात भी है जो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगी, प्रश्न मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। किन्तु मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि मध्यप्रदेश में कुछ विशेष व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों की जीवनी के पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया है। बिल्कुल अभी सुमित्राजी ने बताया कि किस प्रकार एन सी ई आर टी का पाठ्यक्रम देर से पहुँचता हैं, मैं पूर्णतः सहमत हूँ। किन्तु फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या स्वर्गीय राम मोहन राय जी की जीवनी को मध्यप्रदेश स्कूल के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। वे हमारे सामाजिक जीवन के एक अति सजग व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। मैं इस संबंध में जानना चाहूँगी। मैं यह भी जानना चाहूँगी कि क्या कवि टेगौर जी की जीवनी को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। आप याद करें ये कवि टेगौर ही थे जिन्होंने कहा था–

[हिन्दी]

नारी के आपन भाग्य जय करिनार के तो नाहि दिवे अधिकार, हे विधाता ?

[अनुवाद]

हे ईश्वर, तूने यह विशेष सुविधा नारी को क्यों नहीं दी ताकि वह स्वंय ही अपनी नियति को जीत सकती। अतः दोनों ही महिलाओं से संबंधित हैं। मैं इस प्रश्न के संबंध में जानना चाहूँगी कि इसके संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है।

इन दो मुद्दों पर बल देने के बाद मैं अब अपने विषय पर सीधे आना चाहूँगी अर्थात् महिलाओं और बच्चों के कल्याण के बारे में विशेष रूप से समय की कमी के कारण महिलाओं के कल्याण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूँगी। मुझे अपनी प्रिय छोटी बहन से कोई ईर्ष्या नहीं है जो कि एक मंत्री है और जिन्हें महिलाओं और युवा मामलों का कार्यभार सौंपा गया है। वह उद्यमी हैं। मैं उनकी सफलता की कामना करती हूं। परन्तु मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ कि इस प्रकार के बजट से वह पूरी तरह से कैसे न्याय कर सकेंगी।

जहां तक वार्षिक रिपोर्ट का सवाल है, मुझे इसमें कुछेक अत्यन्त रोचक बातें देखने को मिली हैं। हर कोई इससे सहमत होगा कि राष्ट्रपति जी के भाषण में इन्दिरा महिला योजना के बारे में काफी उल्लेख किया गया था। आज भी श्री मणिशंकर अय्यर विशेषकर इसी सम्बन्ध में बोल रहे थे। इस रिपोर्ट में मैंने यह पाया है कि इस विभाग ने इन्दिरा महिला योजना के मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया है। अतः इतना ही किया गया है कि इन्दिरा महिला योजना के मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : क्योंकि चर्चा जारी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप यहां तक पहुंच गये हैं। मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूं।

अब मैं दूसरी परियोजना "अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाएं और स्वनियोजित महिलाओं सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग" पर आती हूँ इनकी सिफारिशें वास्तव में गरीबों में भी सर्वाधिक गरीबों से सम्बन्धित हैं। इलाहाबाद आयोग की सिफारिशों की क्या स्थिति है ? उसको भी मैं ऐसे उद्धृत करूंगा कि "इस पर भी सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।"

तत्पश्चात् एक तीसरी परियोजना "महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट निधि" आती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रामीण निर्धन महिलाओं के लिए एक वैकल्पिक ऋण पद्धति शुरू करने की आवश्यकता को समझते हुए महिला और बाल विकास विभाग ग्रामीण निर्धन महिलाओं के लिए एक राष्टीय ऋण कोष की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जहां कहीं भी ग्रामीण निर्धन महिलाओं का सम्बन्ध है, वे सभी मामले विचाराधीन हैं। अतः स्वाभाविक रूप से यह एक अत्यन्त जटिल मामला है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि विभाग ने आवंटित राशि में कोई वृद्धि नही की है। इसमें वृद्धि की गई है। किसमें वृद्धि हुई है और किसमें नहीं, इस पर मै बाद में कहूंगी। उससे पहले मैं इस प्रश्न को स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि महिला और बाल विभाग इन दोनों को 84.98 करोड़ रु० की बढ़ी हुई आवंटन राशि दी गई है। यदि हम स्मरण करें कि हमारे नवीनतम जनसंख्या के आंकड़े 85 करोड़ हैं और यदि हम यह विचार करें कि उनमें से लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, आप उस वृद्धि के बारे में विचार करें जो कि लगभग प्रति व्यक्ति 20 रुपये है।

6.00 म०प०

इसी के साथ ही निश्चित रूप से हमारी महिलाओं को कामयाबी मिलेगी। यहां पर रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये ही मुख्य बातें यहां पर कही गईं हैं। क्यों ? तब मुझे इसमें एक और आशंका है।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, आप अपनी बात कल जारी रख सकती हैं। अब सभा शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1992 को 11.00 बजे प्रातः पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1992। 14 चैत्र, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।